राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृतान्त

अंक ४] तृतीय विधान सभा के चतुर्थ सत्र, १९६३ का ८ वां दिवस [संख्या ६

सोमवार, दिनांक २६ अगस्त, १९६३

विधान सभा की बैठक म. प. २.३४ बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री रामनिवास मिर्धा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[शिक्षा, उद्योग, राजस्थान नहर, खाद्य, पंचायत, राजस्व, खनिज, सहकारी, सामान्य प्रशासन, खादी ग्रामोद्योग, पशु-पालन एवं विकास-विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री मोहनराज।

शिक्षा की मद में कटौती

१५९. श्री मोहनराज (बाली) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि संकटकालीन स्थिति के कारण शिक्षा के मद में खर्च पर कमी की गई है? यदि हां, तो कितनी?

(२) क्या यह सही है कि इस कटौती का प्रभाव प्राथमिक शिक्षा पर भी पड़ा है?

(३) इस वर्ष राजस्थान में कुल कितने कॉलेज (सभी प्रकार के), कितने हायर सेकन्डरी व हाई स्कूल, कितने मिडिल स्कूल एवं कितने प्राथमिक स्कूल खोले गये हैं? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) पहले सत्र १९६२-६३ में शिक्षा विभाग में ३६१.३६ लाख रुपयों की धनराशि स्वीकृत की गई थी। बाद में यह र[illegible] घटा कर ३२०.०० लाख रुपया कर दी गई।

(२) जी हां, कुछ अंशों में।

(३) १९६३-६४ में जितनी स्कूलें खोली गई हैं उनकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। कोई कॉलेज नहीं खोला गया।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : कुछ अंशों में, आपने बताया, इससे आपका क्या मतलब है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुछ कम असर पड़ा है, अत्यन्त नहीं पड़ा है, अत्यधिक नहीं पड़ा है, यह अर्थ है इसका।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : प्राइमरी स्कूल कम हुई क्या ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : कम नहीं खोले।

श्री गिरधारीलाल व्यास (ग्रामीन्द) : क्या हाई स्कूलों की जगह नये हायर सेकन्डरी स्कूल खोल रहे हैं, इसका क्या कारण है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नये नहीं खोल रहे हैं हायर सैकण्डरी स्कूल।

श्रीमुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): क्या यह सही है कि जो मिडिल स्कूलें या स्कूलें खुली हैं उनमें उन जगहों की आवश्यकताओं को ध्यान में नहीं रख कर राजनैतिक कारणों का विशेष ध्यान रखा गया है ? खास तौर से जिस क्षेत्र से दुश्मनी निकालनी थी उससे तो खूब ही निकाली गई है।

श्री अध्यक्ष : The question is not allowed.

श्री मोहनलाल (बालो) : क्या प्राथमिक शालाओं को मिडल स्कूलों और मिडल स्कूलों को हाई स्कूलों और हाई स्कूलों को हायर सेकन्डरी स्कूलों में परिवर्तित करने में धन-राशि प्राप्त करने का निर्णय किया गया था ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : प्राथमिक शालाओं को माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के लिये निर्धारित संख्या निश्चित कर दी। इसके बाद हमने दस-बारह स्कूल डोनेशन्स बेसिस पर माध्यमिक शालाओं में परिवर्तित करने के लिये एक आधार रक्खा। इसी तरह से हायर सेकण्डरी स्कूलों के सम्बन्ध में डोनेशन्स बेसिस पर इस आधार को हाथ में लिया।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

जे. के. इन्डस्ट्रीज़ को सरकार द्वारा ऋण

१६०. श्री रामकिशन (बैर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–
(१) क्या यह सत्य है कि कोटा स्थित जे. के. इन्डस्ट्रीज़ को ७० लाख रुपये सरकार से मिले हैं ?

(२) यदि हां, तो सरकार और जे. के. इन्डस्ट्रीज़ के मध्य हुए एग्रीमेन्ट की प्रति सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) :–
(१) जी नहीं, सही यह है कि जे. के. इन्वेस्टमेन्ट ट्रस्ट लिमिटेड, कानपुर को तीस लाख रुपये का ऋण दिया गया है।

(२) एग्रीमेन्ट की कॉपी सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : यह एग्रीमेन्ट कब लिखाया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : यह एग्रीमेन्ट में तारीख दी हुई है।

Page No 3

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या यह सही है कि जिस समय यह लिखा जाना चाहिये था लोन लेने से पूर्व, तब वह नहीं लिखाया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : यह निश्चित रूप से नहीं बता सकता कि किस समय यह लिखा जाना चाहिये था। इस विषय में प्रश्न भी नहीं पूछा गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप बताइये लोन आपने कब दिया; यह एग्रीमेन्ट लिखाने से पहले या बाद में ?

श्री चन्दनमल वैद : १८ जनवरी, सन् १९५७।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : दूसरी इन्स्टालमेन्ट भी दे दी है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री नत्थीसिंह।

(श्री निरंजननाथ आचार्य प्रश्नोत्तर देने लगे)

माननीय सदस्य तो हैं ही नहीं।

प्रश्न संख्या १६१

श्री नत्थीसिंह।

(अनुपस्थित)

प्रश्न संख्या १६२

श्री शिवनारायण।

(अनुपस्थित)

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा।

राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के मजदूरों के लिए डिस्पैन्सरी

१६३. श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :– (१) राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट (आर. सी. पी.) पर कितने मजदूर कार्य कर रहे हैं ? उनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा के लिये कितनी राशि का प्रावधान है एवं कितने डॉक्टर नियुक्त हैं ?

(२) क्या डॉक्टर मजदूरों को उनके कार्य-स्थान पर जाकर देखते हैं ? यदि हां, तो माह में कितनी बार ? क्या डॉक्टर के पास सरकारी जीपें भी हैं ?

(३) क्या आर. सी. पी. के मजदूरों के लिये कोई डिस्पेन्सरी भी है ? यदि हां, तो कहां कहां ?

उप-मन्त्री, सिंचाई (श्री दौलतराम सारण) : (१) राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट पर इस समय राजस्थान व पंजाब में लगभग १०,००० मजदूर कार्य कर रहे हैं, उनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सम्बन्धी खर्च के लिये इस वर्ष ७९,१३०) रु० का प्रावधान है। राजस्थान व पंजाब में २-२ डॉक्टर्स नियुक्त हैं।

(२) जी हां, डॉक्टर्स मजदूरों को उनके कार्य-स्थान पर एक सप्ताह में एक दफा देखने जाते हैं। आवश्यकतानुसार भी उनका दौरा होता है। राजस्थान में दोनों डॉक्टर्स के पास एक-एक रोगीवाहन है और वे अन्य अधिकारियों के साथ भी जीपों द्वारा दौरा करते रहते हैं। पंजाब में सरकारी जीप

Page No 4

(श्री दौलतराम सारण)

डॉक्टर्स को आवश्यकतानुसार उपलब्ध की जाती है।

(३) जी हां, निम्नलिखित स्थानों पर चार डिस्पेन्सरियां हैं। राजस्थान : हनुमानगढ़ व सूरतगढ़; पंजाब : मुक्तसर व फीरोजशाह।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या सूरतगढ़-हनुमानगढ़ डिस्पेन्सरियों से, जहां पर कि राजस्थान कैनाल का कार्य चल रहा है, जैसे अनूपगढ़, रावतसर उनके डिस्टेन्सेज काफी दूर नहीं हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

गंगानगर जिले में चीनी का अलॉटमेन्ट

१९४. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या खाद्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) गंगानगर जिले को चीनी पर राशनिंग लागू होने के बाद कितनी बोरी चीनी का कोटा दिया गया व किस आधार पर ?

(२) क्या यह सही है कि गांवों के लोगों को चीनी नहीं दी गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(३) शहरों में चीनी का कुल कितना कोटा अलॉट किया गया है व गांवों में कितना कितना ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

खाद्यमन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) :–(१) गंगानगर जिले मे चीनी का कन्ट्रोल होने से अब तक ११,००१ बोरी चीनी का कोटा दिया गया है। यह कोटा पिछले कन्ट्रोल के समय के कोटा को तथा अब जो कोटा मिलता है उसको ध्यान में रखते हुए अलॉट किया गया है।

(२) यह सही नहीं है।

(३) कुल ११,००१ बोरियों में से ७,१०५ बोरी शहरी इलाके में तथा शेष ३,८९६ बोरी देहाती इलाकों में बांटी गई है।

श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : कन्ट्रोल कब लागू किया और गांवों में कब से देना शुरू किया ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जब से चीनी का कन्ट्रोल शुरू हुआ तब से जो डिस्ट्रिक्टवार कोटा अलॉट किया गया उस वक्त से सब लोगों को उसका वितरण कलेक्टर लोग ठीक ढंग से करें, यह व्यवस्था की गई।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): गांवों में किस हिसाब से चीनी देते हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जिस प्रकार कोटा जिले में दिया हुआ है उसके हिसाब से आधा किलो या एक किलो एक महीने में कभी गांव वालो को व कभी शहर वालों को, इस तरह से कलेक्टर लोग एडजस्ट करके दें कि जिससे सभी अपनी नीड को पूरा करने की कोशिश करें।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : क्या आपको यह मालूम है कि गांव में चीनी आधा किलो पर फैमिली पर मन्थ मिलती है, जब कि शहर में एक किलो पर यूनिट-बच्चा हो, बूढ़ा हो, पर मन्थ मिलती है। जयपुर शहर में एक किलो पर यूनिट मिलती है, जब कि

(श्री योगेन्द्रनाथ हांडा)

उधर गांवों में आधा किलो पर फैमिली देते हैं। एक पंचायत को एक महीने में एक बार मिलती है; यह भेदभाव क्यों ?

श्री नाथूराम मिर्धा : शुरू शुरू में आधा किलो और एक किलो कलेक्टर की जानकारी नहीं होने से किसी जगह दी; कुछ ठीक ढंग से शुरू शुरू में व्यवस्था नहीं कर सके थे। कोटा भी जितनी रिक्वायरमेन्ट थी उतना नहीं था, इस वजह से शुरू में कहीं पर गांव वालों को कम दी। हमारे पास शिकायत भी आई, उन शिकायतों को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर को निश्चित तौर से आधा किलो या ऐसी क्वान्टिटी एक महीने में अलॉट की जावे पर आदमी को, ताकि पूरी फैमिली का काम चल सके; इस तरह की हिदायत दी गई थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या यह सही है कि स्टेट गवर्नमेन्ट की तरफ से ये इन्स्ट्रक्शन्स इश्यू हुए हैं कि शहरों के अन्दर प्रति व्यक्ति एक किलो चीनी दी जानी चाहिए और देहात में प्रति परिवार एक किलो दी जानी चाहिए। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन गवर्नमेन्ट ने एक सर्कूलर के अन्दर किया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : ऐसा कोई सर्कूलर नहीं है, बल्कि उल्टे यह कहा हुआ है कि कभी शहर वालों को ज्यादा दे दिया तो कभी गांव वालो को ज्यादा दे दिया। इस तरह से जो कमी है उसको सब लोगों को थोड़ा थोड़ा बोझ उठाना पड़े तो ठीक है, ऐसा सोचा गया है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह स्टेट पॉलिसी है कि शहरों और गांवों के अंदर किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाये ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बिलकुल।

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन-सु०) : क्या मंत्री महोदय इस बात की जांच करवाएंगे कि बहुत से देहातों में चीनी क्यों नहीं मिली है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : बहुत से देहातों में नहीं मिली है, यह तो मैं नहीं कह सकता; स्पेसिफिक वहां के इलाकों के नाम बतायेंगे तो मैं जांच करा लूंगा और जहां नहीं मिली है वहां मिल जायेगी।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अभी जो फिगर्स दी हैं गंगानगर जिले की उसमें बताया कि शहर वालों के लिए ७ हजार बोरियां दी गयी है और जब कि देहातों में ३ हजार और कुछ बोरियां दी गयी हैं। इसको अगर हम आबादी के लिहाज से भी देखें तो १० लाख की आबादी में से २ लाख के करीब तो शहर की आबादी होगी और ८ लाख की देहात की होगी और जब कि चीनी का कोटा शहर वालों को दुगुना दिया है और देहात में आधा ही दिया है। इसका क्या कारण है और गवर्नमेन्ट को इस तरह की जानकारी होने के बाद भी क्या एक्शन लिया है ?

श्री नाथूराम मिर्धा : गंगानगर कोई इतना बड़ा शहर तो नहीं है जिसको कि हम शहर कह सकें। गंगानगर क्षेत्र में जितनी भी जगहों को आप शहर कहते हैं वे देहात में आते हैं क्योंकि वहां के लोग काश्त करते हैं, खेती करते हैं इसलिए शहर भी देहात ही हैं। देहातों की और शहरों की परिभाषा जैसी हम समझ बैठे हैं वैसी नहीं है। इसकी परिभाषा पूछी गयी तो कहा गया कि ५ हजार तक के कस्बों को भी शहर माना है। तो इस तरह से ज्यादातर इस प्रकार के ५ हजार तक की

(श्री नाथूराम मिर्धा)

आबादी वालों को अगर शहर या कस्बे या कुछ भी कहें, वैसे मानने लगें तो इतनी बड़ी आबादी में २।३ आ जायेंगे और इस हिसाब से जो व्यवस्था की गयी है वह ठीक है।

श्री श्योपतसिंह : आप कृपया यह बतायें कि ७ हजार बोरियां आपने किस-किस जगह दीं और बाकी ३ हजार बोरियां कौन कौन से गांवों में दी ?

श्री अध्यक्ष : Next Question, Shri Ramanand.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : चीनी का डिस्ट्रीब्यूशन ईवन नहीं है और वह ज्यादातर शहरों को दो गयी है। वहां पर रायसिंहनगर, श्रीकरणपुर की मन्डियां हैं और ७-८ लाख की आबादी देहात की है जहां कि ३ हजार बोरियां ही दी गयी है और प्रति परिवार के पीछे आधी किलो चीनी पहले महीने मिली है और एक किलो तो अब मिलने लगी है और वहां के लोगों की धारणा यह है कि वह सरकार को गन्ना नहीं देंगे। इससे सरकार को हानि भी बहुत होने जा रही है। जो लोग सरकार को और मिल वालों को गन्ना देते हैं उनको चीनी प्राप्त नहीं हो रही है गंगानगर जिले में। जो गंगानगर शुगर मिलें है उसकी स्थिति भी खराब होगी, इसलिए इस संबंध में ध्यान देना जरूरी है।

श्री अध्यक्ष : Next Question.

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मंत्री महोदय ने दी है....

श्री अध्यक्ष : अब बहुत बहस हो चुकी है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, जो सूचना मंत्री महोदय ने दी है मैं उनकी जानकारी के लिए कह दूं कि अलवर जिला परिषद में कलेक्टर साहब ने एक सर्कूलर पढ़ कर सुनाया, जिसमें गवर्नमेन्ट की तरफ से कहा गया था कि टाउन्स में एक किलो पर हैड दें और देहात में उससे कम दें। इस तरह की सूचना थी। आप इस बात की जानकारी करें और जिला परिषद ने एक रिज़ोल्यूशन पास किया है कि इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन बन्द किया जाये। तो आप मालूम करें कि स्टेट की तरफ से कभी ऐसे ऑर्डर्स इश्यू हुए हैं क्या बगैर मिनिस्ट्री की जानकारी के ? अगर हुए हैं तो क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ?

श्री मोहनराज (बाली) : बाली जिले में भी यही करते हैं कि गांवों में पर परिवार एक किलो या आधा किलो दी जाती है और शहरों के अन्दर पर व्यक्ति एक किलो के हिसाब से दे रहे हैं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : इसके लिए खपत का आधार मान लिया जाये कि पहले कितनी होती थी और अब कितनी; तो यह ज्यादा अच्छा रहेगा।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, क्या सरकार यह आश्वासन दे सकती है कि जहां पर गांवों में और शहरों के अन्दर शुगर वितरित होने में फर्क है उस अन्तर को समान कर सकती है यूनीफॉर्म बेसिस पर ?

श्री नाथूराम मिर्धा : जैसा मैंने आपसे निवेदन किया था कि बिलकुल यह कहना कि सब लोगों को एक सा हर महीने में उसका वितरण कर दिया जाये, यह समस्या का सही

(श्री नाथूराम मिर्धा)

सोल्यूशन नहीं होगा । जैसा मैंने पहले निवेदन किया था कि कोटा की सारे राजस्थान के लिए कमी है । सारे राजस्थान में चीनी की कमी होने से उस कमी को सारे जिलों में बांटा जाता है । उसके अन्दर शूगर का कन्जम्शन हर जगह एक सा रहता हो, ऐसा मान कर हम नहीं चल सकते हैं । शहरों के अन्दर कुछ ज्यादा कन्जम्शन हो सकता है, लोगों की जनरल पर्चेजिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है, या शहर के लोगों को शूगर ज्यादा खाने की आदत हो सकती है, ये सारे के सारे फैक्टर्स सब जगह काउन्ट करते हैं । इसलिए जैसा अपोजीशन के लीडर ने कहा उस तरह की व्यवस्था कर दें तो फिर उस घाटे को सब जगह इस तरह बांट देंगे कि कई लोगों को, जिनको जरूरत नहीं है उनके पास चीनी आ जायेगी और जिनको जरूरत है उनको चीनी नहीं मिलेगी । इसलिए हमने यह कहा है कि कई बार गांवों के अन्दर जहां एक महीने कम देते हैं तो दूसरी बार में ज्यादा दे देते हैं । एक महीने में शहर वालों को ज्यादा देकर उनकी जरूरत को सेटिस्फाई करते हैं । इसलिए चारों तरफ से इस व्यवस्था का ध्यान रखा है । इसलिए यह कलेक्टर के ऊपर रखा है कि वहां की सिचुएशन के मुताबिक स्थिति पूरी समझ कर उसी हिसाब से चीनी के वितरण में अपना डिसिजन वह काम में ला सकते हैं ।

(अनेक माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए)

श्री अध्यक्ष : श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : क्या यह सही है कि पहले जब व्यापारी चीनी लाते थे तो एक रुपया प्रति किलो दी जाती थी, अब १ रुपया २२ न० पैसे आप देते हैं; तो यह जो २२–२३ न०पै० की कीमत बढ़ी है उसका क्या कारण है और दूसरे, इस वितरण के अन्दर जो लोगों का समय नष्ट होता है उस समय को बचाने के लिए सरकार की क्या व्यवस्था है चाहे वह शहर हो या गांव हो ? यह २२ नये पैसे की जो कीमत बढ़ी है यह किस कारण से बढ़ी है ? यह मिल वालों ने ही बढ़ाई है या आपने अपनी व्यवस्था के लिए यह कीमत बढ़ाई है ?

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन ।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : मेरे प्रश्न का क्या हुआ, अध्यक्ष महोदय ?

श्री अध्यक्ष : इससे संबधित नहीं है आपका प्रश्न ।

(विराम)

नैक्स्ट, श्री रामानन्द अग्रवाल ।

टैक्सटाइल मिल, अलवर

१९५. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–(१) क्या अलवर में टैक्सटाइल मिल लगाने का कोई कार्य चालू हुआ है ?

(२) क्या इस टैक्सटाइल मिल के लिए मशीनरी का ऑर्डर दे दिया गया है ? यह मशीनरी कब तक आने की आशा है ?

(३) क्या इस टैक्सटाइल मिल के मैनेजमेन्ट ने बिल्डिंग बनाने का कार्य शुरू कर दिया है ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

(श्री रामानन्द अग्रवाल)

(४) सरकार ने लाइसेन्स देते समय लाइसेन्स लेने वाली पार्टी से क्या क्या शर्तें तय की हैं ? कृपया एग्रीमेन्ट की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(५) यह मिल कब से प्रोडक्शन चालू कर देगी ?

उप-मन्त्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद):–(१) जी नहीं ।

(२) जी हां । भारतीय मशीनों के लिए ऑर्डर दे दिया गया है । मशीनें आने का निश्चित समय नहीं बताया जा सकता है, कारण मशीनरी प्रायोरिटी आने पर मिलेगी ।

(३) जी नहीं । पार्टी ने जमीन के अवाप्त (एक्वायर) करने के बारे में जिलाधीश अलवर से बातचीत चला रखी है ।

(४) पार्टी को लाइसेन्स भारत सरकार द्वारा दिया गया था । राजस्थान सरकार से कोई शर्त तय नहीं की गयी है ।

(५) लाइसेन्स के अनुसार मिल अप्रेल में चालू होनी चाहिए थी; पार्टी ने लाइसेंस की मयाद बढ़ाने के लिए भारत सरकार को प्रार्थना-पत्र दे रखा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : क्या यह सही है कि ओरीजिनली जिस शख्स को यह लाइसेन्स दिया था उस शख्स ने इस काम को कैरी ओन करने से इन्कार कर दिया है और अब सरकार किसी दूसरे व्यक्ति को लाइसेन्स देने का विचार कर रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : यह नहीं है । पहले यह लाइसेन्स बिहारीलाल बेनीप्रसाद दिल्ली वालों को मिला था । लेकिन चूंकि उन्होंने एक साल में काम नहीं किया इसलिए उनका लाइसेन्स कैंसिल हो गया और उसके बाद जे० के० कॉटन मिल, जिनको कि केशोराम पाटन मिल के लिए लाइसेन्स मिला था उन्होंने अपना लाइसेन्स अलवर के लिये ट्रान्सफर करा लिया और वे अब अपनी मिल अलवर में लगा रहे हैं । अब चूंकि उनका पीरियड समाप्त हो गया इसलिए उन्होंने पीरियड के एक्सटेन्शन के लिए भारत सरकार को लिखा है ।

श्री रामानन्द अग्रवाल : पहले उनको कितने पीरियड में काम करने के लिए कहा गया था ?

श्री चन्दनमल वैद : १२ महीने में ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री नाथूलाल करोल ।

पंचायत समिति सांगानेर में आदिवासियों को अनुदान

१९९. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:– (१) पंचायत समिति सांगानेर जिला जयपुर में आदिवासियों को सन् १९६१–६२ में सिंचाई के कुओं के लिए अथवा बैलों की खरीद के लिए अथवा पीने के पानी का कुआ बनवाने के लिये किन किन ग्रामों में कितना रुपया अनुदान के रूप में दिया गया है और जिन ग्रामों में यह रुपया दिया गया है वहां आदिवासियों की जनसंख्या कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(श्री नाथूलाल करोल)

(२) जिन ग्रामों में यह रुपया दिया गया है उसका युटीलाइजेशन सर्टीफिकेट प्राप्त हुआ या नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मन्त्री (श्री भवानीशंकर नन्दवाना) : (१) सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(२) राशि के उपयोग किये जाने का सर्टीफिकेट अभी नहीं दिया गया है। जिन लोगों को अनुदान दिया गया था उन्होंने अभी हिसाब प्रस्तुत नहीं किये हैं।

(कृपया परिशिष्ट २ देखिये)

श्री नाथूलाल करोल : इरिगेशन वैल को जो पैसा आदिवासियों को दिया जाता है उसका क्या क्राइटेरिया मुकर्रर कर रखा है कि कितना रुपया दिया जाता है एक कूए के लिए ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सहायता के लिए ५००) रू० तक दिया जाता है ? इससे ज्यादा भी दिया जा सकता है।

श्री नाथूलाल करोल : कितना-कितना रुपया काश्तकारों को दिया जाता है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : सूची दे रखी है, उसमें देख लें कि कितना कितना रुपया दिया हुआ है।

श्री नाथूलाल करोल : किसी को ज्यादा, किसी को कम रखा है, इसका क्या कारण है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : पंचायत समिति को अधिकार है कि जैसी परिस्थिति होती है वैसा निर्णय लेते हैं।

श्री नाथूलाल करोल : किसी को २५०) रू० और किसी को ३५०) रू० दिया है। इसी वजह से कूए पूरे नहीं हुए हैं। इसी वजह से युटिलाइजेशन सर्टीफिकेट नहीं प्राप्त किया है।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जी नहीं।

कोपर व जिंक का कोटा

१६७. श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) राजस्थान को कोपर व जिंक का कोटा सालाना कितना मिलता है तथा उसमें से जयपुर को कितना मिलता है ?

(२) इस कोटा को वितरण करने का क्या आधार है एवं हस्तकला के काम करने वालों को जयपुर में कितना मिलता है ?

(३) जयपुर में हस्तकला की बनी हुई चीजों की खपत को देखते हुए क्या उन्हें पर्याप्त कोटा मिलता है ?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) राजस्थान के कोपर व जिंक का कोई निश्चित् कोटा नहीं मिल रहा है। सन् १९६१-६२ में राजस्थान को ९३५ मैट्रिक टन कोपर व १०३५ मैट्रिक टन जिंक का कोटा मिला, परन्तु सन् १९६२-६३ में अभी तक एक छमाही का कोटा मिला है जिसमें ५०२ टन कोपर व ४३१ टन जिंक है। यह कोटा गत वर्ष के कोटे से बहुत कम है। गत दो पीरियड में जयपुर रीजन की इन्डस्ट्रीज़ को निम्नलिखित कोटा दिया गया

अक्टूबर ६१ से मार्च ६२ के पीरियड में कोपर ३३३.९९ टन व जिंक ३०४.९१ टन

(श्री चन्दनमल वैद)

अप्रेल ६२ से सितम्बर, ६२ के पीरियड में कोपर २७९.४१ टन, जिंक २२५.०४ टन।

(२) कोपर जिंक वा. वितरण इण्डस्ट्री की संख्या व उनकी कार्य-क्षमता के आधार पर होता है। जिलेवार कोटा निर्धारित नही किया जाता। यह कोटा इस विभाग के रीजनल उप-संचालकों की सिफारिशों पर वितरित किया जाता है। जयपुर में हस्तकला के काम करने वालों को अप्रेल–सितम्बर ६१ के पीरियड में ६ टन कोपर व ४ टन जिंक दिया गया। पीरियड अक्टूबर–मार्च ६२ तथा अप्रेल–सितम्बर ६२ में १२.५४४ टन शीट्स व सरकिल वितरित की गई हैं।

(३) जयपुर में हस्तकला की बनी हुई चीजों की खपत को देखते हुए जिंक व कोपर का पर्याप्त कोटा नही मिलता है।

श्री विजयसिंह झाला : सालाना कितनी खपत होती है? कितने रुपयों के जिंक और कॉपर की बनी हुई हस्तकला की चीजें जयपुर से बाहर जाती हैं? क्या आपको इसकी जानकारी है?

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा।

श्री विजयसिंह झाला : अध्यक्ष महोदय, यह जरूरी है।

प्रश्न संख्या १६८

श्री अध्यक्ष : श्री गणपतिलाल वर्मा।

(अनुपस्थित)

श्री नाथूराम।

पंचायत समितियों में सिंचाई के कुओं के लिये ऋण एवं अनुदान, जिला बांसवाड़ा

श्री नाथूराम (बागीडोरा) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) बांसवाड़ा जिले की पंचायत समितियों में किस-किस पंचायत समिति में कृषि के सिंचाई के कुओं के लिये कितना २ ऋण एवं अनुदान सन् १९६१–६२, १९६२–६३ में कितने २ कृषको को दिया गया है? इनमें से कितने कृषकों द्वारा कार्य पूर्ण किये गये हैं और कितने कार्य अधूरे हैं?

(२) क्या यह सही है कि ऋण एवं अनुदान दिये जाने पर भी अधिकतर कुए पूर्ण नही किये गए हैं? यदि हां, तो इसका क्या कारण है?

(३) उक्त दो वर्षों में ऋण एवं अनुदान दिये जाने से सिंचित क्षेत्र कितना बढ़ा है? अगर नहीं बढ़ा है तो क्यों?

(४) क्या सरकार उपरोक्त विषयों की जांच करवाकर आवश्यक कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उप-मंत्री, पंचायत (भवानीशंकर नन्दवाना) : अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का उत्तर नहीं आ सका, इसलिए अगले सप्ताह में इसका उत्तर दिया जायगा।

भूमि अनधिकृत कब्जों को नियमित करने सम्बन्धी आदेश

१७०. श्री दिग्विजयसिंह (उनियारा): क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि सरकार ने अनआँथोराइज्ड ऑक्युपेशन वाले काश्तकारों

(श्री दिग्विजयसिंह)

को सुविधा देने हेतु कोई आदेश जारी किये हैं ? यदि हां, तो कब ?

(२) इस आदेश के तहत जिला टौंक में कितने ऐसे केसेज़ को रेग्युलराइज़ कर दिया गया ?

(३) क्या यह सही है कि कुछ सुन्थली के काश्तकार तहसील देवली, जिला टौंक को उनके कब्जे की भूमि पर रेगुलराइज़ नहीं किया गया और उनके रेगुलराइज़ेशन की दर्ख्वास्त देने पर भी उन्हें नामन्जूर कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ?

(४) क्या यह सही है कि उक्त आराजी किसी और काश्तकारों के नाम एलॉट कर दी गई जब कि उस पर पहले से ही दूसरे काबिज हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) जी हां । आदेश जारी हुए हैं । संख्या एफ ३।४८।राज. (ख) ६० दिनांक ६ मार्च, सन् ६० एवं एफ।३।६६। राज. (ख) जी०आर० ६० दिनांक १ सितम्बर, सन् ६२ ।

(२) ४३२१ केसेज़ को रेगुलराइज़ कर दिया गया ।

(३) यह सही है कि तहसील देवली द्वारा ग्राम सुन्थली के आवेदन-पत्र खारिज किये गये हैं लेकिन जिस आराजी के लिए उन्होंने आवेदनपत्र प्रस्तुत किये है वे उस भूमि से संबंधित थे, जो संवत् २०१६ में ग्राम सांथोली कोऑपरेटिव सोसाइटी को अलॉट की जा चुकी थी और काश्तकारान सुन्थली ने अलॉट शुदा जमीन पर नाजायज़ कब्जा सं० २०१७ में किया ।

(४) किसी दीगर के नाम अलॉट नहीं की गई, बल्कि सम्वत् २०१६ में जिसके नाम एलाट हुई थी उसी को बदस्तूर रखी गई है । यह एलॉटमेंट कोऑपरेटिव सोसाइटी को अन-ऑक्यूपाइड लैण्ड पर किया गया था ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): क्या यह बताया जायगा कि यह रेग्युलराइज़ करने का आदेश निकला है उसका नोटिफिकेशन निकला है, तो उसका लीगल फोर्स क्या है ? टीनेन्सी एक्ट की कौन से सैक्शन के तहत ऐसे आदेश निकले हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : गवर्नमेन्ट जमीन की मालिक है । जिसको जो कन्सेशन देना चाहे उसको दे । इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है ।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरा प्रश्न यह है कि मालिक तो है गवर्नमेंट, लेकिन टीनेन्सी एक्ट के किस प्रोवीज़न के तहत ये आदेश निकाले गये हैं, कौन से आदेश के तहत आपने रेग्युलराइज़ करने का प्रावधान निकाला है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Any concession can be given by the Government.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : कन्सेशन किसके तहत में ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is not against the interests of those persons. It is in their favour and therefore the Government can give.

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : जब आप एक तरफ अनऑथोराइज्ड ऑक्युपेशन को रेग्युलराइज़ कराना चाहते हैं लेकिन टीनेन्सी

(श्री मथुरेशबिहारी माथुर)

एक्ट के किसी प्रॉवधान में यह नहीं है; तो क्या जनरल ऑर्डर्स के तहत ऐसा निकाला गया है ?

श्री अध्यक्ष : तो माननीय सदस्य का एतराज क्या यह है कि वह रेग्युलराइज़ नहीं होना चाहिए ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि रेग्युलराइज़ करने के लिए गवर्नमेंट को कौन से सैक्शन के तहत पॉवर्स हैं कि जिसके तहत अनअॉथो-राइज्ड....

श्री अध्यक्ष : That is a theoretical question.

उन्हें जनरल पॉवर्स हैं उनके अन्तर्गत करते हैं। प्रेक्टिकल डिफिकल्टी आपको क्या है इम्प्लीमेन्टेशन में ?

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : प्रेक्टिकल डिफिकल्टी यह आती है कि इस रेग्युलराइज़ करने में जो बेजाब्तगी होती है उसकी अपील व रिवीज़न का प्रावधान किसके जुरिस्डिक्शन में है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : ऐसे भूमिहीन किसानों ने, जिन्होंने ६१ तक कब्जा कर लिया है लेकिन ३०२ के तहत इस बात का निर्णय ले लिया है तहसीलदार ने कि उन पर पीनाल्टी या जुर्माना ऐसे किसानों पर लागू कर रखा है तो आपके इस निर्णय से माफ हो गया है वह पीनाल्टी या जुर्माना ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १-९-६२ में इन सब बातों का दिया गया है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ऐसे किसानों पर पहले के सेक्शन के द्वारा पीनाल्टी लागू कर रखी है, तो क्या आपके ऐसा निर्णय लेने मे वह माफ हो गया है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : जो निर्णय कानून के तहत लिया जा चुका है वह इस सर्क्यूलर से रीअोपन नहीं होता है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह स्पष्ट नहीं है। निर्णय बहुत अच्छा लिया है, लेकिन पहले से तहसीलदार ने उनके ऊपर जुर्माना या पेनाल्टी कर रखी है वह माफ होगी क्या ? क्योंकि आपने लिखा है कि जितने भी किसानों ने इस तरह से कब्जा कर रखा है उतनी जमीन पर तहसीलदार उनको खातेदारी राइट दे देगा। पहले से केसेज़ चले आ रहे हैं और किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं लिया है; लेकिन उन काश्तकारों से कहा जा रहा है कि इतने रुपये जुर्माने के जमा करा दो तो जमीन तुम्हारी होगी। तो जो आपने आज्ञा निकाली है वह बेकार सी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष : पहले निर्णय हो गये वे तो हो गये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अध्यक्ष महोदय, इसमें दो स्थितियां हैं। एक स्थिति तो यह है कि इस सर्क्यूलर के निकल जाने के पहले इस प्रकार के एन्क्रोचमेंट के सम्बन्ध में दफा ९१ के तहत ट्रेस्पासर्स को नोटिस देकर कोई कार्यवाही, जुर्माना या पेनाल्टी कर दी गई हो, वह इस सर्क्यूलर से रीअोपन नहीं होता है, लेकिन जहां तक पेंडिंग केसेज़ का प्रश्न है उन पेंडिंग केसेज के सम्बन्ध में सर्क्यूलर में इस प्रकार के आदेश जारी किये हैं। इस सर्क्यूलर की मन्शा यह है कि उन

Page No 13

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

पेंडिंग केसेज् के साथ में लागू हो; यानी पेंडिग केसेज् ऐसे हैं वे इस सक्यूर्लर के पर्व्यू में आते हैं उनको रेग्युलराइज़ करके का इरादा सरकार का है और इस मन्शा को व्यक्त करने के लिए आवश्यक आदेश प्रसारित कर दिये गये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ये रेग्युलराइज करने के आदेश सरकार ने किन अदालतों को दिये हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : अदालतों को नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: पेंडिंग केसेज् अदालतों में चल रहे हैं, एस० डी० ओ० और कलेक्टर के यहां चल रहे है।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कोर्ट्स को नहीं दिये हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स को दिये हैं; जिनके यहां कि इस प्रकार की कार्यवाही चल रही है। तो वे इसके तहत तो लाभ दे सकते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इस सक्यूर्लर के जरिये यदि सरकार की यह मन्शा है कि पेंडिग केसेज् अनआॅथोराइज्ड ऑक्युपेशन को रेग्युलराइज़ करना चाहते है तो जो तहसीलदार के पास पेंडिग हैं उनके लिए तो रेग्युलराइज् कर दिया, लेकिन सेक्शन ६१ के मामले एस० डी० ओ० की अदालत में चलते हैं और एस० डी० ओ० की अपील कलेक्टर को जाती है। अगर सरकार की मन्शा यह है कि उनको रिलीफ मिले तो सरकार को अपने तहसीलदारों और पेशकारो को हिदायत दे कि ऐसे केसेज् को विथ्ड्रॉ कर लें और अगर दूसरी पार्टीज् ने कर रखे हैं तो उनको रेग्युलराइज करें।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : माननीय सदस्य को सोचना चाहिए कि रेवेन्यू ऑफिसर्स में कौन आते हैं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : सभी आते हैं। लेकिन कोर्ट्स भी हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : Our Revenue officers are quite clear on this point and they are doing their duty.

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : But the cases are not being tried by the revenue officers. They are in the courts of S.D.Os..

श्री रामप्रसाद लड्ढा : S D.Os. are also Revenue officers.

(३.०० म.प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : इसका मतलब यह हुआ कि रेवेन्यू ऑफिसर एस.डी. ओ. का कोर्ट है तो उसको भी हिदायत जारी की ?

श्री अध्यक्ष : श्री राधाकृष्ण गोयल।

श्री राधाकृष्ण गोयल (टोंक) : जहां तक सक्यूर्लर जारी किया उसमें प्रश्न यह है कि सक्यूर्लर जारी किया तो उसकी तहत रूल्स बना कर गवर्नमेन्ट स्पष्ट करने को तैयार है क्या कि ओरीजिनल सुनवाई तहसीलदार करेगा, उसकी अपील एस. डी. ओ. के पास होगी और सैकन्ड अपील बोर्ड ऑफ रेवेन्यू में होगी या यह एग्जीक्यूटिव ऑर्डर ही है जिसकी अपील डिप्टी मिनिस्टर साहब या चीफ मिनिस्टर साहब के पास होगी ? क्या सरकार कोरेस्पोन्डिग रूल्स बना कर कोरेस्पोन्डिग प्रोविज़न करने को तैयार है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It has been provided already in the circular that if there is any dispute the Collector's order is final.

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : क्या सरकार का यह मतलब नहीं है कि जिस किसान ने अनअॉथोराइज्ड ऑक्युपेशन किया है उसके खिलाफ दफा ६१ की कार्यवाही की गई है, लेकिन उसने अदायगी नहीं की है तो उसको पेन्डिग मानकर उसको इस सक्यूर्लर के तहत रिलीफ मिल सके ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : It is not discriminatory. It is not in favour of a particular section of people. It is a general order. Whoever comes within the purview of that section can take advantage of it.

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): अध्यक्ष महोदय, 'गवर्नमेन्ट ऑफ लॉ' है, अगर उसको कोई अधिकार लेना है तो सूटेबल इनेबलिंग प्रोविज़न होना चाहिये रूल्स में। यदि इनेबलिंग प्रोविज़न किया गया है तो कृपा करके मंत्री महोदय प्रकाश डालेंगे । यदि इनेबलिंग प्रोविज़न्स नहीं है तो मैं समझता हूं इसको इस लाइट में रिव्यू किया जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मुझे यह समझ में नहीं आता कि जब लैंडओनर गवर्नमेन्ट है, टिनेन्ट्स को खेती करने के लिये कन्सेशन देना चाहती है तो····

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): इसमें यदि तहसीलदार अनियमितता करेंगे, सही इन्टरप्रिटेशन नहीं करेंगे तो....

श्री रामप्रसाद लड्ढा : ऐसी कोई शिकायत नही आई है कि मिसयूज़ किया गया ।....

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

पट्टी व कातलों पर रॉयल्टी, कोटा डिविज़न

१७१. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि कोटा डिविज़न में पट्टी व कातलों पर रॉयल्टी चार आना फी टन ली जाती है ?

(ख) क्या यह भी सही है कि उदयपुर, भीलवाड़ा व जोधपुर आदि जिलो मे एक रुपया फी टन ली जाती है ?

(ग) क्या यह सही है कि मेजरमेन्ट के हिसाब से रॉयल्टी प्रति ट्रक लगभग २५ रू० आती है जब कि वेट के आधार पर प्रति ट्रक ५ रू. ७० न. पै. आती है ?

(घ) क्या यह सही है कि सब जगह मेजरमेन्ट सिस्टम से रायल्टी वसूल करने से सरकार को लगभग ५०,६० लाख का फायदा सालाना होगा ?

(ङ) क्या यह भी सही है कि कोटा डिविज़न में सेल्स टैक्स औसतन ५ रू० फी गाड़ी पड़ती है जब कि भीलवाडा, जोधपुर आदि क्षेत्रों में करीबन १ रू० गाड़ी सरकार को मिलता है ?

(च) राजस्थान के विभिन्न जिलों से गत तीन वर्षों में इस मद में होनेवाली आमदनी की तालिका सदन की मेज पर रखने की कृपा करें; साथ में इन सालों में कितना कितना क्युबिक फीट माल निकाला गया, यह भी बताने का कष्ट करें ।

उप-मंत्री, खनिज (श्री रामप्रसाद लड्ढा):–(१) जी हां, चार आना प्रति घन

Page No 15

(श्री रामप्रसाद लड्ढा)

फुट की दर से पट्टी कातला पर रोयल्टी वसूल की जाती है।

(२) जी हां, जोधपुर जिले में १) रू० प्रति टन के हिसाब से रोयल्टी वसूल की जाती है। भीलवाडा व उदयपुर जिले में १) रू. प्रति टन व १२ नये पैसे प्रति घन फुट से रोयल्टी वसूल की जाती है।

(३) जी हां, यह सही है कि वजन के आधार पर ५ टन के ट्रक पर रोयल्टी ५) रू. ही बनती है और मेजरमेन्ट के आधार पर रोयल्टी २५) रू. ही बने क्योंकि रोयल्टी की दरें सब जगह एक सी नहीं हैं।

(४) संभव है सब जगह पर मेजरमेन्ट के आधार पर रोयल्टी वसूल करने पर और एक ही रेट लागू करने पर सरकारी आय में कुछ बढ़ोतरी हो सकती है परन्तु मेजरमेन्ट का सिस्टम सब जगह खास तोर से जोधपुर जिले में लागू करना बहुत ही कठिन है क्योंकि वहां पर शुरू से ही वजन के आधार पर ही रोयल्टी वसूल होती जा रही है।

(५) राजस्थान बिक्री कर अधिनियम-१९५४ के अन्तर्गत इमारती पत्थर पर क्रय कर, बिक्रीकर, उसकी क्रय–विक्रय राशि (सेल प्राइस व पर्चेज प्राइस) पर लगता है न कि प्रति गाड़ी के आधार पर। गाड़ियों के बोझा ढोने की अलग-अलग क्षमता होने से तथा भिन्न-भिन्न प्रकार के पत्थरों का भिन्न-भिन्न भार होने से प्रति गाड़ी से प्राप्त होने वाली राशि में भिन्नता होने की सम्भावना होगी।

(६) विभाग में भिन्न-भिन्न वस्तुओं के क्रय-विक्रय से प्राप्त होने वाली क्रय–विक्रय राशि के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। अत: वांछित सूचना उपलब्ध नहीं की जा सकती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मेजरमेन्ट के आधार पर आपने बताया कि वेट के आधार पर जो रोयल्टी आती है उससे ज्यादा आती है, तो करीब कितनी ज्यादा आती है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : १ और ३ का रेशियो।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वेट के आधार पर भीलवाड़ा में ५) रु० हैं तो कोटा जिले में १५) रु० हैं ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भीलवाड़ा का सवाल नहीं है……………

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : भीलवाड़ा का नाम इसलिये नहीं लिया है कि आप वहां से आये हैं; लेकिन इसलिये कि पॉलिसी का सवाल है, जिस तरीके से ज्यादा रोयल्टी आ सकती है वही तरीका काम में क्यों नहीं लिया जाय ? क्या सरकार ने यह अंदाज नहीं लगाया कि मेजरमेन्ट के आधार पर सब जगह एक सी दर हो तो लगभग ५० लाख रुपयों का डिफरेन्स रोयल्टी में पड़ेगा ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : कितना डिफरेन्स पड़ेगा, यह सही तौर से नहीं कहा जा सकता लेकिन कुछ पड़ सकता है। परन्तु यह संभव नहीं है कि जोधपुर में वेट पर लिया जाता है उसके बजाय मेजरमेन्ट पर लिया जाय।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जोधपुर का नाम लेकर कृषि मंत्रीजी की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते है। भीलवाड़ा का नहीं कह रहे हैं।

Page No 16

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भीलवाड़ा, नीम्बाहैड़ा में ६२ नया पैसा भी है, जोधपुर में चार आना है। भीलवाड़ा में वहां से ज्यादा रोयल्टी ली जाती है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपने one is to three का रेशियो बताया; मेजरमेन्ट और वेट में इतना फर्क पड़ता है। अकेले जोधपुर डिस्टिक्ट में १२ लाख रु० आते हैं। और मेजरमेन्ट से लेंगे तो ३६ लाख रुपये आयेंगे। २४ लाख रु० का अकेले डिस्ट्रिक्ट में फर्क पड़ेगा, क्या यह सही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेजरमेन्ट से लेने से वहां पर १२ लाख रुपये भी वसूल होंगे या नहीं, यह नहीं कहा जा सकता क्योंकि संभव है मंहगा पड़ने से मार्केट में उतनी बिक्री ही न हो क्योंकि वहां पर जो पुराना तरीका चला आता है उस तरीके को परिस्थिति के आधार पर बदल देते हैं तो मुमकिन है कि जो आमदनी होती है वह भी न हो।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट क्वेश्चन।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : (रायसिंहनगर) एक सप्लीमेन्टरी और है।

श्री अध्यक्ष : Order please ! Next Question.

ऋण के लिए लिये दरख्वास्तें

१७२. श्री रावतराम (सादुलपुर) : क्या सहकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) जब से चूरू जिला भूमि बन्धक बैंक खुला है तब से मौजूदा समय तक किसानों की ओर से ऋण प्राप्ति के लिए कितनी दरख्वास्तें आयी है ?

(२) क्या उक्त दरख्वासतों की जांच आदि करके ऋण देने की नियमानुसार कार्यवाही करली गई है ? यदि हां, तो कितनी दरख्वास्तों पर ?

(३) ग्राम अजीतसर तहसील सरदारशहर के किन किन किसानों की दरख्वास्तें आई और उन्हें किन किन को लोन मिला है ? सूची सदन की मैज पर रखें।

(४) सरकार पिछले दो साल में बैंक को कितनी धन राशि दे चुकी है और चालू वित्तीय वर्ष में कितनी धन राशि दी जावेगी ?

उप-मन्त्री, सहकार (श्री भीमसिंह) :—
(१) चूरू बैंक के कार्य प्रारम्भ करने की तिथि से अब तक बैंक को कुल २६६ ऋण आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं।

(२) उपरोक्त प्रार्थना पत्रों में ३४ पत्रों को छोड़ कर प्राथमिक जांच हेतु विचाराधीन है, शेष समस्त आवेदन पत्रों पर आवश्यक कार्यवाही चल रही है।

(३) ग्राम अजीतसर तहसील सरदारशहर के ६ किसानों के ऋण प्रार्थनापत्र आये और उनमें से ३ को ऋण दिया गया। सूची सदन की मेज पर रखदी गई है।

(४) चूरू बैंक को व्यवस्थापक व्यय के लिए सन् १९६१-६२ में १६००) रु० और १९६२-६३ में ६००) रु० का अनुदान दिया गया है इसके अतिरिक्त वर्ष १९६२-६३ फरनीचर खरीद करने हेतु २५०)रु० का अनुदान दिया गया। इस प्रकार कुल २७५०) रु० का अनुदान दिया गया है। इस वर्ष इस बैंक को योजनान्तर्गत कोई अनुदान नहीं दिया जाना है।

(कृपया परिशिष्ट ३ देखिए)

श्री रावतराम : (अश्रव्य)।

कुछ माननीय सदस्य : सुनाई नहीं दिया।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : मैंने यह निवेदन किया कि ३४ प्रार्थनापत्र बाकी विचाराधीन है, बाकी सब पर कार्यवाही चल रही है।

श्री अध्यक्ष : श्री मुरलीधर व्यास।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : क्या कारण है कि इतने प्रार्थना-पत्रों में से इतने कम पर निर्णय लिया ?

श्री अध्यक्ष : एक बैंक में ऋण के लिए जो प्रार्थना-पत्र आते हैं उनके लिए यहां बैठ कर सोचने लगें तो मुश्किल हो जायगी। यह पॉलिसी की बात है, इन्फोर्मेशन की नहीं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री मुरलीधर व्यास।

किराये पर लिये गये भवनों में सरकारी कार्यालय, बीकानेर

१७३. श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

बीकानेर में ऐसे कितने सरकारी कार्यालय है जो किराये पर लिये गये भवनों में चलते हैं तथा इनके लिये सरकार को प्रतिवर्ष कितनी धन-राशि खर्च करनी पड़ती है ?

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन (श्री परसराम मदेरणा) : बीकानेर में ८१ सरकारी कार्यालय है जो किराये पर लिये गये भवनों में चलते हैं सरकार को इस वर्ष ९९,९८४.८५ न.पै. की धनराशि खर्च करनी पड़ेगी।

श्री मुरलीधर व्यास : क्या सरकार ने उन मकानों को भी किराये पर लिया है जिनको बनाने के लिये सरकार ने लोन दिया है और जो रहने के लिये बनाये गये हैं ?

श्री अध्यक्ष : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

खाद का ब्लेक

१७४. वैद्य श्री गोविन्दसहाय (गंगापुर) : क्या पंचायत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(१) क्या पंचायत समिति सपोटरा में ग्राम कुडगांव के सरपंच ने ४४५ बोरी खाद का ब्लेक किया था ?

(२) क्या यह सही है कि वहां की जनता ने कलेक्टर सवाई माधोपुर को जांच के लिये प्रार्थना-पत्र पेश किया था ?

(३) क्या यह सही है कि कलेक्टर सवाई माधोपुर ने जांच भी करवाली है तथा एस. डी. ओ. करोली ने केस बना कर सरपंच को बर्खास्त करने की स्वीकृति कलेक्टर सवाई माधोपुर से चाही है ?

(४) क्या यह भी सही है कि कलेक्टर ने इतना समय हो गया है तो भी अभी तक सरपंच को पृथक करने की स्वीकृति नहीं दी है ? यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

उप-मन्त्री, पंचायत (श्री भवानीशंकर नंदवाना): (१) ऐसी शिकायत प्राप्त हुई थी।

(२) जी हां।

(३) जी हां।

Page No 18

(श्री भवानीशंकर नंदवाना)

(४) सरपंच को पृथक करने की स्वीकृति राज्य सरकार द्वारा दी जाती है। इस संबंध में नियमानुसार आवश्यक जांच करवाई जा रही है।

श्री गोविन्दसहाय : जांच कब पूरी हो जायगी ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : जल्दी ही पूरी हो जायगी।

श्री गोविन्दसहाय : अध्यक्ष महोदय, जांच करीब एक साल पहले हो चुकी है। मंत्री महोदय की इन्फोर्मेशन गलत है। यहां पर वे कागजात दबाये गये हैं। एक सरपंच ने २२००) रु० का गबन किया है। कलेक्टर ने इसकी जांच की है, एस. डी. एम. ने जांच की है, एन्टी-करप्शन इन्सपेक्टर ने जांच की है। यहां सरपंच का पक्ष लेकर मंत्री महोदय द्वारा दबाया जाता है केस।

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्टर की जांच पूरी होकर नहीं आई है। रिपोर्ट आते ही उस पर उचित कदम उठाया जायगा।

श्री गोविन्दसहाय : अध्यक्ष महोदय, मैं दावे के साथ कहता हूं कि मंत्री महोदय की गलत इन्फोर्मेशन है। इसकी जांच एक साल पहले कलेक्टर ने कर दी है, एस. डी. एम. करौली ने की है। एन्टी करप्शन के सब इन्सपेक्टर ने की है और रिपोर्ट राज्य सरकार के पास आ चुकी है और यहां पर दबा दी गई है।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : एस.डी.एम. करौली ने जांच कब की ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : कलेक्टर को यहां से रिमाइन्ड किया जा रहा है, अभी उसकी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। रिपोर्ट आते ही उचित कदम उठाया जायगा। माननीय सदस्य अगर चैलेंज करते हैं तो मैं उसे स्वीकार करता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): आप निश्चित रूप से कह सकते हैं कि रिपोर्ट नहीं आई है ?

श्री भवानीशंकर नन्दवाना : निश्चित रूप से कह सकता हूं।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : तब तो प्रिविलेज का प्रश्न पैदा होता है।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : जांच की रिपोर्ट कभी नहीं आई या अभी नहीं आई है ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : अभी नहीं आई है।

श्री भैरोंसिंह : इसका मतलब यह है कि पहले आई थी।

श्री अध्यक्ष : Order please ! पहले आई थी, तो वापिस जांच के लिए भी आ सकती है।

श्री भैरोंसिंह : गवर्नमेंट को एक्शन लेना होता तो उस पर एक्शन ले सकती थी।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : He was suppressing a relevant fact which he ought to give to the House.

श्री अध्यक्ष : He was not suppressing. He was saying that as of today the report lies with the Collector. He has not seen it.

Page No 19

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : He is again not replying that very question. यह बता दें कि किन कारणों से वापिस भेजी गई ? उसमें क्या त्रुटियां थीं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : माननीय सदस्य ने यह पूछा था कि क्या कलेक्टर को यह सिफारिश की गई कि सरपंच को बर्खास्त किया जाय। कलेक्टर को अधिकार नहीं है, राज्य सरकार को अधिकार है। ज्यों ही कलेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त होगी उस पर उचित एक्शन लिया जायगा।

श्री विजयसिंह झाला (नाथद्वारा) : जो रिपोर्ट आपके पास आई····

श्री सतीशकुमार शर्मा (बानसूर) : एक साल पहले जाच की थी कलेक्टर ने ?

श्री विजयसिंह झाला : उसके अन्दर सरपंच के खिलाफ क्या शिकायत थी और उसे क्यों वापिस भेजा गया ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : खाद के बारे में है। शिकायत साफ है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : वापिस क्यों भेजी ? What were the reasons ?

(विराम)

वापिस भेजने के क्या कारण हैं ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : वापिस भेजने के कई कारण हो सकते हैं। उसमें कमियां हो सकती हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : What was that 'कमी' ? एक थी, दो थी, तीन थीं ? why does he not want to place it before the House ?

(विराम)

अध्यक्ष महोदय, हाउस से यह बात छिपाने की कोशिश की जा रही हैं।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : छिपाने का कोई कारण नहीं है, छिपाने जैसी कोई बात नहीं है।

श्री विजयसिह झाला : हाउस यह जानना चाहेगा कि कब तक इस पर निर्णय ले लिया जायगा ?

श्री भवानीशंकर नंदवाना : जल्दी से जल्दी।

श्री अध्यक्ष : जल्दी से जल्दी का प्रश्न नहीं है। साल भर काफी होता है। सारा केस बिगड़ जायगा।

श्री भवानीशंकर नंदवाना : दो महीने के अन्दर अन्दर ले लिया जायगा।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा : दो महीना बहुत ज्यादा है। इनके विभाग का यह हाल है कि इनको कोई कागज मंगाना होता है तो मंगवा देते हैं। आपको रिमाइन्डर भेजना चाहिए।

श्री रामानन्द अग्रवाल : आप का विभाग ऐसा है कि सुखाड़ियाजी की इजाजत लिये बगैर आर्डर सक्यूर्लेट कर देते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : जिसमें चाहते हैं उसमें सरकार के द्वारा किया हुआ फैसला बदल देते हैं।

Page No 20

श्री अध्यक्ष : श्री श्रवणलाल ।

श्री गोविन्दसहाय : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न है........

श्री अध्यक्ष : Ordes please ! Shri Shrawanlal

एस. टी. सी. ट्रेनिंग में छात्रवृत्ति

१७५. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सच है कि एस. टी. सी. ट्रेनिंग में २५ रु० प्रति माह प्रति छात्र को छात्रवृति दी जाती थी ?

(२) क्या यह भी सच है कि शिड्यूल कास्ट व बैकवर्ड जाति के छात्रों की ट्यूशन फीस माफ थी ?

(३) क्या यह भी सच है कि इस साल से २५ रु० प्रति माह छात्रों से लिया जा रहा है ?

(४) क्या यह भी सच है कि शिड्यूल्ड कास्ट व बैकवर्ड जाति के छात्रों को भी किसी प्रकार की रियायत नहीं दी जा रही है ?

(५) यदि हां, तो सरकार उपरोक्त ट्यूशन फीस व छात्रवृत्ति के बारे में क्या सोच रही है ?

उप–मंत्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) गत वर्ष तक बी. एस. टी. सी. ट्रेनिंग स्कूल के प्रत्येक छात्र अध्यापक को २५ रु० माहवार छात्रवृत्ति दी जाती थी, परन्तु इस वर्ष से नये नियमों के अनुसार उन्हीं छात्र-अध्यापकों को छात्रवृत्ति दी जावेगी जो दिनांक ३१–३–६३ तक राजकीय सेवा तथा पंचायत समिति में आ गये हैं । दिनांक ३ मार्च, १९६३ के बाद राजकीय या पंचायत समिति सेवा में आने वाले अध्यापकों को कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जावेगी ।

(२) जिन छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती थी; चाहें वे शिड्यूल्ड कास्ट व बैकवर्ड क्लास के हों । चूंकि गत वर्ष में सभी छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाती थी । अतः उनसे ट्यूशन फीस नहीं ली जाती थी । इस वर्ष नियमानुसार उन छात्रों से जिनको छात्रवृत्ति नहीं दी जाती ट्यूशन फीस ली जाती है । परन्तु शिड्यूल्ड कास्ट व बैकवर्ड जाति के छात्रों को ट्यूशन फीस इस साल माफ कर दी है ।

(३) गत वर्ष जिन छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं दी जाती थी उनसे २५ रु० माहवार ट्यूशन फीस ली जाती थी, परन्तु इस वर्ष से ट्यूशन फीस घटा कर १० रु० माहवार कर दी है ।

(४) शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों को वैधानिक सभी रियायतें दी जा रही हैं ।

(५) नये नियमों के अनुसार शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के छात्रों से किसी प्रकार की ट्यूशन फीस नहीं ली जाती है । सरकारी नियमानुसार जैसा कि पहले प्रश्न के उत्तर में दिया गया है उन छात्र-अध्यापकों को जो ३१ मार्च, १९६३ के पहले राजकीय सेवा में आ गये हैं उनसे किसी प्रकार की ट्यूशन फीस नहीं ली जावेगी ।

३१ मार्च १९६३ के बाद राजकीय सेवा में आने वाले छात्र-अध्यापकों को कोई छात्र-

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

वृत्ति नहीं दी जावेगी। ट्यूशन फीस में जो रियायत दी जाती है उनकी प्रति सदन की मेज पर रखदी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ४ देखिए)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : रूल्स बनाये हैं डाइरेक्ट सिलेक्शन के लिए। एस. टी. सी में डाइरेक्ट सलेक्शन के लिए रूल्स बनाये हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इन्टरव्यू ले लिया जाता है। देख लिया जाता है। योग्यता से ले लिया जाता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या सरकार को ज्ञात नहीं है कि एस. टी. सी. में एडमीशन के लिए काफी रश होता है। राजस्थान के छात्रों को केवल २५ परसेन्ट एडमिशन मिल पाता है जब कि ८० परसेन्ट बाहर से विद्यार्थी आकर एडमिशन प्राप्त कर लेते हैं। इस दृष्टि से आवश्यक नियम बनाये जाने चाहिए, ऐसा सरकार का विचार है ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस वर्ष से यह प्रश्न महत्वपूर्ण है। हम आगामी सत्र से पहले इस प्रश्न पर विचार करने के लिए सोच रहे है कि किस तरह राजस्थान के छात्रों को अत्यधिक संख्या में लिया जा सके। ऐसे नियम हम नहीं बना सकते कि बाहर से आने वाले छात्रों को नहीं लिया जा सकेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप कोई पर्सेन्टेज, कोई सीलिंग फिक्स अप कर सकते हैं–पचास प्रतिशत, चालीस प्रतिशत ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह विचार करेंगे कि कौन कौनसे सुझाव काम में लाये जा सकते हैं जिससे यहां के छात्रों को रियायत मिले।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर (बांदीकुई): जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति देते हैं वे ट्रेनिंग लेकर आये तो उनको वापिस एम्प्लॉयमेंट में लेने का प्रबन्ध करना सरकार अपना कर्तव्य समझती है ? वे लोग ट्रेन्ड होकर आते हैं, इधर-उधर घूमते-फिरते हैं और उनका पहले का एम्प्लॉयमेंट चला जाता है। क्या इस तरह के नियम बनाये हैं ? क्या सरकार इस बारे में अपनी नीति स्पष्ट करेगी ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पहले एम्प्लॉयमेंट में होते है वे ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, इनको एम्प्लॉयमेंट देने का सवाल पैदा ही नहीं होता। जो नये होते हैं और ट्रेन्ड होकर आते हैं उनका सवाल दर असल विचारणीय है।

श्री मथुरेशबिहारी माथुर : इस वर्ष आपने ट्रेन्ड किये हैं और चार सौ आदमियों को ट्रेन्ड करके और छात्रवृत्ति देकर भेज दिया है। वे बगैर एम्प्लॉयमेंट के घूम रहे हैं। क्या इस तरह का प्रोवीजन नहीं हैं कि इस तरह ट्रेन्ड करने से पहले उनको ट्रेन्ड करके एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं या नहीं, इस तरह ट्रेन्ड करने से बेहतर है कि उतने ही ट्रेन्ड करें जितनों को आप एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : इस पर विचार कर लेंगे कि ज्यादा ट्रेन्ड नहीं किये जायं।

श्री अध्यक्ष : श्री रघुनाथ बिश्नोई।

काश्तकारों को खातेदारी हक-तहसील सांचोर

१७६. श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(क) क्या यह सच है कि तहसील सांचोर, जिला जालोर के पटवार हल्का केरिया व बीरावा के गांवों में मिसल बन्दोबस्त के अनुसार संवत् २०१० से गैर खातेदार दर्ज हैं और उनकी संख्या करीब ३५० है जिनके जिम्मे लगान देय है ?

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त गैर खातेदारान को राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा १५ के अनुसार १५-१०-५५ को खातेदारी हक प्राप्त हो चुके थे, परन्तु फिर भी उनको खातेदार नहीं माना गया ? अगर हां, तो क्यों ?

(ग) ऐसे गैर खातेदारान को कब तक खातेदारी हक दे दिये जावेंगे ?

(घ) क्या खातेदारी हक प्राप्त होने के बाद भी ऐसे काश्तकारान से जुर्माना वसूल किया जा सकता है ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : जी नहीं। पटवार हल्का केरिया व बीरावा के गांवों में मिसल बन्दोबस्त के अनुसार जिन काश्तकारों को धारा १५ राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार हुए थे उन सबको खातेदार दर्ज कर दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) जी नहीं।

श्री रघुनाथ बिश्नोई : मैं मंत्री महोदय, की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं कि कुछ काश्तकार जो मिसल बन्दोबस्त में होने थे उनमें कुछ हो गये हैं और कुछ बाकी रह गये हैं। क्या राज्य सरकार इस पर गौर करेगी ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : मेरी सूचना के अनुसार सब खातेदार दर्ज कर दिये गये हैं, लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति हों तो आप उदाहरण प्रस्तुत करें कि जिसको मिसल बन्दोबस्त खातेदार के अधिकार प्राप्त हो गये थे लेकिन दर्ज करने से रह गये हैं-और उनको दर्ज करने की आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

श्री अध्यक्ष : श्री नत्थीसिंह।

सहकारी विभाग में नियमित रूप से वेतन का न मिलना

१७७. श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सहकारी विभाग के कितने कर्मचारी ऐसे है जिनको नियमित रूप से हर महीने वेतन नही मिलता है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(२) क्या यह सही है कि उक्त कर्मचारियों को कई कई महीने बाद उनके वेतन का प्रोवीजनल पेमेन्ट किया जाता है ? इसके क्या कारण हैं और यह स्थिति कब से है ?

Page No 23

(श्री नत्थीसिंह)

क्या सरकार इस स्थिति को सुधारने की दिशा में कोई कदम उठा रही है ?

(३) क्या किसी अन्य विभाग के कर्मचारियों के सम्बन्ध में ऐसी स्थिति है ?

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह) : (१) पहले सहकारी विभाग के कुछ कर्मचारियों को नियमित रूप से हर महीने वेतन नहीं मिल कर प्रोवीज़नल पेमेन्ट मिलता था; पर इस समय तो माहवारी वेतन मिल रहा है । सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) जी हां ।

इसके कारण निम्न थे :–

(क) जन सेवा आयोग द्वारा सीधी भर्ती में लिये गये व्यक्तियों की नियुक्ति की आज्ञा प्रसारित नहीं हुई । यह मामला सरकार के विचाराधीन रहा तथा इस सम्बन्ध में जन सेवा आयोग से पत्र-व्यवहार चलता रहा ।

(ख) विभागीय प्रमोशन कमेटी द्वारा चुने गये व्यक्तियों की जन सेवा आयोग द्वारा स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई ।

इन कारणों से कर्मचारियों की नियुक्ति की अवधि के सम्बन्ध में आज्ञा प्रसारित नहीं हुई और इसी कारण प्रोवीज़नल पेमेन्ट होता रहा ।

यह स्थिति प्राय: २–३ वर्षों से है और इस स्थिति को सुधारने की दिशा में सरकार प्रयत्नशील है ।

(३) यह प्रश्न सम्बन्धित विभाग से पूछा जाना चाहिए ।

(कृपया परिशिष्ट ५ देखिये)

श्री नत्थीसिंह : ४७ कर्मचारियों को किस महीने से प्रति माह वेतन मिलने लगा है ?

श्री भीमसिंह : अलग अलग कर्मचारियों की अलग अलग डेट्स हैं ।

श्री नत्थीसिंह : क्या अब ऐसे कर्मचारी हैं जिनको प्रति माह वेतन नहीं मिलता है ?

श्री भीमसिंह : इन ४७ को जुलाई तक का वेतन मिल चुका है ।

श्री नत्थीसिंह : जो कारण बताये हैं, ये कारण अब भी ज्यों के त्यों विद्यमान हैं या कुछ सुधार आया है ?

श्री भीमसिंह : ये कारण विद्यमान हैं ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : क्या यह सही है कि इन ४७ कर्मचारियों को माहवार वेतन नहीं मिलता है, ये सब टेम्पोरेरी हैं ?

श्री भीमसिंह : अभी टेम्पोरेरी हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से कन्फर्मेशन नहीं हुआ है ।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि जिस दिन से नियुक्ति हुई है उस दिन से टेम्पोरेरी हैं ?

(श्री भैरोंसिंह)

श्री भीमसिंह : जब से केस रेफर किया गया है, इन ४७ में से कुछ को कन्फर्म कर दिया गया है।

श्री भैरोंसिंह : क्या यह सही है कि राजस्थान सर्विस रूल्स के अनुसार छः महीने से ज्यादा टेम्पोरेरी किसी को नहीं रख सकते ?

श्री भीमसिंह : छः महीने के बाद केस रेफर किया गया है।

श्री भैरोंसिंह : रेफर करने का सवाल नहीं है। उनको परमानेन्ट किया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न तो है तनख्वाह का। वे टेम्पोरेरी हों या परमानेन्ट तनख्वाह प्रति माह मिलती है या नहीं।

श्री भैरोंसिंह : छः महीने से ज्यादा टेम्पोरेरी नहीं रह सकते।

श्री अध्यक्ष : यह तनख्वाह का सवाल है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या यह सही है कि इनमें से अधिकांश हैं जिन्हें एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू नहीं लिया गया है, इसलिए पेमेन्ट नहीं हो सकता........

श्री भीमसिंह : कुछ उसके थ्रू आये हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज की अवहेलना कर देते है और फिर उनको तनख्वाह नहीं मिलती है। तो सवाल यह पैदा होता है कि टेम्पोरेरी अपोइन्टमेंट बिना एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को कहे करते क्यों हैं और जो अधिकारी ऐसा करते हैं उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता ? जब कि सरकार के रूल्स बने हैं कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू लिये जायं तो रूल के तहत एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू क्यों नहीं लिये ? इसीलिए पब्लिक सर्विस कमीशन एप्रूव करता नही है। यह नीतियों का सवाल है।

श्री चन्दनमल वेद (उप-मंत्री, उद्योग) : अभी आपका भाषण शुरू नहीं हुआ है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आपकी तनख्वाह कुछ माह रुक जाय तब आपको मालूम पड़े।

श्री अध्यक्ष : श्री जयनारायण सालोदिया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलता, इससे उनको अलग परेशानी होती है। यहां पर प्रश्न पैदा होते हैं ? जब सरकार को एपोइन्ट करने के अधिकार नहीं है तो फिर उनको एपोइन्ट क्यों करती है। जब सरकार ने रूल्स बना लिये कि एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के थ्रू आना चाहिये और बाद में पी. एस. सी. से एप्रूव होना चाहिये, मगर ऐसा नहीं होता है। इससे सारे सर्विसेज में डिससेटिस्फेक्शन फैला हुआ है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जयनारायण।

बहुद्देशीय सहकारी समिति, पीपलू (जिला टोंक) की ऑडिट रिपोर्ट,

१७८. श्री जयनारायण सालोदिया पीपलू (निवाई) : क्या सहकारी मंत्री यह

(श्री जयनारायण सालोदिया)

बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि वृहत्त बहुद्देशीय सहकारी समिति, पीपलू (तहसील टोंक) कोषाध्यक्ष सन् १९६१ में श्री कल्यानमल जी तेली, पीपलू थे ?

(२) क्या यह भी सही है कि दिनांक ३० जून, १९६१ को उक्त सहकारी समिति पर सहकारी बैंक टोंक का करीब बीस हजार कर्जा था जिसकी वजह से समिति को दूसरा कर्जा नहीं मिल रहा था ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त कर्जे को सदस्यों से वसूल नहीं करके कोषाध्यक्ष श्री कल्याणमल जी ने पीपलू पंचायत के सरपंच श्री रामनिवास से मिल कर पंचायत को बिना जानकारी दिये पंचायत के खाते से बीस हजार रुपया सरपंच से निकलवा कर सहकारी समिति के खाते में जमा करा कर दुबारा कर्जा ले लिया ?

(४) क्या यह भी सही है कि जब सदस्यों को कर्जा बांटा गया तो उनसे चालू ब्याज के अलावा तीन रुपया सैकड़ा ज्यादा वसूल किया गया और अध्यक्ष द्वारा यह कहा गया कि ये रुपये मैंने मेरे पास से बीस हजार रुपये, जमा कराये थे उसका ब्याज है, जिसकी सदस्यों को रसीद नहीं दी गई ?

(५) क्या यह भी सच है कि समिति का ऑडिट हुआ उसमें सब सदस्यों ने इस नाजायज़ वसूली का विरोध किया ? सदस्यों के लिखित में बयान लिये जाने के बाद ऑडिट रिपोर्ट में इस आठ सौ रुपयों की वसूली को नियमों के खिलाफ व धोखादेही बताया, जिसका मामला सहकारी विभाग में चल रहा है ? यदि हां, तो अब तक उक्त कोषाध्यक्ष के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ? ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें ।

उप-मंत्री, सहकारी (श्री भीमसिंह): (१) जी हां ।

(२) जी नहीं । उक्त सहकारी समिति पर दिनांक २८. ६. ६१ को करीब २० हजार रु० कोऑपरेटिव बैंक को बाकी था जो दिनांक २९. ६. ६१ को मय ब्याज २०५७०)रु० ६० नये पैसे बैंक में जमा करा दिये और ३०–६–६१ को बैंक से समिति को ३९५००)रु० प्राप्त हुआ ।

(३) जी नहीं । समिति के रेकॉर्ड से ऐसी जानकारी नहीं मिलती ।

(४) जी नहीं ।

(५) इस प्रश्न को ४ भागों में बांट कर उत्तर निम्न प्रकार है :–

(क) जी नहीं । सब सदस्यों ने विरोध नहीं किया ।

(ख) सिर्फ ३ सदस्यों के लिखित में बयान ऑडिट में हुए मगर बाद में (एनक्वायरी) में ८० सदस्यों के बयान हुये उससे तथा जांच से आठ सौ रुपयों की वसूली साबित नहीं हुई और न अब कोई मामला सहकारी विभाग में चल रहा है ।

(ग) कोई सवाल नहीं उठता ।

(श्री भीमसिंह)

(घ) ऑडिट रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रख दी है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या यह सही है कि २० हजार रुपये समिति में एक साथ जमा किये।

श्री भीमसिंह : २०,५७०)रु० ६० नये पैसे।

श्री जयनारायण सालोदिया : क्या २० हजार रुपये उसी रोज वसूल किये? समिति के रेकॉर्ड से मालूम होता है?

श्री भीमसिंह : मैंने बताया कि २०,५७० रुपये एक साथ जमा हुए।

श्री जयनारायण सालोदिया : जमा होना साबित है, तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह २० हजार रुपया एक साथ लाया कहां से?

श्री अध्यक्ष : श्री हनुमानसिंह चौधरी।

श्री जयनारायण सालोदिया : एक प्रश्न और है।

आपके ५०० मेम्बर हैं, जिनसे इस प्रकार चालू ब्याज के अलावा ३ परसेन्ट ज्यादा वसूल किया गया। आपने उसकी इन्क्वायरी करा ली है और क्या सरकार उसको पुनः इन्क्वायरी दुबारा करा सकती है?

श्री भीमसिंह : आप चाहें तो दुबारा जांच हो सकती है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री हनुमानसिंह चौधरी।

प्रश्न संख्या १७९।

श्री हनुमानसिंह चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री हरिप्रसाद शर्मा।

नमक बनाने की अनुमति

१८०. श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(क) राजस्थान में इस वर्ष कहां कहां कितने कितने एरिया में किन किन संस्थाओं अथवा व्यक्तियों को कब कब कितने कितने समय के लिये नमक बनाने की अनुमति राज्य सरकार द्वारा दी गई है? तालिका सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(ख) कितनी और किन किन संस्थाओं के अथवा व्यक्तियों के आवेदन-पत्र इस वर्ष के आरम्भ में इस अनुमति के लिये विचाराधीन थे और वर्ष के आरम्भ से लेकर अब तक किस किस के आवेदन पत्र कब कब आये?

(ग) किन किन के आवेदन-पत्रों पर अनुमति नहीं दी गई और क्यों?

(घ) यह अनुमति दिये जाने के लिये क्या नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें?

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : (१) इस वर्ष किसी को नमक उत्पादन करने हेतु अनुमति नहीं दी गई।

Page No 27

(श्री चन्दनमल वैद)

(२) इस वर्ष के प्रारम्भ में कोई भी आवेदन-पत्र नियमानुसार न होने के कारण विचाराधीन नहीं थे। १ जनवरी, ६३ से अब तक कुल आवेदन-पत्रों की संख्या २४५२ है जो भिन्न व्यक्तियों तथा संस्थाओं के हैं।

(३) अभी तक किसी को भी अनुमति नहीं दी गई है। आवेदन पत्र विचाराधीन हैं।

(४) अनुमति दिये जाने के नियम राज्य सरकार द्वारा ३ जनवरी, ६३ के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित किये जा चुके हैं। प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : इन नियमों से पहले कौन से नियम लागू थे ?

श्री चन्दनमल वैद : डिपार्टमेंटल रूल्स होंगे।

श्री भैरोंसिंह : मैं यह पूछना चाहता हूं कि डिपार्टमेंटल रूल्स थे या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : इस सम्बन्ध में डिपार्टमेंटल इन्सट्रक्शन्स थे।

श्री भैरोंसिंह : तो डिपार्टमेंटल रूल्स नहीं थे ?

श्री चन्दनमल वैद : जिस तरीके के होने चाहिये उस तरीके के नहीं थे।

श्री भैरोंसिंह : मेरा प्रश्न यह है कि ३ जनवरी, ६३ के राजस्थान राजपत्र में प्रकाशित करने से पहले भी कोई रूल्स इस सम्बन्ध में थे या नहीं ?

श्री चन्दनमल वैद : डिपार्टमेंटल इन्स्ट्रक्शन्स थे।

श्री भैरोंसिंह : इस सम्बन्ध में पहले भी रूल्स बने हुए थे और उनको सरकार ने सारे राजस्थान के लिये लागू किया था।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज कर चुका हूं कि पहली बार जनवरी, ६३ को ये नियम राजपत्र में प्रकाशित हुए हैं।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये प्लॉट्स डिपार्टमेंटल इन्स्ट्रक्शस के आधार पर वितरण किये गये है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी।

श्री भैरोंसिंह : क्या ये इनस्ट्रक्शन्स लिखित रूप में हैं ?

श्री चन्दनमल वैद : मैं समझता हूं कि सरकार का सारा काम लिखा हुआ होता है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या सरकार को यह विदित है कि सेलाइन एरिया एलॉटमेंट रूल्स, १९६२ जो सदन की मेज पर रखे गये हैं उनको सिलेक्ट कमेटी ने स्क्रेप कर दिया है ?

(विराम)

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

क्या यह आपकी जानकारी में है ?

श्री चन्दनमल वैद : मुझे इसकी जानकारी नहीं मिली।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या ये रूल्स लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के तहत जारी किये गये है ?

श्री चन्दनमल वैद : जी हां।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : सन् ६३ में आपने दो व्यक्तियों को ५०–५० एकड़ भूमि के प्लॉट्स दिये हैं।

श्री चन्दनमल वैद : मैंने जो सूचना दी है वह सही है।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप इस बात को अच्छी तरह से जानते है कि ५० एकड़ के प्लॉट्स आपने किस को दिये है, आप बता सकते है। दिसम्बर ६३ को दिये हैं। मेरी सूचना है, वह मैंने आपको बता दी है। फिर जांच करा लेंगे तो आपको मालूम हो जावेगा कि आपने ५०–५० एकड़ के प्लॉट ६३ में किनको दिये हैं। एक तो आपने श्री पी. के. चौधरी को दिया है; दूसरा आप बता सकते हैं।

श्री चन्दनमल वैद : मुझे जो सूचना दी है मैं कह सकता हूं कि यह गलत है, ६३ में किसी को नहीं दिया गया।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह दिसम्बर, ६३ गल्ती से कह दिया गया है। यह दिसम्बर, ६२ के बारे में कहा गया है।

श्री चन्दनमल वैद : आपने प्रश्न पूछा उसका उत्तर दिया है। मैं दिसम्बर, ६२ की कोई जानकारी लेकर नहीं आया हूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री जेठमल।

तेल निकालने का स्पेलर

१८१. श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) : क्या मन्त्री, खादी ग्रामोद्योग यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) क्या यह सही है कि नागोर जिले के ग्राम बोरावड़ में तेल निकालने का स्पेलर लगाया जा रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि तहसील तेली सभा के संयोजक ने उक्त स्पेलर नहीं लगाने के सम्बन्ध में जिलाधीश नागोर को प्रार्थना-पत्र भेजा है जिसमें अखिल भारतीय तिलहन पेराई समिति हैदराबाद का प्रस्ताव संख्या १३ की प्रतिलिपि भी पेश की है जिसमें बताया गया है कि देश मे जहां तेल निकालने का पहले से साधन उपलब्ध है वहां पर तेल मिल नही लगाई जाय ? क्या यह सच है कि उक्त प्रस्ताव को भारत सरकार ने माना है और उसकी सूचना राज्य सरकारों को भेजी गई है ? यदि हां, तो फिर यह स्पेलर क्यों लगाया जा रहा है ?

(३) क्या यह भी सही है कि उक्त स्पेलर को नहीं लगाने के लिए ग्राम पंचायत बोरावड़, जिला परिषद् नागोर ने भी सिफारिश की है ?

उप-मन्त्री, खादी ग्रामोद्योग (श्री चन्दनमल वैद) : माननीय अध्यक्ष, इसको अगले सप्ताह के लिए स्थगित कर दिया जाए।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री ढाबरिया।

भीलवाड़ा के उद्योगपतियों को ऋण

१८२. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) सन् ५६ से अब तक भीलवाड़ा जिले में किन किन उद्योगपतियों को किस-किस उद्योग के लिए राज्य सरकार से कितना कितना रुपया उधार दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

(२) क्या यह सही है कि जिन लोगो को रुपया दिया गया उनमें से कई लोगों ने कोई उद्योग खोला ही नहीं है ?

(३) क्या यह सही है कि बहुत से लोगों में किश्तों के रुपये बकाया हैं ? जो जमा नहीं हुए ऐसे लोगों की मय रकम के सूची सदन की मेज पर रखी जावे।

उप-मन्त्री, उद्योग : (श्री चन्दमल वैद) (१) इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(२) जी हां।

(३) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट ६ देखिए)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : प्रश्न के भाग (२) का उत्तर आपने 'जी हां' कहा है। जिन लोगों को आपने लोन दिया और उन लोगों ने उद्योग नहीं खोले उनके खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री चन्दनमल वैद : रकम वसूल करने की कार्यवाही की है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : २,५५,००० रुपये अभी तक बाकी हैं सन् ५५ से। मगर आपने अभी तक उस रकम को वसूल करने की कोई कार्यवाही नहीं की है।

श्री चन्दनमल वैद : मैं अर्ज कर रहा हूं कि कार्यवाही जारी है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अध्यक्ष महोदय, यह भीलवाड़े का प्रश्न है और भीलवाड़े में इतनी बड़ी रकम बकाया है और अभी तक वसूली की कोई कार्यवाही नहीं हो रही है....

श्री अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछें, भाषण न दें।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : किन किन से वसूल हुई, आप बता दें ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

शिक्षा विभाग, बीकानेर में अधीक्षकों के पद

१८३. श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या यह सही है कि अध्यक्ष, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय में कोई अधीक्षकों के पद हैं ? यदि है, तो कितने पद हैं ?

(२) क्या यह सही है कि इस कार्यालय में कोई ओ. एस. (जी) का पद भी है, यदि हां, तो किस ग्रेड का व कब से ?

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

(३) क्या यह सही है कि रजिस्ट्रार विभागीय परीक्षाओं का कार्यालय भी अध्यक्ष, प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के अन्तर्गत आता है? यदि हां, तो क्या यह कार्यालय बीकानेर में है? यदि हां, तो कब से और यह कार्यालय किस भवन में है?

(४) रजिस्ट्रार, विभागीय परीक्षाएं राजस्थान, कौन कौन सी परीक्षाएं कन्डक्ट करता था और अब कौन कौन सी परीक्षाएं कन्डक्ट करता है? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। क्या यह सत्य है कि आर. डी. ई. कार्यालय में, डिप्टी आर. डी. ई. के पद हैं? यदि हां, तो कितने और उनकी क्या ग्रेड हैं?

(५) क्या यह भी सही है कि अध्यक्ष, शिक्षा विभाग, राजस्थान, बीकानेर के कार्यालय में ओ. एस. (जी) के पद पर कार्य करने वाला व्यक्ति ही डिप्टी आर. डी. ई. के पद पर भी कार्य करता है? यदि हां, तो दोनों पदों पर किस किस समय पर कार्य करते हैं और वेतन किस पद का लेता है? क्या इसको कोई अलाउन्स भी मिलता है?

(६) क्या सरकार के ध्यान में है कि इस प्रकार का कार्य करने वाला व्यक्ति किसी भी एक पद पर ईमानदारी से कार्य नहीं कर सकता? यदि हां, तो क्या सरकार इस संकटकालीन परिस्थिति में एक पद को समाप्त करने का विचार रखती है?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरंजननाथ आचार्य) : (१) जी हां, दो पद हैं।

(२) इस प्रकार का कोई अलग पद नहीं है।

(३) जी हां। दिनांक १८-१२-६१ से। अब तक कार्यालय जनाना हाऊस में चल रहा है।

(४) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। डिप्टी रजिस्ट्रार के २ पद २००/१०/३१०/ १२॥/ ४३५ के हैं।

(५) जी हां, ऑफिस के समय के बाद भी कुछ समय तक कार्य करना पड़ता है। उनको कोई अलाउन्स नहीं दिया जाता। वेतन डिप्टी रजिस्ट्रार के पद का दिया जाता है।

(६) एक उपरजिस्ट्रार जो कि 'जी' ग्रुप का भी कुछ काम करता है. अपनी ड्यूटीज़ सुचारू रूप से अन्जाम देता है। सेक्शन 'जी' ग्रुप के अधीक्षक का कोई अलग पद नहीं है।

(कृपया परिशिष्ट ७ देखिए)

(३. ३० म. प.)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ओ. एस. की जगह कौन काम कर रहे हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये ही करते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नाम क्या है?

श्री निरंजननाथ आचार्य : नाम पूछा है नहीं, इसलिये लाया नहीं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : क्या इनको अलग अलग तनख्वाहें मिलती हैं?

श्री निरंजननाथ आचार्य : एक ही।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन।

राज्य में टैक्नो इकोनोमिक सर्वे

१८४श्री भीमसेन (लूणकरणसर) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरकार ने किसी संस्था के माध्यम से राज्य का टैक्नो इकोनोमिक सर्वे कराया है ? अगर हां, तो अब तक किन किन जिलों का सर्वे हो चुका है ? सर्वे रिपोर्ट्स की प्रति सदन की मेज पर प्रस्तुत की जावे।

उद्योग मन्त्री (श्री नाथूराम मिर्धा) : जी हां। आर्थिक अनुसंधान की राष्ट्रीय परिषद द्वारा राजस्थान का प्राविधि आर्थिक सर्वेक्षण (Techno Economic Servey) कराया है। इस संस्था ने समूचे राजस्थान के आर्थिक विकास की सम्भावनाओं को ध्यान में रख कर रिपोर्ट सरकार को दी है। इन्होंने राजस्थान का जिलेवार सर्वे नहीं किया है। रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर पहिले रख दी गई है।

श्री भीमसेन : कितने इन्वेस्टमेंट के लिए इस इन्स्टीट्यूशन के गवर्नमेंट को सलाह दी है ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट, श्री कुमारानन्द !

एक माननीय सदस्य : स्टाफ तोड़ दिया गया है....

श्री अध्यक्ष : यह वह स्टाफ नहीं, दूसरा है।

(विराम)

श्री कुमारानन्द

अध्यापकों पर बीमा, पेन्शन व प्रोविडेन्ट फण्ड की योजना

१८५. श्री कुमारानन्द (ब्यावर) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(१) क्या मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सरकार अध्यापकों पर बीमा, पेन्शन व प्रोविडेन्ट फण्ड की त्रिसूत्री योजना शीघ्र ही लागू करने जा रही है ?

(२) क्या साधारण नियमों के अनुसार उक्त योजना के प्रोविडेन्ट फण्ड में आधी रकम स्वयं सरकार जमा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मजदूरों तक के प्रोविडेन्ट फण्ड का आधा पैसा मालिकों से जमा करवाया जाता है ?

(३) क्या यही योजना पंचायत शिक्षकों पर भी शीघ्र ही समान रूप से लागू करने का सरकार का इरादा है ?

उप-मन्त्री, शिक्षा (श्री निरन्जननाथ आचार्य) : (१) राजस्थान में सरकारी विद्यालयों में काम करने वाले अध्यापकों के लिए पेन्शन, बीमा व ऐच्छिक प्रोविडेन्ट फण्ड की योजना लागू है।

(२) राजस्थान में प्रोविडेन्ट फण्ड की योजना अध्यापकों की इच्छा पर निर्भर है। अतः सरकार उस प्रोविडेन्ट फण्ड में आधी रकम स्वयं नहीं जमा करती है और न करेगी क्योंकि सरकार अध्यापकों को पेन्शन देती है। शिक्षकों के प्रोविडेन्ट फण्ड की आधी रकम नहीं जमा कराने से कोई भेदभाव नहीं होता है कारण कि समस्त राज्य में बीमा, पेन्शन और प्रोविडेन्ट फण्ड के नियम सब सरकारी कर्मचारियों के लिये एक से हैं।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

(३) अभी तक पंचायत समितियों के अध्यापकों को उसी प्रकार की सुविधाएं प्राप्त थीं। परन्तु हाल ही में केन्द्रीय सरकार ने आवश्यक बीमा नीति को अनुचित बतला दिया है। अतः पंचायत समितियों के अध्यापकों पर आवश्यक बीमा नीति नहीं लागू की जा सकेगी। इस कमी को पूरा करने के लिये पंचायत समितियों में अध्यापकों के लिये बगैर सहायता के आवश्यक प्रोविडेन्ट फण्ड योजना (कम्पलसरी नॉन कन्ट्रीब्यूटरी फण्ड) लागू करने का निश्चय कर दिया गया है। पुराने राजकीय बीमा पॉलिसी के अन्तर्गत व लाइफ इन्श्योरेन्स कॉर्पोरेशन के प्रीमियम के अन्तर्गत जो रकम दी जाती है, वह काट दी जायगी। सरकार इस समय इससे अधिक और कोई योजना लागू करना नहीं चाहती।

श्री कुमारानन्द : मैंने पूछा था कि मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार पेन्शन, बीमा, प्राविडेन्ट फण्ड अध्यापकों को देने को सरकार तैयार है कि नहीं ? मन्त्री महोदय का जवाब बिल्कुल उल्टा है। मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट को मन्त्री महोदय मानते हैं कि नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : मुदालियर कमेटी की रिपोर्ट रिकमन्डेटरी है, सरकार उस पर विचार कर सकती है पर वह अभी त्रिसूत्री प्रोग्राम एक साथ लागू नहीं कर सकती; वैसे पेन्शन, प्रोविडेन्ट फण्ड और बीमा जो तीनों ही लागू हैं। प्रोविडेन्ट फण्ड ऐच्छिक है, बीमा सब पर लागू है, पेन्शन लागू है।

श्री कुमारानन्द : प्रोविडेन्ट फण्ड का क्या कहते हैं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : पेन्शन देते हैं इसलिए आवश्यकता नहीं।

श्री कुमारानन्द : मिल मालिक आधा प्रोविडेन्ट फण्ड देते हैं, इसी तरह से सरकार भी देती है या नहीं ?

श्री निरंजननाथ आचार्य : ये मजदूर नहीं, अध्यापक हैं।

श्री कुमारानंद : क्या इसमें सरकार आधा कॉन्ट्रीब्यूट करेगी ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत : बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रह गये हैं।

एक माननीय सदस्य : स्थगित प्रश्न तो ले लीजिये।

श्री अध्यक्ष : श्री श्योपतसिंह ! स्थगित प्रश्न !

स्थगित प्रश्न

(१६-२-६३)

भाखरा क्षेत्र के भूमिहीन किसान

२२. श्री श्योपतसिंह (हनुमानगढ़) : क्या राजस्व मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(१) भाखरा क्षेत्र में ऐसे कितने भूमिहीन किसान हैं जिनसे सरकार ने किश्तें वसूल कर ली हैं, मगर अभी तक उन्हें भूमि अलॉट नहीं की गई ?

(२) भूमि अभी तक अलॉट न करने का क्या कारण है व कब तक उनको भूमि अलॉट कर दी जायेगी ?

उप-मंत्री, राजस्व (श्री रामप्रसाद लड्ढा) : (१) सिर्फ ६ आसामियान ऐसे हैं जिनसे किश्तें वसूल की जा चुकी हैं, मगर भूमि अलाट नही की गई ।

(२) उक्त आसामियान में से ४ भूमिहीनो की इत्तला उनकी इच्छानुसार भूमि आवंटन हेतु राजस्थान केनाल में भेजी जा चुकी है व दो आसामियान की इत्तला भेजने की कार्यवाही की जा रही है ।

श्री श्योपतसिंह : किसानों से वह पैसा भराया था तो भाखरा क्षेत्र में भूमि देने के लिये भराया था, फिर उन्हें भूमि भाखरा क्षेत्र मे क्यों नही दी जा रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : भाखरा क्षेत्र में भूमि देने के लिए भरवाया गया था और उनको कहा गया था कि भाखरा क्षेत्र मे भूमि सिलेक्ट कीजिये; पर उन्होने एक साल तक भूमि सिलेक्ट नही की । फिर ६० में गवर्नमेंट ने यह तय किया कि भूमि रिज़र्व प्राइस पर नही बेची जाय, नीलाम की जाय; अतः जिनको देना बाकी रह गया है उनको राजस्थान केनाल में देना निश्चित किया गया ।

श्री श्योपतसिंह : सरकार ने उन्हें भाखरा क्षेत्र में भूमि देने का कह कर पैसा भरवाया था तो फिर भाखरा क्षेत्र मे भूमि न देकर राजस्थान केनाल क्षेत्र में भूमि क्यों दे रही है ?

श्री रामप्रसाद लड्ढा : उनकी रजामन्दी से राजस्थान केनाल मे इत्तला भेजी गई है । उन्होंने लेना स्वीकार कर लिया है ।

श्री श्योपतसिंह : यह आप गलत कह रहे हैं । भाखरा क्षेत्र में लेने के लिए उन्होंने पैसा भरा था, अब उनको भाखरा क्षेत्र में न देकर जबरदस्ती राजस्थान केनाल में दे रहे हैं ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : यह सही है कि ६ में से ४ ने लिखित में स्वीकार कर लिया है, दो ने नहीं किया है । दो को भाखरा में देने के लिए कोशिश की जा रही है ।

श्री श्योपतसिंह : सिर्फ ६ ही लोग नहीं हैं, सैकड़ों किसान ऐसे हैं । यह इत्तिला आपकी गलत है ।

श्री माणिकचन्द सुराणा (कोलायत) : क्या सरकार यह आश्वासन देने को तैयार है कि उन लोगों को भाखरा क्षेत्र में भूमि दी जायगी ?

श्री अध्यक्ष : मन्त्री महोदय ने कहा है कि कोशिश की जा रही है, ४ ने स्वीकार कर लिया है और दो के लिए भाखरा में देने की कोशिश की जा रही है ।

श्री माणिकचन्द सुराणा : लीगल कॉन्ट्रेक्ट गवर्नमेंट कर चुकी है तो लीगली भी गवर्नमेंट बाउन्ड है कि उन्हें भाखरा क्षेत्र में भूमि दी जाय ।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : लीगली बाउन्ड का कहते हैं तो उन लोगों को सरकार ने कहा कि भाखरा क्षेत्र मे जमीन सिलेक्ट कर लो, पर वे साल भर चुप रहते हैं । भूमि सिलेक्ट नहीं करते तो लीगली कहां बाईंडिंग हुई ? पर गवर्नमेंट चाहती है कि जिसने रुपया जमा करा दिया और साल भर तक भूमि को सिलेक्ट नही किया, इसलिए उनको देने की कोशिश की जा रही है ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न संख्या ६; स्थगित प्रश्न । श्री उमरावसिंह ढाबरिया !

स्थगित प्रश्न
(१६–८–६३)

भीलवाड़ा जिले के उद्योगपतियों को वितरित कोटा

६. श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(१) सन् ५६ से अब तक भीलवाड़ा जिले में किन किन उद्योगपतियों को किस किस चीज का कितना कितना कोटा अब तक दिया गया है ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

(२) क्या यह सही है कि जिन लोगों को कोटा मिला है उसमें से बहुतों ने कोई उद्योग शुरू ही नहीं किया है ?

(३) भीलवाड़ा में जो इन्डस्ट्रीज शेड बने हैं उनमें कितने कारखाने किन किन लोगों ने किस किस चीज के लगाये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे तथा कितने शेड खाली पड़े हैं ?

(४) जिन लोगों ने कारखाने खोले हैं उन्होंने अब तक क्या क्या माल कितनी तादाद में बनाया व उनको कितना कोटा मिला ? सूची सदन की मेज पर रखी जावे ।

उप-मंत्री, उद्योग (श्री चन्दनमल वैद): (१) सूची 'अ,' 'ब' और 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(२) सूचना सूची 'अ' व 'ब' के खण्ड ६ में दे दी गई है ।

(३) सूची 'स' सदन की मेज पर रख दी गई है । १७ शैड्स खाली पड़े हैं ।

(४) कोटे की सूचना तो प्रश्न के भाग १ के उत्तर में आ गई है । उत्पादन के आंकड़े एकत्रित किए जा रहे हैं ।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी ।)

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : सूची 'अ' दी है वह तो आप भी पढ़ने की कोशिश करेंगे तो नहीं पढ़ी जा सकेगी ।

श्री अध्यक्ष : आप फुरसत में पढ़िए ।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : दूसरी सूची दी है कि किन किन को कितना कितना कोटा दिया है, आपने लिखा है कि इतना इतना कोटा ५६ में फलां आदमी के पास स्टॉक में है । जो कोटा रोक रखा है उसको किस उपयोग में लिया गया ?

श्री चन्दनमल वैद : केवल एक पार्टी के सिवाय, दूसरों का नहीं रोका ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल जयपुर) : जिन्होंने प्रोपर यूटिलाइजेशन नहीं किया उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई ?

श्री चन्दनमल वैद : ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसने अपना कोटा यूटिलाइज् नहीं किया हो ।

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : ब्लैक मार्केट में बेचने के अलावा और क्या यूटिलाइज् किया है ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : एक में लिखा है कि कन्ज्यूम कर लिया है। यह नहीं लिखा कि किसमें कन्ज्यूम किया है। इसके अलावा बाकी की पार्टीज् ने किसमें कन्ज्यूम किया है ?

श्री चंदनमल वैद : हर एक में स्कीम्स दी हुई है, उस स्कीम में कन्ज्यूम कर लिया है।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : नं० ४ इसका क्या हुआ ?

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

[प्रश्न-समय में न लिए जा सकने वाले तारांकित प्रश्नों के लिए कृपया परिशिष्ट ७ देखिए]

(३. ३६ म. प.)

नियुक्ति विभाग की अधिसूचना सदन की मेज पर रखना

श्री मथुरादास माथुर (गृह मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियुक्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १४ (८) नियुक्त (ए) IV/ ५६ दिनांक ४ जून, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन (लिमिटेशन ऑफ फन्क्शन्स) रेग्यूलेशन्स, १९५१ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों (१९६३-६४) के विवरण का उपस्थापन

श्री बालकृष्ण कौल (वित्तमन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगों (१९६३–६४) के विवरण का उपस्थापन करता हूं।

राजस्थान में अकाल से उत्पन्न स्थिति सम्बधी वक्तव्य

श्री अध्यक्ष : राजस्थान में अकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : अध्यक्ष महोदय, I will read out a statement in English. Anxiety had been expressed in the House......

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): हिन्दी में होना चाहिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : हिन्दी में भी सुना दिया जायगा। Anxiety had been expressed in the House about the scarcity conditions prevailing in Rajasthan.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप इसका उल्था अंग्रेजी में करा देवें, अंग्रेज लोगों के लिये।

श्री रामप्रसाद लड्ढा : आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आये तो मैं हिन्दी में बाद में सुना दूंगा।

The Government had been ceased of the situation......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : It is a very lengthy statement and it can be laid on the Table of the House. It has been done so in the past also. If he is simply to read the statement, better

Page No 36

(श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल)

this is laid on the Table of the House. We have a more important business in the House today.

श्री अध्यक्ष : कई माननीय सदस्यों ने स्थगन-प्रस्ताव और अन्य सूचनाएं भेजी हैं इस सम्बन्ध में। एक तो यह हो सकता है कि स्टेटमेंट यहां रख दें और दूसरे समय पर इस पर विवाद रख सकते हैं। तब तक आप इसका हिन्दी मे ट्रान्स्लेशन भी करवा लें।

(वक्तव्य की हिन्दी प्रति के लिये कृपया परिशिष्ट ८ देखिये)

(३.४० म.प.)

मंत्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास प्रस्तावों पर विचार-विमर्श

जैसा माननीय सदस्यो को विदित है आज मंत्रि-मंडल के प्रति अविश्वास के सम्बन्ध में कुछ प्रस्ताव सदन के समक्ष प्रस्तुत किये जावेंगे। इसके लिए आज का दिन, कल का दिन व परसों के दिन का कुछ भाग बहस के लिए रखे गये हैं। समय के वितरण के सम्बन्ध में एक सामान्य व्यवस्था इस प्रकार है कि जितना समय निर्धारित किया गया है वह किया जायगा। उसको आधा सरकारी पक्ष को व आधा विपक्ष में जो माननीय सदस्य हैं उनमें इस प्रकार से आधा–आधा वितरित किया गया है कि इस समय जो माननीय सदस्य प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे या वापिस उसका रिप्लाई देंगे या सरकार की ओर से ट्रेजरी बैन्चेज या मुख्य मंत्री उत्तर देंगे वह सब समय उसमें शामिल है। और राइट ऑफ रिप्लाई का अवसर भी उस समय दिया जाय जब उस पार्टी के माननीय सदस्यों का या ग्रुप का समय बाकी हो। यदि माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि उनकी पार्टीज और ग्रुप के माननीय सदस्य इस बहस में अधिक से अधिक भाग लें तो उसके लिए यह व्यवस्था हो सकती है कि कम से कम समय में अपना भाषण समाप्त करें। इसके साथ साथ जो समय निर्धारित किया जायगा वह उसी अनुपात से किया जायगा जिनकी संख्या जितनी है। ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्य इस बहस मे भाग ले सकें।

इसके पश्चात् अब मैं महारावल श्री लक्ष्मणसिंह से निवेदन करूंगा कि वे अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करें।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूंगा कि समय बढ़ाया जाय। हालांकि यह सब बिजनेस एडवाइजरी बोर्ड ने तय किया है, लेकिन फिर भी समय कम है और मसला बहुत ही इम्पोर्टेन्ट है और इस पर अधिक से अधिक माननीय सदस्य अपने विचार प्रस्तुत कर सकें इसलिए समय थोड़ा अधिक बढ़ाया जाय। समय की कमी के कारण जो माननीय सदस्य इस सदन में कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहे उन पर प्रतिबन्ध न लगाया जाय, इसलिए यह उत्तम होगा कि परसों का दिन जो मिनिस्टर्स के रिप्लाई के लिए रखा हुआ है वह पूरा ही दिन सदस्यों मे ही वितरित कर दिया जाय ताकि वे अधिक से अधिक इस सदन में कॉन्ट्री-ब्यूट कर सकें।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यों के लिए कितना ही समय निर्धारित किया जाय, फिर भी कुछ बन्दिश तो लगानी ही पड़ेगी। समय

(श्री अध्यक्ष)

बढ़ाने के सम्बन्ध में विभिन्न पार्टी से विचार-विमर्श करके ही मैं बता सकूंगा।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय....

श्री अध्यक्ष: अब इसमें बहस का कहां सवाल रहा है?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (आसपुर): क्या ऐसा प्रयत्न किया जायगा कि उत्तर एक ही माननीय सदस्य दें। तीन-चार जिनके प्रस्ताव हैं वे उत्तर न देते हुए एक ही उत्तर दें। इस सम्बन्ध में आपसे कल और बातचीत करके निर्णय कर लिया जावेगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर): जब टाइम तय हो गया था, उस समय यह समझते थे कि सबने ईमानदारी से इस्तीफे दे दिये हैं और यह अब नौबत ही नहीं आएगी। अब तो वापिस नाटक की तरह हो गया है।

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): अभी तो दूसरी किश्त का नखरा बाकी है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं, "कि यह सदन वर्तमान राजस्थान सरकार के मंत्रि-परिषद में अविश्वास प्रकट करता है।"

अध्यक्ष महोदय, जब से यहां विधान सभा का जन्म हुआ है तब से राजस्थान के अन्दर निरंतर कांग्रेस का शासन चला आ रहा है। इस समय में जो कुछ राजस्थान के अन्दर अच्छा तथा बुरा हुआ उसका उत्तरदायित्व केवल एक ही पार्टी अर्थात् कांग्रेस पर है। राजस्थान के अन्दर तीन चुनावों के उपरान्त कांग्रेस को जनता के द्वारा बहुमत कभी भी प्राप्त नहीं हुआ। सन् १९६२ के चुनाव में कांग्रेस को कुल वोटों के अनुपात के अनुसार ३८ प्रतिशत वोट मिले हैं। दूसरी पार्टीज में आपसी मतभेद कुछ ही हों, किन्तु यह तथ्य नितान्त सत्य है कि जनता के द्वारा वर्तमान सरकार को बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। हर एक सरकार का मुख्य कर्त्तव्य होता है कि जनता के लिए खाने की व्यवस्था हो, पहिनने की व्यवस्था हो, रहने की व्यवस्था हो, खाने के लिए अनाज हो, पहनने के लिए कपड़े की व्यवस्था सुचारुरूप से हो, रहने के लिए मकान की व्यवस्था हो; यह हर एक सरकार का एलिमेन्टरी (प्राथमिक) कर्तव्य है। यह मैं समझता हूं कि यह निर्विवादित बात है। यह नितान्त सत्य है कि इन तीनों ही आवश्यक समस्याओं को हल करने में राजस्थान सरकार असफल रही है।

मंहगाई दिनोंदिन बढ़ती जा रही है। आवश्यकता की वस्तुओं के भाव दिनों दिन गगनचुम्बी कर रहे हैं। टैक्स इस हद तक लग चुके हैं कि जनता की रीढ़ की हड्डी टूटने को है। टैक्स चरम सीमा तक पहुंच चुके हैं और अध्यक्ष महोदय, कर्जा भी इसी हद तक चरम सीमा तक पहुंच चुका है। हमारी अर्थ-व्यवस्था भंग होने को है। क्या किसान, क्या मजदूर, क्या व्यापारी, आज के शासन से असंतुष्ट हैं, ऊब चुके हैं और परेशान है। व्यापारी, खास करके मध्यम श्रेणी के व्यापारी पर तरह तरह के टैक्स लग चुके हैं; सैल्स टैक्स, इन्कम टैक्स, सर्चार्ज ओन इन्कम टैक्स आदि आदि और उसकी व्यवस्था दिखाने में व्यापार सम्बन्धी व्यवस्था एकट

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जो सरकारी कर्मचारी देखते हैं उसमें भी बहुत परेशानियां हैं, भ्रष्टाचार है और मध्यम श्रेणी के व्यौपारी भी बिल्कुल परेशान हैं। मजदूर, अध्यक्ष महोदय, सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। उसके बच्चों को शिक्षा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि अधिकांश रूप से वह अपनी रोजी-रोटी की समस्या को लेकर भी संतुष्ट नहीं है। किसान जो इस देश के अन्न दाता हैं, सच्चे रूप से जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी हैं, और जो समस्त भारतवर्ष के अन्दर जनता है उसके पचहत्तर प्रतिशत में सारे देश के अन्दर विस्तृत खण्डों के अन्दर बसे हुए हैं, उसके साथ मैं समझता हूं कि सरकार ने विश्वासघात किया है। लगान में हर तरह का, इन दस-बारह वर्षों के अन्दर वृद्धिया हुई है। सिंचाई के अन्दर वृद्धियां हुई हैं। सिंचाई का टैक्स लगाया गया है और एग्रीकल्चरल सरचार्ज और सेल्स टैक्स आदि आदि बहुत से टैक्स लगाये हैं। इन टैक्सों की सामूहिक जो स्थिति किसान के ऊपर लागू हुई है उसके अनुसार मैं यह समझता हूं कि राजस्थान सरकार ने जो टैक्स किसानों के ऊपर लगाये हैं, शायद भारतवर्ष में अन्य किसी सरकार ने इतने टैक्सों से किसान को लादा नहीं होगा सीलिंग का कानून यहां पर सन् १९५९ में आया। कोई खास कारण प्रतीत नहीं हुआ कि वह अब तक स्थगित पड़ा है।

यह तो सरकार के विचारने की नीति है। मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के अन्दर इतनी भूमि है कि जो सर्व प्रथम वितरित होने के पश्चात् भूमि की कमी हो, भूमि के ऊपर प्रेशर हो, उस संबन्ध में सीलिंग पर विचार किया जा सकता है। प्लानिंग कमीशन का निर्णय यह है कि राजस्थान के अन्दर सीलिंग का कानून नहीं आवे। मैंने कुछ दिन पहले इसी सदन में यह निवेदन किया था कि यूरोप में भी कोई देश है जहां पर सीलिंग का कानून लागू किया गया है। उदाहरण के तौर पर मैंने निवेदन किया था पोलैण्ड में सीलिंग का कानून २२५ एकड़ पर कायम किया गया है। हमारे राजस्थान के अन्दर सीलिंग लागू किया गया है वह तीस एकड़ पर कायम किया गया है। उसी समय एक माननीय सदस्य ने मुझसे यह प्रश्न पूछा कि पोलेन्ड बड़ा है या भारतवर्ष। यह तो स्पष्ट है कि पोलेन्ड एक छोटा सा देश है। लेकिन मैंने जब यह प्रश्न सदन के समक्ष रखा था उस समय भारतवर्ष के संबन्ध में नहीं था, किन्तु राजस्थान के संबन्ध मे था। राजस्थान का क्षेत्रफल पोलेन्ड से बड़ा है। जन-संख्या के हिसाब से राजस्थान छोटा है। इसी कारण मैंने कुछ और कम्पेरिजन ड्रॉ करना अपनी समझ के अनुसार उचित समझा।

कुछ ही दिन पहले मई महीने में लोकसभा में १७ वें अमेन्डमेन्ट के नाम से एक विधेयक आया था। जो मैं समझता हूं, मेरी पार्टी समझती है किसानों की स्वतंत्रता को सम्पूर्णतया समाप्त कर देता है। उसमें जो एस्टेट की परिभाषा दी गई है वह विभिन्न राज्यों में विभिन्न प्रकार की लेन्ड टेन्योर्स हैं उनको समानता देकर स्कीम के रोड़ रोलर से किसानो को मजदूर बनाकर उनकी नागरिक स्वतंत्रता के अपहरण करने के हेतु वह अमेन्डमेन्ड लाया गया है और रशिया और चीन के अन्दर जो भूमि-व्यवस्था है उसी की समानता पर इस देश के अन्दर लाने के

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

ध्येय से यह विधेयक लाया गया है। जबकि रशिया के अन्दर आज धीरे धीरे व्यक्ति की गरिमा, व्यक्ति की महिमा और मकान के पीछे फार्म यार्ड में लोगों को आजादी दी जा रही है कि वहां अपनी काश्त करें, अपनी सब्जी आदि लगावें और उनसे लाभ पैदा करें तो यह स्पष्ट है कि रूस ने यह अनुभव किया है कि एक डेफीनीशन के अन्दर यदि सब लेन्ड टेन्योर्स को समानता दी जाय तो रैयतबाड़ी जैसा पुराना और किसानों की खेती-व्यवस्था के संबन्ध में जो कानून चला आ रहा है जो कि टोडरमल और अकबर के जमाने से इस देश के अन्दर चला आ रहा है उसको भंग किया जायगा, तो मैं समझता हूं कि किसानों की आजादी नाममात्र की रह जायगी।

अध्यक्ष महोदय, किसानों के ऊपर जो टैक्स लगाये गये हैं, जनता के ऊपर जो टैक्स लगाये गये हैं उनके संबन्ध में एक लम्बी-रामायण बनायी जा सकती है। लेकिन मैं संक्षेप में ही कहूंगा। गत बजट के अन्दर सीरियल्स तक पर टैक्स नहीं छोड़ा गया। मक्का, बाजरा और जवार पर टैक्स लगाकर राजस्थान की जनता की रोटी को महंगा किया गया। मेरे ख्याल से यह सरकार की नीति घृणास्पद नीति है जिसकी मैं निन्दा करता हूं और सख्त शब्दों में कन्डेम करता हूं।

कुछ ही दिन पहले यहां पर एक विधेयक लाया गया था, जिसके संबन्ध में यहां तक कहा जाता है कि अगर कोई पार्क में हवा खाने को जाय तो उस हवा खाने पर भी सरकार ने मोनोपाली कर ली है, उसको अपने मोनोपोली के दायरे में मान लिया गया है, हवा खाने के ऊपर भी टैक्स लगाना उचित समझा है। मेरे ख्याल से सरकार की नीयत टैक्सके संबन्ध में साफ नहीं है। कहावत है कि 'नीयत नहीं तो बरक्कत कहां से'। जब सरकारकी नीयत यह है कि सभी प्रकार येन-केन-प्राकरेण गरीब, मध्यम श्रेणी के वर्ग को परेशान करके ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगाया जाय, ऐसे टैक्स जो कभी हमने नहीं सुने थे। कभी भारतवर्ष के दो हजार वर्ष के इतिहास में ऐसे टैक्स लगने की जनता ने स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी। वह आजाद हिन्दुस्तान के अन्दर, जनता के शासन के अन्दर अनुभव कर रहीहै। हमारा देश जब आजाद हुआ, माननीय सदस्य जो मेरे सामने बैठे हैं अधिकांश सदस्यों ने कभी स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा कि तेरह वर्ष बैठे पश्चात् हमको आज की अर्थ-व्यवस्था, आज की टैक्स-व्यवस्था, आज की रक्षा-व्यवस्था देखने को मिलेगी। आज की व्यवस्था आपसी फूट-कशमकस से, नियन्त्रण के अभाव से रसातल तक पहुंची हुई शासन-व्यवस्था की कल्पना जनता स्वप्न में भी नहीं कर सकती थी।

किसानों के संबन्ध में अध्यक्ष महोदय, रामायण तो बहुत लम्बी-चौड़ी है लेकिन संक्षेप में रामचरित मानस के रूप में ही वह रखूंगा। किसानों के संबन्ध में बेदखलियां होती हैं, अलॉटमैन्ट होते हैं। उसमें शुरू से लेकर ऊपर तक पक्षपात और भ्रष्टाचार है। एक भूमि का एक दफा अलॉटमेन्ट होता है उसका फिर दुबारा अलॉटमेन्ट हो जाता है। मेरे पास उदाहरण हैं, कॉन्क्रीट उदाहरण हैं, आवश्यकता पड़ने पर सब मैं दूंगा। अभी मेरे पास समय नहीं है जिससे मैं इस संबन्ध में लम्बा-चौड़ा विवेचन कर सकूं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

इस बेदखली और अलॉटमेन्ट से बहुत असन्तोष, बहुत अस्थिरता है और किसान बहुत परेशान है। नामान्तरकरण का भी यही हिसाब है। मैं समझता हूं, पटवारी गांव के स्तर पर राजा, मेरे ख्याल से भगवान, जिन्द या भूत कहूं इस तरह का व्यक्ति बन कर बैठा है। जो कुछ पटवारी सबसे पहले कागज लिख कर किसान के संबन्ध में, किसान की समस्या के संबन्ध में लिखकर ऊपर के अफसरों को भेजता है, अपने ऊपर की ऑथोरिटीज़ को भेजता है वह एक तरह से सनद मान कर उस कागज पर ८० प्रतिशत रूप से इब्तदाई कार्यवाही शुरू हो जाती है। चाहे उस मिसल के अन्दर ५०० पन्ने जुड़ जायं, इब्तदाई कार्यवाही करनी पड़ती है उसमें फेर-बदल मुश्किल हो जाता है। सरकार के पास जो प्रशासनिक साधन हैं, प्रशासनिक मशीनरी है, वह इस तरह की है जिसमें भ्रष्टाचार व्याप्त है। उसके पास ऐसी संस्था नहीं जिसके जरिये किसानों की सेवा हो सके, उनको खुशहाल बना सके, किसानों को सन्तुष्ट और उनके अन्दर स्थिरता ला सके।

(४. म. प)

उदयपुर डिवीजन में जहां पर भूमि कम है, जहां पर प्रेशर ऑफ लैंड अधिक है, बीड़ों की भूमि उठा दी गई है और गायों वगैरह के लिए चरने की व्यवस्था भी बहुत गंभीर सी हो रही है। अगर यही हिसाब रहा, अगर यही रफ्तार रही तो मेरे ख्याल से निकट भविष्य में, दो–तीन वर्ष के अन्दर चरागाह नहीं से रहेंगे और पशु-पालन की समस्या बहुत जटिल और विषम हो जायगी।

दूसरी, प्रशासनिक संबंधी जन-हित के लिए जो व्यवस्थाएं सरकार के लिए अनिवार्य हैं वे हैं चिकित्सा व्यवस्था, न्याय व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था। चिकित्सा व्यवस्था के अन्दर मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था जो परमावश्यक जन-हित के लिए है, वह इतनी महंगी हो चुकी है कि साधारण व्यक्ति से चिकित्सा व्यवस्था परे पहुंच चुकी है। किसी भी अस्पताल के अन्दर साधारण व्यक्ति या गरीब जाय तो डाक्टर वहां चिट्ठी लिखता है और आम तौर से यह कहता है कि पंसारी के पास जाओ, इंजेक्शन लाओ, दवाई लाओ। तो हमारी सरकार को चाहिए कि दवाई के संबंध में व्यवस्था करे, नहीं तो चिकित्सा व्यवस्था के अन्दर, मैं समझता हूं, सरकार अपने आपको सर्वथा असफल सिद्ध कर चुकी है। चिकित्सालयों के अन्दर भ्रष्टाचार है, पक्षपात है, मैं नाम किसी का नहीं लेना चाहता, परन्तु जो कुछ भी तबादले होते हैं, अनक्वालीफाइड लोगों को क्वालीफाइड के ऊपर रखा जाता है, एक एक डाक्टर को एक एक जिले के अन्दर १६–१६ वर्ष तक रखा जाता है, उनको उसी तहसील के अन्दर रखा जाता है जहां उनकी जन्म भूमि है बदले की भावना को लेकर, ताकि वह जनता का अहित करे, यह मेरे ख्याल से इन नेताओं के कारण हो रहा है। नेताओं की आज्ञा माननी पड़ती है और नेताओं की आज्ञा के द्वारा बहुत से अर्थ के अनर्थ हो रहे हैं, जिसका मुझे स्पष्ट और कुछ कटु अनुभव भी है।

श्री मोतीलाल चौधरी (डीडवाना) : Neta, including you ? यहां दो नेता हैं। एक कांग्रेस का और एक आप।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं तो अध्यक्ष महोदय, एक तथाकथित नेता हूं

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बेचारा। मेरे पास तो सत्ता नहीं है। नेता तो सत्तारूढ़ दल का हो सकता है। किन्तु इस अर्थ के अंदर लीडर ऑफ दी ऑपोजीशन के नाते अगर मुझे कहा जाय तो मैं भी नेता हूं।

अध्यक्ष महोदय, न्याय व्यवस्था की भी यही हालत है। दिनों-दिन न्याय व्यवस्था महंगी होती जा रही है। अर्थ मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं। इनको टैक्स लगाए बिना, मेरे ख्याल से, अन्न भी नहीं पचता होगा। कोर्ट फीस बढ़ायी और न्याय व्यवस्था को हर एक व्यक्ति से, दूर किया। ठीक है, जोधपुर में हाई कोर्ट हो, परन्तु जनता की बराबर मांग इस संबंध में आई है और सर्किट हाई कोर्ट के सम्बन्ध मे भी जनता की मांग को सरकार ने अपने बहरे कानो मे लेकर सुना ही नही और जो कुछ भी उनके सामने दृश्य है इस न्याय व्यवस्था का वह भी, मैं समझता हूं, संतोषप्रद नहीं है। उसके कारण भी जनता के मन के अंदर रोष है, अशांति है, निराशा है।

और सबसे अधिक महत्व रखने वाली जो शिक्षा व्यवस्था है, उस संबंध में जो टैक्स्टबुक्स हैं, पाठ्यपुस्तकें हैं वे उपलब्ध नहीं हैं। पाठ्यपुस्तकों में भ्रष्टाचार व्याप्त है। पाठ्यपुस्तकें दो—दो, तीन—तीन साल.......

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : भ्रष्टाचार पाठ्य पुस्तकों में तो कहीं नहीं है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : I have the right to hold this floor. आप बार बार मुझे इन्टरफिअर मत करिए। आपका अधिकार है, जवाब में जो कुछ कहना है कह दीजिए, लेकिन इस सम्बन्ध में, मेरे ख्याल से, जितना आपको धमकाया जाय, डांटा जाय, दबाया जाय, थोड़ा है। आप जनता के सेवक हैं, आप जनता के मालिक नहीं हैं, आपको सुनना पड़ेगा।

आपने शिक्षा व्यवस्था एक मखौल सी बना रखी है। आप नागरिकों के साथ एक खिलवाड़ सा कर रहे है। आपको शर्म नहीं आती है। आप हुकूमत की कुर्सी पर बैठे हुए हैं, लंबी-चौड़ी डींगें हांक कर और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि आप ही संत है और दूसरे चोर हैं।

अध्यक्ष महोदय, सरकार ने तनिक मात्र भी पाठ्य पुस्तकों की समस्या की ओर ध्यान नही दिया और शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि जनता बिल्कुल परेशान है, गरीब व्यक्ति अपने बच्चों को पढ़ा तक नहीं सकते। बहुत से योग्य फर्स्ट क्लास बच्चे जो बी. ए. हो सकते हैं, उनको मैट्रिक तक ही पढ़ाकर उनके मां बाप को उनकी पढ़ाई छुड़वानी पड़ती है। शिक्षा का स्तर दिनों-दिन गिरता जा रहा है। यह सरकार सिर्फ क्वान्टिटी के अन्दर, विंडो ड्रेसिंग के अन्दर, केवल मात्रा बनाने के लिए कि इतने स्कूल तो हर साल खुलने ही चाहिए, विश्वास करती है; लेकिन यह विचार नहीं किया जाता कि कितने स्कूल सुचारू ढंग से नहीं चल रहे हैं। जो स्कूल खोले जा रहे हैं उन स्कूलों में ऐसी व्यवस्था की जाय कि वे सुचारू रूप से चल सकें। ऐसी कोई व्यवस्था नही है। एक बिल्कुल मडल हैडेड थिंकिंग है। कोई प्लानिंग इस संबंध में नही है और जो शिक्षा, व्यवस्था

Page No 42

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हमारे देश के अंदर आज चालू है वह हमारे लिए सोचनीय स्थिति उत्पन्न कर रही है। बंगलोर में बम्बई की गवर्नर महोदया, श्रीमती विजयलक्ष्मी पंडित ने भाषण देते हुए कुछ ही दिन पहले ये शब्द कहे थे :

"All achievements of India in steel, irrigation, and engineering would be nothing if the human element was lost through the absence of proper education."

यह उदाहरण, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान सरकार पर पूर्णतया लागू होता है।

प्लान के संबंध में मैं समझता हूं कि हमारे देश की आपत्तियों का यह जवाब नहीं है। इसको प्राथमिकता दी गई है, इस प्लान को सर्वोपरि माना गया है। नागरिक की महिमा को गौण रखते हुए, प्लान को आगे किया है। नागरिक को द्वितीय मानकर, प्लान को प्रथम स्थान देकर सरकार चल रही है। मैंने कई बार यह निवेदन किया है कि यह प्लान आज की समाज-व्यवस्था के अंदर टोटल्ली मिसफिट है, यह ओवर एम्बीशियस है, अपनी शक्ति के परे है। यह प्लान इस हद तक हम पर बोझ डाल चुका है कि यह नाकाबिले बर्दाश्त है। इस प्लान को जब तक हम परिवर्तित नहीं करते तब तक मेरे ख्याल से यह प्रशासनिक समस्या सुधार पर नहीं आ सकती। हमारी तरफ, अध्यक्ष महोदय, यह कहावत मशहूर है कि "पूत रापग पालणें ही दीख जावे"। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना के पश्चात् कई लोगों को यह अनुभव हुआ कि यह प्लान हमारे लिए अहितकर है। इस प्लान के द्वारा देश आगे नहीं बढ़ेगा, धीरे-धीरे पिछड़ेगा। क्योंकि इस प्लान का अनिवार्य अंग है इन्फ्लेशन। इनफ्लेशन एक वह प्रक्रिया है कि जब मनी की बहुतायत होती है तो माल की अछूत होती है। और आज हम यह अनुभव कर रहे हैं देश में कि एक्सेस बोरोइंग फ्लोटिंग ऑफ लोएन्स राजस्थान सरकार जो कर रही है वह भारत सरकार भी कर रही है, अन्य सरकारें भी कर रही है। लेकिन जिस हद तक राजस्थान सरकार कर रही है उस हद तक शायद कोई अन्य सरकार नहीं कर रही है।

देश की एक्सटेन्सिव बोरोइंग, फ्लोटिंग ऑफ लोन्स और टैक्सेशन की नीति को वह अपना रही है। गत वर्ष ९ करोड़ की सिक्योरिटीज बेच डाली गई। विशेष कर्जा-ओवरड्राफ्ट ४२० करोड़ रुपये तक लिया और हमारी प्रशासनिक अर्थ-व्यवस्था ले-दे कर यही है कि हम ओवर ड्राफ्ट करें, हैवी ओवर ड्राफ्ट को चुकावें, टैक्स लें और इस लेन-देन मे हम उलझे पड़े हैं।

मैं यह समझता हूं कि यदि यह कहा जावे कि हमारी सरकार इस प्लान को इस हद तक अपनाने की नीति अख्तियार कर रही है कि "प्लान का बोल बाला और जनता का मुंह काला"।

जो तखमीने होते हैं वे भी खरे और सच्चे नहीं होते। यदि तखमीने दस परसेन्ट पन्द्रह परसेन्ट, बीस परसेन्ट तक भी वैराई करें तब भी समझ सकते हैं कि एक तखमीना है; पर अगर कोई एस्टीमेट या तखमीना

Page No 43

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

सवाया, ड्यौढ़ा, दुगुना या ढाई गुना हो तो वह एस्ट्रीमेट नहीं कहा जा सकता, तखमीना नहीं हो सकता, यह तो योजना की परिभाषा के अन्दर, पर्दे के अन्दर एक खेल मात्र हो सकता है।

पब्लिक सेक्टर के अन्दर करोड़ों रुपया खर्च किया और उसका परिणाम क्या हुआ? हमको उसकी रिटर्न, उसकी आय ०.३ परसेन्ट भी मेरे ख्याल से नहीं मिली। अगर कोई व्यापारी ०.३ परसेन्ट रिटर्न पर व्यापार करे तो उसका तो दीवाला आउट हो जाय। इस सरकार के ऊपर इतनी अन्धा-धुन्धी करते हुए एक तरह से "अन्धा-धुन्धी की साहिबी और घटाटोप का राज" की कहावत के अनुसार चलते हुए कोई भी अंकुश लगाने वाला नहीं, कोई भी पूछने वाला नहीं। कोई भी कमीशन या एन्क्वायरी आपके ऊपर आकर यह नहीं पूछती कि यह आप क्या कर रहे हैं।

मन्त्रि-मण्डल के सम्बन्ध में मितव्ययता, मन्त्रि-मण्डल की तादाद में कमी करने के सम्बन्ध में सदन में माननीय सदस्यों ने कई बार संकेत किया; लेकिन हमारी सरकार बहरी है, हमारी सरकार अन्धी है, हमारी सरकार इस सम्बन्ध में कुछ भी विचार शायद करने को तैयार नहीं है।

मितव्ययता अवश्यमेव होनी चाहिये। यह बहुत आवश्यक है और मितव्ययता के बिना हमारी अर्थ-व्यवस्था, सम्पूर्णतया, अवश्यमेव भंग होगी, यदि भंग नहीं हो चुकी है तो। मैं समझता हूं कि यदि सच्चे दिल के साथ, दृढ़ता के साथ मितव्ययता के सिद्धान्त को अपनाया जावे तो राजस्थान का जो बजट है उसमें दो करोड़ रुपयों की मितव्ययता अवश्यमेव हो सकती है।

दूसरी संस्थाओं के सम्बन्ध में फिजूलखर्ची जो हो रही है, आपाधापी जो हो रही है उसके सम्बन्ध में भी प्रकाश डाले बिना मैं नहीं रह सकता। भारत सेवक समाज, भारत कृषि समाज, भारत साधु समाज, संगीत नाटक अकादमी, समाज कल्याण विभाग; अगर सरकार यह समझती है कि सिद्धान्ततः यह उसकी नीति के साथ ओतप्रोत है, उन संस्थाओं को जीवित भी रखा जावे तो ८० प्रतिशत उसके अन्दर की फिजूलखर्ची को कम किया जा सकता है। लेकिन उससे ठीक तरह से काम लेने के बजाय उनके अन्दर जो आपाधापी है, जो फिजूलखर्ची है उसे रोका जाय तो कुछ काम दे सकती हैं; पर वे मेरे ख्याल से चन्द नेताओं के जरिये हैं, उनका उनमें बोलबाला हो रहा है। उन्हें जनता का कुछ भी ख्याल हो, इससे जनता को कुछ भी लाभ हो, ऐसा प्रतीत नहीं होता।

मैं इसलिये सरकार के ऊपर आरोप लगाता हूं कि यह सरकार एक करप्ट और भ्रष्ट सरकार है। कहा गया है:

"The Blinds can see more than those who shut their eyes, if corruption becomes co-existant when it is allowed by those who can stop it"

आप गर्व कर सकते हैं, करप्शन आप जान-बूझ कर नहीं करते। मैं यह अनुभव करता हूं कि आप एक भ्रष्ट सरकार हैं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

आपनी प्लान कहां है ? मेरे ख्याल मे देश के अन्दर कहीं भी प्लान नहीं है। आप किंकर्त्तव्यविमूढ़ होकर बैठे हैं। इधर उधर देखते हैं, सोचते है और एक नाम मात्र के लिये कहते हैं कि हम तो प्लान कर चलते हैं। मेरे ख्याल से यह प्लान हमारी हमें अधोगति की ओर ले जा रही है।..

आपका लक्ष्य क्या है ? आपका लक्ष्य चाहे जो कुछ भी आप कहे, आपका लक्ष्य मडल हैडेड थिंकिंग है। और आपका लक्ष्य कुछ नहीं है। आपका लक्ष्य केवल मात्र एक जिद्द है। और वह जिद्द यह है कि "Fanaticism consists in redoubling your effort when you have forgotten your aim."

यह जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है। यह कहावत बहुत तथ्य की और मार्मिक है।

कन्ट्रोल, लाइसेन्सेज का आपने क्या नहीं किया ? पक्षपात की पराकाष्ठा ला दी। और इस परमिट, कन्ट्रोल, लाइसेन्स के अन्दर आपने न जाने कितना धन-संचय किया, यह भी प्रभु ही जाने। लेकिन जनता की यह एक दुर्भावना सारे देश के अन्दर और इस राजस्थान के अन्दर व्याप्त है कि पता नहीं ये मन्त्री और ये शासनारूढ़ दल के सदस्य इस लाइसेन्स, परमिट और कोटा की ओट में कितने और क्या क्या शिकार खेलते हैं।

आपने शक्कर का कन्ट्रोल किया, आपने स्वर्ण का कन्ट्रोल किया; हालांकि यह केन्द्र के द्वारा हुआ, लेकिन जो भी सरकार जिस वस्तु का या जिसका कन्ट्रोल करती है वह एक दम लापता ही हो जाती है, गायब हो जाती है, अन्डरग्राउड चली जाती है। तो जिस हेतु आप यह कन्ट्रोल करते हैं और वह हेतु, आपका वह ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं होता, उसमे आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते तो यह क्या बताता है ? यह कोई शासन नहीं है। यह तो एक मात्र मडल हैडेड थिंकिंग है और मैं इसकी रीति-नीति की भी कटु आलोचना करता हुआ इस सरकार को कन्डेम करता हूं।

आपके नेता लोग बंगले बनाते हैं, मोटरें लाते हैं, आराम करते हैं, फार्म्स लेते है और १५ वर्ष पूर्व जिनकी हालत के बारे में कांग्रेस के अध्यक्ष ने ही कहा है और यह आम भावना है लोगों की कि १५ वर्ष पहले जिनके खाने का पता नहीं, पहिनने के कपड़ों का पता नहीं था वे आज सरमायेदार बन गये हैं। उनके पास आज बंगले हैं, मोटरें हैं, उनके पास फार्म्स है, जमीनें हैं। उसके सम्बन्ध में भी जांच होनी आवश्यक है। परन्तु इस सम्बन्ध में भी जांच होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस कांग्रेस राज्य के अन्दर कानून आम जनता के लिये है, एक कांग्रेसी के लिये नहीं। वह तो एक प्रिविलेज्ड क्लास का आदमी है। उसके लिये कानून नहीं है। आप जो चाहें कर सकते हैं And you can get away with anything you like.

तो जो कुछ भी आप भ्रष्टाचार के द्वारा प्राप्त करते हैं, जो धन एकत्रित करते हैं उस पर एक कौड़ी टैक्स का आप नहीं देते और दूसरे जो ईमानदार नागरिक हैं उनको टैक्स शायद इस हद तक देना पड़ता होगा कि दुनिया के किसी देश में इतने टैक्स नहीं लगे

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

होंगे जितने इस देश में लगे हुए हैं। इसलिए यदि इस सरकार को परमिट, कोटा और लाईसेन्स की गवर्नमेन्ट की संज्ञा दी जाये तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। आपने जनता के साथ धोखा किया है, आपने जनता के साथ विश्वासघात किया है, आपने जनता के साथ गद्दारी की है। यह मेरा बिल्कुल निश्चित निष्कर्ष है।

अध्यक्ष महोदय, यातायात के संबंध में, ट्रान्सपोर्ट के संबंध में जो राष्ट्रीयकरण किया गया है वह भी बिल्कुल कोई नीति और जनता के हित में नही किया गया है। आपने किराये बढ़ाये। जहां बस मालिक एक रूट पर पांच बसें चलाता था वहां उदाहरणार्थ औसतन आप दो बसें चलाते हैं। जहां बस मालिकों की बसें गुड रनिंग ऑर्डर में होती थीं, साफ होती थीं वहां जो आपकी बसें हैं वे इतनी साफ नहीं हैं और मैं समझता हूं कि इस हद तक अच्छी कन्डीशन में और अच्छी गुड रनिंग ऑर्डर में भी नहीं हैं। कई बार जनता को बहुत तकलीफ देखनी पड़ती है और अगर बस मालिको की मोटर कहीं रुक जाती तो तरह तरह के जवाब तलब होते। आज तो आप ही पार्टी हैं और आप ही जज हैं। आपको पूछने वाला कोई नहीं है; "समरथ को नहीं दोष गुंसाई", आप जो चाहे कर सकते हैं और जनता की सुविधाओं के संबंध में आपने इस बारे में कोई ध्यान नहीं रखा है और आपने जो जनता को असुविधायें दी हैं इस नेशनलाइजेशन के द्वारा, वह मेरी समझ के अनुसार, जो आपको आमदनी मिली है उस आमदनी के अनुपात से आपको कोई लाभ नहीं मिला है।

स्वर्णकारों को आपने बेरोजगार किया। उनको पुनर्स्थापित करने का राजस्थान सरकार का परम पुनीत कर्त्तव्य था। स्वर्णकार कुछ ही दिन पूर्व मंत्री महोदय के पास कोई अपनी समस्याओं को लेकर भेंट करने गये और मैंने सुना कि मंत्री महोदय ने उनको यह उत्तर दिया कि सरकार कुछ नहीं कर सकती, आप जाकर बकरियें चराना है तो आप बकरियें चरा लो। स्वर्णकारों ने कहा कि साहब बकरियें ही चरा लेंगे, 'मरता क्या नहीं करता,' तो हमको बीड़ के लिए जमीन दी जाए और साथ ही थोडी बहुत बकरिएं दी जायें तो उनको हम चरायें। इस पर भी सरकार के असमर्थता प्रकट करते हुए कहा कि हम बकरियें देने से विवश हैं और जमीन बीड़के लिए है नहीं, हम कहां से लाकर दें ? इस तरह की तो हालत आज उनके साथ है।

विकेन्द्रीकरण के विषय में अध्यक्ष महोदय, मैं यह अनुभव करता हूं कि योजना से उत्पादन बढ़ा नही है, इस योजना से तो भ्रष्टाचार बढ़ा है, पक्षपात बढ़ा है, विरोधियों का हर जगह दमन बढ़ा है। चाहे कोई भी पार्टी हो, स्वतंत्र पार्टी हो, चाहे कोई अन्य सदस्य हो, वह इस सदन के अन्दर जीतकर आया है तो उस निर्वाचन क्षेत्र को टाला जाकर हर तरह से वहां पर दबाव दिया जाता है, धमकाया जाता है, लोगों को डराया जाता है और सब ऐसे हथकण्डे काम में लाये जाते हैं जो जनतंत्र के लिए, मैं समझता हूं कि बड़े अस्वस्थ हैं घातक हैं और हानिकारक हैं। मालपुरा के अन्दर बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, और दूसरी जगह भी। पर यह उदाहरण मैं मौका आने पर दूंगा।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

क्या मालपुरा, क्या बेगू, क्या लसाड़िया और क्या अन्य क्षेत्र, इन सब क्षेत्रों के साथ सरकार का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि आपके कर्मचारीगण नेता-गिरी के आदेशों से बिल्कुल दब्बू बन चुके है। सर्विसेज़ जहां डीमोरेलाइज़ हो जाती है वहां जनतंत्र एक मिनट के लिए कायम नहीं रह सकता। तो यह 'हाथ कमायो कामणा, किणने दीजे दोष'; आपके ही हाथों द्वारा सर्विसेज़ डीमोरेलाइज़ हुई हैं। अगर यह हुआ तो जहां सरकार पलटेगी तो आप अन्य देशों का देख लें कि क्या हुआ और कितने लोगों को दुख देखने पड़े, सजायें देखनी पड़ी। टर्की मे अभी क्या हुआ? इस संबंध में विशेष नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं सरकार की इस दबाव की नीति के बारे मे कहूंगा कि यह कन्डेमेबल है और इसकी मैं कटु आलोचना करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं चन्द उदाहरण देना चाहूंगा। डूंगरपुर तहसील के अन्दर एक थाणा नामक गांव है। उस थाणा नामक गांव में मैं आपको बताऊं कि वहा की भूमि इतनी उपजाऊ है, इतनी उर्वरा है कि वहां पर गन्ना भी बिना पानी के पैदा होता है। रतालू, पिण्डालू, हल्दी, जीरा, अदरक, चावल, गेहूं सब चीजें वहां पैदा हुआ करती थी। वहां के आम हमारे दक्षिणी राजस्थान के अन्दर सुप्रसिद्ध हैं। छोटे नारियल के जितने (समान) बड़े वहां पर आम हुआ करते हैं। वहां पर एक बांध बंधाया गया है। वह बांध बंधने से ५०० बीघा जमीन बिल्कुल बरबाद और दलदल हो गयी। जहां तीन फसलें हुआ करती थीं वहां केवल मात्र एक फसल होती है और योजना यह थी कि उस बांध से नहर निकाली जाये और उसको दक्षिण से उत्तर ले जाया जाये। तो जहां कि उत्तर में नहर बना कर उसका मुंह छोड़ा गया उसका लेबल तो ऊंचा और दक्षिण में जो बांध था उसका लेबल नीचा। यह तो आपकी योजना है! वह नहर की भी असफल योजना है। बांध आपने बांधकर वहां के काश्तकारों की रोजी-रोटी भी समाप्त कर दी और खाद्य उत्पादन को प्रोत्साहन देने के बजाय खाद्य समस्या उन गांव वालों की भी विषम कर दी। सुखा दिये और इसके अलावा यह कहां तक सत्य है, इसके लिए तो मैं नहीं कह सकता लेकिन इसमें तथ्य अवश्य है कि जो वहां के पटेल हैं वे स्वतंत्र पार्टी के अनुयायी होने के कारण वहां पर बांध बांध कर यह दण्ड दिया गया है।

इसी तरह से एक तालाब जोगीवाड़े के नाम से आसपुर तहसील में है। उस तालाब के संबंध में मैंने सुना कि ५ हजार रूपया खर्च किया गया। वहां के नागरिकों को एक पाई भी मजदूरी की नहीं मिली। मैंने इस संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को एक पत्र लिखा। इस संबंध में उनका उत्तर मुझे इस आशय का प्राप्त हुआ कि इस बांध पर २० हजार रुपये का श्रमदान और अनुदान हुआ है और यह नया तालाब बांधा गया है। मैं स्वयं उस तालाब पर गया। मैंने वहां पर देखा कि सौ-सौ वर्षों के उस तालाब के ऊपर पेड़ मौजूद हैं, उस तालाब के ऊपर डेरे तक मौजूद हैं। वहां के नागरिकों ने कहा कि दो दो फुट तालाब से पाल को अर्थ-वर्क के द्वारा ऊंचा किया गया है। इस संबंध में मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी को यह सुझाव दिया कि यदि मस्टर रोल फर्जी और झूठे बनाये गये हैं तो आपको चाहिए कि निष्पक्ष रूप से फिंगर इम्प्रेशन ब्यूरो के द्वारा जांच कराई

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जाये कि वे लोग जिनके इन मस्टर रोल्स पर अंगूठे दिये गये हैं और जिनके नाम लिखे गये हैं ऐसे व्यक्ति भी वहां पर आसपास में हैं या नहीं। इस संबंध में भी कितने वर्ष हो गये, लेकिन सरकार इसको भी दबाना चाहती है। यदि नहीं दबाना चाहती है तो सीधी-सादी बात है कि मस्टर रोल की निष्पक्ष रूप से फिंगर इम्प्रेशन ब्यूरो के द्वारा जांच होकर एक्सपर्ट का जो भी निर्णय हो वह सर्वमान्य होना चाहिए क्योंकि यहां भी कुछ गबन है, इसी कारण सरकार अपनी नीति को स्पष्ट नहीं करती।

सावला के अन्दर जो कि आसपुर तहसील मे है, वहां भी मैंने देखा कि हरिजनों का आम निस्तार का रास्ता था, जिसके ऊपर गाड़ियां चलती थीं। आज सदियों से उनका हक था; उस रास्ते को भी शिक्षा विभाग ने तारों द्वारा रोककर उस रास्ते का एक अंग है वह भी शिक्षा विभाग के अहाते में ले लिया। यह मेरे ख्याल से शिक्षा विभाग को नही चाहिए था और शिक्षा विभाग इस तरह से अपनी मनमानी करता है तो मेरे ख्याल में यह गवर्नमेंट ऑफ लॉ नहीं है, गवर्नमेंट ऑफ फासिस्ट्स है, एक भ्रष्ट अधिनायकवाद है। इस सम्बन्ध में सरकार को चाहिए कि निष्पक्ष रूप से जो कुछ भी निर्णय ले वह ले।

कुछ ही दिनों पूर्व वहां पर मैंने देखा है कि एक तो कन्या पाठशाला के अन्दर ९० छात्राएं बैठी हुई हैं एक कमरे में और एक अध्यापिका वहां पर मौजूद है। अगर यह शिक्षा विभाग है तो यह मखौल है, it is disgraceful.

उसके पास ही मैंने यह देखा कि ५ गांव जो ५–६ स्क्वायर माइल्स के अन्दर हैं उन सबमें पाठशालाएं मौजूद हैं और हर पाठशाला में ३–३ या ४–४ छात्र बैठे हुए हैं। यह आपका प्लानिंग है। एक पाहिता करके गांव है डूंगरपुर तहसील में, वहां पर १७ घरों की बस्ती है और तीन पाठशालाएं वहां पर हैं।

अमूमन यह देखने में आया है कि तालाब आप बनाते हैं, सड़कें आप बनाते हैं और लोगों को मुआवजा बिल्कुल नहीं देते; मुआवजा नहीं देते उसके साथ साथ जो गरीब किसानों की जमीन डूब में जाती है उनका लगान भी उनसे लेते हैं। मेरे ख्याल से यह तो एक माल एडमिनिस्ट्रेशन है, एक प्रशासनिक दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा है। आपकी सजगता कहां चली गई? आप बिल्कुल सत्ता के मद के अन्दर गाढ़ निद्रा के अन्दर सोते हुए हैं; यह मैं अनुभव करता हूं।

माननीय सदस्य जो लसाड़िया से आये है उन्होंने बारबार यह शिकायत की है कि तहसीलदार द्वारा कई वृक्ष काटे गये हैं, अवैधानिक ढंग से काटे गये हैं और उन्हें देबारी जिंक स्मेल्टिंग प्लान्ट को दिया गया है। वल्लभनगर एस० डी० ओ० और सलूम्बर एस० डी० ओ० ने बिना राय फोरेस्ट डिपार्टमेंट के १०हजार बीघा जमीन पर जंगल, जो चट्टानों पर खड़ा हुआ था उसको कटवा दिया और यह कहा गया कि यह जमीन 'ग्रो मोर फूड' के संबंध में जंगल कटवाकर काश्तकारों को काश्त के लिए दी जायगी। यह

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

जमीन काश्त के अनुपयुक्त है। पत्थरों और चट्टानों पर क्या काश्त होगी, यह मेरी समझ के बिल्कुल बाहिर है।

कीनर गांव सलूम्बर तहसील में स्थित है। फर्जी पट्टे जागीरदार से बनवाकर संवत् २००८के अन्दर डाल कर तहसीलदार ने संवत् २०२० में इन्तकाल खोला है और वहां पर वृक्ष काटना शुरू हुआ और ५०० बीघा के अन्दर कोयला बनाने के लिए जंगल काटा गया है और इस सम्बन्ध मे शिकायत करने पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। गांव बखता-पुरा, तहसील बेंगू के अन्दर १२०० बीघा को चार टुकड़ों के अन्दर लकड़ी काटने के लिए लाइसेन्स दिये बिना परामर्श वन विभाग के, दिये गये। यह भी रकबा पथरीला है और खेती के योग्य नही है। वहां पर भी खेती के नाम से इस जंगल को कटवाया गया है और जागीरदार के द्वारा फर्जी पट्टे बनाकर अब काटना शुरू किया है और ५० हजार की लकड़ी वहां से या तो कट चुकी है, कट रही है या कटेगी।

श्री मोतीलाल चौधरी : फर्जी जागी-रदार का नाम क्या है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पानरवा के सम्बन्ध में यहां पर कई दफा चर्चा हुई है। अभी मैं स्वयं गया वहां पर। वहां लाखों वृक्ष कट रहे हैं और एक बहुत लम्बे-चौड़े रकबे में बहुत कीमती लकड़ी कट चुकी है। लेकिन यह तो सरकार को चाहिए कि इस सम्बन्ध में एक मिनट के लिए विचार करे कि वहां पर स्टेन्डर्ड वृक्ष कहां गये ? अगर लाखों पेड़ कट चुके हैं तो स्टेन्डर्ड पेड़ होने चाहिए, अगर कोई नियम से कटे हैं तो। २००-२०० वर्ष पुराने महुवे, आंवला, पीपल, बड़ व आम उनके ठूंठ मौजूद हैं। स्टेण्डर्ड वृक्ष कहां गये ? इस सम्बन्ध में सरकार कुछ नहीं कर रही है। लाखों रुपयों की लकड़ी वहां से गई सब गुजरात में और मेरे ख्याल से एक पैसा भी राजस्थान की जनता को उसके द्वारा लाभ हुआ हो, ऐसा मैं नहीं समझता और इसमें जो आपा-धापी हुई है उसकी जितनी निन्दा की जाय अनियमितता के सम्बन्ध में उतना ही मैं कम समझता हूं।

सोश्यल वेलफेयर डिपार्टमेंट से सवा लाख अभी कर्जा लिया वन श्रमिक सहकारी संघ के नाम से और आरी आदि मशीन खरीदने का था वह मशीनरी सड़ रही है। सैकड़ों लोग देख चुके हैं और उस मशीनरी का कुछ उप-योग सरकार नहीं कर रही है। इसमें भी घोटाला है और मैं समझता हूं कुछ हद तक श्री वर्माजी का भी इसके अन्दर हाथ है।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष, on a point of order, क्या कोई माननीय सदस्य, जो इस हाउस का मेम्बर नहीं है और जो पालियामेंट का मेम्बर है उनका नाम यहां लिया जा सकता है ?

श्री मुकटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : भ्रष्टाचार करेंगे और कोई तथ्य की चीज़ होगी तो कैसे नहीं कही जा सकती है ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : गांधीजी मेम्बर नहीं है, लेकिन कांग्रेस वाले रोज उनकी दुहाई देते हैं।

श्री मोतीलाल चौधरी : माननीय अध्यक्ष, ऑपोजिशन पार्टी के नेता ने उन पर चार्ज लगाया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : श्री रामप्रताप शर्मा, कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स, ईस्टर्न सर्किल, खाली फोरेस्ट रेन्जर्स कोर्स, बालाघाट के पास याफ्ता है। भारत सरकार का यह निर्णय हो चुका है कि जो फोरेस्ट रेन्जर कोर्स बालाघाट के पास-याफ्ता हैं उनकी योग्यता इतनी नहीं है कि वे कन्ज़र्वेटर ऑफ फारेस्ट्स बन सकें। जब भी डी० पी० सी० ने सिफारिश करके इन्हें कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स के पद पर कन्फर्मेशन किया है, यह मेरे ख्याल में एक पक्षपात से भरा हुआ रहस्य है; खास तौर से जब कि वे रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन नहीं रखते, वे आवश्यक योग्यता ही नहीं रखते कि वे कन्जर्वेटर के पद पर पहुंच सकें।

श्री बोहरा कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स, उदयपुर में ६ साल से बैठे हुए हैं और आम तौर से यह कहा जा रहा है कि माननीय श्री वर्माजी जो कि लोकनायक की उपाधि से विभूषित हैं उनका भी इनके अन्दर कुछ न कुछ हाथ है, और श्री वर्मा जी के एजेन्ट के रूप में वहां पर काम कर रहे हैं।

(विराम)

जो कुछ भी होता है वह अनियमित तरीके से होता है। आंख मींचकर वहां पर बैठे रहते हैं, एक शब्द भी नहीं कहते, एक उंगली भी ऊंची नहीं करते हैं। गरीब भीलों के ग्राम निस्तार के जो हक हैं उनको नष्ट करके भ्रष्ट ठेकेदारी प्रथा इस हद तक वहां पर कायम कर दी गई है जिसके द्वारा इन लोगों का शोषण हो और अनिमितताएं बढ़ें और इसके अन्दर बोहरा साहब का बिल्कुल सक्रिय सहयोग है। यह बिल्कुल निर्विवाद बात है। इस सम्बन्ध में भी सरकार कुछ नहीं कहती है। यह भी सुना जा रहा है कि यह कर्मचारी कन्फर्मेशन के पश्चात् चीफ कन्ज़र्वेटर ऑफ फोरेस्ट्स बनेंगे और इस सम्बन्ध में माननीय मुख्य मन्त्री भी कुछ दिलचस्पी लेते हैं, ऐसा प्रतीत होता है।

अध्यक्ष महोदय, म्युनिसिपैलिटीज़ के चुनाव नहीं हो रहे हैं; क्या अजमेर, क्या जयपुर, क्या जोधपुर, क्या बीकानेर, क्या गंगानगर, कितनी ही जगह चुनाव नहीं होते हैं। डूंगरपुर में भी यही की यही समस्या है। यह जनता का शासन है ? हमारे संविधान के अन्तर्गत जनता को अधिकार प्राप्त हैं। इस सरकार को कोई अधिकार नहीं है कि ५–५ साल तक, २–२ साल तक म्युनिसिपल चुनावों को स्थगित रखे। डूंगरपुर के अन्दर प्रशासक जो आपा–धापी कर रहे हैं, हजारों रुपया रिश्वत ले रहे हैं, वह सारे नगर की जनता से छिपी हुई बात नहीं है।

म्युनिसिपल चुनाव, मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में सरकार क्या करना चाहती है ? मैं सरकार का इस सम्बन्ध में केटोगोरिकल रिप्लाई मांगता हूं।

इसी तरह मुझे आशंका है कि पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में भी सरकार की कहीं ऐसी नीति हो कि जिसके द्वारा पंचायत चुनाव स्थगित किए जायं। म्युनिसिपल चुनाव और पंचायत चुनाव जन-साधारण के फंडामेन्टल राइट्स, अधिकारों का प्रश्न है। इस सम्बन्ध में मैं सरकार से केटेगोरिकल रिप्लाई मांगता हूं। कांग्रेस मेरे ख्याल से हारने से बहुत डरती है। You are bad losers. You are not sporting in losing. यदि आप इन चुनावों को जितना भी ज्यादा स्थगित करेंगे, निश्चित रूप से आप बिल्कुल यह मन में धारणा कर लें कि जितने दिन तक आप चुनाव

Page No 50

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्थगित करेंगे उतना ही वह आपको मंहगा पड़ेगा और आपकी हार निश्चित है ।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर) : पंचायत चुनाव का टाइम नहीं आया है अभी ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, इन सब बातों को देखते हुए जनता ऊब चुकी है, सरकार अपराधों की ठेकेदार है । 'वे दिन हवा हुए कि जब पसीना गुलाब था'; अब तो इत्र भी मिले तो भी उसमें मोहब्बत की बू नहीं........

श्री मोतीलाल चोधरी (डीडवाना) : इसको तो १५ वर्ष हो गये ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं राजस्थान की पौने दो करोड़ जनता के हित में सरकार को चुनौती देता हूं कि हुकूमत की कुर्सी छोड़ दो ।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं :-

"यह सदन राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्री परिषद् में अपना अविश्वास प्रगट करता है ।"

अध्यक्ष महोदय, वैसे तो विरोधी दलों के सभी माननीय सदस्यों को या सरकारी पक्ष के सभी माननीय सदस्यों को समय समय पर इस बात का अवसर मिलता है कि वे सरकार की नीतियों, उसके कार्यक्रमों और उसके इम्पलीमेन्टेशन की आलोचना कर सकें, लेकिन जब सरकार के प्रति अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाता है तो उसका अपने आप में कुछ महत्व होता है । मैं ऐसा समझता हूं कि राजस्थान में अब इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो गई है कि जिसके कारण जनता का सरकार में विश्वास नहीं रहा और ऐसी सरकार यदि अधिक समय तक सरकार के रूप में चलती है तो न केवल वह अपने दल का ही नुक्सान करेगी बल्कि राजस्थान और सम्पूर्ण हिन्दुस्तान का नुक्सान करके छोड़ेगी । मैं समझता हूं कि पिछले बजट सेशन से लेकर अब तक यदि राजस्थान की जनता की हालत को ईमानदारी से किसी ने देखा है तो वह महसूस करता होगा कि आज सरकार की मशीनरी किस प्रकार खराब हुई है, प्रशासनिक भार किस प्रकार बढ़ा है, मंहगाई, भुखमरी और बेकारी ने गरीब जनता को किस प्रकार से झकझोरा है, भ्रष्टाचार किस प्रकार से बढ़ा है और उसके साथ साथ जनता में, राजनैतिक कार्यकर्ताओं में, जनता के हर वर्ग में आज इस प्रकार का डिमोरेलाइजेशन आया है जिस डिमोरेलाइजेशन के कारण हमको प्रेरणा नहीं होती, बल्कि इस डिमोरेलाइजेशन के कारण आज की शासन-व्यवस्था के प्रति एक दुर्भावना पैदा होती है । मैं ऐसा समझता हूं कि हमारी सरकार के प्रति माननीय सदस्य इस बात को स्वीकार करेंगे कि आज वे सरकार के प्रशासन के संबंध में संतुष्ट नहीं हैं । मैं नीतियों का जिक्र इसलिये नहीं करना चाहता कि विशेष रूप से हमारी राजस्थान सरकार की अपनी आपकी कोई नीति नहीं है । भारत सरकार की जो नीतियां हैं उनका परिपालन करना पड़ता है और अगर राजस्थान सरकार छोटे-मोटे मसलों पर यदि अपनी नीति निर्धारित भी करती है तो उस कारण भी चाहे कोई मंत्रि-मंडल का सदस्य हो, चाहे विधान सभा के सत्तारूढ़ दल के सदस्य हों, उनको भी पूरी

(श्री भैरोंसिंह)

आस्था हो, ऐसी बात मुझे नीतियों के कारण लगती नहीं है।

मैं सबसे पहले राजस्थान की जनता की आज आर्थिक स्थिति क्या है उसका चित्र सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं। सबसे पहले यह विचार करना पड़ेगा कि राजस्थान की जनता की पर-केपिटा इन्कम कितनी है और उस पर टैक्सेशन का कितना भार है और जनता इस भार को बरदाश्त कर सकती है या नहीं। अध्यक्ष महोदय, मैं आप से निवेदन करूं कि ५५-५६ में हमारा राज्य सरकार पर-केपिटा इन्कम के बेसिस पर कोई चौथे नंबर के ऊपर था सारे स्टेट्स में। आज बदकिस्मती यह है कि वह आठवें नंबर पर पहुंच गया और उधर पर-केपिटा टैक्सेशन में जहां हमारी सरकार आठवें नंबर पर आती थी वहां हमारी सरकार चौथे नंबर पर पहुंच गई है।

यह इस बात का सुबूत है कि राजस्थान की जनता की आर्थिक स्थिति दिन दिन गिरती जा रही है। हमारी सरकार यह कहेगी कि ६२-६३ के बीच २४३ पर–केपिटा इन्कम से बढ़ कर २४६ हुई है। ३ रुपये बढ़े हैं। मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस ३ रुपये की आमदनी पर जो एवरेज इन्कम देश की है उससे कम है, भारत सरकार की नेशनल पर-केपिटा इन्कम से कम है, उस पर राजस्थान की २ करोड़ जनता पर कर-भार कितना आया? २६५ करोड़ के टैक्स भारत सरकार ने लगाये। २६५ करोड़ के टैक्स को राजस्थान की जनता पर विभाजित किया जाय तो अंदाज लगा सकते हैं कि कितना होगा। २१ करोड़ रुपये राजस्थान सरकार टैक्स लेगी २ करोड़ राजस्थान के निवासियों से। २ करोड़ का राजस्थान की जनता ने सुरक्षा कोष में योग दिया और उतनी ही कीमत का सोना चंदे में दिया। हमारी नगरपालिकाओं ने ऑक्ट्रोय ड्यूटी और गृह कर कम्पलसरी रूप से लागू किया, पंचायतों ने लगभग ३२ लाख के टैक्सेज लगा दिये। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने आमदनी पर-केपिटा २४३ से २४६ की और आपने जनता पर कर लगा दिया एक व्यक्ति पर ६)रु०। आपको क्या हक है, राज्य सरकार को, कि वह आमदनी बढ़ाये ३)रु० और जनता की जेब काट कर ६)रु० झांपले। हमने यह विचार नहीं किया कि किस प्रकार कर-दाताओं पर इतना भार डाल रहे हैं। ८३ परसेन्ट रूरल पोपुलेशन के ऊपर लैंड सरचार्ज लगाये हमने, लगान मे वृद्धि की, सिंचाई कर में वृद्धि की, कंसोलिडेशन चार्ज ज्यादा लिया। साथ ही साथ उस गरीब किसान पर भारत सरकार की कम्पल्सरी सेविंग्ज स्कीम चालू कर दी। मैं राज्य सरकार से पूछना चाहता हूं कि आपने इसको स्वीकार किया, क्या आप ईमानदारी से महसूस करते हैं कि राजस्थान के गरीब किसान इस बढ़ते हुए कर-भार को वहन कर लेंगे? आपने सरचार्ज लगाया। आज यदि कोई ५०) रुपया देता है तो उसको ६२।।) रुपये देने पड़ेंगे। आठ आने के हिसाब से भी आप कम्पलसरी लेते है तो उसको ३१।) रुपये और ६२।।) रुपये; कुल ९३) रुपये देने पड़ेंगे और २५०) रुपये से ज्यादा वाले को दुगुना देना पड़ेगा; लेकिन जो २५०) रुपये से कम देता है, २५०)रु० देने वाले ज्यादा नहीं हैं; लेकिन ५०) रुपये

Page No 52

(श्री भैरोसिंह)

देने वाले अनपढ़ किसान को आज ९३) रुपये देने पड़ेंगे। मैं विधान सभा और खास कर सत्तारूढ़ दल से पूछना चाहता हूं कि आप में से कोई यह दावा कर सकता है क्या कि राजस्थान के किसान की आर्थिक स्थिति सुधर गई, वह दुगुना देने को तैयार है? मैं ऐसा समझता हूं कि जब विधान सभा के बाहर हम साथ चलते हैं तो सब उसकी आलोचना करते हैं। यहां बैठ कर, मैं नहीं समझ पाता हूं, क्यों सरकारी पक्ष को सरकार के समर्थन में, आपके टैक्सों के समर्थन में कहना पड़ता है। मैं आपके दिमाग को चुनौती देना चाहता हूं, आपके राजस्थान के कोई मंत्री, आपके विधान सभा दल के सचेतक या राजस्थान विधान सभा के कोई सदस्य किसानों के सामने खुले में जाकर यह घोषणा कर दें कि कम्पलसरी डिपोजिट के अन्दर वे पैसा लेंगे और डंडे के बल पर लेंगे और फिर अपने आप यह अन्दाज लगा लें कि मुख्य मंत्री जनता को कब डंडे लगाते हैं और पब्लिक कब उनको डंडे लगाती है। इन दोनों बातों का फैसला इससे हो जायगा। आज उसके बारे में मैं ऐसा समझता हूं कि सरकार इस बात को महसूस करके नहीं चलती है।

अब प्रश्न आता है कि राजस्थान सरकार पंचवर्षीय योजनाओं को चालू करके चल रही है-पहली पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, दूसरी पंचवर्षीय योजना समाप्त हो गई, तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही है-और उसके बाद भी लोगों की आर्थिक स्थिति गिरती जा रही है। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक और सबसे मोटा कारण यह है कि जो योजनाबद्ध विकास चल रहा है, उस योजनाबद्ध विकास में जो इस प्रकार की खामियां हैं, इन खामियों को जब तक दूर नहीं करेंगे तब तक लोगों की बेकारी नहीं मिटेगी और न मंहगाई मिटेगी, न भुखमरी मिटेगी। हम जब तक कॉन्स्टीट्यूशन के अन्दर इस प्रकार की व्यवस्था लाकर नहीं चलते कि बेकारों को मुआवजा दिया जायगा, जिसके पास काम नहीं है करने को, वह सरकार के ऊपर लाएबिलिटी होगी, जब तक काम को सामने रख कर हम योजना में सुधार करना नहीं चाहेंगे उस समय तक योजना के द्वारा बेकारी समाप्त नहीं होगी, भुखमरी समाप्त नहीं होगी, मंहगाई समाप्त नहीं होगी।

अध्यक्ष महोदय, मंहगाई के बारे में आज से दो दिन पहले एक मंत्री महोदय, ने कहा कि मंहगाई इतनी बढ़ी नहीं है। मुझे अफसोस है। शायद इस सम्बन्ध में जो व्यक्तियों के लेख आते हैं, जो सरकारी आंकड़े आते हैं-वे इनको देखते नहीं। सरकारी स्तर पर इस बात को स्वीकार किया गया है कि बजट सेशन के पहिले जो व्यक्ति सौ रुपये खर्च करता था उस व्यक्ति को आज एक सौ तीस रुपये खर्च करने पड़ते हैं। वह एक सौ तीस इसलिए खर्च नहीं करता है कि उसकी एय्याशी की आदत बढ़ गई है, उसकी फिजूलखर्ची की आदत बढ़ गई है, लेकिन आज चीजों के भाव इतने बढ़ गये हैं कि जिसके कारण आज एक व्यक्ति को सौ रुपये के बजाय एक सौ तीस रुपये खर्च करने पड़ते हैं। फिर भी सरकार सोच रही है और कहती है कि मंहगाई इतनी बढ़ी नहीं है। इतनी नहीं बढ़ी है, तो क्या आप चाहते हैं

(श्री भैरोसिंह)

कि सौ रुपये के बराबर सौ रुपये और बढ़ जायं। क्या आपकी यह इच्छा है? वैसे जिस प्रकार के आपके कार्यक्रम हैं उनके अनुसार सारी चीजों के भाव इस प्रकार बढ़ते जायेंगे। मैं, अध्यक्ष महोदय, सरकार को कहना चाहूंगा, हमारी सरकार ने पर-केपिटा इन्कम बढ़ाने के लिए, राजस्थान स्टेट की इन्कम बढ़ाने के लिए क्या क्या व्यवस्था कर रखी है और उस व्यवस्था के आधार पर हमें कितना रिटर्न मिलता है। मैं सरकार और सदन की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि हमने अब तक स्टेचुटरी कॉर्पोरेशन के अन्दर, गवर्नमेंट कम्पनीज के अन्दर, जोइन्ट स्टॉक कम्पनीज् के अन्दर, कोऑपरेटिव बैंक्स और सोसाइटीज् के अन्दर चार करोड़ साठ लाख रुपये इन्वेस्ट कर रखे हैं और हमें इसका डिवीडेन्ड कितना मिलता है-वह है छः लाख चौवन हजार। चार करोड़ साठ लाख का इन्वेस्टमेंट है, उस पर छः लाख चौवन हजार का डिवीडेंड है। मैं ऐसा समझता हूं कि कोई भी दिवालिया से दिवालिया व्यक्ति होगा, जनता का गिरा से गिरा व्यापार करने वाला व्यक्ति होगा, जो सरकार ने जनता के चार करोड़ रुपये बरबाद कर रखे हैं, उसको वह बरबाद करना कभी मंजूर नहीं करेगा। चार करोड़ साठ लाख के इन्वेस्टमेंट पर छः लाख का डिवीडेंड, मुनाफा कितना होता है? एक परसेन्ट। मैं आज राजस्थान सरकार को और राजस्थान के मुख्य मंत्री को पूछना चाहूंगा कि इन पिछले दस वर्ष के अन्दर जब से वे राजस्थान के मुख्य मंत्री बने हैं-जब से चार करोड़ साठ लाख का इन्वेस्टमेंट लगातार चलता आ रहा है, उस समय से आज तक चार करोड़ साठ लाख रुपया किसी को ब्याज पर दिया होता, यह रुपया किसी बिजनेसमैन के पास होता तो कम से कम दस परसेन्ट वह मुनाफा कमाता, लेकिन हमारी राजस्थान सरकार, जिसके हाथ में व्यवस्था है, जिसके हाथ में प्रशासन है, जिसके हाथ में कन्ट्रोल है और जिसके हाथ में लाइसेन्स है वह सरकार केवल एक परसेन्ट मुनाफा ले और व्यापारी दस परसेन्ट मुनाफा लें! मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री को पूछना चाहूंगा कि इन पिछले दस सालों के अन्दर, दस परसेन्ट ब्याज तो गया भाड़ में, मैं चार परसेन्ट ब्याज की अपेक्षा करता हूं, अगर चार परसेन्ट का डिवीडेंड इस चार करोड़ साठ लाख पर लिया होता तो कितना डिवीडेंड होता? वह डिवीडेंड दो करोड़ रुपये होता। वह दो करोड़ रुपया गया कहां? उन दो करोड़ रुपयों के लिए कौन जिम्मेदार है? राजस्थान के मुख्य मंत्री पर इस अयोग्यता के लिए जिम्मेदारी डालता हूं। उनकी अयोग्यता के कारण ही राजस्थान सरकार चार करोड़ साठ लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके केवल ६ लाख चौवन हजार का डिवीडेंड लेती है और दो करोड़ रुपये का घाटा बर्दाश्त किया है। यह घाटा क्यों होता है, यह भी चीज विचारणीय है। उसके सम्बन्ध में दो फर्म्स, जिसके अन्दर आपकी सरकार ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है, उनका मैं उल्लेख करूंगा-एक है जयपुर उद्योग और दूसरी है जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल। सबसे पहले मैं जयपुर उद्योग का प्रश्न रखना चाहूंगा। जयपुर उद्योग में हमारे शेअर्स है, बीस लाख रुपये के शेअर्स हैं। जयपुर उद्योग को १९६० के अन्दर हमारी सरकार ने सात लाख का लोन दिया है। उसके बाद बारह

(श्री भैरोंसिंह)

लाख का लोन फिर दिया है। बीस लाख का लोन हमने दिया है। लेकिन ग्राज सवाई माधोपुर सीमेन्ट फेक्ट्री खड़ी है, वहां के मजदूरों से पूछिये-तुम्हें बोनस मिलता है या नहीं ? तो कहेंगे-एक बार मिला था वह भी पूरा नही। मजदूरों को पूरा बोनस नहीं मिलता, फेक्ट्री का ग्रॉडिट हुग्रा, उसकी ग्रॉडिट रिपोर्ट को देखें तो उसमें फेक्ट्री में प्रोफिट बताते हैं। प्रोफिट को वे रिजर्व फंड में जमा करते हैं। ग्रौर रिजर्व फंड को डिवीडेंड कमाने के लिए कम इन्ट्रेस्ट पर खर्च करते हैं। यह सारा क्यों होता है? यह इसलिए होता है कि यह कन्सर्न राजस्थान की कांग्रेस को हर साल चन्दे के रूप मे पैसा देती है। एक साल उसने दो लाख रुपये का चन्दा दिया। एक साल उसने तैंतीस हजार रुपये चन्दे में दिये ग्रौर एक साल उसने छप्पन हजार रुपये दिये ग्रौर एक साल उसने इकतालीस हजार रुपये दिये। यह सब चन्दा हम जोड़ते हैं तो लाखों की तादाद में पहुंचता है। हमने जब उन लोगों से पूछा कि मे दिखाया है, तो कहा कि यह ग्रकाउन्टेबल ग्रकाउन्ट् है, लेकिन बाकी जितनी चीजें हम देते है वे इस प्रकार से देते हैं कि ग्रादमी समझेंगे नहीं। मैं, ग्रध्यक्ष महोदय, यह कहना चाहूंगा कि इस कम्पनी के मैनेजिंग डाइरेक्टर कौन हैं ? पहले डाइरेक्टर हैं एस. पी. जैन, दूसरे हैं ए. के. रामनाथन, एक है चिरंजीलाल झुंझुनूवाला ग्रौर एक सरकारी प्रतिनिधि। ये लोग कौन है, जिनके हाथ में हमने मैनेजिंग एजेन्सी दे रखी है-उसके बारे में मैं डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा; लेकिन विवियन बोस इन्क्वायरी कमीशन ने जो राय निर्धारित की है उस राय के कुछ शब्द मैं पढ़ कर सुना देता हूं। जिसमें लिखा है :-"The major offences which the above named 5 persons" कौन कौन हैं "(the 2 Dalmias and 3 Jains, the Dalmia Jain group means R. Dalmia, Dalmia and S. P. Jain)............ appear to be guilty on the basis of the findings of fact in the Report and investigatoin are :-(a) criminal conspiracy to commit criminal breach of trust. cheating, forgery and falsification of accounts"

ग्रब यह सारी जिनके हाथ में ग्रापने मैनेजिंग एजेन्सी दे रखी है उसके बारे में भारत सरकार के उस न्यायाधीश की रिपोर्ट है। वे ग्रागे क्या कहते हैं, वह भी मैं जरा बता दूं तो ग्रापको शक नहीं रहेगा। उसमें यह लिखा है :-

"Some apportionment of responsibility is indicated at pages 45 to 48 of the Commission Report which should be carefully perused. Each one of the 5 persons have been held guilty of or associated with frauds e. g. manipulation of accounts, ante-dating of balance sheets, receipt of huge amount as alleged compensation for premature termination of Managing Agency or Selling Agency service"

मैं ज्यादा लम्बा नहीं जाऊंगा लेकिन ग्रन्त में जो उस कमीशन ने एक बात लिखी है वह मैं राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। कन्क्लूज़न में लिखा है :-

"The findings of the Commission, some of which have been referred to,

(श्री भेरोंसिंह)

speak for themselves. Such gross and blatant violations of the penal law of our country should not be permitted and go unpunished and shou'd be dealt with without fear or favour."

इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, सरकार को निवेदन करना चाहूंगा कि आखिर उससे पूरा डिवीडेंड नहीं मिलता है ऑर्डिनेरी शेअर होल्डर्स को, खर्चा एस्टेब्लिशमेंट में ज्यादा दिखाया जाता है, और उसने अपनी बिक्री के लिए एक अशोका मोर्केटिंग कम्पनी के नाम से प्राइवेट कम्पनी खोल रही है और अपनी एजेन्सी के थ्रू वह माल खरीदती है और बेचती है और दूसरी तरफ ऑर्डिनरी शेअर होल्डर्स को डिवीडेंड नहीं मिलता है, मजदूर बोनस के लिए रोते हैं और हमारी सरकार उसको लोन देती रहती है। और बिवियन बोस इन्क्वायरी कमीशन इस एजेन्सी को चीटिंग एजेन्सी कह कर पुकारता है। मैं राज्य सरकार को कहना चाहूंगा कि इस एजेन्सी को यह रियायत क्यो दी गई ? क्यो नहीं उसके खिलाफ आज तक एक्शन लिया गया ? क्यों नहीं उनके एकाउन्ट्स

(५. म. प.)

आपने चैक किये ? केवल दो लाख रुपये आपको एक बार चुनाव में मिल गये और कई हजार रुपये कई बार मिल गये। इस प्रकार दो लाख कई हजार रुपये चुनावों में लेकर राजस्थान की गरीब जनता के रुपयों को आप इस तरह से बरबाद करना चाहते हैं।

मैं इसी प्रकार जयपुर स्पिनिंग मिल के बारे में कहना चाहता हूं।

श्री मानिकचन्द सुराणा (कोलायत) : अध्यक्ष महोदय, क्या यह उचित है कि जिस समय मंत्रिमंडल के प्रति अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है हमारे मुख्य मंत्री इस सदन में उपस्थित नहीं हों। मैं देख रहा हूं कि हमारे मुख्य मंत्री इस सदन में दो घन्टों से उपस्थित नहीं हैं और जितने भी चार्जेज लगाये जा रहे है वे उनके अधीन विभागों से संबंन्धित हैं और उनके खुद के व्यक्तिगत कार्यो से संबन्धित हैं; इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि सदन की प्रतिष्ठा को बनाये रखने के लिये उनका उपस्थित होना........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : वे बीमार है।

श्री अध्यक्ष : आप इतने उतावले क्यों हो रहे है ?

श्री मानिकचन्द सुराणा : यह सदन की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। बीमार हैं तो उसकी सूचना मिलनी चाहिये। अन्यथा ऐसा भास होता है कि वे इस बहस को एवोइड करना चाहते हैं और सदन मे हाजिर नहीं हैं। यह तो जब प्रश्न उठाया गया तब कहते हैं कि बीमार हैं। यह सूचना तो पहले भी सदन में दी जा सकती थी।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने जो बात कही वह उचित है। मुझे आज सदन की कार्यवाही शुरू होने से पूर्व सूचना मिल तो गई थी कि वे बीमार हैं और आये तो दो एक घन्टों में आ जावेंगे या पूरे दिन नहीं आवें। सदन में दूसरे माननीय मंत्री बैठे हैं और वे सारी चीजों को नोट कर रहे हैं। हमें सबको ऐसी आशा करनी चाहिये कि

(श्री अध्यक्ष)

मुख्य मंत्री जल्दी स्वस्थ होकर यहां आए और सभी सदस्यों के बीच में आकर भाषण सुनें ।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, स्पिनिंग मिल में भी, आप देखेंगे कि रामनाथ पोद्दार, श्री गजाधर सोमानी, कमल नयन बजाज, चुन्नीलाल जयपुरिया, गनेशनारायण पाडरा, ललित कुमार पाडरा, गुलाबचन्द फतहपुरिया, सागरमल फतहपुरिया, मदनसिंहजी नवलगढ़ ये सब इसके डाइरेक्टर हैं और मैनेजिंग एजेन्सी रामनाथ पोद्दार के हाथ में है । इन लोगों ने एक प्रकार से मोनोपोली अपनी कर रखी है । किसी के भी चेयरमैन होंगे तो वे, जयपुर बैंक के चेयरमैन जो अब नहीं रहे हैं पहले थे तो वे । इस मिल में हमारे १७।। लाख रुपयों के शेअर्स है । १२।। लाख रुपयों के प्रिफरेन्शियल शेअर्स और ५ लाख के ऑर्डिनरी शेयर्स हैं । हम देखते हैं कि १७।। लाख रुपया लगाने के बाद भी एक पैसा भी डिविडेन्ड के रूप में नहीं मिला । फिर भी हमारी सरकार कहती है कि १७।। लाख रुपयों का सेफ इन्वेस्टमेंट करते हैं । मैं यह कहूंगा कि आज तक हिन्दुस्तान में जिस प्रकार यहां की वीविंग मिल घाटे मे चलती है, नहीं चलती है । डिविडेन्ड इश्यू करती है लेकिन यहां पर आज तक किसी प्रकार का डिविडेन्ड नही दे पाये हैं । वहां के कर्मचारियों ने, जिस समय हमारे यहां चीफ सेक्रेट्री सुब्रमनियम थे उनके सामने और सरकार के सामने रिप्रेजन्टेशन किया कि यहां पर एस्टेब्लिशमेंट में खर्चा ज्यादा करते हैं, पर्चेजेज में कई प्रकार के घौटाले करते हैं, खरीद में कई प्रकार के घोटाले करते हैं । जब उन्होंने सरकार और उनके सामने इस प्रकार के प्रमाण दिये तो उन प्रमाणों के आधार पर उस समय की राज्य सरकार ने अध्यक्ष महोदय, तीन आदमियों की एक इन्क्वायरी कमेटी कायम की । जिसमें ए. के. मदान, श्री जी. के. भन्नोत, श्री मांगीलाल इन तीनों आदमियो की गवर्नमेंट ने कमेटी मुकर्रर की और इसके लिये ऑर्डर कर दिये कि ये तीन आदमी इसकी इन्क्वायरी करें, क्योंकि सरकार के पास काफी रीज़न्स थे उनके खिलाफ कमेटी बिठाने के लिये । मगर बाद में सदस्यों को पता नहीं लगा और हमारे चीफ मिनिस्टर के आदेश गये कि इसकी जांच नहीं होगी । आदेश क्यों हुए, इसके बैक ग्राउन्ड को हमें देखना होगा । इस बारे में ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय में हमारी राजस्थान की कांग्रेस ने उनसे चन्दे के रूप में पैसे लिये । मैं पिछले वर्षों का जिक्र नहीं करता, लेकिन मैं यह कहता हूं कि हमारे यहां रूल्स में ऐसी व्यवस्था है कि जहां तक ५ परसेन्ट का प्रोफिट नहीं हो उस समय किसी को चेरिटेबल डोनेशन नहीं दिया जा सकता है । लेकिन हमारी कांग्रेस सरकार ने ५ परसेन्ट का मुनाफा नही होते हुए भी डोनेशन लिया है ।

१९६२ में जिस समय चुनाव हो रहे थे हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसी स्पिनिंग जयपुर मिल से २५ हजार रुपये लिये । मेरा विरोध इसलिये नहीं है कि क्यों लिये, मेरा विरोध इसलिये है कि ये ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को ये २५ हजार रुपये बांटे जाते तो उनके शेयर में आते । मैं यह कहूंगा कि जिसमे ५ परसेन्ट का प्रोफिट नहीं हो तो उससे डोनेशन लेने का अधिकार क्या था ? आपने फिर भी चुनावों में चन्दा लिया और केवल चन्दा ही नहीं लिया २५ हजार रुपये तो चन्दे के लिये और १२।। लाख का उनको

(श्री भैरोंसिंह)

इनाम दिया । वह किस बात के लिये दिया ? मैं बताता हूं । मार्च में डाइरेक्टरों की मीटिंग हुई । वहां प्रस्ताव इस बात का पास करते हैं कि सरकार के प्रिफरेन्शियल शेयर्स हैं उनका एरियर १२।। लाख होता है । उसके पास कैसे जावे, इसलिये इसकी व्यवस्था की । कहने लगे कि नीम के थाने में एक सीमेन्ट की फैक्ट्री खोल रहे हैं । इसके लिये भारत सरकार को पत्र लिख रहे हैं कि हमें इसके लिये केपिटल की आवश्यकता है । ३० लाख के लोन की कोशिश की । और १२।। लाख रुपये राज्य सरकार के हैं ही ।

मुझे यह दुख होता है कि २५ हजार के चन्दे के एवज में राजस्थान की गरीब जनता के १२।। लाख रुपये सरकार ने फोरगो (forego) कर दिये ।

(विराम)

इसलिये कर दिये कि अगर १२।। लाख हम फोरगो करते हैं तो २ प्रतिशत का इन्ट्रेस्ट मिलेगा । मैं आपसे कहूंगा कि अगर यह रकम दूसरी किसी कन्सर्न में जमा कराते तो वह आपको ७ या ८ परसेन्ट देते और आपकी बाकी की रकम केपिटल बनी रहती । जो आपने घाटा खाकर १२।। लाख रुपयों की उनको रियायत की है । मैं पूछना चाहता हूं कि यह ईमानदारी की रियायत नहीं है, लेकिन यह अपने हितों की रियायत है । आप उनकी इन्क्वायरी नहीं करावें, आप उनसे पैसा नहीं लें । आप उनको एजेन्सी दें और जो कोई आर्डर दें उनको ही दें । पोद्दार मिल बोम्बे में है । उन्होंने अपने भानजे को ही इसका मैनेजर बनाया है । इसमें इतने बड़े घोटाले हैं कि मैं यह कहूंगा कि इस जयपुर वीविंग एन्ड स्पिनिंग मिल की जांच सरकार किसी दूसरे अधिकारी से नहीं करावे बल्कि राजस्थान के हाईकोर्ट के जज को इसके लिये नियुक्त करे और उनकी जो रिपोर्ट होगी वह विवियन बोस रिपोर्ट से किसी प्रकार कम नहीं होगी और वह राजस्थान का नाम ऊंचा कर देगी ।

तीसरा पाइन्ट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन का आता है । इसमें हमारी सरकार पर जिम्मेदारियें आई हैं और इन जिम्मेदारियों के कारण हमें १,४२,२०० सबवेन्शस (Subvention) के रूप में देना पड़ा । आखिर हम आपको करों के रूप में रुपया देते हैं वह इसलिये नहीं देते कि आप बिजनेस में अपनी प्रशासनिक अयोग्यता के कारण बर्बाद कर दें ? राजस्थान की फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन को आप पैसा दें । हमारी सरकार ने कुछ कोऑपरेटिव बैंकों में पैसा लगाया है उसके अन्दर जो अभी २३२ के हैं उन्होंने किसी प्रकार का अभी तक कोई डिविडेन्ड नहीं दिया है । क्यों नहीं देते, इसका रीज़न तो मैं बताऊंगा, लेकिन मैं इतना निवेदन करूं कि ५६१ सोसाइटियां हैं उनमें से केवल दो का डिविडेन्ड आया है, बाकी ५५९ का कोई डिविडेन्ड नहीं आता । डिविडेन्ड खाते बचे कहां से जब कि इस प्रकार की हालत है ? अभी अभी हमारी सरकार से माननीय सदस्यों ने निवेदन किया था । एक एक कोऑपरेटिव बैंक को ले लीजिये । जोधपुर कोऑपरेटिव बैंक में गबन, फोर्जरी और दुरुपयोग का १० लाख रुपयों का घोटाला है, दूसरा पाली के बैंक को ले लीजिए उसमें ३ लाख का घोटाला है ।

(श्री भैरोंसिंह)

तीसरा बैंक आता है नागौर का, उसमें ४० हजार का घोटाला है। इसी प्रकार गंगानगर में ६ लाख का घोटाला है तथा झुंझुनूं के कोआॅपरेटिव बैंक में ८० हजार का घोटाला है। बाकी की राजस्थान की सोसाइटीज् की घोटाले की लिस्ट अगर सरकार मुझसे सुनना चाहे और समय दे तो राजस्थान की उन तमाम सोसाइटीज की लिस्ट जिनकी कि मुझे चूकती जानकारी है, लोगों की दर्खास्तों के साथ देने को तैयार हूं। आज यहां इतने गबन हैं, इतने घोटाले हैं, इस प्रकार जनता के पैसे का दुरूपयोग होता है वहां कैसे डिविडेन्ड मिलेगा ? मैं तो कहूंगा कि कोआॅपरेटिव जैसे सही और पवित्र सिद्धान्तों को हमारी सरकार ने अपवित्र कर दिया है, एक सही रास्ते को गलत रास्ता सिद्ध कर दिया है, लोगों के दिमाग में यह बात बैठ गई है कि कोआॅपरेटिव सोसाइटीज् कोआॅपरेटिव करप्शन की सोसायटीज् हैं, करप्शन को कोआॅपरेटिव करप्शन बनाने के लिये है। छोटी सी सोसाइटी में चले जाइये वहां आपको गबन की शिकायत मिलेगी।

हमारी सरकार और हमारी सरकार के मन्त्री महोदय यह बता दें कि क्या कभी आपने फिजूलखर्ची को रोकने का विचार किया है, मंहगाई और बेकारी को दूर नहीं कर पाते; पर क्या सरकार ने कभी विचार किया है कि फिजूल खर्ची को रोका जा सकता है या नहीं, इसकी कभी चिन्ता की है ? प्लानिंग कमिशन और प्लानिंग बोर्ड में कोई भी विचार रखे जायं पर राज्य सरकार ने कोई योजना बना ली है और उस पर जो एस्टिमेट्स एक दफा बना लिये वे तो निश्चित रूप से खर्च होगे ही। इस सम्बन्ध में मैं राजस्थान के इरिगेशन प्रोजेक्ट्स के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। कितना पैसा हमने खर्च किया है, उसका फल आज हमें क्या मिल रहा है ? सीकर में बिडाणी का टैंक है, उस पर २ लाख रुपया खर्च हुआ; लेकिन एक बीघा की सिंचाई नहीं होती, जुगलपुरा में ३४ हजार रुपया खर्च किया गया पर एक बीघा की सिंचाई नहीं होती, भरतपुर में २५० हजार रुपया खर्च किया गया पर एक भी बीघा की सिंचाई नहीं होती। रामपुरा में ४९५ हजार खर्च किया गया किन्तु एक बीघा की सिंचाई नहीं होती और इसी तरह परवल बांध, कालीसिंध बांध, पार्वती बांध, खारी बांध, गलवानियां बांध, खेड़ा-खेड़ी बांध, गम्भीरी बांध, नवाना, भीमसागर, मासी इरिगेशन और खारी इरिगेशन इन सबका हिसाब लगा कर देखा लीजिये, आपसे हिसाब नहीं बन पड़ता हो तो मुझे कहिये, जितने एस्टीमेट्स थे उनसे ड्योढ़ा खर्चा किया गया है। जितने प्रोजेक्ट्स लिये थे उस समय सदन को विश्वास दिलाया गया था कि ५ और ७ परसेंट के बीच में इरिगेशन के द्वारा हमारी रेवेन्यू होगी। पर साहब, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इन सारे प्रोजेक्ट्स पर ४ करोड़ खर्च कर दिया, पर हमारी इन्कम है एक परसेंट से दो परसेंट जिससे कि हमारा इन्ट्रेस्ट भी पूरा नहीं चुक पाता। साढ़े चार परसेंट इन्ट्रेस्ट हमें देना पड़ता है। १४ करोड़ का खर्चा है, ७ करोड़ का ब्याज देते हैं, इस केपिटल को आखिर हम कैसे चुकायेंगे ? इसकी सरकार के पास कोई व्यवस्था नहीं, सिवाय इसके कि गरीबों पर टैक्स लगाया जाय और गरीबों से पैसा वसूल किया जाय।

(श्री भैरोंसिंह)

हमारी सरकार का समाज कल्याण विभाग, जिसके बारे में मैं समझता हूं इसके जो मंत्री हैं वे अयोग्यता के दूसरे अवतार हैं और केवल मुख्य मंत्रीजी की कृपा पर ही चल रहे हैं। हरिजनों के उद्धार और आदि-वासियों के उद्धार के बारे में लाखों-करोड़ों रुपया भारत सरकार से लेते हैं, लाखों-करोड़ों रुपया राजस्थान सरकार का खर्च होता है पर आपने कितना विकास किया है ?

आप शाहबाद क्षेत्र में जाइये, जहां जनता के रुपये का किस तरह दुरुपयोग किया गया है, वहां मकान बनाने के लिये, तालाब बनाने के लिये, कुओं के लिए, सिंचाई के लिए तकाबी बांटी है और वे सब चीजें कागजों में हैं, सब केवल कागजों में ही है। राज्य सरकार के पास यह ममला रखा जाता है तो नेता कूदते हैं, राजस्थान सरकार कहती है कि हम तो केवल दो इश्यूज, छात्रावास और समितियां जिनका हजारों का मामला है इनकी ही जुडिशियल जांच करायेंगे और जिसमें सरकारने ५० लाख रुपयों का दुरुपयोग किया है, जिस समय स्टेटमेंट दिया उस समय इतने सारे प्रमाण नहीं थे पर आज मेरे पास बहुत अधिक प्रमाण हैं, मैं सरकार को चुनौती देता हूं कि अगर राजस्थान सरकार के पास प्रमाण नहीं हों तो मेरे पास से ले लें, मेरे पास सारे के सारे प्रमाण हैं और वे कागज मेरे बनाये हुए नहीं, सरकार के बनाये हुए हैं। ५० लाख का घोटाला किस प्रकार हुआ, आज आवश्यकता है कि आज इस सारे मामले की जुडीशियल जांच करवाई जाय।

सुना है कि कलेक्टर ने जांच कर ली है और उन्होंने अपनी रिपोर्ट भी सरकार को पेश कर दी है और कलेक्टर ने उस जांच में कई मसलों पर मेरी बात को स्वीकार किया है। मैं राज्य सरकार से कहना चाहता हूं कि उस कलेक्टर की रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखे, हम उसको देखेंगे, यदि उसमें गलतियां हैं तो सरकार को विशेष जानकारी देंगे और इस तरह उन सारी गलतियों की दुरुस्ती की जाय। पर समाज कल्याण विभाग, यह समाज का कल्याण नहीं करता, नेताओं का कल्याण करता है; यह विभाग समाज के कल्याण के लिये नहीं, नेताओं के कल्याण के लिये है। खुशालपुरा में जाइये-शकबार, रंगपुरा, बड़ी बस्ती, चंचेड़ की झोंपड़ी; उदयपुर में जायें धरियावाद, अजमेर में जायं तो गाडोलिया लोहारों की खानपुरा की बस्ती, किशनगढ़ अजमेर के बीच में चलें तो काल बेलियों की बस्ती, ये सारी बस्तियां हैं। बामनियां में भादरिया की बस्ती जिसका शिलान्यास हरिभाऊजी ने किया, ये अजमेर पहुंचे उससे पहले ही मकान फट गये। सरकार को काफी रुपया इसकी मरम्मत पर खर्च करना पड़ा। सरकार ये बस्तियां किसलिये बनाती है। प्रोडक्शन कम ट्रेनिंग सेंटर गाडोलियों के लिये खोला, फिर केवल प्रोडक्शन केन्द्र बना दिया। खर्चा हुआ ८ लाख, शिक्षा हुई ७ लोगों की; उनमें से ६ तो चले गये और एक नौकरी करता है, तो एक आदमी के लिये आपने राजस्थान की जनता का ५४ लाख रुपया खर्च किया। खानपुरा अजमेर में जाकर देखें, भट्टियां बनी हुई हैं, पैसा खर्च हुआ है। प्रोडक्शन भी पहले सरकार की निगरानी में चला, खर्चा ज्यादा हो गया।

(श्री भैरोंसिंह)

धरियावाद में जाइये, पंडित जवाहर लाल नेहरू के नाम पर जवाहर नगर बसाया, उसकी एड्मिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट, इन्सपेक्शन रिपोर्ट मेरे पास है। सरकार चाहे तो एक-एक की इन्सपेक्शन रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं। इस नेता कल्याण विभाग को समाज कल्याण विभाग में बदलना है तो इन सारे मामलों की जुडीशियल जांच करवाई जाय। आरा मशीन का मसला है, डूंगरपुर में आपका आदिवासी संघ है, उसको २ लाख की सहायता दी वह किसलिये दी? वह इसलिए दी कि उन पर कर्जा हो गया था। कर्जा क्यों हो गया था? आपने कभी हिसाब भी देखा? आप यदि हिसाब देखेंगे तो पता चलेगा कि एक दिन में एक मील के खर्चे पर १।। पाव तेल रोज आया। या तो वह तेल की मालिश करता था या उसकी आंते टूटी हुई थीं या वह पीता था। धरियावद में तालाब में लाखों रुपया खर्च कर दिया। इन्स्पेक्शन रिपोर्ट, मंत्रीजी से पूछूंगा, देखिये कि क्या-क्या घोटाले है, ऑडिट रिपोर्ट में क्या-क्या चीजें लिखी है, अध्यक्ष महोदय, सरकार से इतना ही कहूंगा, बाकी की शिकायतें इस सम्बन्ध में मत सुनो, क्या ऑडिट रिपोर्ट देखी है, क्या इन्स्पेक्शन रिपोर्ट देखी है? क्या एक्शन लिया है? लेकिन उस पर एक्शन नही लिया।

एक माननीय सदस्य : वे आ गये हैं।

श्री भैरोंसिंह : आ गये होंगे।

मैं कह देना चाहता हूं कि समाज कल्याण विभाग में आदिवासियों के प्रतिनिधि और सदन के कतिपय माननीय सदस्य जो आदिवासी और हरिजनों के प्रतिनिधि हैं, उनसे मैं नम्र निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार के भरोसे मत रहो कि यह सरकार आदिवासियों और हरिजनों की तरक्की कर देगी। वास्तव में जितना वे कर सकते हैं वे स्वयम् उनकी भलाई के लिए कार्य करें। मंत्रीजी और नेताओं के भरोसे मत रहो। वे स्वयम्, जो काम करना चाहें करें। जो सरकार ने घोटाले किये हैं उनको प्रकट में लाओ और सरकार को मजबूर करो और भविष्य में जो इस प्रकार का खर्चा करें उसमें रोक-थाम करो।

अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के पास सवा तीन करोड़ रुपये के युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट आने चाहिये। सरकार ने उनको ग्रान्ट-इन-एड दे दी, लेकिन युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट नहीं है। इन्स्टीट्यूशन्स कौन सी हैं? शिक्षा मंत्री जी जानते हैं। ज्यादा इन्स्टीट्यूशन्स अजमेर की है। यह शिक्षा मंत्रीजी जानते हैं, ज्यादा इन्स्टीट्यूशन्स उदयपुर की हैं, यह भी शिक्षा मंत्रीजी जानते हैं। तीन करोड़ की सारी चीजें हैं, उनका युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट पेश नहीं होता। मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार के जो जनरल फाइनेन्शियल रूल्स हैं उनको उठा कर देखें। जब ऑडिट रिपोर्ट पेश नहीं होती, युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट नही होता, ग्रान्ट-इन-एड नही देते है तब फिर आपने क्यों दी? आप तीन करोड़ के युटिलाइज़ेशन सर्टिफिकेट नहीं ले सकते हैं तो आप फिर किसलिये हैं। मकान पर जाकर चन्दन के तेल की मालिश करवा लो और कमरे के ऊपर बोर्ड पर लिख दो कि "अन्दर आना मना है"।

(श्री भैरोंसिंह)

आपकी पार्टी के लोग बैठे थे। वे मिलने के लिए आये थे। उन्होंने देखा कि बोर्ड पर लिखा हुआ है "अन्दर आना मना है"। वे लोग तख्ती को बगल में दबा कर रवाना हो गये। आपको ध्यान होगा। राजस्थान की दो करोड़ जनता आपको तनख्वाह इसलिए नहीं देती, तनख्वाह ही नहीं सात हजार रुपया माहवार आप पर जो जनता का खर्च होता है, वह इसलिए नहीं देती कि आप अधिकांश समय बीमारी में निकाल दो। देश-हित की बात करते हैं। देश-हित की बात तो आप दूर रखिये, लेकिन राजस्थान का हित इसी में है, राजस्थान के हित के लिये आप कुर्सी का त्याग कर दो। आप एक रबर की मोहर के सिवाय कुछ नहीं हैं। असली शिक्षा मंत्री तो शिक्षा सचिव हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : वह भी पूरा नाम नहीं, "ह. उ." बस।

श्री भैरोंसिह : आपने भी इस चीज़ को देखा है कि राजस्थान के अध्यापकों की क्या हालत है ? क्या सीनियोरिटी लिस्ट बन गयी ? क्या उनको एरियर्स चुका दिये गये ? नहीं चुकाये गये, सीनियोरिटी लिस्ट भी नहीं बनी। टेम्पोरेरी अपोइन्टमेन्ट्स बन्द हो गये ? नहीं बन्द हुए। लोगों के पेन्शन केसेज़ तय नहीं हुए। सिन्ध से आये लोगों के क्लेम्स डिसाइड हो गये, लेकिन तनख्वाह डिसाइड नहीं हुई। मैं यह मान कर चलता हूं कि जिस विभाग पर हमारे मुख्य मंत्रीजी की छाया पड़ जाती है वह विभाग चौपट हो जाता है। यह विभाग उनके हाथ में था। शिक्षा का विभाग उनके पास था। उन्होंने इसको चौपट कर कर दिया। उन्होंने अपनी मर्जी का डाइरेक्टर उदयपुर का रखा, डिप्टी डाइरेक्टर उदयपुर का रखा, शिक्षा सचिव उदयपुर का रखा और उदयपुर का तो एक केन्द्र बन गया है। युनिवर्सिटी में उदयपुर, शिक्षा सचिव उदयपुर, चीफ सेक्रेटरी उदयपुर, केन्द्र में शिक्षा मंत्री उदयपुर, जो अब गये। सारी स्थिति में मुख्य मंत्रीजी यह नहीं कह सकते कि सरकारी अधिकारियों का सहयोग नहीं मिला इसलिए गड़बड़ी हुई। शिक्षा के मिलने की स्थिति यह है कि नेशनलाइज्ड टेक्स्ट बुक्स स्कूल खुल जाने पर भी बाजार में आज भी समय पर नहीं मिलतीं। सरकार ने विज्ञप्ति निकाल कर कह दिया कि समय पर मिलती हैं। शिक्षा मंत्रीजी को और उप शिक्षा मंत्रीजी को मैं चुनौती देकर कहता हूं, वे खड़े होकर कह दें कि बाजार में समय पर पुस्तकें मिलती हैं ? मैंने जाकर पूछा है। लोगों से लिखवा कर लिया है कि समय पर पुस्तकें नहीं मिलतीं। और अध्यक्ष महोदय, मंहगाई बढ़ी है बाकी की चीजों पर। सरकार उनकी रोकथाम नहीं कर सकी। लेकिन किताबों पर भी पैसा बढ़ गया। किताबों की लिस्ट मेरे पास है। जो किताब ४१ न. पै. में मिलती थी उसके पचास पैसे हो गये, जिसके ६० पैसे थे उसके ७५ हो गये और जिसके ६५ पैसे थे उसके ८० न. पै. हो गये। एक किताब जहां ६५ में मिलती थी लगभग ८० न. पैसे हो गये। इसी प्रकार कहीं ७० न. पैसे की जगह १) हो गया है, १.२५ न. पै. की जगह १.३० पैसे हो गये। जितनी किताबें हैं उनके मूल्य में इतनी वृद्धि कर दी गई कि जितनी मंहगाई बढ़ गयी।

(श्री भैरोंसिंह)

किताबें वे की वे उनके पेजेज़ उतने के उतने, प्रिन्ट उनका वह का वह, कवर उनका वह का वह। संशोधन किस प्रकार का हुआ ? किसी प्रकार का उनमें कोई संशोधन नहीं हुआ। केवल उनकी कीमतें बढ़ा दीं। अध्यक्ष महोदय, मैं केवल लिस्ट बना कर ही नहीं लाया हूं, मैं किताबें खरीद कर भी लाया हूं। किताबें देखना चाहो तो बाहर लाइब्रेरी में पड़ी हैं, जाकर देख लो। हमारी सरकार शिक्षा की पुस्तकों के नेशलाइजेशन के नाम पर बिज़नेस करना चाहती है तो उनको बिज़नेस करने की इजाजत नहीं दी जायगी। इस सन्बन्ध में और कितनी ही बातें हैं जिनका मैं समयाभाव के कारण जिक्र नहीं करना चाहता। कितनी उनमें कमियां हैं, मंत्रीजी स्वयं स्वीकार करेंगे। आज भी चीन को बन्धुवर बताया गया है। बच्चों को शिक्षा दी जाती है, आज भी चीन को बन्धुवर बताया जाता है। मैं शिक्षा मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आप क्या कर रहे हैं ?

श्री सतीशचंद्र अग्रवाल : मालिश।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, शिक्षा क्षेत्र में इतनी गिरवाट हो गयी है........

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर) : मालिश करवा रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : मुझे मालूम है, मैं स्वयं पढ़ता था। लोग मेहनत से पास होते थे। लोग किसी की सिफारिश से पास नहीं होते थे। ट्यूशन बहुत कम होती थी। राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने शिक्षा के विभाग को सम्हाला और ट्यूशन का तांता उसी समय से चला। एक एक अध्यापक पचास-चालीस लड़कों के गेंग को क्लास टीचर की तरह ले लेता है। पेपर्स आउट हो जाते हैं। चार-पांच-अध्यापक मिल कर एक कोआॅपरेटिव बना लेते हैं ? एक अध्यापक मेथेमेटिक्स का, एक हिन्दी का, एक ज्योग्राफी का और एक हिस्ट्री का। लड़का चारों की ट्यूशन कर लेता है। एक अध्यापक जिसके पास मैथ्स (Maths) है वह कहेगा तुम लड़के को हिन्दी में पास कर देना, जिसके पास हिन्दी है वह कहेगा तुम मैथ्स में पास कर देना, जिसके पास हिस्ट्री है वह कहेगा तुम ज्योग्राफी में पास कर देना और जिसके पास ज्योग्राफी है वह कहेगा तुम हिस्ट्री में पास कर देना। इस प्रकार एक गेंग बन गया है। इस प्रकार से करप्शन बढ़ा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी जानते होंगे, आखिर में लोगों से पैसा भी लिया जाने लगा कि पास होना है तो पैसे दो। सीमा लग गई। वह मसला यहां तक पहुंच गया है कि आज अध्यापक बिना पैसे लिये पास नहीं करते है तो लट्ठ मारना शुरू कर दिया। यदि मंत्रीजी की जानकारी में नहीं है तो यह मुझ से लें। राजस्थान में कितने टीचर्स को लड़कों ने पीटा है, पैसा न देने के कारण, बिना कारण उनको फेल किया गया जिससे उनका भविष्य बिगाड़ा गया। यह है आपकी शिक्षा जिसके द्वारा आप भविष्य का निर्माण करना चाहते हैं ! पन्द्रह वर्ष की उम्र में कोई लड़का मैट्रिक पास कर ले तो कॉलेज में दाखिला नहीं ले सकता। हमारी सरकार कहती है कि ज्यादा उम्र हो जाय तो कॉलेज में नहीं पढ़ सकता। कम उम्र में कॉलेज में नहीं पढ़ सकता, ज्यादा उम्र हो जाय तो कॉलेज में नहीं पढ़ सकता।

(श्री भैरोंसिंह)

आखिर में कॉलेज में पढ़ेगा कब ? क्या बूढ़ा होकर पढ़ेगा ? १५ वर्ष का लड़का पढ़ना चाहता है तो पढ़ने देंगे नहीं, इजाजत उसको देंगे नहीं।

जयपुर के अध्यापकों के बिल १२७ के करीब थे। डिप्टी डाइरेक्टर ने मेहनत की, बीकानेर भेजा। कितने पास होकर आये ? क्यों दबाकर बैठ गये ? अध्यापकों का पेमेन्ट क्यों नहीं किया ? गरीब अध्यापकों का मर्जी के अनुसार ट्रान्सफर किया गया। कोई झुंझुनू था तो उसका ट्रान्सफर किया गया अलवर, अलवर था उसको जैसलमेर, जैसलमेर था उसको सीकर, जालोर। इस प्रकार आप अध्यापकों के साथ अन्याय करते हैं। जहां आप लड़के के भविष्य को बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार आपके कारनामो से लड़कों का भविष्य नहीं बन सकता। जाली मार्कशीट बन जाय, जाली किताबें दे दो, बस हो गया निर्माण। शिक्षा विभाग के आप मंत्री हैं, शिक्षा मंत्रीजी, आप आज यह मत समझ कर चलो कि आप आज योग्यता के आधार पर यहां पर मंत्री है, यह आप मत समझ कर चलो कि आपने १९४७ से पहले देश की कोई सेवा की है। सब लोग जानते हैं कि आप मंत्री क्यों हैं ? मैं कहना नहीं चाहता। कह कर अपनी जुबान को दूषित करना नहीं चाहता, लेकिन इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि अगर इस प्रकार का व्यवहार मेरे साथ हो तो रोटी खाना तो दूर रहा बिना पानी पिये ही मर जाऊं।

(विराम)

ये सारी चीजें चलती हैं। अगर वे त्याग-पत्र देकर बैठ जायं तो उनके लिये ही अच्छा होगा।

अध्यक्ष महोदय, अब मैं अन्त में कुछ कहने से पहले करप्शन क्या है, वह मैं आपके सामने पढ़ूंगा।

श्री अध्यक्ष : समय काफी हो गया है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल सरकार का समय हो जाय तब है।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने केवल दो गंभीर मामले रखना चाहूंगा। उनमें से एक मामला है करप्शन का। मैं उसकी डेफीनिशन पढ़ कर सुनाता हूं। "If he habitually agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person, any gratification..........."

इसका तात्पर्य यह है कि कोई आदमी सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए अपने लिये या किसी दूसरे के लिये किसी प्रकार का पैसा ले तो करप्शन की तारीफ में आता है, उस करप्शन की सजा मिलती है। अध्यक्ष महोदय, इसी सिलसिले में मैं निवेदन करना चाहता हूं। मुझे अफसोस है कि हमारे मुख्य मंत्री महोदय, यहां नहीं हैं, पिछले दिनों में २४ अप्रेल से २४ मई के बीच तक उदयपुर डिवीजन से ३३ हजार क्विंटल राइस एक्सपोर्ट करने का परमिट दिया गया था। वह चावल बंगाल के हावड़ा, बर्दवाना, रानीगंज, सीलीगुडी, बैरकपुर भेजा गया। यह परमिट

Page No 64

(श्री भैरोंसिंह)

डूंगरपुर के कुछ प्रोडक्शन करने वालों को भी एक्सपोर्ट करने के लिये दिया गया था। डूंगरपुर के किसान त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, लगान की छूट के लिये उनको एक्सपोर्ट का परमिट दिया जाय। उनको परमिट दिया गया, किन्तु कम दिया गया। परमिट इसलिये दिया गया कि एक एक व्यक्ति एक रुपया प्रति क्विटल के हिसाब से ३३ हजार रुपया वसूल किया गया। मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि वह रुपया मुख्य-मंत्री ने वसूल कराया। मुख्य मंत्री ने वह पैसा वसूल कराकर किसको दिया, यह मैं नहीं बताऊंगा, वे खुद ही बतायें। वे इसके बारे में इन्कार नहीं कर सकते, अगर करते हैं, तो मैं प्रमाण सहित पेश करूंगा।

आज के चार वर्ष पहले उदयपुर में मेज कन्ज्यूमर कोआॅपरेटिव सोसाइटी बनाई गई। उस मेज कन्ज्यूमर कोआॅपरेटिव सोसाइटी को दो रुपया प्रति मन के हिसाब से एक्सपोर्ट करने के लिये परमिट दिया गया। वहां के कलेक्टर ने १ लाख १२ हजार रुपया इकट्ठा किया और उन रुपयों को कॉमशियल बैंक में जमा कराया। २५ हजार तो सोसाइटी के कोष में जमा कराया। लेकिन बाकी का कहां गया? मैं राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी से पूछता हूं कि बाकी के रुपयों का मालिक कौन होगा, वह कहां चला गया? उस कोआॅपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ; रुपये कैसे वसूल हुए, बैंक में कैसे जमा कराये? लोगों से दो रुपया मन के हिसाब से किस प्रकार से लिया गया, मुख्य मंत्री महोदय को खुश करने के लिये इकट्ठा किया गया और बाद में उनके हुक्म पर कहां डिसपोज आॅफ कर दिया, यह तो वे बतायेंगे।

मैंने अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों में समाचार पत्रों में एक सनसनीखेज समाचार पढ़ा था। उस समाचार-पत्र में यह बात छपी थी कि यहां के एक प्रसिद्ध व्यापारी के खाते पकड़े गये हैं और खातों में मंत्रियों के नाम का भी उल्लेख आया है। मुझे शर्म आती है आज दिन तक राजस्थान के किसी भी मंत्री की हिम्मत नहीं हुई कि वे इस पत्र में छपे समाचारों का खंडन करते। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने इस समाचार का कॉन्ट्राडिक्शन करवाया है, वे नहीं करा सकते। मैं कांग्रेस के अध्यक्ष को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने इस बात का खंडन किया कि उस फर्म का कांग्रेस के खाते में कोई पैसा जमा नहीं है। मैंने एक बार रुपया मांगा था, उस पर उन्होंने प्रोनोट भेज दिया था, इसलिये वापिस कर दिया। अगर मुफ्त में भेजते तो शायद रख लेते। लेकिन उन्होंने हिम्मत की कि उनका कांग्रेस के खजाने में पैसा जमा नहीं हुआ। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, एक-दो मंत्री भी खड़े होकर हिम्मत के साथ कह दें कि हमारा इस फर्म से कोई वास्ता नहीं है। उस फर्म के कागज जाकर देख सकते हैं। आज उनके कागजातों के जांच की आवश्यकता है। जांच कौन करेगा, जांच करने की हिम्मत होनी चाहिये। जिसका पाक दामन हो, वही आखिर जांच करा सकता है; लेकिन हमारी सरकार में हिम्मत नहीं है क्योंकि उसका दामन साफ नहीं है।

(श्री भैरोंसिंह)

अध्यक्ष महोदय, मैं नगरपालिका के सम्बन्ध में थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जिस केस का जिक्र किया उसके सम्बन्ध में मैं कुछ कहना चाहूंगा। माननीय सदस्य ने मंत्रि-मण्डल के सदस्यों को पत्र लिखा था। जहां तक मुझे जानकारी है उनके पत्र के जबाव में मुख्य मंत्रीजी ने जबाव दिया, और भी कुछ मंत्रियों ने अपनी तौर से जबाब दिया है।

श्री भैरोंसिंह : मैं स्पष्टीकरण कर दूं, कई मंत्रियों ने बहुत स्पष्ट उत्तर दिया है; लेकिन मुख्य मन्त्री महोदय ने जो उत्तर दिया है वह बहुत ही गोलमाल दिया है। उन्होंने अपने पत्र में यह लिखा है कि उस पत्र के अन्दर किसी का नाम नहीं है इसलिये स्पष्टीकरण करना आवश्यक नहीं समझता। मैं नहीं सोच सकता कि इस तरह का जबाव मुख्य मन्त्रिजी देंगे। मुख्य मंत्रीजी को चाहिये था कि वे इस प्रकार का जबाव देते कि मन्त्रि-मण्डल के किसी भी सदस्य ने पैसा नहीं लिया।

दा साहब ने उत्तर दिया, उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार की व्याख्या की। व्याख्या में यह कहा गया कि सरकारी काम के एवज में पैसा ले वह भ्रष्टाचार है; लेकिन सामाजिक कार्य के लिये पैसा लें, शिक्षा संस्थाओं के लिये पैसा लिया जाय तो वह इसमें आने वाला नहीं। दा साहब ने ढूंढी शिक्षण संस्था के लिये पैसा लिया होगा तो वे बता दें। अध्यक्ष महोदय, ये सब बातें देखकर प्रश्न यह पैदा होता है कि मुख्य मन्त्रीजी इस प्रकार का जवाब देवे जिससे किसी भी प्रकार से सन्तोष नहीं हो सकता। मुख्य मन्त्रीजी को चाहिये यह था कि कहते कि मेरे मंत्रि-मण्डल का कोई सदस्य इसमें सम्मिलित नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, नगपालिकाओं के संबंध में जब से राजस्थान में नये चुनाव के बाद यह नया मंत्रि-मण्डल बना। १९६२ में नगरपालिकाओं के चुनाव हुए, इस के बाद आज तक किसी भी म्युनिसिपेलिटी का चुनाव नहीं हुआ। ५६ से नगरपालिकाओं के चुनाव होने बाकी हैं। कई जगह एडमिनिस्ट्रेटर्स कायम हैं। कहीं पर सरकारी अफसरों को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया और कहीं पर पब्लिक मैन को एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। पिछले दिनों के अन्दर मैं चित्तौड़ गया था और चित्तौड़ जाकर मैंने देखा और उसके बाद कपासन नगरपालिका को भी मुझे देखने का अवसर मिला। उस कपासन नगरपालिका ने सुखाड़ियाजी के नाम से 'सुखाड़िया मार्केट' बनवाया और उसका ओपनिंग भी लोक नायक वर्माजी से करवाया। वहां की नगरपालिका के रेकॉर्ड में लिखा हुआ है कि इनको जमीन के पट्टे दे दिये जायं, जमीन पर मकान बनाने की इजाजत दे दी जाय। उसके लिये सौ रुपया ले लिया गया और उनको जमीन पर कब्जा दे दिया गया। मकान बन गये, दुकानें बन गई, मंडी बन गई, लेकिन आज तक लोगों को कब्जा नहीं दिया गया। मैंने पूछा कि कब्जा क्यों नहीं दिया गया, तो उन्होंने लम्बी-चौड़ी दरख्वास्त लिख कर दी कि हमने सौ रुपया दिया लेकिन वह रुपया नगरपालिका

(श्री भैरोंसिंह)

के खाते में जमा नहीं। मैंने पूछा, उस समय नगरपालिका के चेयरमेन कौन थे कि भवानी शंकर नन्दवाना थे। वे इस बात का जवाब देंगे। वह सौ रुपया लिया गया तो वह रुपया कहां गया ? नगरपालिका के खाते में वह जमा नहीं, उन पैसों को सोसाइटी मे जमा करवाने का सवाल नहीं। नगरपालिका के प्रस्ताव के अनुसार जमा होना चाहिये। वह रुपया कहां गया, इसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। चित्तौड़ में एक साबुन का कारखाना लगाया गया, उसके लिये हमारे इन्हीं उप-मन्त्री महोदय ने ९॥ हजार रुपये खादी ग्रामोद्योग बोर्ड से अनुदान के रूप में लिये और ९॥ हजार रुपये ऋण के रूप में लिये। लेकिन वह साबुन फेक्टरी कहां है ? खादी बोर्ड के १८ हजार रुपया क्या वापिस कर दिये गये, नहीं किये तो वे खर्च कहां हुए ? अध्यक्ष महोदय, अगर इन खादी बोर्ड्स का हाल आप जानना चाहें तो मैं आपको बता दूं। अजमेर-मेरवाड़ा खादी संघ को डेढ़ करोड़ का ऋण दिया गया और ५६ लाख का उसको अनुदान दिया गया।

मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि कोई भी ईमानदार व्यक्ति खादी बोर्ड के मसले की जांच करे तो साफ मालूम हो जायगा कि इस अनुदान का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया है। माचिसों का कारखाना चलता नहीं, साबुन का कारखाना चलता नहीं। ये छोटे-मोटे काम चलाये जाते हैं वे भी चलते नहीं, लेकिन केवल सरकार से अनुदान के रूप में पैसा लेने के लिये नाम मात्र के काम चला रखे हैं। चाहे आप खादी बोर्ड को लें, आदिम जाति सेवक संघ को लें, भारत सेवक समाज को लें, सभी का यही हाल है। जोधपुर में कन्स्ट्रक्शन का काम भारत सेवक समाज को दिया गया लेकिन उसने तो वह काम किया नहीं और सब-लेट कर दिया। भारत सेवक समाज को सब-लेट करने का हक नहीं है, उसको खुद को काम करना चाहिये। आज आप भारत सेवक समाज को लें, आदिम जाति सेवक संघ को लें, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड को लें; ये कांग्रेस की छोटी बहिनें है इसलिये ये इनको पनपाना चाहते हैं। आज पनपा रहे हैं भ्रष्टाचार के जरिये, वह भी ईमानदारी के जरिये नहीं; वे अपनी सहचारियों को पनपाना चाहते हैं। आज खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में मैं कह रहा हूं, वह गलत है तो मंत्री महोदय खड़े होकर कह सकते हैं कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं है। हिम्मत हो तो कह सकते हैं।

मैं और प्रमाण पेश नहीं करता, मैं केवल अजमेर खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के बारे में ही प्रमाण पेश करता हूं। मैं पूछता हूं कि सुरक्षा कोष का पैसा कहां गया ? वह किस पर खर्च होता है ? माथुर साहब को मालूम होगा कि जोधपुर में कोई कल्चरल शो हुआ था। सुरक्षा कोष के नाम पर पैसा लिया गया था वह आज तक जमा नहीं है। किस व्यक्ति ने शिकायत की ? १० बार सरकार को रजिस्टर्ड पत्र लिखे। जवाब दिया कि इन्क्वायरी चल रही है। इसी तरह राजस्थान के कवि जो बाहर गए थे सुरक्षा कोष के लिए, वह पैसा कहां गया ? मैंने पहले भी इसके बारे में जिक्र किया था।

मैं अन्त में एक बात कहूंगा, वह यह कि हमारे पैसे का दुरुपयोग कैसे होता है ?

(श्री भैरोंसिह)

पंचायतों की आज क्या व्यवस्था है ? ऑडिट रिपोर्ट्स को देखिए। वे अपने आप में बोलती हैं। पंचायतो का सिस्टम अच्छा है। पंचायती राज में जो सत्ता का विकेन्द्रीकरण है वह सर्वमान्य सिद्धांत है। लेकिन उनके द्वारा जनता की सेवा नहीं होती। अब उनका पैसा कैसे खर्च होता है। मैं आपको कुचामन पंचायत समिति के मिनिट्स पढ़कर सुनाता हूं :

"श्री दे साहब के आगमन पर उनके लन्च पर ३१८. ४७ रुपये खर्च हुए" पंचायत ने स्वीकृति ३२० रूपये की दी। हिसाब बनता है २८६ रूपये का। अब देखिए कि खर्च किस पर होता है। लंच पर होता है। एक मन्त्री आए हैं। आप लोग बातें बहुत बनाते हैं, सिद्धांत बनाते हैं। मैं खर्च की एक एक चीज सुनाता हूं :

श्री रामोमल कोडूमल अजमेरीगेट, जयपुर, ६ रुपये की ६ मच्छियां"....

(विराम)

यहां तक भी बात समझ में आ सकती थी। दिल्ली मिष्ठान्न भंडार से ७ रुपये ६।। आने की मिठाई आई, यह भी समझ में आ सकता था। सब्जी, टमाटर, केले आदि आये, यह भी समझ में आ सकता था। लेकिन दिल्ली वाइन स्टोर से जो १३.७५ की शराब आई और पी वह समझ में नहीं आती........

(विराम)

हमारी गरीब जनता के पैसे से शराब पीना, चाहे वह राजस्थान का मन्त्री हो, चाहे भारत सरकार का मन्त्री हो, कितनी बुरी बात है। मेरे पास बिल है, मिनिट्स मेरे पास है ।

डीड़वाना भी गया। वहां की पंचायत समिति में झगड़ा हुआ। ५०० रुपये का खर्च स्वीकार किया गया। बी. डी. ओ. और प्रधान के बीच युद्ध हुआ। उसके बाद बी. डी. ओ. ने १५० रुपये अपनी जेब से खर्च किए, बाकी जनता ने किए।

मैं उन दे साहब का जिक्र कर रहा हूं जिनको जयपुर के अन्दर राजस्थान के मुख्य सचिव ने एक पटवारी की हत्या करके, कानून की हत्या करके, सारी व्यवस्थाओं की हत्या करके, उनको जमीन दिलाई और उनका अनुचित लाभ उठाया। राजस्थान के मुख्य सचिव के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा सकता। पटवारी को मुअत्तिल किया जा सकता है, मुख्य सचिव को नहीं किया जा सकता।

खंडागावड़ी में मुख्य सचिव का कोई भतीजा या पोता है। सारी जमीन के ऊपर कब्जा कर लिया। कम से कम ४ लाख का सरकार को हर्जाना हुआ। उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया, लेकिन मेरे पैर टूट गए जब मैंने सुना कि एक चपरासी को १।। रु० लेने पर एक साल की सजा दी गई। मैं पूछना चाहता हूं कि उस अफसर को आपने मुअत्तिल क्यों नहीं किया ? ४ लाख का हरजाना सरकार को हुआ, चिन्ता नहीं है।

आज राजगढ़ के अन्दर एक एस. डी. ओ. है, जनता उसके लिए कहती है कि इसे निकालो। वे कहते है नहीं निकालेंगे। लोगों को लूटता है। उसके बारे में जितने भी आवेदन-पत्र किए है, शिकायतें की हैं, सुनवाई नहीं हुई। लोगों को पकड़ा जाता है, पीटा जाता है, उसके बाद ३०७ का मुकदमा बनता है।

(श्री भैरोंसिंह)

वह एस. डी. ओ. रोहतक में उन मुल्जिमों के साथ खाना खाता है जो एब्स्कोन्डर्स हैं।

मैं सरकार से पूछना चाहूंगा आपके राजस्थान में ४०५ मुलाजिम अंडर सस्पेन्शन हैं १६५४ से; उसका क्या कारण है ?

आज राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेशन उनकी वजह से चलता है जो आई. ए. एस. में डाइरेक्टली रिक्रूट होकर आते हैं और न कि मुख्य सचिव की वजह से।

कितने आपके घोटाले हैं। ऑडिट रिपोर्ट्स में जोड़ लगाइये। आज दिन २५ लाख के गबन के मामले चलते हैं। सरकारी विभागों में गबन, पुलिस विभाग में गबन, हर जगह गबन हो रहा है। मालखाने में गबन, अदालतों में गबन, कोई विभाग नहीं जिसमें गबन नहीं है। मैं गृह मन्त्रीजी से पूछना चाहूंगा कि आपने इस समस्या के समाधान के लिए किया क्या ? जिन लोगों ने गबन कर लिया उन पर मुकदमे चल रहे हैं। आप ज्यादा से ज्यादा किसी को सेन्सर की सजा देंगे, किसी को वार्निंग देंगे, लेकिन राजस्थान के २५ लाख रुपये वापिस नहीं आने हैं। ऑडिट रिपोर्ट, ऐप्रोप्रिएशन अकाउंट्स और फाइनेन्स अकाउंट्स इन सब का जोड़ करवाये। आज तक राजस्थान के अंदर पैसे का दुरुपयोग, अपव्यय, गबन, फिजूलखर्ची है- इन सब का टोटल लगाएं तो १० करोड़ के करीब आता है। मैंने एक एक फिगर एक एक ऑडिट रिपोर्ट से निकाली है। सुखाड़ियाजी को दस वर्ष राज्य करते हो गये, यानी एक वर्ष में एक करोड़। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मुख्य-मन्त्री जी कई दिनों से इस बात की चर्चा कर रहे थे कि मैं त्याग-पत्र दूंगा। वे कांग्रेस के हित में त्याग-पत्र दे दें या नहीं, सरकार के हित में दे दें या नहीं, लेकिन राजस्थान की दो करोड़ जनता के हित में है यदि वे त्याग-पत्र दे दें तो बहुत ही अच्छा होगा।

(विराम)

मैं थोड़ा सा समय लूंगा। आज प्रजातंत्र भी किस तरह का है। जहां चुनाव पद्धति में हम विश्वास करते हैं, वहां राजस्थान के चुनाव में घोटाले हो गए हैं। मेरे पीछे जो विधान सभा के सदस्य गंगापुर से जीतकर आये हैं अपना हिसाब पेश किया एस. डी. ओ. की अदालत में। ऑपोजिट पार्टी उस हिसाब को अपने घर ले गई। गंगापुर वाले माननीय सदस्य के हिसाब में जो ५।। हजार लिखा हुआ था उसको ८।। हजार बदल दिया। यह आपकी न्याय व्यवस्था है, चुनाव व्यवस्था है। मैं कहता हूं कि प्रशासन की इससे बड़ी अयोग्यता नहीं हो सकती।

जयपुर के प्रेस के अन्दर जांच हो रही है, इस बात की कि १० हजार बैलट पेपर्स छापे गए; बांटे गए और उन पर मुहरें लगाईं। कहते हैं कि खिड़कियों के कांच के किवाड़ तोड़कर उनमें बैलट पेपर डाले गए। मैं गृहमन्त्री से कहता हूं कि आपके जो भूतपूर्व गृहमन्त्री श्री रामकिशोर व्यास थे, क्या आपने कभी उनकी जांच करवाई है ?

मैं राजस्थान के यातायात मन्त्री से कहूंगा कि क्या आप जांच करवा सकते हैं उस मामले की कि जिस जयपुर और अजमेर के रूट पर जिन लोगों को ऑल्टरनेटिव रूट्स दिए हैं, उनकी मयाद सरकार ने बढ़ा दी दिसम्बर १६६१ तक। एक महीने की मयाद

(श्री भैरोंसिंह)

जनवरी, १९६२ तक बढ़ाई गई। फिर जनवरी से फरवरी तक बढ़ाई गई। अध्यक्ष महोदय, मन्त्री को अधिकार नहीं था, सचिव को अधिकार नहीं था, आपने आर. टी. ओ. की पॉवर्स को एज्यूम करके दो महीने का एक्सटेन्शन दिया। बिना पैसे खाये नही किया। आप जांच करवाने को तैयार हैं ? कौनसा कानून है जिसके द्वारा सरकार की लाएबिलिटी है। लेकिन यातायात मन्त्री से कहने का कोई अर्थ नही निकलता। मैंने प्रेस के कई मामले आपके द्वारा सदन में रखे। कह दें कि जांच करवाली, कुछ नही हुआ। जांच तो रही दूर, आज भी बादामी कागज की खरीद में घोटाला है, आप उसी को रोक नहीं पाते, आप इनको नहीं रोक सकते। आपको सामर्थ्य के बाहर की बातें हैं ये। मैं समझता हूं कि जो ताकत आपको इसे रोकने की चाहिये वह ताकत आप में नहीं है।

आप किसी भी मसले को लें। जयपुर में तीन ऐसे 'पीज़' का मसला कह कर मैं अपना भाषण समाप्त कर दूंगा। हमारे मन्त्रीजी, गृहमन्त्रीजी कहते हैं कि डाकुओं के मामले में सफल हुए। इसके लिये मुझे उनको धन्यवाद देने में आपत्ति नहीं। पर मैं गृहमन्त्रीजी से एक सवाल पूछूंगा कि आप डाकुओं के मामले में सफल होने पर धन्यवाद के पात्र हैं, आप इसमें सफल हुए; पर राजनीति से थोड़े ऊंचे उठें, दलबन्दी से थोड़े ऊंचे उठें। राजस्थान की जिस दो करोड़ जनता के धन-जन की रक्षा का भार आपके हाथ में आया है वहां दलबन्दी काम नही करती। आप समझते हैं कि बोरावड़ जैसे कांड आपके शासन में हो जावें और आप धन्यवाद के पात्र रह सकेंगे। बोरावड़ में दूकानें तोड़ दी जावें, मकान-दूकान और सामान लूट लिया जावे, जला दिये जावें, ट्रंक उठाकर फेंक दिये जावें। लॉ लेसनेस (lawlessness) फैल जावे। थानेदार बचाने जावे तो उसके भी दांत तोड़ दिये जावें। यह सब आपके राज में होता है गृहमन्त्रीजी। आपने इसकी कोई व्यवस्था नहीं की।

श्री मथुरादास माथुर : पूरी व्यवस्था कर दी गई। आप स्वयं जानते हैं। यह मामला अदालत में चल रहा है, सबजुडिस है।

श्री भैरोंसिंह : मैं बताता हूं। मैं उस मामले में नहीं जाऊंगा जो सबजुडिस है। आपने सुरक्षा की ठीक व्यवस्था की होती तो परसराम का पैर तलवार से नहीं काटा जाता। आपकी वहां कोई व्यवस्था नहीं थी, यह इसका प्रमाण है कि लोगों को रास्तों में पीटा गया। लोगों के पैर काट दिये। यह आपका मैडिकल विभाग है जो १५–१५ दिन तक सर्टीफिकेट न दे। लोगों के अभी तक चालान न हों। वेटेरिनरी डिपार्टमेन्ट के एच० ई० और सरपंच वहां थे। लिस्ट पड़ी है मेरे पास। लोगों को मामूली से मामूली मामलों में आप मुअत्तिल करते नहीं हिचकते, लेकिन इस तरह के संगीन मामलों में भी आपने उनको मुअत्तिल क्यों नहीं किया ? कैसे उनकी यह हिम्मत हो गई। नीचे की कोर्ट से केस सैशन कोर्ट में चला गया। इन दोनों को आपने मोअत्तिल नहीं किया। आपने डी. ए. आर. और भोलूराम प्रधान को सस्पेन्ड नहीं किया, यह समझ में आता है।

(श्री भैरोंसिह)

पर आपके आई. जी. पी. ने घोषणा की थी थोड़े दिनों पहले कि अगर उनको छूट दी जावे तो वे स्मग्लिंग करने वालों से राज्य के जेलखाने भर देंगे। मैं पूछता हूं उसका क्या हुआ ? आपका यह मामला थोड़ा सा चलकर वहीं बन्द क्यों हो गया। क्या हुआ ? बन्द क्यों हो गया ? आगे की तो गारन्टी देते थे और पिछले करने वालों को जेल में डालने वाले थे न आप तो ? क्या हुआ उसका ? कुछ नहीं हुआ।

जयपुर में, अध्यक्ष महोदय, वाणी मन्दिर से एक आर. जे. एल. नम्बर की गाड़ी हिन्दुस्तान के तीन सर्वे मैप्स ले गई। उस गाड़ी का आज तक पता नहीं, गाड़ी के ओनर का पता नहीं। एक व्यक्ति हिन्दुस्तान में सिपाही बनकर एस. पी. के साथ काम कर रहा था और वह पाकिस्तान का इन्फोर्मर था। वह पांच वर्ष तक रहा, पाकिस्तान को यहां की सब सूचनाएं देता रहा। मैं पूछना चाहता हूं अपने गृह मन्त्रीजी से कि गृह मन्त्रीजी वह आदमी कहां गया ? जरा बता तो दें। यह है आपकी व्यवस्था। बताएं वह आदमी कहां गया ?

श्री मथुरादास माथुर : पाकिस्तान।

श्री भैरोंसिह : कागजों में आपके है क्या यह लिखा हुआ ? कागजों में पाकिस्तान गया नहीं (लिखा) है। मैं कहना चाहता हूं कि ऐसी हालत में आप कागजों में नहीं लिखना चाहते थे कि लोग यह समझें कि आप ऐसे देशद्रोही, असामाजिक तत्वों को पोषण दे रहे थे। केवल इसलिये कि हम कहेंगे कि पांच वर्ष तक वह आपके यहां इन्फोर्मर रहा हम पता नहीं लगा सके, लोग हमारी मजाक उड़ावेंगे इसलिए। इस कारण ही आज जितने एन्टी–नेशनल पाकिस्तान के स्पाईज़ यहां पाकिस्तान के लिए स्पाई की कार्यवाही करते हैं वे खुलकर यहां घूमते हैं।

पिछले दिनों जयपुर में एक ने गो-हत्या कर दी। पकड़े गये तो उनमें से एक ने बयान दिया हम पाकिस्तान के सी. आई. डी. हैं। हम तो छः–सात आदमी ऐसे हैं। तो उनकी रोकथाम हमारी यह सरकार नहीं कर पाती। मैं इसलिये यह कहूंगा कि आप जनतन्त्र की रखवाली का दम भरते हैं, कम से कम इस बात की व्यवस्था करके चलें।

अध्यक्ष महोदय, ये सब उपर्युक्त कारण हैं जिन कारणों ने मुझे मजबूर किया है कि इस सरकार के खिलाफ यह अविश्वास का प्रस्ताव रक्खूं। मैं ऐसा महसूस करता हूं कि हमारी राजस्थान की दो करोड़ जनता का ने तो जन-धन इस सरकार के हाथ में सुरक्षित है और न हम लोग रेवेन्यू के रूप में जो पैसा सरकार के पास जमा कराते हैं वह सुरक्षित है। मैं ऐसा मानकर चलता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि यदि यह सरकार थोड़े दिनों तक और चली तो यह सरकार जनता की रही सही हिम्मत भी तोड़ देगी।

चीनी आक्रमण के समय जनता में जितना जोश था, उतना आज नहीं है। आज हमारे देश में एमर्जेन्सी कागजों में रह गई है। वह आज जनता के दिमाग में नहीं है। इसलिये नहीं है कि हमारी यह तथाकथित

(श्री भैरोंसिंह)

सरकार स्वयं ही उसके अनुसार आचरण नहीं करती और इस सरकार के पक्ष के आदमी कतई ईमानदारी को बलाए ताक में रखकर जनता का जिस प्रकार से शोषण करने में आज कमर कस कर लग पड़े हैं वह शोषण आज जनता को चौंका रहा है। इस शोषण से आज जनता को बचाने की आवश्यकता है।

मुख्य मन्त्रीजी अमेरिका गये। अमेरिका से वे क्या लाये? राजस्थान के लिये वे कुछ नहीं लाये। राजस्थान के लिये शायद नाथूरामजी इज़राइल से कृषि की पद्धति लेकर आये। पर हमारे मुख्य मन्त्री अमेरिका से एक सौगात लेकर आये सेक्रेटेरियेट के कर्मचारियों के लिये और वह सौगात है प्रातः ९ बजे से ५।। बजे तक की कैद। यह तुगलकशाही फरमान निकलते हैं उनकी तरफ से कि सेक्रेटेरियट का समय ८।। से ५।। बजे तक रहेगा, फिर दूसरे दिन दूसरा तुगलकशाही फरमान निकलता है। पहले वाले फरमान को बदल दिया जाता है, कहा जाता है ८।। से ५।। नहीं, ९ से ५।।, फिर दूसरा तुगलकशाही फरमान जारी होता है नहीं प्रातः आठ से एक। जिस तरह से मुहम्मद तुगलक की योजनाएं चलती थी, उसी तरह हमारी इस सरकार की योजनाएं चलती हैं।

मैं कहना चाहूंगा, आपने अच्छी तरह विधान सभा में कहा है, बुरा न मानें, हम कोई आपके व्यक्तिगत विरोधी नहीं हैं, हम नहीं चाहते कि प्रजातन्त्र में डंडे के जोर पर इस सरकार को समाप्त किया जावे, हम नहीं चाहते आलोचना करके सन्तोष कर लिया जावे। हम चाहते हैं हिन्दुस्तान में और राजस्थान के अन्दर डेमोक्रेसी फले-फूले, इसका विकास हो। इस डेमोक्रेसी के अन्दर जनता को ज्यादा से ज्यादा सुखी और समृद्ध बनाया जा सके।

और आज मैं ऐसा समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, कि बहुमत इस सरकार का मेम्बर्स के हिसाब से, वोटर्स के हिसाब से, अपोजीशन के हिसाब से एक दो ज्यादा भले ही है पर इससे वे यह नहीं समझें कि उसकी परचेज़िंग कैपेसिटी ज्यादा है। मैं तो आज कहना चाहता हूं कि यदि आपमें दम है, जनता के फैसले में विश्वास हो तो वे त्यागपत्र देकर दुबारा चुनाव करावें। उनको छः महीनों में पता लग जावेगा कि कांग्रेस वाले इस सदन में किस ओर बैठेंगे। आज आवश्यकता है त्यागपत्र दें वे और दुबारा चुनाव करावें। धन्यवाद देंगे। आप इस जीत की खुशी लेकर नहीं चलें कि यह अविश्वास का प्रस्ताव गिर गया। हम जानते हैं यह पास नहीं होगा, गिरेगा। पर आप यह न समझें कि इसे आपने गिरा दिया है। यह गिर नहीं गया है। यह अविश्वास प्रस्ताव गिरता है तो आप ज्यादा गिरेंगे और एक दिन ऐसा आवेगा कि लोगों का विश्वास प्रजातन्त्र से उठकर दूसरे रास्ते की तरफ जावेगा, लोग दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे आपको गिराने के लिये।

मैं सदन से निवेदन करना चाहता हूं, खास कर उन सदस्यों से जिन्होंने अपने भाषणों में बहुत बातें सही कहीं। पर मुझे डर है, इस समय सदन में उठकर उन बातों का

(श्री भैरोंसिंह)

विरोध करेंगे, इसका मुझे डर है। लेकिन विरोध करने से पहले वे बता दें, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि वे किसी से दब कर न चलें। सुखाड़िया ने नारा लगाया है, "खाओ और पूंछ हिलाओ"। इस नारे पर विश्वास मत करो। आप जनता का वोट लेकर आये हैं। ईमानदारी का तकाजा है कि भलाई को भलाई कहो और बुराई को बुराई कहने की हिम्मत रखो और बुराई को समाप्त करने के लिये इस राजस्थान की सरकार को समाप्त कर दो और ऐसे लोगों के साथ न चलो जो आपको अपनी मर्जी पर चलाना चाहते हैं।

अन्त में, अध्यक्ष महोदय, मन्त्रियोंके बारे में भी थोड़ा कह देना चाहता हूं। कई मन्त्रियों के लिये तो क्या कहूं ? मेरी कहने की इच्छा तो है। मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं, लेकिन कुछ व्यक्तिगत मामले हैं, मैं, इसलिये, ज्यादा उन पर कुछ नहीं कहूंगा। मैं इतना ही निवेदन कर देना चाहता हूं कि कई मन्त्रियों के चाल-चलन अच्छे नही हैं। नहीं हैं अच्छे, यह मैं स्पष्ट करता हूं। और गृहमन्त्रीजी, आपको नहीं कहता हूं और इसलिये चाहता हूं कि आपको डटकर इन बुराइयों को उनमें से निकालना है क्योंकि आप स्वयं इन चीजों के विरोधी है। आप चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, कि उनकी मोरल वर्च्यूज बढ़ें। डेमोक्रेसी चाहती है कि मोरल वर्च्यूज इनकी बढ़ें। हम भी चाहते है कि इनकी मोरल वर्च्यूज बढ़ें। पर आपके राज्य में मोरल वर्च्यूज खत्म होते जा रहे हैं। मोरल वर्च्यूज उनके खत्म नहीं हो रहे हैं जो साधारण गली-कूचों में घूमने वाले हैं, वरन् उनके हो रहे हैं जो ऊंची से ऊंची शासक की कुर्सी पर बैठने वाले हैं और उनकी नजीरें जब देखता हूं तो मेरा कलेजा कांपता है, अध्यक्ष महोदय। कलेजा मुंह को आता है जब मैं यह देखता हूं कि महाराणा प्रताप की भूमि, यह राजस्थान का वह गौरवशाली इतिहास, यह राजस्थान की वह पन्ना दाई की भूमि, जहां पद्मिनी ने जौहर किया था, उस भूमि के अन्दर आज महिलाओं के साथ क्या क्या अत्याचार नहीं होते।

(६. म. प.)

कौन कौन नहीं करता। मैं आपसे इतना ही कुछ शब्दों में कह देना चाहूंगा कि आप अपने मंत्रि-मण्डल के ऊपर निगाह करके देखें। आपके पास कागज भी हैं। गृहमंत्रीजी मैं आपसे कह रहा हूं आपके पास कुछ कागज भी हैं, शिकायतें भी आपके पास हैं। आप यदि इन्कार करें तो राइट ऑफ एक्सप्लेनेशन मिले या न मिले मैं आपको गिना सकता हूं। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं........

श्री मथुरादास माथुर : मेरे पास तो कागज इधर के भी हैं, तो उधर के भी हैं।

श्री भैरोंसिंह : यह ठीक है। मैं इतना ही कह देना चाहता हूं कि आप राजस्थान के अन्दर आदिवासियों की महिलाओं का अनैतिक व्यापार होने से नही रोक सकते। धौलपुर आश्रम में महिलाओं को बेच दिया जाये, आप उसको नहीं रोक सकते। लेकिन मोरल वर्च्यूज जहां कायम होते हैं वहां डंडा लेकर चलना पड़ेगा। चाहे किसी को मंत्रि-मण्डल से बाहर करना पड़े या रेस्टोरेन्ट्स बन्द करने पड़ें।

(श्री भैरोंसिंह)

एक शराब का मामला पिछले दिनों चला, उसका मैं जिक्र नहीं करूंगा। मैं भूल गया था आपको बताना। शायद माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां नहीं हैं इसलिए मेरा जवाब भी अधूरा है। मैं उनको एक कागज बताने वाला था आज, तीन महीने पहले उनको मिला था जिसके अन्दर पूरा विवरण था, जिसमें रिश्वतखोरी की शिकायत थी। वह कागज दबा हुआ है। मैं वह कागज मुख्य मंत्रीजी को दूंगा और जिस समय वे जवाब देंगे उस समय पूछना चाहूंगा कि आपने इस चीज का क्या फैसला किया? आज तक आप क्यों इस मामले में मौन रहे?

मैं फिर कहूंगा कि फोरिन लिकर के संबंध में जो लाइसेन्स दिये गये है उनमें घोटाले हैं, उनमें जुडीशियल डिस्क्रिशन एप्लाई नहीं किया गया, कांग्रेस के लोगों को करप्ट करने का मैथड अपनाया गया। इन सब बातों को लेकर मैं नम्र निवेदन करना चाहूंगा कि आप गांधीजी के अनुयायी हैं, गांधीजी के सिद्धान्तों के पक्ष में आप हो सकते हैं, गांधीजीके नाम पर लोगों को लूटो मत। सन् ४७ के पहले की कांग्रेस को देखो, जिसको हम आज भी पूजते हैं और ४७ के बाद की कांग्रेस को भी देख लो। कांग्रेस के अन्दर क्या आपने कोई समाजवाद अपनाया है? आप उस समाजवाद के पक्ष में हो सकते हैं, कांग्रेस की नीतियों के पक्ष में हो सकते हैं लेकिन आप भ्रष्टाचार के पक्ष में नहीं हो सकते, व्यभिचार के पक्ष में नहीं हो सकते, जनता का जो शोषण किया जाता है उसके पक्ष में नहीं हो सकते। आप कह रहे हैं कि आप समाजवाद ला रहे हैं? जयपुर में गलियों में सोते हुए आदमियों को देखो और नेताओं के मकानों को देखो। जयपुर का एक आदमी गलियों में पड़ा हुआ सड़ता रहे और ७५ हजार लोगों को प्लॉट्स न मिलें, लोगों के मकानों में पानी भर जाये, किसी को जमीन नहीं मिले और किसी को पोल्ट्री फार्म के नाम पर दस-दस बीघा जमीन मिल जाये। किसी को मकान बनाने के लिए विमुक्त जाति सेवा संघ की जमीन मिल जाये। लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि समाजवाद जिसको आप कहते हैं क्या आप सचमुच इस तरह से समाजवाद ला रहे है? उसके पहले हिन्दुस्तान की गरीब जनता, राजस्थान की गरीब जनता को देखें कि जयपुर की सड़कों पर सोने वाले हैं, रिक्शे चलाने वाले हैं; पेड़ों के नीचे बरसात निकालने वाले कितने हैं?

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

जयपुर के आसपास अध्यक्ष महोदय, आपको यदि फुरसत हो तो मैं ले चलूं, वहां आप देखेंगे कि जयपुर का कितना शोषण नेताओं ने किया है। ये प्रेस वाले कितने दिनों से चिल्ला रहे हैं, इनको जमीन नहीं। लेकिन बाहर की जमीन पब्लिक पार्क के लिए रखी हुई जमीन सरकारी अधिकारियों को मिल जाये। आनन्दपुरा के अन्दर स्कीम एप्रूव नहीं होती और लोगों को प्लाट बांट दिये जाते हैं। यह जयपुर का सत्यानाश करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है। मैं कहता हूं कि राजस्थान की सरकार ने चाहे स्लम क्लियरेन्स का मामला हो, इन्जीनियरिंग कॉलेज का मामला हो, यूनीवर्सिटी का मामला हो, हाईकोर्ट का मामला हो, चाहे डेवलपमेन्ट का मामला हो, राजस्थान के मुख्य मंत्री जी ने कोई बीड़ा उठा रखा है कि जयपुर

(श्री भैरोंसिंह)

को तबाह करना । मैं भी माननीय अध्यक्ष महोदय, कह देना चाहता हूं कि वे जयपुर को तबाह नहीं कर सकेंगे । आपके हाथ में कितने दिन कुंजी है, पूंजी है अपनी मनमानी करते जाइए; मर्जी से चले जाइये; लेकिन अब आपकी मौत खुलने वाली है । आप अपनी मर्जी से चले जाइये तो अच्छा है, वरना लोग आपको । निकाल कर छोड़ेंगे । मेरे पास जो घोटालों की रिपोर्ट आती है और जो घोटाले मैंने अभी तक सदन में बताये वे कम नहीं हैं । चाहे तो दस दिन तक सुनें, कोई कमी नहीं आयेगी आज मैं कह सकता हूं कि इंग्लैंड या अमेरिका के जज को बुलाकर राजस्थान के व्यक्तिगत मंत्रियों की नहीं, किसी सदस्य की नहीं, राजस्थान की कांग्रेस की जांच कराई जाये तो उसका आदेश होगा कि इस संस्था को इल्लीगल डिक्लेयर कर दिया जाये । मैं यह सब आज इसलिए निवेदन करता हूं कि आप संख्या की दृष्टि से गिरे, शासन की दृष्टि से गिरे, सर्विसेज़ में आपका विश्वास नहीं, आप सर्विसेज़ में विश्वास नहीं करते, टैक्सों का बोझ, मंहगाई बढ़ गयी, गरीबी बढ़ गयी, बेकारी और भुखमरी बढ़ गयी, उनका इलाज आप कर नहीं सकते । अपने रिश्तेदारों को खिलाते-पिलाते है । क्या है कोई ऐसा मंत्री जो कह दे कि मैंने किसी को ओब्लाइज नहीं किया........

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : आप ही को किया ।

श्री भैरोंसिंह : कहे, कौन कौन मंत्री ऐसे हैं जो कह सकें कि हमने आज तक किसी को ओब्लाइज नहीं किया ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जौहरी बाजार, जयपुर) : सोच लेना सब केसेज़....

श्री भैरोंसिंह : कोई मंत्री हैं जो यह कह दें कि हमने किसी आदमी को बेजा फायदा नहीं पहुंचाया । कहो एक....... एक........ एक.......

श्री चन्दनमल वेद (उप-मंत्री,उद्योग): That is not the dignity of the Hoaose. माननीय अध्यक्ष महोदय, क्या इस तरह की चीजें अलाउड हैं कि किसने क्या किया, क्या नहीं किया.......

श्री भैरोंसिंह : मेरा तो एक सिम्पल क्वेश्चन है ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : ये माधोसिंह वैद का किस्सा नहीं कह रहे हैं ?

(व्यवधान)

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल(बयाना): यह कोई नहीं है जो मुरझा जायेंगे । शांति से बैठिये और सुनिये ।

श्री भैरोंसिंह : शायद मेरे कहने का एक उप-मंत्री जी को बहुत बुरा लगा....

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस तरह मे प्रश्न पूछकर वे कोई यह समझें नहीं कि वे जो कुछ कह रहे हैं वह चुपचाप सुन रहे हैं और वह सही है । हर एक मंत्री को कहने का मौका मिलेगा । क्योंकि हमारी परम्परा है कि-जो कुछ कहा जाये वह सुनते रहे हैं और बीच में इन्टरप्ट न करें । हम भी कह सकते

(श्री मथुरादास माथुर)

हैं कि कौन सा ऐसा सदस्य है जो कह सके कि जिसको ओब्लाइज नहीं किया हो। अगर दस दिन तक बोल सकते हैं तो एक महीने तक हम भी बोल सकते हैं।

श्री भैरोंसिंह : अध्यक्ष महोदय, मुझे खेद है कि गृह मंत्री जी को इससे कुछ उत्तेजना पैदा हुई....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जो मिनिस्टर होंगे उसी को होगी बाकी किसी को नहीं होगी।

श्री भैरोंसिंह : खैर, अब मैं आगे नहीं कहना चाहता हूं। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि शासन की बागडोर अधिक दिनों तक अब कांग्रेस के हाथों में रही तो न केवल राजस्थान का अहित होगा बल्कि यहां की सारी जनता का अहित होगा। राजस्थान एक गोल्डन स्टेट पाकिस्तान की सरहद पर है और पाकिस्तान से इतने संबंध खराब हैं कि इन्टर्नल सिचुएशन भी काबू करने की क्षमता अब सरकार की नहीं रही और यहां की जनता की तबाही सारे भारतवर्ष की जनता की तबाही होगी। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस सदन को कहना चाहता हूं कि वे केवल यह समझ कर चलें कि हमारे मंत्री महोदयों को बचाने के लिए वे कुछ कहें। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूं, और आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार के नाम पर कांग्रेस को खत्म करो, अपव्यय के नाम पर इस कांग्रेस को खत्म करो। जिस राज्य की मोरल वर्च्यू खत्म की उसको खत्म करो, जिसने अधिक टैक्सेज लगाये, जिसने गरीबी बढ़ाई, जो राज्य जनता को न्याय नहीं दे सका, जो करों से लोगों को बचा नहीं सका उस राज्य को अब अधिक रुकने की आवश्यकता नहीं है। न इसमें गांधीजी बाधक होंगे और न समाजवाद बाधक होगा। इसलिए यह अपील करता हुआ कि जितनी जल्दी कांग्रेस की वर्तमान हुकूमत खत्म होती है उतना ही राजस्थान का हित है। इतनी ही अपील करके मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

श्री मुरलीधर व्यास (बीकानेर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक बहुत लम्बा भाषण जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने प्रस्तुत किया है। मेरा जो प्रस्ताव है उसे मैं पढ़ कर सुनाता हूं :—

"राज्य में फैले भ्रष्टाचार, प्रशासन की अयोग्यता, मंहगाई को रोकने में सरकार की असमर्थता तथा फिजूल खर्ची एवं गरीब जनता पर कमर तोड़ टैक्स के कारण यह सदन मंत्रि-मंडल में विश्वास का अभाव प्रकट करता है।"

माननीय अध्यक्ष,........

(सदन से कुछ माननीय सदस्यों के उठ कर बाहर जाने पर)

श्री अध्यक्ष : कृपया शान्ति रखें। जो माननीय सदस्य बाहर जाना चाहें बगैर शोर किये चले जायं, शोर नहीं करें। Order please ! बहुत ही शान्ति से बाहर जाइये बगैर बात करते हुए, बगैर शोर करते हुए।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय अध्यक्ष, मैं यह समझता हूं कि इस भ्रष्टाचार

(श्री मुरलीधर व्यास)

के सम्बन्ध में विरोधी पक्ष के लोग ही बातें करते हों तो स्वाभाविक है कि कुछ ऐसा समझ में आ सकता है कि विरोधी पक्ष विरोध के लिए ही बात करता है, परन्तु भ्रष्टाचार का सवाल है, तो मैं यह कहता हूं कि इस सरकार के ऊपर जो भी अविश्वास का कारण है उसमें भ्रष्टाचार बहुत प्रधान है, और यह विश्वास केवल राजस्थान की विधान सभा के विरोधी पक्ष के सदस्यों का ही नहीं है, बल्कि सही मायने में तो राजस्थान की जनता का अविश्वास है। अगर मैं इन बातों को कहता हूं तो यह शायद आपको अन्दाज लगता होगा कि ये इस बात को सिर्फ विरोध के लिए कहते हैं। मैं आपके सामने कुछ कांग्रेस के ही, कुछ लोगो को जो कांग्रेस के विषय में क्या कहते हैं, और क्या स्थिति है उसके बारे में जो कांग्रेस के लोगों ने अपने वक्तव्य दिये हैं वह आपके सामने पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। सबसे पहले मैं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में पार्लियामेंट के मेम्बर श्री पन्नालाल बारूपाल ने राष्ट्रदूत के अन्दर एक वक्तव्य दिया है उसको मैं पूरा नहीं पढ़ता हूं और केवल ५–६ पंक्तियां ही पढ़ता हूं ;

आज कांग्रेस की प्रतिष्ठा गिरने का कारण है सरकारी प्रशासन में फैला हुआ भ्रष्टाचार और हर व्यक्ति में प्रशासन में फैली हुई बुराइयां। यह नितान्त दुःख का प्रश्न है कि न्याय विभाग से सस्ता और जल्दी न्याय नहीं प्राप्त होता है। सरकार के किसी विभाग में; चाहे कृषि, नहर, पुलिस, निर्माण, यातायात आदि में कहीं भी बिना पैसा दिये कार्य नहीं होता है। मुझे अपने चुनावों का काफी अनुभव है कि सरकारी मशीनरी द्वारा आज गरीब किसान, मजदूर और मध्यम वर्ग का प्रति व्यक्ति किस तरह से पिस रहा है। सरकारी अर्थ-व्यवस्था पूंजीवादी अर्थ-व्यवस्था के आधार पर है। जब तक इसको समाजवादी व्यवस्था के आधार पर नहीं बनाया जाय तब तक सर्व साधारण को राहत नहीं मिल सकती। यदि सर्व साधारण को न्याय सस्ता मिले, हर छोटे-बड़े काम के लिए सरकारी कार्यालयों में उसे भटकना नहीं पड़े, कहीं पक्षपात नहीं हो, तो मेरी यह मान्यता है कि कांग्रेस एवं कांग्रेस सरकार सर्व साधारण का विश्वास तथा सहानुभूति प्राप्त कर सकती है। प्रशासन में सुधार करते ही कांग्रेस संगठन का उद्देश्य अपने आप पूरा हो जायेगा। आज सर्व साधारण का कांग्रेस में विश्वास नहीं है।"

यह वक्तव्य कांग्रेस के ही सदस्य का है, पार्लियामेंट के मेम्बर का है। अगर मैं यह बात कहता हूं कि कांग्रेस भ्रष्ट है, कांग्रेस पूंजीवादी व्यवस्था पर चल रही है, कांग्रेस के प्रशासन में भ्रष्टाचार है तो शायद यह तो सकता है कि आप यह समझें कि मैं विरोधी पक्ष का आदमी हूं; वह विरोध के लिए ही कहता हूं।

(६ १४ म. प.)

(राव श्री नारायणसिंह, उपाध्क्ष, पदासीन)

एक प्रमाण आपके सामने रखा है वह एक पार्लियामेंट के मेम्बर का जो कि डबल मेम्बर्स कॉन्स्टीटुएन्सी का प्रतिनिधित्व करते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

दूसरा, अभी बहुत से सम्मानीय सदस्यों ने कहा कि आज कांग्रेस में किस प्रकार के लोग इसके अन्दर आ गये हैं जो कि आज किस प्रकार से मालामाल बन गये हैं, किस प्रकार की हालत है ? उसके सम्बन्ध में मैं कांग्रेस के अध्यक्ष का वक्तव्य आपके सामने रखता हूं। मेरे कहने के जवाब में आप कह सकते हैं, कि भ्रष्टाचार नहीं है, पर मैं जो कांग्रेस के आपके अध्यक्ष है, जिन्होंने अपना वक्तव्य दिया है, उसके ऊपर आप क्या जवाब देते हैं वह आपको ही मालूम पड़ जायगा।

यह प्रजा सेवक बीकानेर का अखबार है जिसमें इधर तो हरिदेवजी का फोटो है राजस्थान नहर के सम्बन्ध में और उधर जो वक्तव्य है उसके बारे में कहता हूं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में घुसते ही जो कल तक दरिद्र थे रातों-रात करोड़पति बन गये, जो कल तक सड़कों की धूल चाटते थे, आज अनेक मिलों और सिनेमा घरों के मालिक बन गये हैं। कांग्रेस अध्यक्ष, श्री वी. संजीवैया ने इन्दौर में कहा है :

''कांग्रेस की प्रतिष्ठा को गत वर्षों में जो क्षति पहुंची है उसका एक मुख्य कारण यह भी है कि सन् ४७ से पूर्व के अनेक निर्धन कांग्रेसी आज करोड़पति बन गये हैं। कुछ फैक्ट्रियों और मिलों के मालिक है तो कुछ सिनेमा घरों के मालिक है। कभी पैदल घूमने वालों के पास आज एक नहीं अनेक कारें है।

यह सब देखकर जनता के मन में यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि आखिर यह सब पैसा कहां से आया है ? वह यह प्रश्न पूछती है, मगर उसका उसे कोई उत्तर नहीं मिलता........

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : माननीय सदस्य, कांग्रेस प्रेसीडेन्ट ने जो कॉन्ट्राडिक्शन इसका दिया है वह भी पढ़ दें तो सदन को सही स्थिति मालूम हो जायगी।

श्री मुरलीधर व्यास : वह आप दे देना।

श्री मथुरादास माथुर : मैं यह कहना चाहता हूं कि जो स्टेटमेंट उन्होंने दिया है उसको पढ़ दें। आप अपनी तरफ से कुछ भी कहें, कांग्रेस प्रेसीडेन्ट के नाम से कहते हैं तो जो उन्होंने कॉन्ट्राडिक्ट किया तो ओनेस्टी डिमान्ड करती है कि उसको भी पढ़ें।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): कॉन्ट्राडिक्शन दिया तो वह सत्य हो गया क्या ?

श्री मुरलीधर व्यास : इसके अतिरिक्त उनका वक्तव्य और है। मैं पूरे वक्तव्य में नहीं जाता। मैं इतना ही नहीं कहवा, लेकिन श्री संजीवैया जो कि कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के अन्दर बड़ा भारी भ्रष्टाचार है। कल के कांग्रेसी जिनको चाय का प्याला होटल वाला नहीं देता था वे आज करोड़पति और लखपति हो गये हैं। मैं नहीं कहता। उनका वक्तव्य है। उनका प्रतिवाद कर सकते हैं आप, ऐसी बात नहीं है। संजीवैया का वक्तव्य गलत हो, तो आप कह सकते हैं।

(श्री मुरलीधर व्यास)

इसके अतिरिक्त हमारे यहां के गवर्नर ने खुद ने कहा है कि बड़ा भारी भ्रष्टाचार आज राज्य के अन्दर फैला हुआ है। अभी जो करप्शन की कॉन्फ्रेंस हुई उसमें गवर्नर ने कहा। उनका वक्तव्य आप कहें तो मैं पढ़ कर सुना दूं। आप चाहे जवाब दे दें कि भ्रष्टाचार नहीं है, लेकिन आज भ्रष्टाचार सारे हिन्दुस्तान के अन्दर इस प्रकार से जड़ कर गया है कि उसको आप निकाल फैंक नहीं सकते। अगर उसको नहीं निकाल फैंक सकते तो हिन्दुस्तान किसी भी प्रकार से उन्नति नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में जो भी वक्तव्य आये हैं वे तो मैंने आपके सामने इसलिए कह दिये कि वह वस्तु-स्थिति है।

अब मैं जब इस बात को कहता हूं कि इस सरकार में अविश्वास है, तो वह मेरा ही नहीं, जनता का, नागरिकों का और राजस्थान की दो करोड़ जनता का अविश्वास है, और ये बातें मैं नहीं कहता; परन्तु कांग्रेस के लोग ही कहते हैं कि इस प्रकार की हालत आज है और इसी कारण से आपको भी यह मान्य करना पड़ेगा कि कामराज ने जो इस सम्बन्ध में बात रखी कि मंत्रियों को अपनी कुर्सियां छोड़ कर जनता के काम में लग जाना चाहिए, क्योंकि मंत्री लोग जनता से बहुत दूर हैं। राज्य के अन्दर जो जो भ्रष्टाचार है और बुराइयां फैली हुई हैं उनको दूर करने के लिए कुछ लोगों को बाहर आना पड़ेगा। यह उनका भी वक्तव्य है और यह प्रवृत्ति भी हो रही है, इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। यह वस्तु स्थिति है, इससे किसी हालत में अलग नहीं हो सकते हैं। मैं यह कहता हूं कि अविश्वास विरोधी पक्ष का ही नहीं है, बल्कि बाहर की जनता का भी है। मैं यह कहता हूं कि जनतान्त्रिक तरीके से आपकी सरकार हो लेकिन अभी डूंगरपुर से आने वाले माननीय सदस्य श्री लक्ष्मणसिंह जी ने कहा कि ३८ प्रतिशत वोटों की यह सरकार है। आपके खिलाफ ६२ प्रतिशत लोगों के वोट हैं। आप कह दें कि यह बहुमत की सरकार है, लेकिन जनतान्त्रिक विकेन्द्रीकरण के अनुसार मेजोरिटी का आज भी आपके खिलाफ अविश्वास है।

आपने ३८ परसेन्ट वोट लेकर सरकार बनाई और वह सरकार भी, मैं कहना चाहता हूं, वह जो सरकार आपने बनाई है, जिसके अन्दर जो भी कुछ है, प्रारम्भ से लें तो बनने से लेकर चुनाव तक और चुनाव के बाद सरकार बनाई तब तक और उसके बाद अब तक भ्रष्टाचार के ऊपर ही आधारित है। चुनाव का जहां तक सवाल है, चुनाव में भी जिस प्रकार कांग्रेस ने ३८ परसेन्ट वोट लेकर सरकार बनाई उस समय भी कांग्रेस के अधिकांश लोगों ने भ्रष्टाचार किया और प्रशासनिक मशीनरी का दुरुपयोग किया। यदि कोई मंत्री यह कह दे कि आपका वतव्य गलत है तो मैं चैलेन्ज देकर कह सकता हूं और प्रमाणित कर सकता हूं कि आपने भ्रष्टाचार से सरकार बनाई। यदि मेरा कथन गलत है तो विधान सभा से मैं हटने को तैयार हूं और अगर यह सही तो आप त्याग-पत्र दें। इसके लिये एक कमीशन बैठाया जाय जो इसकी जांच करे कि आम चुनाव में किस प्रकार प्रशासनिक मशीनरी, सरकारी मशीनरी और मंत्रियों ने मिल कर दुरुपयोग किया। हम उसका प्रमाण देंगे। कमीशन

(श्री मुरलीधर व्यास)

बैठाया जाय। यदि कमीशन बैठाया जायगा तो विरोधी सदस्य मिल कर साबित करेंगे कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार किया है। कमीशन की रिपोर्ट आने के बाद में आपके खिलाफ चार्जेज़ साबित हो जायं तो आप त्याग-पत्र देंगे। यह स्वीकार करते हों तो मैं प्रमाणित करने को तैयार हूं कि आपने भ्रष्टाचार किया है। आपने केवल चुनाव के समय ही भ्रष्टाचार नहीं किया बल्कि चुनाव के बाद जब आप सत्ता में आये, सत्ता बनाने के लिये भी आपका बहुमत नहीं था। बहुमत आपने कैसे बनाया ? ८८ सीट आपकी थी और ८८ सीट ही विरोधी पक्ष की थीं। लेकिन आपने एक व्यक्ति को अपने पक्ष में मिलाया। मैं इसको राजनैतिक भ्रष्टाचार समझता हूं; राजनैतिक भ्रष्टाचार इस प्रकार समझता हूं कि यदि कोई सरकार चुनाव से कुछ समय पहले खिलाफ लड़े और वह आदमी बैलों की जोड़ी के खिलाफ लड़ कर उसका विरोध करता है और कुछ दिन बाद सरकार बनाने के लिये उस व्यक्ति को अपने में मिलाते हैं तो मैं इसको राजनैतिक भ्रष्टाचार समझता हूं। पहले आपने चुनाव लड़ने में भ्रष्टाचार किया, फिर उसके बाद सरकार बनाने में भ्रष्टाचार किया और उसके बाद सरकार चलाने में भ्रष्टाचार किया, इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता।

अभी भैरोंसिंहजी कह रहे थे, आपको किसी न किसी को ओब्लाइज करना पड़ता है। आप चाहे इसका जबाब दें, न दें लेकिन आपको सरकार चलाने के लिये लोगों को ओब्लाइज करना पड़ता है। आपको सरकार चलाने के लिये ऐसे काम करने पड़ते हैं, भ्रष्टाचार करना पड़ता है। मैं इसको राजनैतिक भ्रष्टाचार मानता हूं। आपके दिमाग में सरकार बड़ी नहीं है, कुर्सी बड़ी है। कुर्सी को बनाये रखने के लिये आप सब कुछ कर सकते है। मैं कुर्सी को बड़ा नहीं समझता, देश को और राज्य को बड़ा समझता हूं। यदि बुरे काम से सरकार चलायेंगे तो गांधीवादी दृष्टिकोण से भी अच्छी सरकार बन नहीं सकती, यह वस्तु स्थिति है।

अभी जयपुर से आनेवाले साथी कह रहे थे तिवारी कांड के बारे में। तिवारी कांड के बारे में वे तो इतना ही कहते हैं कि उन्होंने मुख्य मन्त्रीजी को पत्र लिखा। लेकिन मैं कहता हूं कि तिवारी से कांग्रेस के बहुत से लोगों ने मुख्य मन्त्री से लेकर और लोगों ने पैसा लिया है और जमा कांग्रेस में नहीं कराया है और उसका दुरुपयोग किया है। यदि वे चैलेन्ज करते है तो उसकी डायरी में लिखा हुआ है, खान मन्त्री का नाम लिखा हुआ है। उस समय कौन थे खान मन्त्री, शायद धारीवालजी का नाम है। यदि ये नाम हैं तो मुख्य मन्त्रीजी को चाहिये कि वे इसकी जांच करावें। वहां पर सिराजुद्दौला कान्ड में मालवीयजी ने १० हजार रुपये दिलाये थे चुनाव के लिये, उसकी जांच करवाई बहुत उच्चस्तरीय न्यायालय के जज से। आज इस प्रकार की बात यहां के सारे मन्त्रियों पर है। मैं कहता हूं कि मुख्य मन्त्रीजी को सरे आम कहना चाहिये, घोषणा करनी चाहिये कि इसकी जांच करायेंगे। यहां पर तिवारी कांड में मुख्य मन्त्रीजी के नाम से लेकर दूसरे नाम बताये हैं, उनको घोषणा करनी चाहिये कि हम इसकी जुडिशियल जांच करायेंगे उच्च स्तर पर और जो दोषी होगा उसको सजा मिलेगी। नही तो पंडित

(श्री मुरलीधर व्यास)

नेहरूजी तक यह आवाज पहुंचाई जा सकती है। वे कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ जांच करायेंगे। वे करोड़ों रुपयों की इन्कम टेक्स की चोरी करते हैं तो केन्द्रीय सरकार एक उच्च स्तरीय कमीशन बैठावे और जांच करावे। तिवारी कोई ऐसे वैसे आदमी नहीं हैं, वे कांग्रेस के, जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष थे। उन पर करोड़ों रुपये सरकार के इन्कम टेक्स के देने हैं, वे न दें और उनके सारे लोग संबंधित हैं, सरकार ने उनको पनाह दी, माइन्स के ठेके दिये, साधन दिये, सुविधा दी, उन्होंने आपको भी सहायता दी; यह स्पष्ट है। इसलिये उच्च स्तरीय जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिये। उससे पता चल जायगा कि इसमे कौन कौन है।

जहां तक प्रशासन में फैले हुए भ्रष्टाचार का सवाल है, मैं इस बारे में एक अर्ज करना चाहता हूं कि प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के बारे में सरकार इन्कार कर सकती है. लेकिन यह इन्कार करने की चीज नहीं है। आज राजस्थान में प्रति दिन, मेरी यह मान्यता है कि आपके सरकारी कर्मचारियों में से करीब १० हजार आदमी इस प्रकार के हैं जो रोज घूस लेते हैं, चाहे छोटी घूस लेते हों, चाहे बड़ी घूस लेते हों, आप यह कह सकते है कि हमारी सरकारी के १० हजार कर्मचारी किस प्रकार घूस लेते हैं। लेकिन आज राजस्थान मे ४० हजार पुलिस कर्मचारी हैं उनमें से कितने थानेदार है, हैड कांस्टेबल हैं, कितनी चौकिया है, कितने थाने हैं, आप हिसाब लगावें तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि एक भी थाना नहीं मिलेगा, गृह मन्त्रीजी चाहे गर्व करते हों, लेकिन कोई ऐसा थाना नहीं मिलेगा जहां रोज भ्रष्टाचार नहीं होता हो, घूस नहीं ली जाती हो। छोटे छोटे मामलों में घूस ली जाती है। हर प्रकार के साधन सरकार ने उपलब्ध किये है, उनका दुरुपयोग होता है। चाहे हथकड़ी हो, चाहे हवालात का साधन हो, चाहे हन्टर का साधन हो। हथकड़ी का साधन अपने ढंग से इस्तेमाल किया जायगा, घूस लेने के बाद फौरन छोड़ दिया जायगा। मई महीने में तारा नगर में १९ तारीख को एक खांड की बोरी के सम्बन्ध में वहां के एस. डी. एम. ने जगदीश अग्रवाल की दूकान पर सील लगा दी। उसके बाद दूसरे दिन सबेरे वह सील खोल दी जाती है, कारण कुछ नहीं। कारण सिर्फ इतना है कि उस जगदीश अग्रवाल, जिसकी दूकान पर सील लगादी थी, उसकी तरफ से एक दूसरे आदमी फूलचंद गये, तीसरे गये सर्किट हाउस में, जहां एस. डी. एम. पगारिया साहब ठहरे हुए थे, वहां पहुंचे और कहा कि एक हजार रुपये दे दो, काम हो जायगा। एक हजार रुपये रात को दिये और सबेरे सील खुल गई। भ्रष्टाचार था खांड में वह साफ हो गया। इसकी रिपोर्ट भी की गई, जांच भी चल रही है।

मैं कहता हूं कि भ्रष्टाचार क्षण-क्षण में होता है। भ्रष्टाचार करने के लिये लोगों को बताया जाता है और फौरन बाद में खतम हो जाता है। मैं यहां तक उदाहरण पेश करता हूं कि लोगों की हत्या कर दी बीकानेर की जेल में, आपको मालूम होगा। वहां जो कैदी थे, जिन कैदियों के घर से पैसा मिल सकता था उनसे वहां के मेट ज्यादा श्रम लेते हैं और इतना काम लेते थे कि वे थक कर परेशान हो जाते थे, हैरान हो जाते थे और उनसे

(श्री मुरलीधर व्यास)

कहते थे कि जो कुछ आपको कहना हो कहें। उनसे कहा जाता कि आप अपने घर पर चिट्ठी लिख दें कि इतना पैसा भेज दो। जब उनके घर से पैसा आता तब जेलर, सुपरिन्टेन्डेन्ट, मेट मिल कर सारा पैसा खाते और जिन लोगों ने इसकी खिलाफत की, उस खिलाफत करने वाले को हमारी सरकार ने इस तरीके से मारा कि उसकी मौत हो गई। पांच आदमियों को उसने बुरी तरह से पीटा। आप आज भी उनकी मेडीकल रिपोर्ट देख सकते हैं, उन पांचो के पांच आदमियों के पांवों में फ्रेक्चर है। लेकिन उस मामले में कुछ नही हुआ। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि पैसा बनाने के लिए जेल सुपरिटेन्डेंट, जिसने कम्पलसरी रिटायरमेंट ले लिया था, को शायद फिर आपने अपॉइन्ट कर दिया है।

आज इस प्रकार का भ्रष्टाचार पैसा कमाने के लिए किया जाता है। आप पुलिस में चले जाइये, पटवारियों को ले लीजिये, इन्डस्ट्री में चले जाइये, यातायात में चले जाइये, सब जगह भ्रष्टाचार है। और अब तो भ्रष्टाचार शिक्षा के क्षेत्र में भी पहुंच गया है। कितना पवित्र क्षेत्र है, लेकिन इस शिक्षा के क्षेत्र में भी आठ–दस साल के बच्चों को, पैसा लेने के दृष्टिकोण से, पैसा लेकर फेल और पास करते है। इससे बढ़ कर कोई पतन नहीं हो सकता, यह भ्रष्टाचार की सीमा है। मैंने खुदने देखा है और मैंने मंत्री महोदय को दो कार्ड बताये हैं। वे कार्ड एक लड़के के थे। उसको प्रमोट कर दिया गया और प्रमोट करने के बाद में कार्ड दे दिया गया। वह पाली के स्कूल का लड़का था छठी क्लास का। उस छठी क्लास के लड़के को प्रमोट का कार्ड दे दिया गया। उसके बाद क्योंकि उसने रुपया नहीं दिया, तो क्या हुआ कि उससे कार्ड ले लिया गया। पिता ने उस मास्टर से शिकायत की तो उसका कार्ड ले लिया गया और दूसरा कार्ड उसे बना दिया गया। जहां पहले कार्ड में प्रमोट लिखा था, वहां उसको फेल कर दिया। मंत्री महोदय को मैंने कार्ड बताये हैं, पहला कार्ड जो प्रमोट का था और दूसरा कार्ड जो बाद में बनाया गया। एक और लड़के का कार्ड था, जिस पर क्लास टीचर का ही नहीं रजिस्ट्रार का दस्तखत था और वह कार्ड मंत्री महोदय की फाइल में मौजूद है।

बीकानेर का मेडीकल कॉलेज है, वहां के छात्रों को फेल कर दिया गया। लड़कों ने उपद्रव किया। उसमें मास्टरों की ट्यूशन का सवाल था। जिन लड़कों की ट्यूशन थी उनको पास कर दिया गया और जिनको ट्यूशन नहीं थी उनको फेल कर दिया गया। आप बताइये कि शिक्षा के क्षेत्र में भी भ्रष्टाचार का नाम आने से नहीं बचा है। उसमें भी भ्रष्टाचार का संस्कार पनपता है और उसको नहीं रोका जाता है। यह राज्य के लिए कितनी बुरी बात है! जहां तक बच्चों की किताबों का सवाल है उसके बारे में भी स्पष्ट है कि भ्रष्टाचार होता है। जो किताब सत्तर पैसे की है, सामान्य विज्ञान की आठवीं क्लास की, जिसे मैंने अपनी आंखो से देखा है, यह पुरानी किताब है जिस पर नये तरीके से कीमत लिखी हुई है। वह नई कीमत नये कागज पर, जितनी जगह पर कीमत लिखी जाती है, छाप कर लगवाई

(श्री मुरलीधर व्यास)

गई है। उसके लिए 'कालाबादल', जो कांग्रेस के सदस्य हैं, से पूछ सकते हैं। उन्होंने भी देखी है, सत्तर नये पैसे की किताब एक रुपये में बिकती है। यह ब्लैक मार्केट की सीमा है कि सत्तर नये पैसे की किताब एक रुपये में मिलती है। आप इससे इन्कार नहीं कर सकते हैं। यह छोटी बात नहीं है। आज भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है–उसके सम्बन्ध में आप जब तक कठोरता के साथ कार्यवाही नहीं करते हैं यह समस्या हल नहीं हो सकती है।

पहले एक उदाहरण शिक्षा के सवाल पर बोलते समय रखा गया था, वह एक भ्रष्टाचार का मामला था। वह इस प्रकार का मामला था कि जोधपुर के अन्दर एक फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज है। जोधपुर के फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के जो प्रिन्सिपल हैं–भीमसिंह या मानसिंह, जो कि अपने मकान को लड़कों के फिजिकल ट्रेनिंग कॉलेज के लिए देना चाहते थे, ने १९५९ के अन्दर अपना प्रपोजल वहां के प्रिन्सिपल के पास रखा था और प्रिन्सिपल ने वह प्रपोजल, जो उसने रखा था और जो १ लाख ४१ हजार का था, को डाइरेक्टर साहब के पास में रजिस्ट्री से भेज दिया। उसने ऑर्डिनरी पोस्ट से नहीं रजिस्ट्री से उसको भेज दिया। जिस प्रपोजल में यह कहा था कि इस प्रकार की बिल्डिंग है और इसको १ लाख ४१ हजार में देना चाहते हैं–इस प्रपोजल को भेज दिया गया। और भेजने के बाद उसका क्या हुआ? वह बिल्डिंग बिकी। वह बिकी कितने में? वह २ लाख ११ हजार में बिकी। देने वाला आदमी १ लाख ४१ हजार में देने को तैयार है। उसके लिए प्रिन्सिपल डाइरेक्टर को लिखता है और उसका लिखा हुआ लेटर, जो कि रजिस्ट्री से गया, मौजूद है। उसके बावजूद भी २ लाख ११ हजार में वह बिल्डिंग खरीदी जाती है। इस सबके पीछे क्या है? इसके पीछे एक ही चीज है और वह है भ्रष्टाचार। यह भ्रष्टाचार आखिर इसके पीछे क्यों है, इस चीज का पता लगायें........

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-शिक्षा, मन्त्री): उपाध्यक्ष महोदय, इसकी एन्टी करप्शन की जांच समाप्त हो चुकी है। उसकी रिपोर्ट तैयार हो रही है, इसलिए इस प्रश्न पर कहने का प्रश्न पैदा नही होता। लेकिन जहां तक उस लैटर का प्रश्न है जो आपने प्रोड्यूस किया था, वह लैटर तो फर्जी साबित हुआ। लेकिन एन्टी करप्शन की सारी जांच समाप्त हो चुकी है और हम रिपोर्ट को देख कर ज्यादा अवगत करा सकते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास: मैं कहता हूं कि जो जांच हो चुकी है वह यह हो चुकी है कि वहां के प्रिन्सिपल को सस्पेन्ड कर रखा है। यह तो हुआ है पर........

श्री मथुरादास माथुर: इतना ही नहीं हुआ है। प्रिन्सिपल को तब सस्पेन्ड कर दिया था जब सदन के सामने आपने लास्ट टाइम यह मामला रखा था। उसके बाद पुलिस ने केस रजिस्टर किया और एन्टी करप्शन से उसकी जांच हो गई। जो दस्तावेज, इस मामले में सब बातें तो नही कह सकता, क्योंकि मामला सब-जुडिस (sub-judice) है, लेकिन को चिट्ठी आपने पेश की थी वह फर्जी और जाली साबित हुई।

(श्री मथुरादास माथुर)

(विराम)

इसके बाद हम आगे कानूनी कार्यवाही करना चाहते हैं और उसके बारे में इन्वेस्टीगेशन की कार्यवाही की जा रही है और पूरी कार्यवाही की जायगी। इसलिए इस बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता क्योंकि मामला सब-जुडिस है। लेकिन इतना मैं कह दूं कि कोई भ्रष्टाचार की बात हो, किसी तरह का हो, जैसा कि आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बच जाते हैं या भ्रष्टाचार को दबाया जाता है, यह बात नहीं है।

श्री मुरलीधर व्यास : माननीय गृह मन्त्री कहते हैं कि जो कुछ हुआ वह गलत साबित हुआ। मैं जो बात कह रहा हूं अगर वह बात गलत है तो मैं मन्त्री महोदय को कहना चाहूंगा कि अगर यह बात गलत साबित हो जायगी तो मैं विधान सभा को छोड़ दूंगा और अगर नहीं होती है तो गृह मन्त्रीजी छोड़ दें........

श्री मथुरादास माथुर : यह आप हर इश्यू पर कहते हैं। कितनी बार छोड़ेंगे।

श्री मुरलीधर व्यास : भ्रष्टाचार को छिपाने की बात नहीं है, भ्रष्टाचार के बारे में मैं जो कुछ कहता हूं वह जानकारी के साथ कहता हूं और जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, उसके सम्बन्ध में जानकारी करके आप जो कुछ कहेंगे उसके लिए मैं तैयार हूं। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप जो कह रहे हैं वह यह बात है कि एक पत्र आपको दिया गया, जिसमें था कि भाई उस प्रिन्सिपल ने जो दस हजार रुपयों के बारे में कहा था, अगर आप उस रकम में बिकवा देंगे तो आपको कमीशन दूंगा। यह पत्र है, यह गलत साबित हुआ है, आप यह बात कह रहे हैं; परन्तु मैं यह बात कह रहा हूं कि १ लाख ४१ हजार में जो ऑफर प्रिन्सिपल ने भेजा था डाइरेक्टर के पास में और उसके बाद में भी वह २ लाख ११ हजार में बेची गई। तो वह कैसे बेची गई और २ लाख ११ हजार में दी गई या नहीं? यह बात गलत कहता हूं तो आप कह दीजिए........

श्री मथुरादास माथुर : यह ठीक है कि २ लाख ११ हजार में वह मकान बेचा गया। सवाल यह है कि १ लाख ४१ हजार की ऑफर हुई या नहीं? मैंने कहा कि एन्टी करप्शन की पूरी जांच करवा ली है। जांच करवा कर जो कुछ साबित हुआ है उस पर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।

श्री मुरलीधर व्यास : कुछ भी हो, क्या कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं, क्या नहीं; यह मुझे मालूम है। मैं कह रहा हूं कि यह पत्र है १९-११-५९ का प्रिन्सिपल का, जो डाइरेक्टर को भेजा गया है रजिस्ट्री से। उसमें यह बात स्पष्ट लिखी हुई है।

'The building has necessary facilities like water and electricity. So far as the cost of building is concerned, it can be adjusted in consultation with P. W. D. for assessing the same. The cost as given by the landlord is Rs. 1,45,000."

यह प्रिन्सिपल का पत्र डाइरेक्टर के पास पड़ा हुआ है। उसमें वे कहते हैं कि लैंड लॉर्ड बिल्डिंग १ लाख ४१ हजार में देना चाहता है। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं कि जब

(श्री मुरलीधर व्यास)

देने वाला कहता है कि मैं १ लाख ४१ हजार में देना चाहता हूं, फिर आपने २ लाख ११ हजार में किस प्रकार से खरीदी ? उसके मैं कारण बताना चाहता हूं। वह कब खरीदी, मई के महीने के अन्दर, सिर्फ पच्चीस दिन के अन्दर अन्दर, जब कि वहां श्री पूनम चन्द बिश्नोई जाते है, उसके दो महीने पहले और वे वहां प्रिन्सिपल से मिलते है। प्रिन्सिपल उनको कहता है कि वह उसको १ लाख ४१ हजार मे देने को तैयार है, इसका फैसला करवा दीजिए। यह १९६१ के फरवरी महीने में बातचीत होती है। उसके बाद में मई के महीने में १६ तारीख को पत्र प्रिन्सिपल के पास जाता है कि इसके बारे में सौदा करें, समझौता करें। और १६ मई को लिखा जाता है कि इस मकान का, बिल्डिंग का बातचीत करके फैसला करें। एक ओर खुद प्रिन्सिपल को मालूम है, जिसने कहा है कि १ लाख ४१ हजार में वह बेचना चाहता है और दूसरी ओर वह पत्र, जो रजिस्ट्री से डाइरेक्टर के पास पहुंच गया है, जो डाइरेक्टर के पास मौजूद है, उनकी फाइल में मौजूद है, वह पत्र डाइरेक्टर को भेजा गया। डाइरेक्टर ने वह पत्र आपको भेजा या नहीं, यह नही कह सकता। लेकिन डिप्टी मिनिस्टर, श्री पूनम चन्द बिश्नोई को यह कह दिया गया कि वह इतने में देने को तैयार है। १६ मई को वे कहते हैं कि इसका फैसला करो। १६ मई के बाद १८ दिन के अन्दर ऑर्डर चला जाता है। इस बीच में, असेसमेंट हो जाता है पी. डब्ल्यू. डी. से और उस पर फैसला हो जाता है कि २ लाख-११ हजार में बेच दे। यह ऑर्डर मेरे पास मौजूद है। अब आप अन्दाज लगावें कि १५ दिनों में इस प्रकार की परिस्थिति पैदा हो जावे ! यह परिस्थिति किसने पैदा की ? मैं यह कहता हू कि इस भ्रष्टाचार में चाहे कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार हो, मगर उस समय हमारे चीफ मिनिस्टर, शिक्षा मन्त्री, श्री मोहनलाल सुखाड़ियाजी थे और उन्होंने यह फाइनल सेंक्शन किया। सिवाय इसके यह फाइनल सेंक्शन करने की हिम्मत किसी अन्य छोटे कर्मचारी की नहीं हो सकती। इस भ्रष्टाचार में मैं कहूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर किसी-हालत में अलग नहीं रह सकते। चाहे आप किसी तरह से भी उनको बचाने की कोशिश करें, लेकिन वे बच नहीं सकते। मैं यह खुले शब्दो मे कहना चाहता हूं कि यह खुला भ्रष्टाचार है और यह प्रतिपादित है। मेरे पास और भी इसके कारण मौजूद हैं कि किस कारण से यह हुआ है, लेकिन उसके बारे में मैं अभी यहां जाना नहीं चाहता। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि डाइरेक्टर उदयपुर के, मिनिस्टर उदयपुर के- यानी सभी लोग उदयपुर के। उदयपुर के सभी अधिकारियों ने मिल कर इस मामले को दबाने की कोशिश की है, लेकिन मैं यह कहूंगा कि हमारे चीफ मिनिस्टर इससे किसी हालत में अलग नही रह सकते। मैं यह कहता हूं कि यह नीचे से लेकर ऊपर तक भ्रष्टाचार है और भी मामले, भ्रष्टाचार के अनेक मामले माननीय सदस्यों ने बताये, चाहें वे आपके उद्योग विभाग में हों, चाहे माइन्स में हों।

मैंने भी कई दफे चैलेंज करके कहा कि अभी तक भीलवाड़ा की माइन्स में जहां पहले ६) रुपये आते थे वहां पर एक रुपया कर दिया और पहले जो निश्चित था उसके बाद में कम करने से १५ लाख का नुकसान हुआ। इसी तरह से कई लीज देने के मामले हैं और यह सब मामले चीफ मिनिस्टर के पास थे।

(श्री मुरलीधर व्यास)

कुछ समय पहले शराब के मामले में कांग्रेस के माननीय सदस्य ने कहा था कि उसकी जुडिशियल इन्क्वायरी की जावे और बताया था कि किस प्रकार से उस विभाग में भ्रष्टाचार है। मैं कहता तो आप कहते कि गलत है, लेकिन कांग्रेस के आपके सदस्य कहते हैं उसको भी आप किसी प्रकार से छिपाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह भ्रष्टाचार नीचे से ऊपर तक है और इसको समाप्त करना चाहिये।

सबसे पहले मन्त्रियों की ओर से और अफसरों की ओर से यह बात आनी चाहिये कि हमारे पास कितनी जमीन है, कितनी आमदनी और जायदाद है, उसका सालो-साल स्टेटमेंट देना चाहिए। इस बात को आज से १५ वर्ष पहले श्री जयप्रकाश नारायण ने सुझाया था। आप उसको क्यों नही करते ? लेकिन मैं यह कहूंगा कि आप इस बात को जानते हैं कि हमारे यहां इस प्रकार की बात करेंगे तो बड़े बड़े अधिकारियों को नुकसान होगा।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : हम भेजते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : राजस्थान के अधिकारियों में से किसी ने नहीं भेजा है।

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : हम कांग्रेस को भेजते हैं।

श्री मुरलीधर व्यास : आपने भेजा होगा, लेकिन सब नहीं भेजते हैं। मैं यह कहता हूं कि ये आपके बड़े बड़े अधिकारी नहीं भेजते हैं।

आप जयपुर में चले जावें। आप देखेंगे कि जयपुर इतना बड़ा शहर है। इसमें बड़े बड़े बंगले किन किन लोगों के हैं। आपको मालूम होगा कि ये सब बड़े-बड़े बंगले बड़े बड़े अधिकारियों के हैं। अगर आप जयपुर में समाजवाद को देखना चाहते हैं तो आपको महात्मा गांधी की नीति पर अमल करना था। यदि आप उस नीति पर अमल करते तो जिस जमीन पर मेघवाल, नायक और छोटी छोटी गरीब कौमों के लोगों के झोंपड़े थे उनको आप आदर्श बस्तियें बनाते। उनके आप अच्छे मकान बनवाते। मगर ऐसा करके आप जयपुर का उत्थान नहीं कर सकते थे। बड़े-बड़े लोगों को बिल्डिंग और अट्टालिकाओं के लिये गरीब लोगों को जमीन नहीं दे सकते थे। आपने उन गरीब लोगों को जो वहां पर सदियों से बसे हुए थे उनको आपने वहां से निकाल दिया, यह कोई अच्छी व्यवस्था नहीं है।

हम दिखाने के लिये काम नहीं चाहते। मैं यह कहूंगा कि आज हमारे राज्य में भ्रष्टाचार के कारण सारे प्लानिंग के कार्य फेल हो रहे हैं। सारा प्लानिंग का काम प्रशासनिक अयोग्यता के कारण खराब हो रहा है। आपने ३३६ करोड़ का प्लान बनाया। आपका २३६ करोड़ का तीसरा प्लान था। उसको आपने १७५ करोड़ कर दिया। पहले प्लान में आपको २३६ करोड़ का खर्चा करने का प्रश्न था, लेकिन होता क्या है कि पहले साल आपने २१ करोड़ का खर्चा किया, दूसरे साल ३२ करोड़ और तीसरी योजना में ३३ करोड़ आपने खर्चा किया। आपके खर्चा करने की

(श्री मुरलीधर व्यास)

यह व्यवस्था है। खर्चा क्यों कम हो रहा है, इसका कारण भी मैं बताना चाहता हूं, लेकिन मैं यह कहूंगा कि प्रशासनिक अयोग्यता के कारण भी हमारे बहुत से काम नहीं हो रहे हैं और उसके साथ साथ भ्रष्टाचार भी पनपता है। आपने बताया कि हमारे यहां ४.६ प्रशासन का खर्चा होता है। लेकिन मैंने एक प्रश्न आज ही पूछा कि डेवलपमेंट ब्लॉक में प्रशासन का खर्चा कितना है तो आपने बताया कि किसी ब्लॉक का खर्चा ६० परसेन्ट, किसी का ५० परसेन्ट और किसी का ३० परसेन्ट है। टोटल ३९ परसेन्ट आपकी सरकार कहती है कि डेवलपमेंट ब्लॉक्स का खर्चा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपका प्रशासनिक खर्चा ब्लोक के अन्तर्गत ३९ परसेन्ट है और आप अपने खर्चे को बताते हैं कि वह ४.६ है। मैं कहूंगा कि वह करीब १५ परसेन्ट हमारा खर्चा आता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उधर डेवलपमेंट ब्लॉक्स में तो आपका प्रशासनिक खर्चा ३९ परसेन्ट है। यहां नये ढंग से छोटे-मोटे कर्मचारी हैं उनका खर्चा आप बताते हैं वह इतना कम क्यों है? मगर जिस प्रकार आपने हिसाब बताया है, डेवलपमेंट ब्लॉक्स का, तो उस हिसाब से ४ करोड़ के बजाय वह ६ लाख का हो सकता है। आपका प्रशासनिक खर्चा ज्यादा बढ़ता हुआ चला जा रहा है। आपके पास पैसा है वह जनता का पैसा है और जो पैसा आप खर्च करते हैं वह जनता की जेब से जाता है। जब राजस्थान बना था उस समय २२ करोड़ रुपया आपको रियासतों ने दिया था। आपके पास उस समय कुछ नहीं था। बाद में गरीब जनता से आपने टैक्स लगाकर पैसा वसूल किया। आज बताया कि २०१ करोड़ रुपया सेन्टर का कर्जा है। पहले राज्यों में टैक्सेज का रुपया जो लिया जाता था वह लोगों की हालत को अच्छा करने के लिए लिया जाता था। आज राजस्थान की आर्थिक हालत के लिए मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आज राजस्थान की माली हालत का सवाल है। अगर इसकी, दुनिया के दूसरे देशों से तुलना की जावे तो मैं कहता हूं कि दुनिया की राष्ट्रीय आय है, अन्तर्राष्ट्रीय आय है उसकी आय का ६५ परसेन्ट रुपया ८ देशों में जाता है?

(१) ब्रिटेन
(२) कनाडा
(३) यू. एस. ए.
(४) यू. एस. एस. आर.
(५) स्विट्ज़रलैंड
(६) स्वीडन
(७) बेलजियम
(८) न्यूजीलैन्ड

ऐसे ८ देशों में जो विश्व की आमदनी है उसका ६५ प्रतिशत रुपया उनके पास जाता है और वे आबादी में २० परसेन्ट लोग हैं। बाकी अफ्रीका और दूसरे देश हैं उनके पास जिनकी पोपुलेशन ५५ परसेन्ट है, कितना रुपया आता है यह देखेंगे तो मालूम होगा कि वह १२ परसेन्ट है। इसके अलावा जो देश विकसित नहीं हैं उनकी दशा विशेष खराब है।

जिस समय हिन्दुस्तान से मैं राजस्थान की तुलना करता हूं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान के, जिस प्रकार से इंग्लेन्ड और अमेरिका आदि ८ देशों में आमदनी जाती है उसमें कुछ ऐसी स्टट भी हैं जहां औद्योगिक

(श्री मुरलीधर व्यास)

विकास है वहां पर आमदनी हमारे यहां से ज्यादा है। चाहे बम्बई, कलकत्ता, मद्रास और चाहे केरल और बिहार को ले लीजिए। जो इस प्रकार डेवलप्ड देश हैं उनकी आमदनी हमसे ज्यादा है। उनके मुकाबले में हम राजस्थान को पिछड़ा हुआ मानते हैं: जैसे उड़ीसा के मुकाबले में हम राजस्थान को पिछड़ा हुआ मानते हैं। जब राजस्थान पिछड़ा हुआ है तो हिन्दुस्तान में ४७ करोड़ आदमी जिनकी आमदनी तीन आना प्रतिदिन नेशनल सेम्पल सर्वे ने मानी है, नेशनल सेम्पल सर्वे की जो रिपोर्ट आती है, लोकनाथन की रिपोर्ट है उसमें आंकड़े दिये गये हैं उनके आधार पर भी मैं कहता हूं कि उन्होंने बताया कि हिन्दुस्तान में १० करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी १२ नये पैसे हैं तथा ४ करोड़ ऐसे लोग है जिनकी आमदनी २५ नये पैसे हैं और ४ करोड़ ऐसे लोग हैं जिनकी आमदनी ३५ नये पैसे है। यह उनकी रिपोर्ट है।

अपने इलाके के हालात के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। हमारा इलाका तो सबसे पिछड़ा हुआ गरीब इलाका है। राजस्थान में अनेकों ऐसे गांव मिलेंगे, वहां तो ३ आने यानी १९ नये पैसे एक आदमी की आमदनी बताते हैं, पर राजस्थान अन्य प्रान्तों से पिछड़ा हुआ है, पर यहां ९ लाख आदमी ऐसे हैं कि ७ नये पैसे, ५ नये पैसे दो नये पैसे में उनको अपनी जिंदगी बितानी पड़ती है। जो लोग नेहरू को चाचा कहते हैं, उन लोगों को आज दो नये पैसे में ५नये पैसे में और ७ नये पैसे में जिंदगी बितानी पड़ती है। ७ नये पैसे में ५ नये पैसे में दो नये पैसे में कोई भी कैसे अपनी जिंदगी बिता सकता है? यह कोई मेरे अपने आंकड़े नहीं, लोकनाथन की रिपोर्ट के आधार पर मैं बताता हूं। उन अकाल ग्रस्त क्षेत्रों के अन्दर आप चले जाइये, जहां सदा अकाल रहता है। जिनके पास कोई साधन नहीं, जिनके पास जमीन नहीं, खेती करने के कोई साधन नहीं, कई परिवारों के पास तो भेड़-बकरी भी नहीं, गांव के बाहर जाते हैं तो चल नहीं सकते; वहां दो आने की मजदूरी होती है उस ही पर बैठे रहते हैं। यह आर्थिक हालत है राजस्थान की।

दूसरी सबसे भयंकर बेकारी की समस्या हमारे राजस्थान में है। सुखाड़ियाजी ने कहा था कि ४ करोड़ को काम पर लगा देंगे........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा : ४ करोड़ को ?

श्री मुरलीधर व्यास : माफ करिये, ४ लाख आदमियों को; १.३ कृषि में कुछ इन्डस्ट्रीज में बताया इन्डस्ट्रीज के बारे में मैं कहना चाहता हूं। केन्द्रीय सरकार के दिये हुए आंकड़ों के आधार पर में बताना चाहता हूं। हमारे यहां कितनी इन्डस्ट्रीज हैं, राजस्थान में ५५ हजार आदमी औद्योगिक फैक्टरियों में काम करते हैं। जहां दूसरे प्रान्तों में आठ-आठ लाख, दस-दस लाख, पांच-पांच लाख आदमी काम करते हैं, वहां हमारे यहां पर केवल ५५ हजार आदमी औद्योगिक फैक्टरियों में काम करते हैं। तो आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि कितनी भयंकर बेकारी की समस्या है। नई रिपोर्ट आई है, उसमें दिया है कि १,२२,३२७ बेकार लोगों ने एम्प्लोयमेंट एक्सचेन्ज में

(श्री मुरलीधर व्यास)

अपने नाम दर्ज करवाये और कहते हैं कि १५ हजार को प्लेस कर चुके हैं। राजस्थान की सैकिन्ड फाइव ईयर प्लान के बाद में थर्ड ईयर प्लान यह है, जब कि हमें ७ लाख बेकार लोगों को काम देना है, जिसको हमने स्वीकार किया है। इसका कारण बताया कि २३६ लाख का प्लान अगर हो जाता है तो इतने लोगों को काम दे सकेंगे, वह २३६ लाख के बजाय २७५ लाख का प्लान हो गया। पहले जितने पढ़े-लिखे लोगों को खपाया वह एज्यूकेशन डिपार्टमेंट में खपाया, आपके यहां शिक्षकों के अपोइन्टमेंट हुए। पर अब परिस्थिति ऐसी हो गई है कि अब आप शिक्षकों को भी नियुक्त नहीं कर सकते। जो सालाना ५० हजार नये तैयार होते हैं उनको काम देने के लिये आपके पास कोई व्यवस्था नहीं है। १२३ हजार ने एम्प्लोयमेंट एक्स्केन्ज में बेकार लोगों में अपने नाम दर्ज करवाये, आज देखते हैं कि एम्प्लोयमेंट एक्स्चेन्ज के सामने बेकारों की फौज की फौज खड़ी रहती है, उनमें से कितनों को आपने काम दिया है।

आज लोगों के पास इतनी परेशानियां हैं कि उनकी बड़ी दर्दनाक और करुण अवस्था है। बेकारी से परेशान होकर राजस्थान के सैकड़ों लोग; जयपुर, बीकानेर में चले जाइये, आप देखेंगे कि गरीब लोग जिनके पास कोई रोटी-रोजी का साधन नहीं, वे लोग मेडिकल कॉलेज में, हॉस्पिटल्स में रोटी के लिये अपना खून बेचते हैं, मेडिकल कॉलेज के ग्राहक बन कर अपना खून बेचते हैं। मैं मेडिकल कॉलेज का वह कार्ड पेश कर सकता हूं। ए. बी. और सी. का ग्रुप बना लिया है। वे लोग रोटी के लिये अपना खून बेचते हैं, हजारों आदमी रोटी के लिये खून बेचते हैं। ऐसे राज्य को शर्म आनी चाहिये...........

(विराम)

ऐसा राज्य एक क्षण भी नहीं रहना चाहिये। जहां इतनी बेकारी की भयंकर समस्या है, बेकारी को मिटाने की आपकी प्लान टोटली फेल्योर रही है। शिक्षित बेकारों की बेकारी, मजदूरों की बेकारी और ग्रामीणों की बेकारी आप बिलकुल नहीं मिटा सके हैं। आज जमीन पर प्रेशर बढ़ रहा है, गांवों में लोगों को खेती के लिये, उनके पास और कोई काम नहीं, उनको आप कहां खपायेंगे? हमारे यहां तो धीरे धीरे इन्डस्ट्रीज भी समाप्त हो रही हैं। आपने अपने यहां का औद्योगिक विकास, संतुलित विकास करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया है। जब तक औद्योगिक विकास संतुलित रूप में नहीं किया जाता, ५० प्रतिशत प्राइवेट सेक्टर में और ५० प्रतिशत पब्लिक सेक्टर में औद्योगिक विकास नहीं करते, तब तक हमारे यहां समाजवाद नहीं आ सकता। मैं तो कहता हूं कि पब्लिक सेक्टर में ज्यादा औद्योगिक विकास होना चाहिये, पर आप इसमें बिल्कुल असफल रहे हैं।

सुनने में आ रहा है कि १० करोड़ में बिड़लाजी को जिंक स्मेल्टर सरकार बेचने जा रही है। समाजवाद को लाने के लिये यह परमावश्यक है कि औद्योगिक विकास को पब्लिक सेक्टर में बढ़ाया जाय, पर सरकार इस संतुलित औद्योगिक विकास की नीति से बिल्कुल विपरीत आचरण कर रही है और इसका नतीजा आज आपके सामने है कि

(श्री मुरलीधर व्यास)

पब्लिक सेक्टर में औद्योगिक विकास नहीं हो रहा है।

इसके साथ ही साथ मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि समाजवाद को लाने के लिये यह अत्यन्त आवश्यक है कि विषमता को मिटाया जाय। पर आज विषमता को मिटाने के लिये जो कदम राजस्थान सरकार को उठाने चाहिये वह नहीं उठा रही है। विषमता आज बढ़ रही है। बड़े बड़े अफसरों को सरकार दो-दो हजार की बड़ी बड़ी तनख्वाहें दें और छोटों को बिलकुल कम तनख्वाहें दे, तब तक यह विषमता नहीं मिट सकती है। हमारे मुख्य मन्त्री सुखाड़ियाजी ने तो राजस्थान में विषमता को इस कदर बढ़ा दिया है कि आने वाले १०० सालों तक नौकरशाही में जो यह विषमता बढ़ाई गई है उसे नहीं मिटाया जा सकता।

आज जहां राजस्थान की आर्थिक हालत इस प्रकार की है कि ६ लाख आदमी ७ नये पैसे, ५ नये पैसे और २ नये पैसे रोजाना तक में अपनी जिन्दगी बसर करते हैं वहां इस प्रकार की परिस्थितियों में राजस्थान की गरीब जनता पर टैक्सों का भार दिन प्रतिदिन बढ़ाया जा रहा है। वह भी सात, पांच और दो नये पैसे रोजाना की आमदनी वाले हैं उनसे आप बराबर टैक्स वसूल करते है। तो आपको अपनी बुनियादी नीति में परिवर्तन करना चाहिये। टैक्सेज की नीति के सम्बन्ध में नंदाजी ने प्लानिंग कमिशन में कहा है कि इन्कम टैक्स के सिवाय समाजवाद में अन्य कोई टैक्स नहीं होना चाहिये। यह उन्होंने प्लानिंग बोर्ड की मीटिंग में कहा है। आपकी नीति हर एक पर टैक्स लगाने की है। दूसरी ओर आपकी स्थिति यह है कि टैक्सेज के साथ साथ आपकी फिजूल खर्ची बहुत अधिक बढ़ी हुई है। आप अपनी फिजूलखर्ची को बन्द नहीं कर रहे हैं।

बहुत से माननीय सदस्यों ने कहा कि कितना रुपया फिजूल खर्ची में दुरुपयोग किया जा रहा है, कितने गबन हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहे हैं, यह सरकारी रिपोर्ट में है।

रेवेन्यू डिपार्टमेन्ट में कितने भ्रष्टाचार के, कितने गबन के मामले हैं, पुलिस के अन्दर कितने हैं, गबन के मामलों की कोई सीमा नहीं है।

(७. म प.)

(समय–समाप्ति सूचक घंटी)

श्री उपाध्यक्ष : Order please ! माननीय सदस्य समय का ख्याल रखेंगे। आपकी पार्टी के एक और सदस्य बोलेंगे। समय बड़ा सीमित है।

श्री मुरलीधर व्यास : दो मिनिट में खत्म करूंगा।

गबन का कोई छोटा–मोटा केस हो, इस राज्य के अन्दर देखिये कि बड़े बड़े मामलों के गबन के केसेज़ हैं। कोई छोटा-मोटा टायर चला जाता है, यह कोई बात नहीं; लेकिन बड़ी से बड़ी चीजें भी गबन में चली जाती हैं। एंजिन तक गबन हो गये हैं। एंजिन कोई गबन करने की चीज़ नहीं है। मैंने सुना है कि हवाई जहाज तक गबन हो गये है। जोधपुर के महाराजा ने कोई हवाई

(श्री मुरलीधर व्यास)

जहाज खरीदा। उसका पता नहीं। पूछा गया एंजिन के बारे में तो पता चला कि एंजिन और हवाई जहाज दोनों ही गबन हो गये हैं। हिन्दुस्तान में और कहीं ऐसी चीज नहीं हुई होगी, लेकिन राजस्थान में यह है।

योजना के अन्दर नाकामयाबी और प्रशासनिक अयोग्यता इस सीमा तक पहुंच गयी है कि यदि यह सरकार इसको सही दृष्टिकोण से सोचती है तो इसको एक क्षण भी इन कुर्सियों पर नहीं रहना चाहिये। इसका भविष्य क्या होगा ? मैं तो गवर्नर से अर्ज करना चाहता हूं कि वह इसको भंग ही कर दें और छः महीने के अन्दर ही दूसरे चुनाव करा लें। उनको मालूम हो जायगा कि विरोधी पक्ष के केवल ७०–८० आदमी ही नहीं कहते, किन्तु राजस्थान की दो करोड़ जनता यही कहती है। आपको उसका नतीजा भी मालूम हो जायगा। उसके बाद चन्दनमलजी आ सकें या नहीं ? राज्य के भले के लिए उसके दृष्टिकोण से अच्छी सरकार बने, यही मेरा एक मात्र दृष्टिकोण है इस प्रस्ताव को लाने में। कोई मेरी दुर्भावना नहीं है। आज की सरकार प्रशासन चलाने के लिए अयोग्य है, योग्य नहीं है, उसको त्याग-पत्र दे देना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : श्री उमरावसिंह ढाबरिया।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया (बनेड़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सदन के सम्मुख यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं,

"कि यह सदन राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्री-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह प्रस्ताव पेश करने की नौबत क्यों आयी, इसके बारे में मैं कुछ आंकड़े आपके सामने चाहता हूं। आज केन्द्र में और प्रान्तों में जो सरकार है वह एक पार्टी की सरकार है। अफसोस इस बात का है कि सरकार पार्टी के द्वारा चलायी जानी चाहिये थी, पर यहां पर सरकार अपनी पार्टी को चलाती है और यही एक सबसे बड़ा कारण है कि उसकी वजह से हमारी इस सरकार के अन्दर और इनके काम करने के तरीकों में सबसे ज्यादा बड़ा भ्रष्टाचार आता है। क्योंकि जिन लोगों को पार्टी चलानी पड़ती है उनको पार्टी को चलाने के लिए पैसा चाहिये, पार्टी को चलाने, के लिये साम, दाम, दंड और भेद, हर तरह से काम में लेकर चलना पड़ता है, हर तरह से पार्टी को उनको चलाना पड़ता है और उसके अन्दर जब वे फंस जाते हैं तो उनको ऐसे गलत काम करने के लिए उतारू होना पड़ता है जिसके कारण से उनकी सरकार की बदनामी होती है और बदनाम ही नहीं होती वह जनता का विश्वास भी खो देती है। ठीक उसी तरह आज की वर्तमान सरकार राजस्थान में चल रही है जिसने यहां की दो करोड आठ लाख जनता का विश्वास खो दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए प्रमाण बहुत सारे हैं। इन्होने जो काम इन दिनों में किये है, मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहता हूं। मैं माइनिंग डिपार्टमेंट के बारे में सबसे पहले कहना चाहता हूं।

माइनिंग डिपार्टमेन्ट, जिसका सबसे बड़ा सेन्टर हमारा भीलवाड़ा जिला है उसके

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

अन्दर कुछ उद्योगपतियों को वहां पर माइन्स के ठेके दिये, एक उद्योगपति जो सेठ रामप्रसाद राजगढ़िया के नाम से प्रसिद्ध हैं, मिनरल एक्ट और रूल्स के अन्दर साफ लिखा है कि एक आदमी को एक से अधिक नाम के द्वारा चलायी जाने वाली कम्पनियों के लिए लाइसेन्स नहीं देना चाहिये। लेकिन हमारी सरकार ने एक आदमी के द्वारा छः कम्पनियां चला रखी हैं, फिर भी उनको लाइसेन्स दे रखा है और उसका कारण यह है कि अपनी पार्टी को चलाने के लिए लाखों रुपया चन्दे के रूप में लेते हैं।

(विराम)

यही बात नहीं है। इन्होंने इसी कम्पनी को चलाने के लिए कितनी सुविधायें दी है। उस कम्पनी को चलाने के लिए कई नाजायज काम किये हैं। सोडानीजी का मालपुरा के अन्दर दस मील का एरिया था, बिना उसको डिक्लेयर किये, बिना मंजूर के कम्पनी को दे दिया और उनके खिलाफ कितने ही मुकदमें में इस बात के चलाये कोर्ट के अन्दर कि उन्होंने बिना इजाजत लिये काम करना शुरू कर दिया। उसका नतीजा यह हुआ कि सरकार की तरफ से दामोदरजी के भाई को वकील बनाया गया। उन्होंने मुकदमो की पैरवी नहीं की। उनको दो हजार रुपया पैरवी के लिए दिया गया। जब ये सारी बातें हो गयी तो समझौता करके केस विद्ड्रॉ कर लिये और इस कम्पनी को दस मील का टुकड़ा दे दिया। इसके अलावा इन्होंने राजपूताना कॉर्पोरेशन को जो जमीन दी गई है, जो एरिया दिया गया है उसका डेड रेन्ट आठ रुपये के हिसाब से तय किया था उसी कम्पनी ने ८ रुपया से कम करने के लिए राजस्थान सरकार के सामने अपील की। राजस्थान सरकार ने इन्कार कर दिया। उसने भारत सरकार को अपील की। उस डेड रेन्ट को भारत सरकार ने भी कम नहीं किया और उसकी अपील को रिजेक्ट कर दिया। क्योंकि अपनी पार्टी को चलाना था, क्या घोटाला हुआ कि उनका राजस्थान सरकार ने वह डेड रेन्ट ८) रुपये कम करके ५) रुपये कर दिया। इस तरह की जब कार्यवाही की जाती है तो शंका पैदा होती है कि इन बड़े बड़े इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को सरकार लाती है और किस तरह से अपनी पार्टी को चलाने के लिए सरकार उनसे समझौते करती है।

यही नहीं उपाध्यक्ष महोदय, महावीर राजगढ़िया के खिलाफ मालपुरा कोर्ट में मुकदमें चले। मैं आपके सामने एक ताज्जुब का मामला पेश करता हूं। उनके खिलाफ मुकदमे चले और सरकार ने उन मुकदमों को विद्ड्रॉ किया। उसकी खुशी के अन्दर राजगढ़िया महोदय ने सरकारी कोर्ट में एक बिजली का पंखा बतौर इनाम के दिया और वह आज भी लगा हुआ है।

इस तरह की बातें इस राज्य के अन्दर इन उद्योगपतियों के द्वारा की जा रही हैं।

उनको भीलवाड़ा के अन्दर माइका स्प्लिटिंग की एक फेक्ट्री खोलने की इजाजत दी और इसके लिए एक फैसला किया, एक समझौता इस कम्पनी के साथ किया कि इस फेक्टरी को चलाने के लिए जितनी मशीनरी की जरूरत होगी उन पर कोई भी

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

ड्यूटी नहीं ली जायगी। उस वक्त कस्टम लगता था। उसके लिए यह कहा गया कि यह नहीं लिया जायगा। मैं आज सरकार से पूछना चाहता हूं कि यह बात १९५३ के करीब की है, आज १९६३ हो गया है। क्या अब तक भीलवाड़ा में वह फेक्टरी लग गयी है? इस फेक्टरी को लगाने के लिए तीन मील का एरिया दिया गया था। जब फेक्टरी ही नहीं लगायी गयी तो फिर वह एरिया उनसे क्यों नहीं छीना गया? सरकार के पास कोई जबाब नहीं क्योंकि उस कम्पनी के जरिये कितने ही नाजायज फायदे उठाये गये हैं। उनके कागजात मुलाहिजा करें तो मालूम हो सकता है। उनको जो सुविधायें दी गई हैं इस फेक्टरी के लिए कि इसके लिए जो मशीनें आवेंगी उन पर कस्टम नहीं लिया जावेगा। उनकी छः कम्पनियो के लिए जितनी मशीनरी माइन्स को चलाने के लिए आयी, कम्प्रेशर्स, क्रशर्स, ऑइल एन्जिन्स, डिजल एन्जिन्स; ये जितनी मशीनरी आयी उनका टैक्स नहीं लिया गया और उसका सरकार को नुकसान उठाना पड़ा। इसी तरह से भीलवाड़ा और किशनगढ़ के अन्दर टैक्सटाइल मिल्स लगाये गये। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको जो जमीन दी गई, जिन पर मिल बने हुए हैं, वह एग्रीकल्चरल लैंड है? जब तक उसको कन्वर्ट न किया जाय अन्दर हल्के आबादी में या इन्डस्ट्रियल एरिया में, तब तक वह सेठों को नहीं दी जा सकती। भीलवाड़ा में मिल बनी हुई है। व्यक्तिगत लगी है। एग्रीकल्चरल लैंड थी उस पर सरकार ने नोटिस निकाला कि वह सारी की सारी जमीन एक्वायर की जायगी। इस प्रकार की जमीनों को एक्वायर किया जाता है तो उसके लिये लैन्ड रेवेन्यू एक्ट के मातहत नोटिस निकालना होता है। यह नोटिस निकालता है वहां के कलेक्टर के द्वारा जहां कि वेल्यू एक बीघा की १ हजार रुपया है उसी जमीन को ४ रुपया प्रति बीघा के हिसाब से रजिस्ट्री सिविल जजी में कराई गई जहां पर यह सारी की सारी मिल बनी हुई है। इसी तरह से किशनगढ़ के अन्दर मिल बनाया गया। जिन लोगों ने वह जमीन हजारों रुपया लगाकर काबिले काश्त किया, कुएं खुदवाये उनकी सारी मेहनत को खत्म कर दिया। उसके पास ही जो सरकारी जमीन फालतू पड़ी हुई थी उसको नहीं लिया गया। भीलवाड़ा के कलेक्टर ने उसको इन्डस्ट्रियल एरिया में लेने का फैसला किया। यह घोषणा उनके द्वारा की गई वह गैर कानूनी है। कलेक्टर को कोई अधिकार नहीं कि एग्रीकल्चरल लैन्ड को इन्डस्ट्रियल एरिया मे कन्वर्ट कर दे। यह अधिकार है तो केवल राज्य सरकार को। वह हुक्म निकाल कर उस जमीन को इन्डस्ट्रियल एरिया घोषित कर सकती है न कि कलेक्टर।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने किस तरह से इन इन्डस्ट्रियलिस्ट्स को यहां बुला कर सुविधायें दी गई और किनकी सुविधायें छीनी गई वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ।

उदयपुर के अन्दर धरती-धन प्राइवेट लिमिटेड एक संस्था है जिसका रजिस्ट्रेशन राजस्थान के अन्दर नहीं हुआ, बम्बई के अन्दर हुआ; उसको सोप स्टोन फैक्टरी खोलने की इजाजत दी गई, जिसके पास एक मील भी सोप स्टोन का एरिया नहीं था। इसके बावजूद यह चीज खोलने की इजाजत

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

दी गई इसमें एक बात तो बहुत ताज्जुब की लिख दी गई कि जो जमीन १०. ७. ६० को मिली उसके लिये काम वहां पर २३. ३. ६० को ही शुरू कर दिया गया। जिस जमीन पर काम करने की इजाजत १०.७.६० को मिली उस पर २३.३.६० को काम करना किस तरह से शुरू कर दिया गया? इन सब बातों को देखकर शंका पैदा होती है कि इसके पीछे घोटाला है। जो काम नाजायज तौर से सरकार करती है वह आखिर क्यों करती है? जब उनके पास साधन हैं, जब चाहें वे फरमान कानून के अन्दर निकाल सकते हैं; तो फिर इतनी जल्दी करके फरमान निकाल देते हैं उससे शंकायें पैदा होती हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, माइनिंग विभाग में ही नहीं दूसरे विभागों में भी इससे बढ़ कर घोटाले हैं, उसके भी कुछ नमूने पेश करना चाहता हूं। राजस्थान की डीसेन्ट्रेलाइजेशन के मामले में बहुत प्रसिद्धी है, जिसकी प्रसिद्धि सिर्फ हिन्दुस्तान में ही नहीं विदेशों के अन्दर भी है। उस डीसेन्ट्रेलाइजेशन में किस तरह का भ्रष्टाचार फैलाने की कोशिश की है। मैं बहुत अदब के साथ निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी यहां हैं नहीं, उनसे मैं सवाल पूछता; लेकिन उनके प्रतिनिधि बनकर जो बैठे हैं उनसे कहता हूं कि जो कुछ मैं कह रहा हूं अगर वह सही है तो उत्तर देते वक्त उसका जवाब दें। किस तरह से इस डीसेन्ट्रेलाइजेशन मे काम करने वाले सरकारी अधिकारी है, न सिर्फ सरकारी अधिकारी बल्कि डिप्टी मिनिस्टर्स, मुख्य मंत्री तक किस तरह से भ्रष्टाचार मे इनवोल्व्ड हैं, उसके स्पष्ट प्रमाण में आपके सामने पेश करना चाहता हूं।

मेरे यहां पर पंचायत समिति में श्री अयोध्याप्रसादजी बी० डी० ओ० थे उनका ट्रान्सफर किया गया २४ घन्टे के अन्दर। लेकिन वह इसलिये रोका गया कि मुख्य मंत्री ने उसके लिये मुझे कहा कि इस बी० डी० ओ ने वादा किया था वे इस क्षेत्र से खड़े होने वाले कांग्रेस केन्डीडेट को ढ़ाई हजार वोट दिलवायेंगे। इस बिना पर उनका ट्रान्सफर स्थगित कर दिया गया। जब चुनाव खत्म हुए तो उनका ट्रान्सफर कर दिया गया। उनका ट्रान्सफर चुनाव के बाद में किया गया। सरकारी अधिकारियों का किस प्रकार से वोटों के लिये उपयोग किया जाता है, इसका यह स्पष्ट प्रमाण है।

श्री रघुनाथ बिश्नोई (सांचोर): लेकिन वोट तो आपको मिल गये।

श्री उमरावसिंह ढाबरिया: वह नहीं दिला सका, इसलिये उसका ट्रान्सफर कर दिया। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि किस तरह से सरकारी अधिकारियों का वोट्स की प्राप्ति के लिये उपयोग किया जाता है, उसकी एक नजीर मैंने आपके सामने रखी। कांग्रेस के केन्डीडेट को वहां खड़ा किया गया, लेकिन उसको पछाड़ खानी पड़ी। मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं कि जहां आप यह कहते हैं कि सरकारी मशीनरी, सरकारी अधिकारी, चुनाव में निष्पक्ष होकर काम करते हैं; किस तरह से काम करते हैं, यह उसका एक उदाहरण है। जहां हैड ऑफ दी स्टेट है वह इस तरह के भ्रष्टाचार के काम करे तो उस स्टेट के अन्य अधिकारियों से क्या आशा की

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

जा सकती है वे निष्पक्ष होकर काम कर सकेंगे। आज जितने भी अधिकारी गलत काम करते हैं वे इसलिये कि उन पर दबाव पड़ता है, उस दबाव के अन्दर आकर गैर कानूनी काम करना पड़ता है। कई मामले प्रोमोशन्स के सामने रखे गये जो गलत तरीके से किये गये। खुदा ने आगे होकर गलत काम कराये, जिसकी इन्क्वारी करने से वे जानते हैं फायदा होने वाला नहीं क्योंकि वे खुद उनके कराने में होते हैं, इसलिये मामले वहीं के वहीं रुक जाते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, एक फाइल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। हमारे मन्त्रि-मंडल में जो महानुभाव विराजे हुए हैं वे किस कैरेक्टर के आदमी हैं? पहले हमारे यहां यह कहावत चरितार्थ थी कि जैसा राजा होगा वैसी प्रजा होगी। आज देश के सामने संकट-काल है इस वक्त में भी हमारे ट्रेजरी बेंचेन्ज पर बैठने वाले महानुभाव हैं उनको चाहिये, आज देश के सामने संकट है उन्हें त्याग करना चाहिए, तपस्या करनी चाहिये और बलिदान करना चाहिये। यह फाइल एक मन्त्री महोदय, जो आज ट्रेजरी बेन्चेज पर बैठे हुए हैं उनसे संबन्धित है। इसके अन्दर एक फैसला है जो कोर्ट द्वारा दिया गया है उस फैसले के अन्दर साफ तौर से बताया गया है कि इन मन्त्री महोदय का कैरेक्टर किस प्रकार का रहा है। यह फैसले की सार्टिफाइड कॉपी है। उसमें कहा गया है कि ये झूठे दस्तावेज बनाते हैं, झूठे बयानात दिलवाते हैं, फोर्जरी करते हैं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उनका नाम लेना नहीं चाहता, यह फैसला है, जिसकी कॉपी सर्टिफाइड है। स्टाम्प पर लिखा हुआ फैसला है। आप इसको देखना चाहें तो देख सकते हैं। यह कोर्ट का फैसला है मुकदमा नं ५९१/५३ है, जिसका फैसला १२-९-५५ को हुआ है। तीन हजार रुपये के मुकदमे का मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order !!

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मन्त्री शिक्षा): I would like to know the name, Sir. मिनिस्टर कौन थे उनका जिक्र तो हो जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : You want to lay the documents on the Table of the House ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : मैं टेबल ऑफ दी हाउस पर भी रख सकता हूं। लेकिन यह डॉक्युमेन्ट मुझे वापिस मिलना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : When you have referred to it, it should be placed on the Table of the House.

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : अगर आप नाम ही जानना चाहते हैं तो वे भीलवाड़ा के हैं; रामप्रसाद लड्ढा के बारे में वह फैसला है।

श्री भाखाभाई (श्रम मन्त्री) : How far it is relevant to the Minister when it is as old as 1955 ?

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं, एक मन्त्री महोदय के कैरेक्टर के बारे में यह

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

फैसला है। यह इस बात को बताता है कि उनका कैरेक्टर किस प्रकार का रहा है, उनकी आदतें कैसी पड़ी हुई हैं। यह तो मैंने एक मुकदमे के बारे में ही बताया और भी इनके बारे में अर्ज करना चाहता हूं। जिस वक्त १६५४ और १६५५ के अन्दर वे भीलवाड़ा में म्यूनिसिपैलिटी के अन्दर प्रैसीडेन्ट थे; श्री खेमचन्द ने उन पर ४०६ का मुकदमा चलाया और उसी रात को वे कांग्रेस के मेम्बर बन गए और म्यूनिसिपैलिटी की फाइलें गायब की गईं। उनके मुकदमें बनाये गए जिन लोगों ने कांग्रेस के खिलाफ १६५२ में चुनाव लड़ा। तो १६५४ में ये कांग्रेस के सदस्य बने। मिनिस्टर साहब यहां मौजूद हैं। खुद का चरित्र ऐसा हो तो किस तरह हमारे यहां के लोगों को अच्छा चरित्र दे सकते हैं।

श्री रामप्रसाद लड्ढा (उप-मन्त्री, राजस्व) : इस हाउस की टेबल पर रखा जाय तो जवाब दिया जायगा।

श्री उपाध्यक्ष : Yes, I have directed that it shall be placed

श्री उमरावसिंह ढाबरिया : जरूरत पड़ेगी तो रखा जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष, आज की जो सरकार है, हमारे यहां पर अभी भी इसी सेशन में और अगले सेशन में भी बहुत चर्चाएं हुईं इस बात की कि हमारी सरकार भूमि-सुधार करना चाहती है। अब मैं उनके बारे में थोड़ी बात अर्ज करना चाहता हूं। सीलिंग का कानून इन्होंने १६५५ में बनाया और गये सेशन में कहा कि यह कांग्रेस की सरकार ही थी जो इस तरह का कानून बनाकर ला सकी और वही सरकार होगी जो इसको काम में लेगी। तो उपाध्यक्ष महोदय, जो कोई भी सरकार होगी चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे दूसरी पार्टी की हो, जो भी सरकारी बिल होगा वह सरकार के द्वारा ही लाया जा सकता है तो इसमें कोई शान की बात नहीं है। शान की बात उस वक्त थी जब १६५५ में यह एक्ट बनाया गया, उसी दिन उसी साल में इस एक्ट को राजस्थान पर लागू किया जाता, लेकिन ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं लागू किया ? उनके साथ जो रहने वाले राजा-महाराजा थे, जो जागीरदार और भूमि-पति हैं, उन लोगों को मौका मिले अपनी जमीनों के टुकड़े करके लोगों को बांट दें और सीलिंग के एक्ट में नहीं फंसे। तब तक यह एक्ट नहीं लागू हुआ। आज ठीक वही हालत है। आज लोगों की जमीन बांटी गई, दूसरों के नाम पर दर्ज की गई। मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इधर आप सीलिंग लागू करने की बात करते हैं, उधर डेप्यूटेशन आते हैं गंगानगर से, उनको आश्वासन दिया जाता है कि तुम्हारी बात का खयाल रखा जायगा।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ समय पहले सूरतगढ़ में एक जुलूस निकला था। उस जुलूस के अन्दर ५,००० आदमी इकट्ठे थे। जिन लोगों के पास जमीन नहीं है, जो वहां के जमींदारों के पास नौकरी करते हैं उन लोगों को जमीन दिलाने के बारे में वहां पर विचार किया जा रहा था। उस मीटिंग का जो मैंने नजारा देखा तो मुझे ताज्जुब होता है कि क्या यह प्रजातन्त्र है ? वहां पर इस हाउस के ४ माननीय सदस्य भी मौजूद थे। वहां पर भाषण कर रहे थे। उस पर वहां की पुलिस के द्वारा ठीक उनके सामने

Page No 96

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

लाउड स्पीकर लगाया गया। उनकी मीटिंग को डिस्टर्ब करने की कार्यवाही की गई। एक सदस्य ने तहसीलदार को सूचना दी, कोई व्यवस्था नहीं की गई। डी. वाई. एस. पी. हनुमानगढ़, एस. एच. ओ. मौजूद थे। उन लोगों ने कोई कार्यवाही नहीं की। आखिर में वहां बड़े-बड़े पत्थर उस मीटिंग में आए, शराब के भारी डिब्बे फेंके गए। लोगों को चोटें आईं। पुलिस को बताया गया, फिर भी कोई कार्यवाही नहीं हुई। होम मिनिस्टर साहब को तार दिए गए, चीफ मिनिस्टर को तार दिया गया उसी दिन। इस तरह की हरकतें जिस प्रजातन्त्र के अन्दर विरोधियों की मीटिंग में हों, इसको कैसे प्रजातन्त्र कहा जा सकता है ? कैसे माना जा सकता है कि यहां सीलिंग एक्ट लागू है ? जिन लोगो के पास जमीन नहीं है उनको दिलानी चाहिए।

दूसरी तरफ आपने रेग्युलराइज् करने का एक आॅर्डर निकाला कि जिन लोगों ने नाजायज कब्जा कर रखा है उनको रेग्यूलराइज् करना चाहिये। राजस्व मन्त्री से मैं कहना चाहता हूं कि जितनी गड़बड़ियां इस रेग्युलराइजेशन के अन्दर हुई हैं, उनके ऊपर विचार करना चाहिए कि ये कैसे हुए। आपके सीलिंग एक्ट में ३० स्टैंडर्ड एकड़ के आधार पर जिन लोगों के पास २०-२० वर्ष या २५–२५ वर्ष जमीनों पर कब्जा रखा, जिन लोगों ने १०–१०, १५–१५ बीघा रख कर इस तरह अनआॅथोराइज्ड लैंड पर कब्जा कर रखा है उन सब लोगों की बेदखली का रेग्यूलराइजेशन होगा।

हमारी सरकार जो भूमि सुधार करना चाहती है, तीन तीन सौ और चार चार सौ रुपये से लेकर २०–२० गुना ३०–३० गुना पेनाल्टी लगा कर उनसे वसूली का कार्यवाही वर्तमान सरकार ने की।

इसके अलावा जो एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर मकान बने थे आज नहीं, २० वर्ष पहले, जागीरदारों को उस जमीन को बेचने का अधिकार था। उनके पास एफीशिएंट स्टाफ नहीं था, उनके पास नक्शा नहीं था, इसलिए जमीन को हल्केबंदी में नहीं लगाया। इसलिए आज उन लोगों को रेग्यूलराइज् करने के लिए फरमान निकले कि १०० वर्ग गज जमीन पर २५ पैसे लेकर रेग्युलराइज् किया जायगा अगर जमीन १००० के ऊपर है।

राजस्थान के किसान की ऐसी हालत नहीं है कि वह अपने मकानों के लिए, मवेशियों के लिए जमीन लेकर उनके १०० वर्ग गज के लिए २५ नए पैसे सरकार के खजाने में जमा कराए, जबकि उसने जागीरदारों को पैसा दिया, पंचायतों को पैसा दिया; फिर इस तरह का पैसा वसूल करना न्यायसंगत नहीं है। यह उनसे डबल पैसा वसूल करने की बात है। अगर सरकार उनको फायदा पहुंचाना चाहती है तो बहुत कम पट्टे की फीस लेकर उनको पट्टा दे दें, तभी मैं मान सकता हूं कि उनको रिलीफ पहुंचाया जा रहा है।

एक समय में मेवाड़ प्रजा मंडल के टाइम पर प्लानिंग कमेटी बनी थी और माननीय मुख्य मंत्रीजी उस वक्त कमेटी के मेम्बर थे। उन्होंने यह साफ तौर से लिखा है कि इस जमीन का, जो कि आज किसानों के हाथ में है, अगर हमारी सरकार होगी, तो लगान कम कर दिया जायगा। एक शब्द

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

लिखा है, जहां पर मिल चलती है उसके पास जमीन खाली रहती है और यहां महाराजा साहब हासिल लेते हैं, वह भी आधा हो जायगा। जिस जमीन का हासिल १२ आना था उसको बढ़ाकर ४.६० रु० पर बीघा कर दिया, यह लैंड रिफॉर्म्स की बात है। आपने एक बीघा पिलाई का ४ रुपये का कानून बनाया। क्या इससे किसान को रिलीफ पहुंचता है? इधर बेटरमेंट लेवी लगाकर किसान पर और भी बोझ बढ़ा दिया है।

यही नहीं, आपने इन प्रजातंत्र की पंचायतों को और पंचायत समितियों को लैंड रेवेन्यू के ऊपर ५ परसेंट टैक्स लगाने के लिए बाध्य किया है और राज्य सरकार ने भी लैंड रेवेन्यू पर सरचार्ज लगाया है। यह रिलीफ पहुंचाने की बात है।

इसके अलावा एक फरमान और पंचायत समितियों के पास सरकार के द्वारा आया कि पंचायत समितियों को सरकार पैसा तभी देगी जब उतना ही पैसा पंचायत समिति अपने खुद के सोर्सेज् से पैदा करे। इसका मतलब कि लाजमी तौर से किसान या और जनता पर टैक्स लगाया जाय। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो सरकार इस तरह से किसानों के ऊपर कुठाराघात करती हो उस सरकार के अंदर कभी भी इन किसानों का विश्वास नहीं रह सकता। आज सरकार कितने प्रकार के टैक्स लेती है!

अब छोटे व्यापारियों को लेता हूं। इस हाउस में एक सुविधा छोटे व्यापारियों को दी गई थी जिनका टर्न ओवर ३० हजार सालाना से कम होगा उन लोगों को सेल्स टैक्स का एकाउंट नहीं देना पड़ेगा और उनको सेटलमेंट कमिश्नर द्वारा तय करने पर जो पहले दिया जायगा उतना आगे लिया जायगा। आज दिन तक उस सुविधा का किसी भी इन्स्पेक्टर ने छोटे व्यापारियों को फायदा नहीं पहुंचाया, किसी भी सेल्स टैक्स ऑफिसर ने उन लोगों को यह बात नहीं बताई।

आज भी वही अत्याचार बढ़ता जा रहा है, वही भ्रष्टाचार आज भी कायम है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस राज्य में किसान दुःखी हो, जिस राज्य में छोटे व्यापारी दुखी हों, जहां हर रोज मजदूर प्रदर्शन करने आते हो, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहां और मंत्री महोदय आश्वासन का शब्द भी कहने को तैयार न हों, उस सरकार में किस प्रकार विश्वास हो सकता है।

मैंने ये सारी बातें इसलिए रखीं कि यह सरकार अपने को समाजवादी सरकार कहती है, उसके अंदर एक आदमी की तनख्वाह ४५ रुपये हो और दूसरे की ५,००० हो, वह कैसे समाजवाद हो सकता है और फिर भी स्पेशल के नाम से उन लोगों को जो तनख्वाहें दी जाती हैं वह साल में २४ लाख रुपया हो जाती है। ऐसी स्थिति में यह सरकार कभी समाजवाद नहीं ला सकती। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे शिक्षा उपमन्त्री महोदय के राज्य में क्या होता है? रायले के अन्दर हैड मास्टर ने जो बच्चों की प्रोग्रेस रिपोर्ट स्कूल में बांटी उसमें यह नहीं लिखा कि किस छात्र के किस विषय में कितने नम्बर आये।

Page No 98

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

टोटल नम्बर लिख दिये। लिख दिया कि १२०० में से इतने नम्बर मिले। इस तरह की प्रोग्रेस रिपोर्ट दी गई। उनका टैस्ट नहीं हुआ, विषयवार नम्बर नहीं दिये। यह मैं नमूने के रूप में हाउस की टेबल पर रखने को तैयार हूं।

इसी तरह एक लड़की पढ़ती है। उसने अपनी फीस जमा कराई। उस फीस की रकम के बारे में स्कूल के अन्दर यह लिख दिया कि गया उसके पिता ने स्कूल की रद्दी खरीदी थी, उसमें पैसे बाकी थे, उसके पेटे जमा कर लिये गये और उस लड़की को इस तरह दो महीने हुए फीस के अभाव में बता कर बाहर निकाल रखा है। उसकी रसीद है। मैं उसे सदन की मेज पर रखने को तैयार हूं।

वहां पर एक वैद्यराज हैं। डिप्टी मिनिस्टर महोदय ने उनका ट्रान्सफर कर दिया। यह खास तौर से सरकारी नियम के विरुद्ध है कि वहां का रहने वाला वैद्य वहीं काम करे, इसलिये उसका ट्रान्सफर होना चाहिये था। पर वहां पर पार्टीबाजी चल रही है। यहां तक कहा जाता है कि लोग इस वैद्य से दवा न लें, कहीं गलत दवा न दे दे। इसलिये लोग भीलवाड़ा जाकर दवा लेते है। अब उन उपमन्त्रीजी का हुक्म संचालकजी ने नहीं माना। वह वैद्य वहीं है। चार चार दफे ट्रान्सफर के हुक्म हुए, पर स्थगित हो गये। इस तरह का पक्षपात इस सरकार के राज्य में चलता है।

तो मैं बताना चाहता हूं कि किस तरह से आज हमारा यह शासन तन्त्र चल रहा है। किस तरह से लोग तबाह हैं। इन सारी बातों को देखते हुए कैसे कहा जा सकता है कि हमारी यह सरकार गरीबों को राहत पहुंचाने की बात कर सकती है, समाजवाद ला सकती है ?

नेहरूजी ने महसूस किया कि कांग्रेस कमजोर हो रही है, संगठन कमजोर हो गया है; इसलिये उन्होंने तय किया कि शासन में बैठे आदमी संगठन में जावें, उसे मजबूत बनावें। मैं कहना चाहता हूं कि जिन लोगों ने सरकार में बैठ कर, शासन में बैठ कर करप्शन पैदा किया, वे संगठन में जाकर क्या सुधार कर सकेंगे ? उनकी जो आदत आज है वह की वह रहेगी। वहां संगठन में भी अगर वे जावेंगे तो वहां भी वे करप्शन फैलावेंगे। वे सुधार नहीं कर सकते। वे तो खुद ही सुधरे हुए नहीं हैं, संगठन को क्या सुधारेंगे ?

अगर सुधार करने की उनकी तमन्ना होती तो यहां शासन में बैठे भी कर सकते थे।

एक प्रोग्रेसिव बिल आया था, राजाओं की जमीन लिये जाने के बारे में वह बिल था। एक दिन में वह बिल पास हो सकता था, पर उसे पोस्टपोन किया गया। क्यों किया गया ? क्या राज छिपा है उसके पीछे ? आप उनसे रियायतें लेना चाहते हैं। आपने उनको मौका दिया। आप इस जयपुर में देखिये कि जितने राजा–महाराजा जागीरदार थे जिनकी यहां कोठियां थीं और लम्बी-चौड़ी जमीनें थीं, उनमें उन्होंने प्लॉट काट काट कर बेच दिये और इससे लाखों रुपया बनाया। उस वक्त यह एक्ट बनाने की तरफ

(श्री उमरावसिंह ढाबरिया)

इस सरकार का ध्यान नहीं गया। इन समाजवाद लाने वाले सुधारकों को सांप सूंघ गया उस वक्त। उस वक्त वे चुप बैठे रहे। उनको लाखों रुपया कमाने का मौका दिया। अब कुछ थोड़ी बहुत जमीनें रह गई हैं तो उनको यह बिल लाने की सूझी और अपने को समाजवाद का हामी बताने का ढोंग किया। इसमें भी इधर कहते हैं कि एक्ट बनावेंगे और उधर २४ तारीख को दिल्ली में जाकर बात करते हैं और इधर इस एक्ट को पेन्डिंग में पटक रखा है। जनता में कहेंगे, हम इतने सुधार का काम करना चाहते है, पर करने में कितना सही करते हैं, यह आपके सामने है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि जो सरकार अपनी कथनी और करनी में फर्क करती है, जिस सरकार में किसान मजदूर दुखी हैं, जो कि हमारी आबादी का ७५ परसेन्ट से ज्यादा तबका है, अगर उनको इस सरकार में विश्वास नहीं है तो कैसे माना जा सकता है कि यह सरकार यहां शासन में टिके रहने के काबिल है? यही कारण है कि अॉपोजीशन में बैठने वाले लोग विरोधी बन कर जो बैठे है वे ६२ प्रतिशत जनता के नुमाइन्दे हैं और उनकी तरफ से यह अविश्वास का प्रस्ताव रखा गया है। यह अविश्वास का प्रस्ताव यहां जो ८७ आदमी है उन्हीं की तरफ से नहीं है, बल्कि राजस्थान की ६२ प्रशिशत जनता की तरफ से यह अविश्वास प्रस्ताव है। अगर इस शासन में बैठने वाले सही प्रजातन्त्र के हामी हैं तो उनको चाहिये कि वे अपनी जगह छोड़ दें और सही लोगों के हाथ में यहां का शासन सौंपें, तब तो लोगों को राहत मिल सकती है, अन्यथा नहीं।

इतना कह कर उपाध्यक्ष महोदय, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मुकुटबिहारीलाल।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना): उपाध्यक्ष महोदय........

श्री ज्वालाप्रसाद शर्मा (नसीराबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, उनके नेता तो बोल चुके हैं।

श्री उपाध्यक्ष : उनका प्रस्ताव है। मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वे १५ मिनिट से अधिक न लें। उनकी पार्टी के लिये १० मिटिन बाकी बचे हैं।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : फिर तो ऐसा है उपाध्यक्ष महोदय, कि मेरे लिये कह दिया जावे कि मैं अविश्वास का प्रस्ताव मूव ही नहीं करूं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिये।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की दो करोड़ जनता की तरफ से आज इस सदन के समक्ष इस राजस्थान की निकम्मी सरकार के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं। यह प्रस्ताव जो मैंने रखा है इस तरह से है :

"यह सदन राजस्थान सरकार की वर्तमान मन्त्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।"

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अब यह प्रश्न एक मूल रूप में हमारे सामने आता है कि इस सरकार के खिलाफ यह अविश्वास का प्रस्ताव रखने की नौबत क्यों आई ? इसका क्या कारण है ? आज इस विधान सभा का सदस्य होने के नाते मेरा यह एक पुनीत कर्त्तव्य हो गया कि मैं इच्छा न होते हुए भी इस कठिन कार्य को अन्जाम दूं और यह बताऊं कि इसका कारण क्या है ?

इस सरकार में जहां टैक्सों का भार जनता पर बढ़ा है वहां भ्रष्टाचार भी बहुत बढ़ा है, गुंडागर्दी बढ़ी है तथा अनैतिकता और अराजकता बढ़ी है। इन तमाम चीजों की डिटेल में मैं इस वक्त नहीं जाना चाहूंगा। क्योंकि समय की पाबन्दी मेरे पर तलवार की तरह से लटका दी गई है और फिर इन पर मेरे पूर्व वक्ताओं ने काफी प्रकाश डाला भी है।

सवाल यह है कि आज राजस्थान की जनता की कोई सुरक्षा भी है या नहीं ?

उपाध्यक्ष महोदय, क्या ही अच्छा होता कि जब मैं मोटे-मोटे दिल को दहला देने वाले कुछ तथ्य सदन के सामने रखने जा रहा हूं उस वक्त गृह मन्त्रीजी भी अपनी कुर्सी पर होते। पर खैर। उनकी तरफ से जो कोई भी महानुभाव हों यहां, मैं समझता हूं, कि वे उनका ध्यान इस तरफ दिलावेंगे।

एक बात बड़े जोर से सदन में कही गई कि राजस्थान में से डाकुओं की समस्या पर काबू पा लिया गया है। पर मैं आज इस सदन में यह बताना चाहूंगा कि ये डाके कौन डलवाता है, कौन डालते हैं, डाके का धन किधर जाता है और उस डाके के धन में उन हत्याओं में, उन डाकों में किन-किन का हाथ रहता है, XXXX किन-किन पुलिस अधिकारियों का हाथ रहता है, कौन-कौन XXXX उनसे मिले होते हैं।

पुलिस के सर्वोच्च अधिकारी आई. जी. पी. से लेकर कॉन्स्टेबल तक किस तरह से इस एक व्यापक भ्रष्टाचार, अत्याचार क्या कहूं, इस षडयन्त्र में इस परले दर्जे के गड़-बड़ घोटाले में शामिल हैं। यह तथ्य सामने रखना चाहता हूं।

पिछले सदन में मैंने एक अनैतिक व्यापार की तरफ सदन का ध्यान दिलाया था और कहा था कि जिस वक्त पाकिस्तान के रेडियो से यह समाचार सुना कि राजाखेड़ा में औरतों की हाट लगती है उस वक्त मैंने यह बात कही थी कि जब पड़ौसी देश पाकिस्तान हमारे ऊपर इस तरह के लांछन लगाता है कि जिस तरह से हमारे यहां मवेशियों की बिक्री होती है उस तरह से हमारे घरों की बहिन—बेटियां जो दूरस्थ प्रदेशों से उड़ा-उड़ा कर लाई जाती हैं उनकी हाट लगती है, उनके मेले लगते हैं और उनकी खुले आम बिक्री होती है राजाखेड़ा में। और उन तथ्यों को जिस वक्त मैंने सदन में रखना चाहा तो गृह मन्त्री महोदय ने आश्वासन दिया था कि हम इस समस्या के हल करने की दिशा में आपका सहयोग लेकर, जनता का सहयोग लेकर, जन-सेवकों का सहयोग लेकर कदम उठावेंगे। परन्तु बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है कि समय पर सूचनाएं देने के बावजूद भी, गवर्नर महोदय से लेकर केन्द्रीय सरकार के बड़े बड़े

XXXX अध्यक्ष—पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

अधिकारियों से लेकर छुटभाइयों तक, राजस्थान सरकार के मन्त्रियों से लेकर उनके विभाग के उच्चाधिकारियों तक लिखित में सूचनाएं दिये जाने के बावजूद भी आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समाज कल्याण विभाग की तरफ से धौलपुर के अन्दर नारी निकेतन शरण गृह, न जाने क्या क्या नामों से एक संस्था खोली गयी है उसके एक काण्ड की तरफ सर्वप्रथम मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वह घटना है, मैं आपको बताऊं सरजोदेवी काण्ड की। यह सरजोदेवी कौन है? यह सरजोदेवी नाम की एक औरत, जिसने मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में एक बयान दिया। १०९ के मुकदमे में बेचारी पकड़ कर लाई गई। मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में बयान दिये धर्म और ईमान से। उसके बयान अगर पढ़े जायें तो उससे मालूम होता है कि धौलपुर का एस० डी० एम० विनय व्यास और वहां के डी० एस० पी०, श्री नारायण सिंह और वहां के ऊंचे ऊंचे अधिकारी वहां की महिला आश्रम की जो संरक्षिका थीं योगेन्द्र कुमारी वह इस प्रकार के अनैतिक व्यापार में इस तरह XXXX मचाते हैं और दोनों जेबों को भरते हैं।

मैं इसके तथ्य में उपाध्यक्ष महोदय, थोड़ा सा जाना चाहूंगा। उसने इस तरह से अपने बयान दिये कि वह अपने पति से मामूली अनबन होने के कारण मुरैना आ गयी और मुरैना के बाद वह फिर धौलपुर आती है। धौलपुर की पुलिस उसको १०९ में उठाकर बन्द कर देती है। चुनांचे वह महिला आश्रम में, जिसे सरकार महिला आश्रम और शरण गृह कहती है, उस नरक कुण्ड में चली जाती है। वहां महिला आश्रम की अधीक्षिका, पुलिस अधिकारियों से मिलकर १००० रुपये में बेच करके श्री श्यामलाल नाम के एक आदमी के साथ कर देती है। वह औरत उसके साथ नहीं जाना चाहती है। उसको उसका भाई बताया जाता है और उसको कहा जाता है कि तुम इस तरह की दर्ख्वास्त दो कि यह मेरा भाई है। वह औरत कहती है कि यह मेरा भाई नहीं है। इस पर उस औरत के गुप्तांगों में मिर्चें भरी जाती हैं, नंगी करके उसको पीटा जाता है। उसने देखा कि इतनी यातनायें सहने के बाद भी कुछ नहीं होगा तो क्यों नहीं बाहर निकल ही कुछ सोचा जाये। तो बेबसी के अन्दर औरत बाहर आती है तो वह कहती है कि मैं चली जाऊंगी और वह उस आदमी के साथ चली जाती है। जब वह उसके यहां चली गयी तो बहिन बनाकर ले जाने वाला व्यक्ति उसको बीबी बनाकर रख लेता है। इस तरह से अनैतिक व्यापार का चक्कर चलता है। किसी तरह से वह फिर वहां से भागती है और एक जाटव साहब से वह मदद चाहती है और कहती है कि मुझे मेरे पति के यहां पहुंचा दो और मुझे मध्य भारत का रास्ता बता दिया जाये। नीयत उसकी फिर जाती है। कुछ दूसरे आदमियों से सम्पर्क होता है और फिर से वह बेच दी जाती है। वह फिर भाग निकलती है और फिर १०९ में गिरफ्तार करके मुन्सिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में वह बयान देती है। उस बयान में डी.एस.पी. नारायण सिंह और एस. डी. एम. विनय व्यास किस तरह से नर्सरी के अन्दर क्या क्याXXXX

XXXXअध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकालेगये।

(श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल)

करते हैं, महिला आश्रम की महिलाओं के साथ क्या क्या होता है उसका तमाम कच्चा चिट्ठा खुलता है । वहां की हमारी धौलपुर की पुलिस, वहां के हमारे सुयोग्य शासन से आज तक कुछ नहीं हुआ ।

एक ही घटना नहीं है उपाध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी घटना इसी तरह की जिक्र करूं । एक है पार्वती काण्ड का किस्सा । बड़ी मुश्किल से वहां की एक समाज सेविका ने एक औरत को गिरफ्तार कराया । वह औरत उसी महिला आश्रम में योगेन्द्रकुमारी, जो उसकी अधीक्षिका थीं, उस महिला आश्रम में भेजी जाती है । मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न जाकर इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, इतवार के दिन, छुट्टी के दिन कोठी पर चुपचाप ऑर्डर हो जाता है डी. एच. पी. नारायण सिंह और विनय व्यास द्वारा । मैं निवेदन करूंगा कि वहां कहा जाता है कि यह औरत नहीं दी जाये और यह इसका नन्दोई नहीं है, औरत की इच्छा नहीं पूछी गयी, जबरदस्ती उस औरत को उसके हवाले कर दिया गया और वह औरत अपने दुर्भाग्य को कोसती हुई और कांग्रेसी राज्य को XXXX और इस तरह का गन्दा पेशा कमाने के लिए चली गयी । आज उसकी इज्जत की रक्षा करने के लिए कोई नहीं है ।

मुझे याद आता है, महात्मा गौतम बुद्ध को एक बार पूछा गया था कि जनतन्त्र की रक्षा किस तरह से हो सकती है । उस समय उन्होंने कहा था कि जनतन्त्र तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक कि देश में औरतों का मान होता है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोई भी काल उठाकर देख लें । हर काल में औरतों की लाज की रक्षा होती रही है । औरत की रक्षा के लिए रावण का नाश हो गया, महाभारत हुआ औरत के बल पर । आप आज क्या महाभारत करना चाहते हैं ? कांग्रेसी शासको, आज आपके राज्य में धौलपुर के अन्दर औरतों का अनैतिक व्यापार चलता है । ऐसी दर्ख्वास्तें भी गयीं कि हम २४–२४ औरतों को गिरफ्तार कराना चाहते हैं जो कि हाट में बिकने के लिए आई हैं, लेकिन उसकी तरफ कोई तवज्जोह नहीं दी जाती है । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब यह बात है कि इस प्रकार के अनैतिक व्यापार में XXXX तो शर्म के मारे और लज्जा के मारे मेरा सिर झुक जाता है....

श्री प्रतापसिंह (रामाखेड़ा) : कहिये क्या कहना चाहते हैं आप ?

श्री निरंजननाथ आचार्य (उप-मंत्री, शिक्षा) : On a Point of Order, Sir, Rule 273 of our Rules of Procedure says that 'No allegation of a defamatory or a incriminatory nature shall be made by a member against any person unless the member has given previous intimation to the Speaker and also to the Minister concerned so that the Minister may be able to make an investigation into the matter for the purpose of a reply.'

इसके अन्तर्गत मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय मेम्बर के संबंध में जो एलीगेशन्स माननीय सदस्य ने यकायक लगाये बिना नोटिस दिए हुए वह उचित नहीं हैं । ऐसी स्थिति में आपको रोका जाये कि इस तरह के एलीगेशन्स मेम्बर्स के ऊपर,

XXXX अध्यक्ष-पीठ के आदेशानुसार निकाले गये ।

(श्री निरंजननाथ आचार्य)

उनको बिना नोटिस दिये गये न लगाये जायें भविष्य में भी और इस समय भी।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, यह सदन सार्वभौम है, जनता का दर्पण है। मैं इस बात के अन्दर अपने आपको पेश कर सकता हूं कि मेरे ऊपर मुकदमा चलाया जाये, मैं अपने आपको अग्नि परीक्षा के लिए नहीं बल्कि सदन के अन्दर से त्यागपत्र देने के लिए प्रस्तुत कर सकता हूं।

श्री प्रतापसिंह : कहिये आप क्या कहना चाहते हैं मेरे बारे में........

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !! माननीय सदस्य जब कभी कोई पर्सनल एलिगेशन लगाते हैं तो यह स्वभाविक माना जाना चाहिए कि उनके पास तथ्य पूर्ण हैं, लेकिन फिर भी मैं यह आगाही करता हूं कि किसी भी प्रकार का पर्सनल एलिगेशन इस रूल के मातहत बिना जिम्मेदारी के नहीं लगाने की कोशिश करेंगे, और जहां तक हो सके जनरल बातें कहें, परन्तु किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप से बचें तो अच्छा रहे।

श्री हीराभाई (कुशलगढ़) : इनसे देश को बचाना आवश्यक है, इसलिए कहना पड़ेगा।

श्री उपाध्यक्ष : Please continue.

श्री प्रतापसिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं चैलेन्ज करता हूं। I am prepared for enquiry and if I am found guilty, I may be punished.

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : फिर कहेंगे, अब आप कहें सेठजी !

(शोरगुल)

श्री प्रतापसिंह : मैं एन्क्वायरी कराने को तैयार हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री निरंजननाथ आचार्य : On a point of order, Sir, under rule 276 of our Procedure, if there is a personal allegation, a member has a right to explain even during the debate. This rule says. "A member may, with the permission of the Speaker, make a personal explanation although there is no question before the House, but in this case no debatable matter may be brought forward, and no debate shall arise"

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : That right will arise when the Hon'ble Member has finished.

श्री निरंजननाथ आचार्य : No, whenever he wants.

श्री प्रतापसिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे खिलाफ आरोप लगाये हैं माननीय सदस्य ने; तो मैं जानना चाहता हूं कि वे क्या क्या आरोप हैं। मैं उनका जवाब दूंगा। इनको मुझसे पर्सनल ग्रज है क्योंकि वहां पर इनकी पार्टी राजाखेड़ा से बिल्कुल खत्म हो गई है। उनकी पार्टी बच नहीं सकी है। धौलपुर में खत्म हो रही है। इसलिए वे ऐसा कह रहे हैं।

यह उनके लिए शर्म की बात है कि इसके लिए ऐसा गलत एलिगेशन लगा रहे हैं हाउस के अन्दर; तो मैं कहना चाहता हूं कि I am prepared for enquiry if it is found true on enquiry.....

श्री हरिप्रसाद शर्मा (पाटन): उपाध्यक्ष महोदय, जब दोनों माननीय सदस्योंने कहा कि एन्क्वायरी करा ली जाय तो तथ्यों का पता चल जायगा।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय के संचालन में एन्क्वायरी कमेटी बिठायें और मैं अभी कोरे कागज पर दस्तखत करके देता हूं।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसीन्द) : इनसे कोरे कागज पर लिखा लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : तो उपाध्यक्ष महोदय,........

श्री चन्दनमल वैद (उप-मंत्री, उद्योग): कोरे कागज पर लिखा कर ले तो लीजिए, नहीं तो फिर नट जायेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ऐसा काम कर लीजिये, क्योंकि वैद्यजी साहब जो विधान सभाई के रिश्तेदार हैं उनका मंत्रिमंडल से इस्तिफा लिखाकर ले लीजिये तो मैं अपनी पार्टी के सभी साथियों का इस्तिफा दे दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : Order please !

श्री प्रतापसिंह : वहां पर उनकी पार्टी खत्म हो रही है........

श्री उपाध्यक्ष : Now it is not a question of debate.

If you want to say anything about your motion you may please continue.

There will be no debate on this point now.

श्री प्रतापसिंह : There has been an allegation against me.

श्री उपाध्यक्ष : Please mind the decorum.

श्री योगेन्द्रनाथ हांडा (रायसिंहनगर): उपाध्यक्ष महोदय, सदन के एक सदस्य ने कुछ चार्जेज सदन के दूसरे सदस्य पर लगाये हैं और दूसरे सदस्य ने इस बात को स्वीकार किया है कि कमेटी नियुक्त की जाय और चार्जेज को तय किया जाय। तो मैं आपसे नम्र निवेदन करूंगा कि जो चार्जेज इन्होंने लगाये हैं और इन्होंने चेलेन्ज को स्वीकार किया है तो आप यह कमेटी नियुक्त कर दें और वह कमेटी उसकी इन्क्वायरी कर ले।

श्री उपाध्यक्ष : Order please! Order !! This House is not concerned

(श्री उपाध्यक्ष)

with appointing any committee. The matter is closed. Hon. Member, if you want to proceed with your debate please proceed.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहूंगा। मैं सच्चाई की आवाज को इस जनता-जनार्दन के सार्वभौम भवन में सदन को कहने के लिए आपका संरक्षण और सहारा चाहूंगा।

(विराम)

मैं यह चाहता हूं कि सत्य की आवाज न दबाई जाय।

मैं कह रहा था कि जो बेवा-अबलाओं, अपनी मां, बहिनो और कन्याओं की इज्जत और सतीत्व का हरण जो राजाखेड़ा और धौलपुर के अन्दर हो रहा है उसके कर्णधार कौन हैं उसको इस सदन को कहने में मैं अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था और आगे मैं उस चीज पर कहना चाहता हूं। जब कि धौलपुर के बारे में मैंने डॉन के अन्दर यह समाचार पढ़ा कि हिन्दुस्तान के लोग कितने नीच और पतित हैं कि वे अपने पुराने पेशे, बुरका-फरोशी के पेशे पर उतर आये हैं। शायद हो सकता है कि किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वह बुरा नहीं लगता हो, लेकिन इस राजस्थान के मुझ जैसे अकिंचन प्राणी की आंखों में खून उतर आया। मैं उस चीज को बर्दाश्त नहीं कर सका और आज इस आधार पर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं।

मैंने दूसरी बात यह कही थी कि धौलपुर के अन्दर डकैतियां किस तरह से होती हैं और उन डकैतियों का माल कौन लेता हैं, और क्या क्या बातें हैं; जरा मैं अब उसकी ओर धीरे धीरे आना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं शंकरसिंह का नाम लेता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, शंकरसिंह नामका एक डकैत था जिसके खिलाफ ५४-५५ डकैतियों के, डाकेजनी के, हत्याओं और अपहरण के केसेज रजिस्टर्ड थे। उसको सन् ५८ में सरेन्डर कराया गया वहां के पुलिस अधिकारियों द्वारा, जिनके नाम डी० आई० जी० गनेशसिंह, एस० पी०, गुमानसिंह, भैरोंसिंह डी वाई० एस० पी०, श्यामसिंह और अर्जुनसिंह और इस तरह से लोगों ने बीच में पढ़कर सरेन्डर कराया और कहा गया कि उसने आत्म-समर्पण किया। मैं बताऊंगा, जैसा कि नाटक रचा गया डी० आई० जी०, श्री सन्तराम शर्मा के सामने और किस तरह से सरेन्डर हुआ है और उसमें किन किन लोगों का क्या क्या योग रहा है, वह बतलाना चाहता हूं। वह ५४–५५ डकैतियों के बाद में आत्म-समर्पण कर देता है। मैं ज्यादा लम्बाई-चौड़ाई में नहीं जाना चाहता हूं कि वह केस कहां गया। उसको एक मामूली तरीके से ५ साल की सजा हो गई, और ५४–५५ केसेज के फैसले हो गये, एक्विटल, एक्विटल या बरियत ५ साल के दौरान में मिल गया। जब वह जेल के सींखचों से बाहर आया तो चूंकि वह डकैत था और उसने लाखों का धन लूटा था, मैं पूछना चाहूंगा कि उसने क्या कहा कि यातनाएं तो मैंने झेली और डकैती का माल फलां फलां के यहां रखा है।

श्री मथुरादास माथुर (गृह मंत्री) : मैं समझता हूं यह वही शंकरसिंह गूजर है जिसको मार दिया गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : उसको किसने मारा है और पुलिस मेडल किसको मिला है ?

श्री मथुरादास माथुर : पुलिस मेडल किसी को नहीं मिला है। शंकरसिंह वही डकैत है जिसको पुलिस ने मार दिया है ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : पुलिस ने नहीं मारा है।

(अनेक माननीय सदस्यों के बोलने को खेड़ होने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order please hembers !!

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : आप सुन लें कि अगर मेरी गलती हो तो मैं सदन के सामने अदने से अदने आदमी से हाथ जोड़कर माफी मांगने और पैर छूने को तैयार हूं गलती होने पर। आप यह जानते हैं कि उस डकैत का माल है। XXXX

श्री उपाध्यक्ष : Order ! order please !!

(शोरगुल)

श्री प्रतापसिंह : XXXX

श्री उपाध्यक्ष : (श्री प्रतापसिंह से) Please resume your seat.

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय, जगन्नाथ बोहरा पच गांव वाला XXXX जिनको कि मैं बड़ी इज्जत की दृष्टि से आज तक देखता हूं। यही नहीं बोहरा रामगोपाल, बृजकिशन केकड़ी वाला (शोरगुल) इन लोगों के यहां डकैती का माल मौजूदा था। XXXX

(शोरगुल)

श्री प्रतापसिंह : आप आये थे मांगने के लिए ?

(शोरगुल)

श्री उपाध्यक्ष : Order ! Order pelase Hon'ble member !! समय समाप्त हुआ। सदन की बैठक कल ढाई बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही रात्रि के के आठ बजे दिनांक २७ अगस्त, १९६३ के म. प. २.३० बजे तक के लिए स्थगित हुई)

XXXX अध्यक्ष–पीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

संक्षिप्त-विवरण

(सोमवार, दिनांक २६ अगस्त, १९६३)

	स्कम्भ		स्कम्भ
तारांकित प्रश्नों के शीर्षक	१	एस. टी. सी. ट्रेनिंग में छात्रवृत्ति ।	
शिक्षा की मद में कटौती ।		काश्तकारों को खातेदारी हक, तहसील सांचोर ।	
जे. के. इन्डस्ट्रीज् को सरकार द्वारा ऋण ।		सहकारी विभाग में नियमित रूप से वेतन का न मिलना ।	
राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के मजदूरों के लिए डिस्पेन्सरी ।		बहुद्देशीय सहकारी समिति, पीपल (जिला टोंक) की ऑडिट रिपोर्ट ।	
गंगानगर जिले में चीनी का अलॉटमेंट ।		नमक बनाने की अनुमति ।	
टेक्सटाइल मिल अलवर ।		तेल निकालने का स्पेलर ।	
पंचायत समिति सांगानेर में आदिवासियों को अनुदान ।		भीलवाड़ा के उद्योगपतियों को ऋण ।	
कोपर व जिंक का कोटा ।		शिक्षा विभाग, बीकानेर में अधीक्षकों के पद ।	
पंचायत समितियों मे सिंचाई के कुओं के लिये ऋण एवं अनुदान, जिला बांसवाड़ा ।		राज्य में टेक्नो इकोनोमिक सर्वे ।	
भूमि अनाधिकृत कब्जों को नियमित करने सम्बन्धी आदेश ।		अध्यापकों पर बीमा, पेन्शन व प्रोविडेन्ट फण्ड की योजना ।	
पट्टी व कातलों पर रॉयल्टी, कोटा डिवीज़न ।		ग्रेडिंग की हुई ऊन के वस्त्र बनाने के लिए केन्द्र ।	
ऋण के लिए दर्ख्वास्तें ।		मूंगफली की फसल को नुकसान, जिला भरतपुर ।	
किराये पर लिए गये भवनों में सरकारी कार्यालय, बीकानेर ।		कृषि फार्म, कोटा डिवीज़न ।	
खाद का ब्लेक ।		एस. टी. सी. ट्रेन्ड अध्यापकों को नौकरी ।	

स्कम्भ

विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश ।

पंचायत समिति चाकसू के हिसाब का ऑडिट ।

खानों के मोनोपोली के ठेके तथा मजदूरों के साथ मनमानी ।

प्रशासनिक व्यय, विकास विभाग ।

चित्तौड़गढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना ।

लाइम स्टोन एरिया की लीज-मावंड़ा (सीकर) ।

एस. टी. सी. स्कूल किशनगढ़ के कोष में गबन ।

ग्राम शाहपुरा, तहसील अलवर में हायर सेकन्डरी स्कूल ?

स्थगित प्रश्न
(१९-८-६३)

भाखरा क्षेत्र के भूमि-हीन किसान ।

स्थगित प्रश्न
(१९-८-६३)

भीलवाड़ा जिले के उद्योग-पतियों को वितरित कोटा ।

सदन की मेज पर रखा गया पत्र

श्री मथुरादास माथुर, गृह मंत्री ने नियुक्ति विभाग की अधिसूचना संख्या एफ. १४ (८) नियुक्ति (ए) IV/५९ दिनांक ४ जून, १९६३ जिसके द्वारा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन (लिमिटेशन ऑफ फन्कशन्स) रेग्युलेशन्स, १९५१ में संशोधन किये गये हैं, सदन की मेज पर रखी ।

अनुपूरक अनुदानों की मांगों के विवरण का उपस्थापन

श्री बालकृष्ण कौल, वित्त मंत्री ने अनुपूरक अनुदानों की मांगो, १९६३-६४ के विवरण को सदन की मेज पर रखा ।

राजस्व मंत्री द्वारा वक्तव्य

श्री रामप्रसाद लड्ढा, उप-मंत्री, राजस्व विभाग ने राजस्थान में अकाल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में अपने वक्तव्य की एक प्रति सदन की मेज पर रखी ।

मंत्रिमण्ड के प्रति अविश्वास प्रस्तावों पर विचार

(१) महारावल श्री लक्ष्मणसिंह, प्रतिपक्ष के नेता, विधान सभा ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

"यह सदन राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है ।"

(२) श्री भैरोंसिंह, सदस्य विधान सभा, ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

"यह सदन राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है ।"

स्कम्भ

(३) श्री मुरलीधर व्यास, सदस्य विधान सभा, ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

"राज्य में फैले भ्रष्टाचार, प्रशासन की प्रयोग्यता, मंहगाई को रोकने में सरकार की असमर्थता तथा फिजूल खर्ची एवं गरीब जनता पर कमरतोड़ टैक्स के कारण यह सदन मंत्रिमण्डल में विश्वास का अभाव प्रकट करता है।"

(४) श्री उमरावसिंह ढाबरिया, सदस्य विधान सभा, ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

'यह सदन राजस्थान सरकार के वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अपना अविश्वास प्रकट करता है।'

(५) श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल, सदस्य विधान सभा, ने निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किया :—

'यह सदन राजस्थान सरकार की वर्तमान मंत्रि-परिषद् में अविश्वास प्रकट करता है।'

स्कम्भ

सदन की बैठक रात्रि के ८ बजे मंगलवार दिनांक २७ अगस्त, १९६३ को दिन के २.३० बजे तक के लिये स्थगित की गई।

मंगलवार, २७ अगस्त, १९६३ की कार्य-सूची

१. पुरः स्थापित किये गये विधेयक—

(i) राजस्थान पुलिस (अनिष्ठा हेतु अभिप्रेरण) विधेयक, १९६३।

(ii) इंडियन सोल्जर्स (लिटिगेशन) (जागीर सम्बन्धी कार्यवाहियों पर विस्तार) विधेयक, १९६३।

(iii) अजमेर शामलात कमेटियां (विघटन) विधेयक १९६३।

(iv) राजस्थान प्राथमिक शिक्षा विधेयक, १९६३।

२. मन्त्रि-मण्डल के प्रति अविश्वास के प्रस्तावों पर विचार।

परिशिष्ट १

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १५६ का उत्तर देखिये)

Statement Showing the Total No. of Primary Schools Sanctioned during the year 1963-1964.

1.	Bikaner	9
2.	Sri Ganganagar	12
3.	Barmer	20
4.	Jaisalmer	16
5.	Jalore	6
		63.

Note:- There is a sanctioned quota of 250 Primary Schools to be opened during the year out of which 63 have been sanctioned and the remaining will be Sanctioned on receipt of the proposals from the Vikas Adhikari and Secretary, Zila Parishads.

DISTRICTWISE LIST OF PRIMARY SCHOOLS RAISED TO MIDDLE STANDARD DURING 1963-64.

UDAIPUR:

Balochistan Colony
Ahar
Majera
Tal
Babrana
Binol
Bhatiyani Chhota
Delwara (G)

JHALAWAR:

Richwa
Kanwara
Gangdhar (G)
Sunel (G)

BUNDI:

Bansi
Dabi

KOTA:

Badgaon
Karwar
Raithal
Sund Lock

Jaipur-Ajmer Range.

Jhunjhunu Distt:

Mandrela Old
Udamandi
Dhamora
Khudania
Kakora
Bharu
Poonkh
Jabhasar
Ked (Taken over)
Gotra

S I K AR.

Maunda Kalan
Sihot Badi
Asapura
Ramgarh (Urba)
Shri Madhopur (Urba)
Mangloona
Roopgarh (G)

AJMER DISTT :

Bajta
Budhwara
Fatehgarh
Ram Nagar (Urba)

BHARATPUR :

Kishankund
Kasot
Katra Nadbai (Urba)
Barnetna
Siras
Pahani (G)

KARAULI :

Piloda
Ratanzala
Pipalwada (Exp.)
Mundiya (Exp)
Liwali (Exp)
Bonli (G)

TONK :

Raholi
Pahari

ALWAR :

Taishigh
Jamdoli
No. 6 Alwar (Urba)
Govindgarh (G)

JAIPUR:

Ladana
Pachhudala
Kishanpura
Mundia Ramsar
Badi Jodha
Jajen Kalan
Phagi (G)

JODHPUR-BIKANER RANGE

BIKANER DISTRICT :

Napasar (G)

CHURU DISTRICT :

Somasi
Dhani Asha
Naya Bas Sujangah
Tamba Kheri
Charwas (G)

GANGANAGAR DISTRICT :

Ladhuwala
Chak Bhagsar
Dhandhela
Dalianwali (Exp)
Chak 19 (Zp Exp)

BARMER DISTRICT :

Magna Ki Dhani
Padru
Rawatsar (Ramsar Kuwa)
Bhunia (Exp)

PALI :

Siryani
Khinwanda
Sumerpur (G)
Sojat Road (G)
Nowai (Exp)

JALORE :

Jhab
Dayalpura
Dugari

NAGAUR :

Gudha Salt
Kyanesar
Merta City (Urban)
Parli Kalan
Koliay (G)

JAISALMER :

Mohongarh

JODHPUR :

Kvuri
Pandit-ji-ki-Dhani
Fecnch
Banasar
Shahpura (Jodhpur Gir!s)
Piparcity (G)

UDAIPUR-KOTA RANGE.

BANSWARA DISTRICT :

Panchalwasa
Tembesara

DUNGARPUR :

Sagwra (Urban)
Chata Ka Gaon
B' asor
Pardaitiwar

CHITTRGARH :

Rawat Bhata
Kotri
Kakarwa
Bambori

BHILWARA :

Lohani Kalan
Sargaon
Bhimganj (Urban)
Chamaras
Potalan (G)
Mangalgarh (G)
Brijolyan (G)

SIROHI :

Kachhuli

[redacted]overnment Middle Schools Raised [redacted]or Higher Secondary Schools 63-64.

Name of School.			District.
1.	Govt. M. School,	Banura	Sikar
2.	do	Khoor	Sikar
3.	do	Khichun	Jodhpur
4.	do	Mandrail	Sawaimadhopur
5.	do	Mokhunda	Bhilwara
6.	do	Jagera	Ajmer
7.	do	Bagore	Bhilwara
8.	do	Jhakhrana	Alwar.

List of Aided Middle Schools raised to Secondary Schools during the year 1963-64.

1.	Vidya Niketan M. S., Udaipur	Udaipur
2.	Middle School of Shramjivi, College Rajasthan Vidya Peeth, Udaipur	Udaipur
3.	Shri Gopalrai Hasukhdas Vidya Mandir Middle School, Jhunjhunu	Jhunjhnu
4.	Seth Gajadhar Jaipuriya Vidya Mandir M. School, Jhunjhunu	Jhunjhunu.
5.	Shri Jainratan Vidyalaya, Bhopalgarh	Jodhpur.
6.	S. M. B. Middle School, Ramganj	Ajmer
7.	Sri Digambar Jain Kanya Vidyalaya	Udaipur
8.	Shishu Shiksha Sadan & Nursary M. S.	Ajmer
9.	Vaidik Kanya Vidyalaya M. S., Adarshnagar,	Jaipur.
10.	K. D. A. V. M. School, Ajmer.	Ajmer.

List of Aided High Schools converted into Higher Secondary Schools, 1963-64.

1.	St. Patricks Vidya Bhawan, Jodhpur	Jodhpur
2.	Bhopalwala. Arya High School, GNR.	Ganganagar.
3.	Shri Sumer High School, Jodhpur	Jodhpur.
4.	J. B. High School, Ladnun	Nagaur.
5.	S. S. Jain Subodh High School, Jaipur	Jaipur.

परिशिष्ट २

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १६६ का उत्तर देखिये)

पंचायत समिति सांगानेर में सन् १९६१–६२ में आदिवासियों को सिंचाई के कुओं के लिए अथवा बैलों की खरीद के लिए अथवा पीने के पानी का कुवा बनवाने के लिए दिये गये अनुदान की सूची :—

क्र०	व्यक्ति का नाम	ग्राम	कार्य जिसके लिए अनुदान दिया गया	अनुदान की रकम	अनुदान देने की तारीख	आदिवासियों की जन-संख्या
१.	श्री किशना पुत्र गणेश मीणा	ठिकरिया	सिचाई कूप	३५०)	१९–३–६२	आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।
२.	,, अजिता पुत्र बख्तावर मीणा	रामदतपुर	,,	३५०)	२८–३–६२	,,
३.	,, नाथू पुत्र भुता मीणा	बड़ीकाखेड़ा	,,	३५०)	२८–३–६२	,,
४.	,, भौरी लाल पुत्र दुलाराम मीणा	सांगानेर	,,	२५०)	२९–३–६२	,,
५.	,, किशना पुत्र चन्द्र मीणा	श्यामपुरा	,,	३५०)	३०–३–६२	,,
६.	,, नानगा पुत्र नानू मीणा	जगतशिरोमणीपुरा	,,	३५०)	३१–३–६२	,,
७.	,, दुला पुत्र रामदेव मीणा	रामपुराऊती	,,	३५०)	३१–३–६२	,,
	,, भूरा पुत्र रूधा मीणा		,,	,,	,,	,,
८.	,, राम कवार पुत्र भुरा मीणा	पवालिया	,,	३५०)	३१–३–६२	,,
९.	,, दुर्गा लाल पुत्र बख्तावर मीणा	बगरू	,,	३५०)	३१–३–६२	,,
१०.	,, हनुमान पुत्र बीजा मीणा	लालावास	खरीद बैल	२५०)	८–३–६२	,,
११.	,, भैरूबक्स पुत्र सूजाराम मीणा	सांगानेर	सिंचाई कूप	३५०)	३१–३–६२	,,
१२.	,, भौमा पुत्र बावरा मीणा	दहमीकलां	खरीद बैल	२५०)	२८–३–६२	,,
१३.	,, गोदाराम पुत्र सुक्खा मीणा	पवालिया	,,	२५०)	३१–३–६२	,,

परिशिष्ट ३

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १७२ का उत्तर देखिये)

सूची परिशिष्ट "क"

पारसखर ग्राम अजीतसर के जिन जिन किसानों की दरख्वास्तें आई उनकी सूची निम्न प्रकार है :—

नाम किसान	तारीख देने आवेदन-पत्र	कितने ऋण का आवेदन-पत्र है	कितना ऋण कब दिया गया	किस कार्य के लिये ऋण चाहा	यदि ऋण नहीं दिया है तो क्यों	अब कब तक ऋण मिल जावेगा
१. श्री रावत राम पुत्र रूपा राम माली	२५-५-१९६१	२०००)	२५-३-६३ ९००) २४-५-६३ ९००)	भूमि सुधार हेतु	—	—
२. श्री पेमाराम पुत्र श्री रूपाराम जाट	२५-५-६१	४०००)	२५-३-६३ १२५०) २१-६-६३ १२५०)	,,		
३. श्री गंगाराम पुत्र श्री रूपाराम सुनार	२५-५-६१	२५००)	१५-४-६३ ७२५)	,,		
४. श्री भैरा राम पुत्र श्री लादू राम जाट	७-६-६१	४०००)	—	— ,,	संचालक के डाईरेक्टर की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई	रिपोर्ट प्राप्त होने के दो माह के भीतर
५. श्री हल्कूराम पुत्र श्री हीरा राम	७-६-६१	२०००)	—	— ,,	,,	,,
६. श्री रामानन्द पुत्र श्री रामगोपाल	३०-७-१९६२	४०००)	—	— ,,	विधि परामर्श दाता एवं संचालक की रिपोर्ट बकाया है	,, ,,

परिशिष्ट –४

(तारांकित प्रश्न संख्या १७५ का उत्तर देखिए)

Copy of letter No. EDB/ACA/C/21716/Vol.1/101/63 dated 23-7-63 from the Director of (P&S) Education, Rajasthan, Bikaner to all the Inspectors of Schools.

Sub: Admission to one year B. S T. C, Two years B. S. T. C. Gangashahr and one Craft Training School, Parasramdwara and Udaipur.

Ref: This office circular No. EDB/ACA/C/21766/12/63 dated 14-3-63.

EDB/Aca/21716/44/63 dated 14-4-63.

EDB/Aca/C/21716/68/63 dated 9-5-63.

EDB/Aca/C/21716/160/63 dated 27-6-63.

The proposals were sent to the Government for the change in the rules for admission to Basic S. T. C. Schools and Craft Schools vide this office circular to EDB/Aca/C/21716/10/63 dated 13-3-63, a copy of the proposals which has been sent to the Government were also sent to you with the letter cited above. The Education Secretary, Jaipur has now conveyed sanction of the Governor to the adoption of the following procedure for admission to S. T. C. Schools in Rajasthan.

1. 50% candidates will be deputed on full salary basis or on stipend basis out of those who are in the service of the Government and Panchayat Samitis on 31st March, 1963. All those candidates who have joined service before 1st July, 1954 will be deputed for training on full pay and those after 1st July. 54 but before 31st March, 1963 will get stipend. Teachers in such catagories will not be required to pay any tution fees All other teachers who are appointed after 31st March, 63 will get themselves trained at their own expenses and will also not be paid any stipend. The teachers to be deputed on full salary or stipend basis will be selected strictly on the basis of the seniority from the common serniority list of teachers working in Government schools and Panchayat Samiti Schools. Only those teachers who possess the minimum qualifications will be sent for training.

2. 50% of the seats in each Govt. S. T. C. Schools will be filled by direct recruitment through a selection Board. The Candidates selected by the open competition will not be paid any stipend. They will have

to pay tuition fees of Rs. 10/- only P. M. for 12 months.

3. Like other Govt. institutions, students reading in S. T. C. Schools will be allowed 10% freeship and 10% half freeship of the total intake of the Training Institution's purely on consideration of poverty and merit. Such candidates will have to execute a bond to serve the State for one year and in case they do not serve they will have to refund the tuition fees exempted to them with 6% interest.

4. The candidates who belong to scheduled castes and scheduled tribes and backward classes and sons and wards of Government servants getting Rs. 320/-p. m. or less will be exempted from paying tuition fees. A bond for service will be necessary.

5. All the candidates will pay the prescribed boys fund fees.

6 Those teachers who are in Government service or serving Panchayat Samitis and whose turn dose not come according to their seniority will be free to seek admission in the B. S. C. T. and Craft Training Schools through open competition without stipend.

These instructions may kindly be followed strictly.

परिशिष्ट ५

(तारांकित प्रश्न संख्या १७७ का उत्तर देखिए)

क्र. सं.	नाम कर्मचारी	पद
१.	श्री श्रीकृष्ण माथुर	उप रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
२.	श्री राधाकृष्ण	उप रजिस्ट्रार (फार्मिंग)
३.	श्री श्री निवास गुप्ता	सहायक रजिस्ट्रार (बैंकिंग)
४.	श्री गौरीशंकर माथुर	अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर
५.	श्री नाहर सिंह	सहायक रजिस्टार (नियम)
६.	श्री रामपाल परिहार	सहायक रजिस्ट्रार, जयपुर
श्री	तोताराम शर्मा	निजी सहायक रजिस्ट्रार
८.	श्री चन्द्रराज सिंघवी	अंक अधिकारी
९.	श्री विश्वनाथ सिंह	प्रिन्सिपल कोआपरेटिव ट्रेनिंग स्कूल, जयपुर
१०.	श्री किशनसहाय यादव	सहायक रजिस्ट्रार, सवाईमाधोपुर
११.	श्री सतीशचन्द्र माथुर	प्रिन्सिपल कोआपरेटिव ट्रेनिंग स्कूल, जोधपुर
१२,	श्री धर्मनारायण त्रिवेदी	सहायक रजिस्ट्रार (बांसवाडा)
१३.	श्री रामस्वरूप सिंह	अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार, अलवर
१४.	श्री रमेशचन्द्र धीर	सहायक रजिस्ट्रार, अलवर
१५.	श्री विजयसिंह	सहायक रजिस्ट्राह, सीकर
१६.	श्री बन्शीदास वैश्णव	अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार, श्री गंगानगर
१७.	श्री रनवीर सिंह	सहायक रजिस्ट्रार, जोधपुर
१८.	श्री शिवकरन पथिक	सहायक रजिट्रार, श्री गंगानगर.
१९.	श्री श्रीकृष्ण कौशिक	सहायक रजिस्ट्रार, भीलवाड़ा
२०.	श्री किशोर सिंह	सहायक रजिस्ट्रार, सिरोही
२१.	श्री रामसिंह रानावत	सहायक रजिस्ट्रार, उदयपुर
२२.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	सहायक रजिट्रार, प्रशिक्षण में
२३.	श्री नाथूराम मीना	सहायक रजिस्ट्रार (प्रति नियुक्ति)
२४.	श्री नारायणलाल जैन	सहायक रजिस्ट्रार, पाली पैकेज
२५.	श्री बल्लू लाल ओझा	सहायक रजिस्ट्रार, प्रशिक्षण में
२६.	श्री गणेशमल मेहता	सहायक रजिस्ट्रार, चितौड़
२७.	श्री देवीसहाय शर्मा	स्पेशल ऑडीटर, अजमेर जौन
२८.	श्री प्रतापसिंह मेहता	स्पेशल ऑडिटर उदयपुर ,,

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद
२९.	श्री रामगोपाल बन्सल	स्पेशल ऑडिटर, बीकानेर जोन
३०.	श्री हरभजन सिंह	स्पेशल ऑडिटर, कोटा ,,
३१.	श्री किशनलाल डारौली	स्पेशल ऑडिटर, जोधपुर ,,
३२.	श्री कन्हैयालाल शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार, टोंक ,,
३३.	श्री जुगलकिशोर शर्मा	सहायक रजिस्ट्रार प्रशिक्षण में
३४.	श्री कमलकिशोर गुप्ता	सहायक रजिस्ट्रार (प्रतिनियुक्ति पर)
३५.	श्री नाथूलाल पाण्डेय	सहायक रजिस्ट्रार, डूंगरपुर
३६.	श्री ओमप्रकाश वाली	सहायक रजिस्ट्रार, कोटा
३७.	श्री एम. एम. जहूर	प्रिन्सीपल, सहकारी प्रशिक्षणालय केन्द्र, भरतपुर
३८.	श्री राजेश्वरप्रसाद भार्गवा	सहायक रजिस्ट्रार, नागौर
३९.	श्री गनपतलाल ओझा	सहायक रजिस्ट्रार, बीकानेर
४०.	श्री गोरधनलाल लाहोटी	सहायक रजिस्ट्रार, झालावाड़
४१.	श्री भंवरलाल चतुर्वेदी	सहायक रजिस्टार, भरतपुर
४२.	श्री ध्रुवकृष्ण महर्षि	सहायक रजिस्ट्रार (मार्केटिंग)
४३.	श्री गोविन्दनारायण शर्मा	विस्तार अधिकारी (मुख्यावास)
४४.	श्री रघुवीर सिंह	सहायक रजिस्ट्रार, चूरू
४५.	श्री हुक्माराम	अतिरिक्त सहायक रजिस्ट्रार, अजमेर
४६.	श्री कृष्णचन्द्र गोतम	सहायक रजिस्ट्रार (प्रशासन)
४७.	श्री सरदार सिंह	सहायक रजिस्ट्रार (कृषि)

परिशिष्ट ६

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८२ का उत्तर देखिए)

List of loanees of District Bhilwara
who have not deposited the loan instalments due from them.

S. No.	Name of the Party
	1958-59
1.	M/s. Jogendra Singh S/o Dhau Singh Bhilwara
2.	„ Charam Utpadak Sahkari Samiti, Sanganer.
3.	„ Tejsingh S/o. Daulat singh Mehta, Mandalgarh.
4.	„ Sakkar & Rui Utpadak Samiti Ltd., Gangapur.
5.	„ Sirajuddin Karim Bux, Blacksmith, Bijolia.
6.	„ Sri Mohd. Hussain s/o Suleman Mistri, Bijolia.
7.	„ Shri Ibrahim s/o. Bhuraji Blacksmith, Bijolia.
8.	„ Shri Nathulal s/o Lalja, Bijolia.
9.	Shri Sham Suddin s/h Sri Abdull Razzak, Bhilwara.
10.	M/s. Amir Mohd. s/o Mohd. Bux, Jahazpur.
	1959-60
11.	M/s. Vishwakarma Upadak Sahkari Samiti, Bigod.
12.	„ Loh Ozar Utpadak Sahkari Samiti, Bigod.
13.	„ Madanlal Suganchand Kasera, Bhilwara.
14.	„ Bhanwarlal Molchand Kasera, Bhilwara.
15.	„ Babulal s/o Baktawarmal, Mandal.
16.	„ Chouthmal s/o Lambhuram Mochi, Gangapur.
17.	„ Rangai Chappai Sahkari Samiti, Mandal.
	1960-61
18.	„ Bartan Nirman Sahkari Samiti, Bhilwara.
19.	„ Kuradia Charam Utpadak Sahkari Samiti, Kuradia.
20.	„ Ajitsingh s/o Omkarsingh, Gangapur.
21.	„ Ahmed s/o. Kasam Fakir, Sanganer.

LIST OF THE PARTIES WHO HAVE NOT STARTED THE INDUSTRY AT ALL AFTER ADVANCING LOAN FROM 58-59 TO 62-63 OF BHILWARA DISTRICT

S. No.	Name of the Party.	Amount Advanced.	Nature of Industry.	Action taken by the Department.
1.	2.	3	4	5
1. M/s.	Sri Kishan Acharaya, Pur.	1500/-	Bamboo Basket Industry.	Action for recovery being taken under P. D. R. Act.
2. ,,	Tejsingh Mehta, Mandalgarh.	15,000/-	Gur Khandsari Industry.	Rs. 10,600/- already recovered under P. D. R. Act.
3. ,,	Sakkar & Rui Utpadak Sahkari Samiti, Gangapur.	30,000/-	Sugar & Cotton.	Requisition of P.D.R. Act sent to Collector, on 20.8 1963.
4. ,,	Charm Utpadak Sahkari Samlti, Sanganer.	3000/-	Leather Tanning.	-do- -do-
5. ,,	Ajeetsing s/o. Omkarsingh Bolia, Gangapur.	2000/-	Furniture Industry.	Requisiton of P.D. R. Act sent, to Collector on 19.6.1963
6. ,,	Rewa Shaner s/o. Bherulal Solanki, Bhilwara.	2000/-	Brass Foundry.	Action for recovery under P.D.R. Act. is being taken.

LI ST OF CASES REFERRED TO THE COLLECTOR TO RECOVER THE AMOUNT UNDER P.D R. ACT UPTO MARCH 1963 OF BHILWARA DISTRICT.

S. No.	Name & address of the Party.	Amount advanced.	Amount reported to be recovered.	Balance amount.	Remarks
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	M/s. Channamal Nawalmal Sindhi, Shahpur.	8580/-	Nil.	8580/-	Letter issued dt.,
2.	,, Ramchander Kasiram, Bhagwanpura.	5000/-	4290/-	710/-	30.4.1963.
3.	,, Kalyanmal Somani, Hamirgarh.	1,05,000/-	4800/-	5200/-	
4.	,, Bigod Bachat Sahkari Samiti, Bigod,	10,000/-	1400/-	8600/-	Letter again issued.
5.	,, Ramlal Chanuka, Bhilwara.	5000/-	5000/-	Nil.	
6.	,, Tejsingh Daulatsingh Mehta, Mandalgarh.	15000/-	6600/-	8300/-	Letter again issued.
7.	,, Shahpura Carpenters Sahkari Samiti Ltd., Shahpur.	1500/-	Nil.	1500/-	Letter again issued
8.	,, Noor Mohd., Karimbux, Bhilwara.	4286/-	Nil.	4286/-	Letter again issued.
9.	,, Shahbuddin Karimbux, Bhilwara.	4286/-	Nil.	4286/-	Letter again issued.
10.	,, Mathuralal Ghisalal Lohia, Bigod.	4300/-	Nil.	4300/-	Letter again issued.
		Total Rs. 67,952/-	Total Rs. 26,090/-	Total Rs. 41,86 /-	

परिशिष्ट ७

(कृपया तारांकित प्रश्न संख्या १८३ का उत्तर देखिए)

परीक्षाओं की सूची जो कार्यालय रजिस्ट्रार, शिक्षा विभागीय परीक्षाएं वर्तमान में ली जाती हैः—

(१) बेसिक एस. टी. सी. परीक्षा।
(२) बेसिक एस. टी. सी. शोर्ट टर्म ट्रेनिंग कोर्स परीक्षा।
(३) बेसिक एस. टी. सी. द्विवर्षीय कोर्स परीक्षा।
(४) फिजीकल एज्युकेशन सर्टीफिकेट कोर्स परीक्षा।
(५) फिजीकल एज्युकेशन डिप्लोमा कोर्स परीक्षा।

संस्कृत परीक्षाएं

(६) आचार्य (पूर्व एवं उतर खंड)
(७) शास्त्री

आयुर्वेद परीक्षाएं

(८) भिषगाचार्य (पूर्व एवं उतर खंड)
(९) आयुर्वेदाचार्य (पूर्व एवं उतर खंड)

संगीत परीक्षाएं

(१०) संगीत प्रभाकर परीक्षा।
(११) संगीत भूषण परीक्षा।

आर्ट्स परीक्षाएं

(१२) ड्राइंग एवं पेन्टिग सर्टीफिकेट कोर्स परीक्षा।
(१३) ड्राइंग एवं पेन्टिग डिप्लोमा परीक्षा।
(१४) क्लेमोडलिंग सर्टीफिकेट परीक्षा।
(१५) क्लेमोडलिंग डिप्लोमा परीक्षा।
(१६) स्कल्पचर सर्टीफिकेट परीक्षा।
(१७) स्कल्पचर डिप्लोमा परीक्षा।
(१८) आर्किटेक्चर सर्टीफिकेट परीक्षा।
(१९) आर्किटेक्चर डिप्लोमा परीक्षा।
(२०) हैन्डी क्राफ्ट प्रतिक्षण परीक्षा।

संस्कृत परीक्षाएं

(२१) प्रवेशिका
(२२) उपाध्याय

परिशिष्ट ८

(प्रश्न समय में न लिये जा सकने वाले प्रश्नोत्तर)

ग्रेडिंग की हुई ऊन के वस्त्र बनाने के लिए केन्द्र

१८६. श्रीमती लक्ष्मीकुमारी चूण्डावत (भीम) : क्या पशुपालन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

१. क्या यह सही है कि सरकार द्वारा बुलाये गये न्यूजीलेण्ड के विशेषज्ञ ने यह रिपोर्ट दी है कि राज्य में उत्पादित साठ प्रतिशत ऊन इस क्वालिटी की है जिससे बढ़िया किस्म के ऊनी वस्त्र बनाये जा सकते हैं ?

२. क्या यह भी सही है कि जयपुर में ऊन की ग्रेडिंग की जान की योजना बनाई गई है ?

३. यदि हां, तो इस ग्रेडिंग की हुई ऊन के द्वारा वस्त्र बनाने के लिए राज्य में कहां कहां केन्द्र खोले जायेंगे ?

४. क्या सरकार राज्य के अब तक काम कर रहे ऊन के कारखानों को इस प्रकार के केन्द्र बनाने की प्राथमिकता देने पर विचार कर रही है ?

५. क्या सरकार के ध्यान में है कि दक्षिण राजस्थान में देवगढ़ ऊन के कार्य करने का प्रसिद्ध केन्द्र रहा है ? यदि हां, तो देवगढ़ में ऊन के कार्य का विस्तार करने के लिए क्या विचार है ?

उत्तर

१. न्यूजीलेंड से सरकार द्वारा किसी विशेषज्ञ को बुलाकर राज्य में ऊन सम्बन्धी रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई है।

२. यह सही है कि राज्य में ऊन वर्गीकरण की योजना सरकार के विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार राज्य में १४ ऊन वर्गीकरण केन्द्र खोले जाने की योजना है।

३. इस समय ग्रेडेड ऊन के द्वारा वस्त्र बनाने का केन्द्र या कारखाना खोलने की कोई योजना नहीं है, चूंकि योजना इन केन्द्रों पर ऊन को ग्रेड करने तक की सीमित है।

४ वें (५). उपरोक्त स्थिति में प्रश्न ही नहीं उठता।

मूंगफली की फसल को नुकसान जिला भरतपुर

१८७. श्री मजलिसखां (कामा) : क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सही है कि खरीफ ६२ में भरतपुर जिले में मूंगफली की फसल को कीड़ा लग जाने से काफी नुकसान पहुंचा है ?

२. यदि हां, तो कृषि विभाग की ओर से इस सम्बन्ध में क्या क्या कदम उठाये गये और कहां कहां पर पौध संरक्षण का कार्य किया गया ? आगामी फसल को इस क्षति से बचाने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं और कृषक वर्ग को इस सम्बन्ध में क्या २ हिदायतें दी गई हैं ?

उत्तर

१. जी नहीं।

२. प्रश्न ही नहीं उठता।

आगमी फसल बोने से पहले जो बीज विभाग द्वारा बांटा गया है उसे एग्रोसोन जी० एन० से उपचार करके बुवाया गया है। कडूंद रोग से फसल को बचाने के लिए काश्तकारों को बीज बोने से पहले इस दवाई का प्रयोग करने की हिदायतें दी गई हैं। अगर कीड़ों से कोई नुकसान होता दिखाई दे तो उस समय १० प्रतिशत बी. एच. सी. डस्ट अथवा २ प्रतिशत एलड्रीन डस्ट १० किलो प्रति एकड़ छिड़कने की हिदायतें की गई हैं।

कृषि फार्म, कोटा डिवीजन

१८८. श्री जुझारसिंह, (चेचट): क्या कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. कोटा डिविजन में कितने और कौन कौन से स्थानों पर कृषि फार्म सरकार द्वारा स्थापित किये जा चुके हैं?

२. इन सरकारी फार्मों को कब कब चालू किया गया है और उनकी अलग अलग आमदनी व खर्चा कितना २ है?

उत्तर

१. ६ फार्म स्थापित किये गये हैं: (लाडपुरा, बोरखेड़ा, उम्मेदगंज, सुल्तानपुर, मटुन्डा (बूंदी), खानपुर (झालावाड़)

ये फार्म निम्न लिखित वर्षों में खोले गये हैं:—

१. बीज गुणन फार्म लाडपुरा १९५७-५८
२. बीज गुणन फार्म बोरखेड़ा १९५६-५७
३. बीज गुणन फार्म मटुन्डा १९५८-५९
४. बीज गुणन फार्म खानपुर १९६०-६१
५. मैकेनाइज्ड फार्म उम्मेद गंज १९६०-६१
६. अनुसंधान फार्म सुल्तानपुर १९६२-६३

२. गत वर्ष की आमदनी व खर्चे का ब्योरा संलग्न तालिका में दिया गया है।

सूची

Name Of The Farm	Expenditure recd. (Rs).	Income (Rs.)
1. Ladpura Farm	16645.00	29,560.00
2. Ummedganj Farm.	1,88,182.00	1,04,414 00
3. Sultanpur Farm	13,378.00	10,300.00
4. Khanpur Farm	13,271.36	2,958.39
5. Matunda F .	10,549.00	5,261,71
6. Borekhera Farm	21,200.01	22,000.00

एस. ट. सी. ट्रेन्ड अध्यापकों को नौकरी

१८९. श्री अब्दुलजब्बारखां (निम्बाहेड़ा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सही है कि एस. टी. सी. ट्रेन्ड टीचर्स द्वारा राज्य में अनिवार्य रूप से सर्विस करने हेतु बोन्ड्स भरवाये जाते हैं ?

२. क्या यह भी सही है कि १९६३ के अप्रेल मास में ट्रेनिंग से लौटने के बाद जिला चित्तौड़गढ़ में अध्यापकों को ड्यूटी पर नहीं लिया गया ?

३. क्या यह भी सही है कि जिला परिषद् और पंचायत समितियों ने इसलिए उन्हें नौकरी पर लेने से इन्कार किया कि १५ रोज बाद ही गर्मी की छुटियां होने वाली थी ?

४. क्या यह भी सही है कि इसी प्रकार की समस्या राज्य के अन्य जिलों में भी व्याप्त थी, पर वहां अध्यापकों को नौकरी पर ले लिया गया ?

उत्तर

१. जी हां। जिन अध्यापकों को स्टाइफण्ड तथा पूर्ण वेतन पर प्रशिक्षण पर भेजा जाता है उनसे अनिवार्य रूप से बॉण्ड भरवाया जाता है।

२. शिक्षणालय निरीक्षक, चित्तौड़गढ़ द्वारा स्टाइपण्ड तथा पूर्ण वेतन पर अध्यापकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा गया था। प्रशिक्षण की समाप्ति पर उन्हें पुनः ड्यूटी पर ले लिया गया था।

३. प्रशिक्षण से आशार्थी अध्यापकगण मई के प्रथम सप्ताह में मुक्त होते हैं। जिला परिषद पंचायत समितियों को आवरित करती है। पंचायत समितियों से सम्बन्धित अध्यापकों को सूचना पहुंचाने में इतना समय लग जाता है कि इसके पूर्व शालाएं ग्रीष्मावकाश के लिये बन्द हो जाती है।

४. यह सूचना तमाम जिलों के निरीक्षकों से प्राप्त होने पर प्रस्तुत करदी जावेगी।

विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिए प्रवेश

१९०. श्री लक्ष्मणप्रसाद पटेल (सिकराय) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की करेंगे:—

क्या कोई सरकारी कर्मचारी भी राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये प्रवेश ले सकता है ? अगर हां, तो जुलाई, १९६१ से प्रारम्भ होने वाले सत्र से कितने सरकारी कर्मचारियों ने अध्ययन के निमित्त प्रवेश लिया है ?

उत्तर

जी हां। राजस्थान विश्वविद्यालय में अध्ययन के लिये सरकारी कर्मचारी के लिये प्रवेश पाने के हेतु कोई प्रतिबन्ध नहीं है। विश्वविद्यालय के लिये सरकारी कर्मचारी की संख्या देना सम्भव नहीं है क्योंकि इस प्रकार का उनके यहां कोई रेकॉर्ड नहीं रखा जाता।

पंचायत समिति चाकसू के हिसाब का ग्राडिट

१६१. श्री नाथूलाल करोल (चाकसू): क्या पंचायत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या पंचायत समिति चाकसू, जिला जयपुर के सन् १६५६-६० व सन् १६६०-६१ के हिसाब का ग्रॉडिट हो चुका है ? यदि हां, तो ग्रॉडिट रिपोर्ट में क्या क्या एतराज (ग्रॉब्जेक्शन्श) किस किस सरपंच व समिति के सदस्यों के खिलाफ उठाये गये हैं ग्रौर उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

खानों के मोनोपोली के ठेके तथा मजदूरों के साथ मनमानी

१६२. श्री श्रवणलाल (हिन्डोन): क्या खनिज मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सच है कि कोटरीजागर व भिरना की खानों के मोनोपोली के ठेके तारीख २१-१-६३ को होने जा रहे थे ?

२. क्या यह भी सच है कि उन ठेकों को मजदूर संघ ने कैंसिल करा दिया ?

३. क्या यह भी सच है कि मोनोपोली ठेकों से मजदूरों को बहुत कठिनाई हो जाती है ?

४. क्या यह भी सच है कि मोनोपोली ठेकों में मजदूर के साथ में ठेकेदार मनमानी करते है।

५. यदि हां, तो क्या सरकार उनके लिए मोनोपोली ठेकों को बिलकुल खत्म करके रोयल्टी सिस्टम ही बनाये रखेगी ?

उत्तर

१. नहीं। डाइरेक्ट वर्किंग मानिंग लीज के ठेके नीलाम होने वाले थे।

२. नहीं। मजदूरों द्वारा निलाम का विरोध करने तथा जन-शान्ति भंग होने की ग्राशंका होने के कारण उस दिन नीलाम स्थगित कर दिया गया।

३. प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

४. ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई।

५. प्रश्न ही पैदा नहीं होता।

प्रशासनिक व्यय, विकास विभाग

१६३. श्री मुरलीधरव्यास (बीकानेर): क्या विकास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. विकास विभाग में गत ५ वर्षों से प्रशासनिक व्यय कितना हुग्रा है ? यह योजना का कितना प्रतिशत है ?

२. प्रत्येक विकास खण्ड में यह कितना कितना हुग्रा है ? कृपया उसकी व्योरेवार प्रति सदन की मेज पर रखें ?

३. क्या सन् ६०-६१ की प्राक्कलन समिति ने इसे काफी बढ़ता हुग्रा बताते हुए उसे रोकने के लिए कोई सुझाव दिये थे ?

उत्तर

१. ४५१.६० लाख रुपये। यह योजना पर हुए व्यय का ३९ प्रतिशत होता है।

२. सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

३. जी हां।

(सूची अधिक विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

चित्तौड़गढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना

१९४. श्री सम्पत्तिलाल बोहरा (मावली): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(१) क्या चित्तौड़गढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की कोई योजना हाथ में ली गई है? यदि हां, तो कब से?

(२) क्या यह सच है कि सरकार ने सन १९५९ में चित्तौड़गढ़ के कारखानों के मालिकों को आदेश दिया था कि वे आगे एक्सटेन्शन नहीं करें? यदि हां, तो वह आदेश किस तारीख को दिया गया?

(३) यह इन्डस्ट्रियल एरिया की योजना (चित्तौड़गढ़) इस समय किस स्टेज पर है?

(४) यह योजना कब तक लागू हो जायेगी?

(५) क्या सरकार को यह मालूम है कि कितने ही कारखानों का इस कारण विकास रुका हुआ है?

उत्तर

१. जी हां, इन्डस्ट्रियल एरिया बनाने का निश्चिय सन् १९५९ में हुआ था और यह योजना सन् १९६० में हाथ में ली गई थी।

२. जी हां, कुछ कारखानों को दिनांक ३०-१०-१९५९ को चित्तौड़गढ़ टाउन प्लानिंग समिति की राय के अनुसार दिया गया था।

३. औद्योगिक क्षेत्र के लिए उपयुक्त जमीन नियत करना है जिसके लिए जिलाधीश महोदय और चीफ टाउन प्लानर को सरकार द्वारा लिखा जा चुका है।

४. भूमि उपलब्ध होते ही योजना लागू हो जायेगी।

५. जी नहीं, जिस किसी को औद्योगिक संस्थान के लिए भूमि की आवश्यकता होती है उसके लिए भूमि का प्रबन्ध किया जाता है।

लाइम स्टोन एरिया की लीज, मावंडा (सीकर)

१९५. श्री रामकिशन (वैर): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. मोहनलाल मोदी को मावण्डा (सीकर) में लाईम स्टोन का एरिया कितनी लीज पर किस वार्षिक रॉयल्टी पर दे रखा है? कृपया सन् ५७ के बाद का विवरण दें।

२. क्या यह सही है कि इस एरिया के लिए कोई दूसरी दरख्वास्त ज्यादा वार्षिक

रॉयल्टी के लिए भी आई थी ? अगर हां, तो किस की थी और कितनी रायल्टी का ओफर था ?

३. क्या यह सही नहीं है कि इससे सरकार को खरा नुकसान २०,०००) रु० वार्षिक से अधिक होता है ?

४. इस एरिया को नीलाम क्यों नहीं किया गया अथवा छोटे प्लॉट्स बना कर क्यों नहीं दिया गया ?

उत्तर

१. मावंडा (सीकर) लाइम स्टोन लीज सन् १९५५ से सन् १९६० तक ४०,०००) रु० वार्षिक पर, व सन् १९६० से सन् १९७० तक ६४,०००) रु० वार्षिक पर श्री मोहनलाल अग्रवाल के नाम से स्वीकृत है।

२. हां, यह सही है कि रामप्रताप की ६५,०००)रु० कि व श्री दीनदयाल, श्री रघुनाथसिंह इत्यादि ने संचालक महोदय, खनिज विभाग, उदयपुर के यहां ८०,०००)रु० की दी थी।

३. नहीं, क्योंकि प्रार्थीगण की ओर से कोई बोयान जमा नहीं हुई थी, इसलिये वो मान्य नहीं था।

४. लाइम स्टोन की लीज़ दिये जाने के सम्बन्ध मे सरकार ने एक कमेटी नियुक्त की और इस कमेटी की सिफारिश पर यह तय किया गया कि अनाधिकृत कार्य को रोकने के लिये उचित डेडरेन्ट पर बड़े क्षेत्र लीज़ पर दिये जाने चाहिये और इस लीज़ पर भी वो ही पाबन्दी लगा कर लीज़ मंजूर किया गया।

एस. टी. सी. स्कूल किशनगढ़ के कोष में गबन

१९६. श्री हनुमानसिंह चौधरी (नांवा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

१. क्या यह सही है कि हाल ही में किशनगढ़ एस. टी. सी. स्कूल के कोष में गबन के सम्बन्ध में शिकायत हुई है ?

२. यदि हां, तो जांच अधिकारी कौन थे व क्या निर्णय लिया गया ?

उत्तर

१. जी हां। इस सम्बन्ध में एस० टी० सी० स्कूल, किशनगढ़ के वरिष्ठ लेखक श्री गोपीलाल पटोडिया ने शिकायत की थी कि एस० टी० सी० स्कूल, किशनगढ़ में कुछ अनियमितताएं हो रही हैं और उनके विषय में जांच के लिये प्रार्थना की थी। स्कूल के कोष के गबन के संबंध में कोई शिकायत नहीं की थी।

२. उप-शिक्षा संचालक, जयपुर मण्डल के अधीन इन्टर्नल चैकिंग पार्टी के अकाउन्टेन्ट ने दिसम्बर, १९६२ में जांच की और उससे यह प्रमाणित हुआ कि स्कूल कोष में कोई गबन नहीं है। हां, कुछ लेखा सम्बन्धी अनियमितताएं अवश्य मिलीं जिनके सम्बन्ध में पत्र-व्यवहार चल रहे हैं और अनियमितताएं करने वालों के विरुद्ध आगे कार्यवाही जारी है।

ग्राम शाहपुरा, तहसील अलवर में हायर सैकन्डरी स्कूल

१६७. श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

१. क्या यह सही है कि ग्राम शाहपुरा, तहसील अलवर की जनता अपने ग्राम के मिडल स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल बनवाना चाहती है ?

२. क्या यह सही है कि इस स्कूल में विद्यार्थियों की इतनी संख्या है कि वह एक हायर सैकन्डरी स्कूल के लिये पर्याप्त है ?

३. क्या यह भी सही है कि गांव के लोग स्कूल भवन के लिये कुछ रुपया भी देने को तैयार हैं ?

४. क्या सरकार आगामी वर्ष में इस ग्राम के मिडल स्कूल को हायर सैकन्डरी स्कूल बनाने पर विचार करेगी ?

उत्तर

१. सत्र १९६३-६४ में माध्यमिक शाला शाहपुर को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तन करने का प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ।

२. इस शाला की छात्र-संख्या उच्चतर माध्यमिक शाला के लिये अपर्याप्त है। कक्षा ६, ७ व ८ में कुल छात्र संख्या क्रमश: १६, १४ व ६ है जबकि कम से कम छात्र संख्या ७४ होनी चाहिये।

३. ऐसा कोई प्रस्ताव ग्राम-वासियों की ओर से प्राप्त नहीं हुआ।

४. ग्राम शाहपुर, तहसील अलवर की जनता यदि माध्यमिक शाला को उच्चतर माध्यमिक शाला में परिवर्तित कराने के लिये तीन वर्ष की रेकरिंग तथा नॉन-रेकरिंग व्यय जो कि ६३,६००) रु० होता है देने को तैयार हो तो विचार किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा सत्र १९६३-६४ में इस कार्य के लिये कोई प्रावधान नहीं है।

परिशिष्ट ६

राजस्थान में अकाल की स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य जो दिनांक २६ अगस्त १९६३ को उप-मंत्री, राजस्व द्वारा सदन की मेज पर रखा गया।

राजस्थान में उपस्थित हुई अभावग्रस्त स्थिति के बारे में सदन में चिन्ता प्रकट की गई थी। सरकार इस स्थिति के विषय में प्रारम्भ से ही सजग रही है और इसका मुकाबिला करने के लिये तमाम सम्भव उपाय ठीक समय पर किये गये। मैं सदन की सूचनार्थ स्थिति का संक्षेप में हाल पेश करता हूं।

वर्षा

इस वर्ष मानसून साधारणतया बहुत देर से आया। जुलाई के मध्य तक बहुत ही कम तहसीलों में वर्षा हुई। वर्षा जुलाई के अन्त में तथा अगस्त के प्रारम्भ में हुई। यह वर्षा जो काफी देर से आई वह भी बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर जिलों में और पाली, चूरू, गंगानगर, झुंझुनू तथा जालोर जिलों के कुछ भागों में बहुत साधारण थी। अलबत्ता अगस्त के दूसरे सप्ताह में पाली, जोधपुर तथा झुंझुनू जिलों में अच्छी वर्षा हुई लेकिन ऐसी वर्षा बाड़मेर तथा बीकानेर तथा बीकानेर जिलों में नहीं हुई। जालोर जिले के लगभग ११० गांवो में उसके बाद कोई वर्षा नहीं हुई है और वहां पर लोग अभावग्रस्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। जैसलमेर जिले की तहसील पोकरन के ८ गांवों में और तहसील जैसलमेर के १७ गांवों में एक इंच से भी कम वर्षा हुई। उदयपुर जिले की भीम और देवगढ़ तहसीलों में भी पांच अगस्त के बाद बिल्कुल वर्षा नहीं हुई है। जिला अजमेर में भी पीसागन के लगभग दस गांवों में और ब्यावर तहसील में खासतौर पर जवाजा, मसूदा तथा नयानगर लैण्ड रेकार्ड सर्किल में वर्षा अच्छी नहीं हुई। जिला भीलवाड़ा की मांडल तथा आसींद तहसीलों के लगभग ४० गांवों में वर्षा काफी नहीं हुई हैं।

बुवाई

वर्षा देर से होने के कारण राज्य के अधिकांश भाग में फसल खरीफ की बुवाई देर से हो सकी। केवल उदयपुर, चित्तोड़गढ़, भीलवाड़ा तथा जयपुर, अलवर, भरतपुर, टोंक, सवाई माधोपुर, सीकर जिलों के अधिकांश हिस्सों में तथा भूतपूर्व कोटा डिवीजन के अधिकांश भाग में ही बुवाई जल्दी की जा सकी। इस समय तक फसल की बुवाई करीब करीब सम्पूर्ण राजस्थान में सिवाय यत्रतत्र कुछेक स्थानों को छोड़कर हो चुकी है। जुलाई के पूर्व या जुलाई के मध्य में बोई गई फसल की स्थिति संतोषजनक है। जुलाई के अन्त में या अगस्त के प्रारम्भ में बोई गई फसलें भी ठीक प्रकार उपज रही हैं। जो फसल अगस्त के मध्य में बोई गई थी वह भी इस समय तक संतोषप्रद रूप से बढ़ रही है। विशेष रूप से बीकानेर जिले की तीन तहसीलों (बीकानेर, नोखा और लूणकरणसर) तथा बाड़मेर जिले की दो तहसीलों (पचपदरा और बाड़मेर) तथा उसी जिले की तहसील चोहटन के कुछ भागों में और जालोर जिले की आहोर, भीनमाल तथा सांचोर तहसील के कुछेक गांवों में फसल को चिंता की हालत से मुक्त नहीं कहा जा सकता। झुंझुनू,

जोधपुर, पाली, चूरू और नागौर में फसल की आशाएं कुछ अच्छी हो गई हैं।

चारा

जुलाई के महीने में चारे की समस्या बड़ी कठिन हो गई थी। फिर भी जुलाई के अंतिम सप्ताह में ठीक समय पर कार्यवाही की गई और आरक्षित बन में से चारे की सप्लाई के लिए व्यवस्था कर दी गई। जून के महीने में प्रचलित दामों पर, ३ रुपये ५० नये पैसे प्रति मन से अधिक नहीं उसी स्थान से चारा प्राप्त करने की शक्ति भी कलेक्टरों को दे दी गई थी। सरकार से सहायता दी जाकर २ रु० ५० नये पैसे प्रति मन से चारा बेचने के लिये व्यवस्था कर दी गई। जोधपुर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू और भीलवाड़ा जिलों में चारे के डिपो खोल दिए गये थे। पाली और सिरोही जिलों में वहां के बीड़ों में से सीधे चारा सप्लाई किये जाने के लिए भी व्यवस्था कर दी गयी थी। बीकानेर, चूरू और जालौर जिलों में कलेक्टरों ने रियायती दरों पर बेचने के लिये चारा काफी तादाद में वहीं के स्थानों से इकट्ठा कर लिया था।

चूंकि उस समय वर्षा की आशा बहुत कम प्रतीत होती थी इसलिये कोटा-बारां मार्ग पर बारह चारे के डिपो खोल दिये गये, जहां पर बाहर जाने वाले पशुओं के लिये चारा मुफ्त दिलाये जाने की व्यवस्था की गई थी। यू. पी., महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश की सरकारों ने करीब डेढ़ लाख मन चारा सप्लाई करने के प्रस्ताव भेजे। हमने इन प्रस्तावों से आवश्यकतानुसार तथा समयानुसार फायदा उठाया।

चारे की अतिरिक्त मांग की पूर्ति अब जैसलमेर जिले से करने का प्रस्ताव है। बीकानेर, बाड़मेर और जालोर जिलों में आज-कल चारे की सख्त जरूरत है। इन जिलों में उसे वहीं खरीद कर या ओहर के जंगल से या अन्य जिलों से आयात करके चारा पहुंचाने का उचित प्रबन्ध किया जा चुका है। राज्य से चारा (जिसमें ग्वार शामिल है) निर्यात करने पर तारीख २५-७-६३ से पूरी रोक लगादी गई है। जंगल के बीड़ों को प्राइवेट ठेकेदारों को नीलाम करने पर भी रोक लगाई जा चुकी है।

पीने का पानी

पीने के पानी की कमी की पूर्ति सरकारी खर्च से ऐसे टैंक जिनमें वर्षा का जल एकत्रित किया गया था ट्रकों द्वारा पानी के टैंक भेज कर तथा कुओं से पानी खींच कर, की गई है।

खाद्यान्न

खाद्यान्नों के भावों में कोई खास वृद्धि नहीं हुई है। जितनी की वृद्धि होने का अनुभव किया गया है उतनी इस मौसम में प्रायः होती ही है। उक्त वृद्धि गत अप्रेल मास के भावों की तुलना में केवल ५ प्रतिशत के करीब है। तथापि पिछले वर्ष इस समय प्रचलित कीमतों से वे निश्चय ही कम है। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर जिलों में पहले ही सस्ते नाज की दूकानें (Fair Price Shops) खोली जा चुकी हैं। अन्य जिलों में भी कलेक्टरों को जब कभी वे आवश्यक समझें ऐसी दूकानें खोलने के लिए अधिकार दे दिये गये है।

रिलीफ कार्य

उन प्रभाव ग्रस्त क्षेत्रों में भी जो पिछले वर्ष प्रभाव ग्रस्त घोषित किये गये थे रिलीफ कार्य चालू रखने का निश्चय किया जा चुका है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक लगभग २८ लाख रुपये जिलों के लिये रिलीफ कार्य प्रारम्भ करने की मंजूरी दी जा चुकी है जिसमें से लगभग ८ लाख रुपये तकावी के रुप में बांटे जाने के लिए रखे गये हैं जिसमें चारे की तकावी भी शामिल है।

पशुओं की निकासी (Cattle Migration)

पशुओं की कोई निकासी राज्य के बाहर नहीं हुई है तो भी एक तहसील से दूसरी तहसील या एक गांव से दूसरे गांव में पशु ले जाये गये हैं जो सामान्य वर्षों में भी पशु-पालकों द्वारा किया जाता रहता है और यह कोई असाधारण बात नहीं है। पशुओं की निकासी के संबंध में विस्तृत योजनायें तैयार की जा रही हैं क्योंकि ऐसी सम्भावना है कि कुछ ऐसे क्षेत्रों से जहां वर्षा अच्छी नहीं हुई है, अक्टूबर के महीने में पशुओं की कुछ निकासी की जाय।

शुद्धि–पत्र

(सोमवार, दिनाङ्क २६ अगस्त, १९६३)

स्कम्भ सं. १	पंक्ति संख्या २	अशुद्धि ३	शुद्धि ४
१	१	वृतात	वृत्तान्त
४	६	(बैर)	(वैर)
८	अन्तिम से ५	चीकी	चीनी
९	१७	(अववर)	(अलवर)
१०	७	बतार्येगे	बतायेंगे
१६	१६,	करोल	करौल
१७	शीर्ष व ११, १६, २४	श्री नाथूलाल करोल	श्री नाथूलाल करौल
,,	७	सर्ठोफिकेट	सर्टीफिकेट
१८	१	करोल	करौल
,,	१५	करंने	करने
,,	अन्तिम से ४	इन्डट्रीज	इन्डस्ट्रीज
२०	२३	(भवानी शंकर नन्दवाना)	(श्री भवानीशंकर नन्दवाना)
३१	२	नीम्बाहेड़ा	निम्बाहेड़ा
,,	८	डिस्टिक्ट	डिस्ट्रिक्ट
३२	अन्तिम	परिशिष्ठ	परिशिष्ट
३३ से ३६	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
३६	३	रिपो	रिपोर्ट
३८	६	श्री विजयासह झाला	श्री विजयसिंह झाला
३९	शीर्षक	तारांकित	तारांकित
,,	७	(हिन्डोन)	(हिन्डौन)
४१	८	सलेक्शन	सिलेक्शन
४३से५६व५८	शीर्षक	तारांकित प्रश्नोत्तर	तारांकित प्रश्नोत्तर
४८	११	श्री चन्दनमल वेद	श्री चन्दनमल वैद
६३	१६	प्राविडेन्ट	प्रोविडेन्ट
६६	१२, २०	श्री माणिकचन्द सुराणा	श्री मानिकचन्द सुराणा
७१	११	परिशिष्ट ८ देखिये)	परिशिष्ट ६ देखिये)
८५	८	।रटर्न,	रिटर्न,

१	२	३	४
८७	१	ग्रापनी	ग्रापकी
९०	१३	विवेन्द्रीकरण	विकेन्द्रीकरण
९३	३	ब्यक्ति	व्यक्ति
,,	५	मरकार	सरकार
९६	२४	श्री मुकटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
९७	६	नहा	नहीं
,,	७	फारेस्ट्स	फोरेस्ट्स
९८	३	मुख्य भन्त्री	मुख्य मन्त्री
९९	११	श्री मोतीलाल चोधरी	श्री मोतीलाल चौधरी
१०३	शीर्षक	वे प्रति	के प्रति
१०७	शीर्ष	श्री भैरोसिंह	श्री भैरोसिंह
११०	१४	बीमार ह।	बीमार हैं।
११५	१८, १९	करशन	करप्शन
१२२	२४	कितावों	किताबों
१२३	१०	नेशलाइजेशन	नेशनलाइजेशन
१४८	८	Hoaose.	House.
१४९	८, ९	भिनिस्टर	मिनिस्टर
१५०	ग्रन्तिम	नें यह	, मैं यह
१५१	२४	प्रतिप्ठा	प्रतिष्ठा
,,	२६	भ्रप्टाचार	भ्रष्टाचार
१५२	ग्रन्तिम से ६	, उपाध्क्ष,	उपाध्यक्ष
१५७	ग्रन्तिम से ७	भैरोसिंह जी	श्री भैरोसिंह जी
१६४	ग्रन्तिम से २	लेकिन को	लेकिन जो
१६७	७	भहीने	महीने
१६८	२	ह्	हूं
,,	६	फाइकल	फाइनल
१७२	ग्रन्तिम से ३	इंग्लेन्ड	इंग्लैंड
,,	ग्रन्तिम	स्टट	स्टेट
१७५	ग्रन्तिम	ग्रुप	ग्रुप
१७८	२०	मिनिट मैं	मिनिट में
१८८	८	wouid	would
,,	ग्रन्तिम से ६	श्री भाखाभाई	श्री भीखाभाई
१९७	२	स प	सांप

१	२	३	
२०४	१	चांहूगा	चाहूंगा
,,	१६	(रामाखेडा)	(राजाखेड़ा)
,,	२३	amember	a member
२०५	१	जार्ये	जायें
,,	२२	कर्हे,	कहें,
२०६	६	श्री मुक्रटबिहारीलाल	श्री मुकुटबिहारीलाल
२११	१२	hembers !!	members !!
२१२	१६	pelase	please
२२७	१	तांराकित	तारांकित
,,	७, कॉलूम २	सहायक रजिस्टार	सहायक रजिस्ट्रार
२२७	१७ कॉलूम २	सहायक रजिस्ट्राह	सहायक रजिस्ट्रार
,,	२० व २४ ,,	सहायक रजिग्रार	सहायक रजिस्ट्रार
२२८	१४ ,,	सहायक रजिस्टार	सहायक रजिस्ट्रार
२३२	अन्तिम से ४	हैन्डी क्राफ़ट	हैन्डी क्राफ्ट
२३३	१५	(कामा)	(कामां)
२३६	३	श्री नायूलाल करोल	श्री नाथूलाल करोल
,,	२०	(हिन्डोन)	(हिन्डौन)
२३८	५	(नांवा)	(नावां)
,,	१८	अनियमिनताएं	अनियमितताएं
२३६	३	उच्चतर	उच्चत्तर